

495



सत्यमेव जयते

12911

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)

निष्पादन मूल्यांकन

2001 की संख्या 3

© भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
2001


मूल्य
65 रूपये
5 अमरीकी डालर
(डाक खर्च सहित)

रक्षा सञ्चालन 3, वर्ष 2001 (साधारण)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन


मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
निष्पादन मूल्यांकन
2001 की संख्या 3



विषय सूची

| | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|---|-----------|-------|
| प्राक्कथन | | iii |
| विहंगावलोकन | | v |
| अध्याय I : स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय | | |
| परिवार कल्याण मंत्रालय | | |
| राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम | 1 | 1 |
| अध्याय II: मानव संसाधन विकास मंत्रालय | | |
| प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग | | |
| जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम | 2 | 63 |
| अध्याय III : शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय | | |
| तथा उद्योग मंत्रालय | | |
| शहरी रोजगार उत्पादन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना | 3 | 151 |



प्राक्कथन


31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए संघ वित्त लेखाओं तथा संघ विनियोग लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा संघ मंत्रालयों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय लेन-देनों तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2001 के प्रतिवेदन सं. 1 तथा 2 में शामिल किए गए हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में निम्नलिखित केन्द्र द्वारा प्रवर्तित/निधिबद्ध योजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन से उद्भूत मामले शामिल किए गए हैं। इन अखिल भारतीय पुनरीक्षणों में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों एवं संघ सरकार के नियन्त्रण में मंत्रालयों के भी अभिलेखों की गई नमूना जांच के परिणाम शामिल हैं।

- | | |
|--|---|
| 1. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय |
| 2. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |
| 3. शहरी रोजगार उत्पादन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना | शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय |

संघ सरकार-अन्य स्वायत्त निकाय (सं. 4), वैज्ञानिक विभाग (सं. 5), डाक एवं दूरसंचार (सं. 6), रक्षा मंत्रालय-सेना तथा आयुध कारखाने (सं. 7), वायु सेना तथा नौ सेना (सं. 8), रेलवे (सं. 9), संघ सरकार की प्राप्तियां-अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क (सं. 10), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (सं. 11), तथा प्रत्यक्ष कर (सं. 12), के लिए भी पृथक प्रतिवेदन जारी किए गए हैं।



विहंगावलोकन

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग में तीन केन्द्र प्रवर्तित/निधिगत कार्यक्रमों (i) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (ii) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (iii) शहरी रोजगार उत्पादन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(परिवार कल्याण विभाग)

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम एकमात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जनसांख्यिकीय उद्देश्य को ही अन्ततः लक्ष्य बनाकर सम्पूरक उद्देश्यों की श्रृंखला को आवृत करते हुए निरन्तर विकसित नीति अभिक्रमों का संगम है। यह नियन्त्रित साम्राज्य से मुक्त स्वैच्छिक प्रणाली की ओर बढ़ गया है जबकि इसका परिदान वाहन अपरिवर्तित रह गया है। पुनरीक्षण से विभिन्न कार्यक्रमों में जनसांख्यिकीय लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी, पूरे आर्बिट्रित संसाधनों के आर्बटन के पूर्ण उपयोग में तथा परियोजना निर्माण एवं निष्पादन के प्रवाह में विफलता उजागर करता है। बृहत्तर तथा व्यापक तंत्रिय आवश्यकताओं पर बल दिया गया है परन्तु मानवशक्ति तथा अवसंरचना की गुणवत्ता के परम्परागत स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे में धकेल दिया गया है शिक्षा, विश्वास प्रणाली तथा विकासात्मक प्राचल के साथ कार्यक्रम का धरातल अस्पष्ट रहा है। कार्यक्रम सम्बन्धी हस्तक्षेप के रूप में घटिया संयोजन तथा असंगतियों की श्रृंखलाओं के कारण इनका झुकाव अकेन्द्रीभूत हो गया है सेवा के प्रबन्ध की लागत में वृद्धि रही है, जबकि सेवाओं के लिए आर्बटन घट रहा है। पूर्णतया मानदण्डों के पुनर्परिभाषित करने की कमी तथा संसाधनों के पुनः पंक्तिबधन के अभाव में, सेवाएं पुनरुत्पादन तथा बाल स्वास्थ्य की केन्द्रीय संकल्पना के आस पास एकत्रित होने में विफल रही है घटिया बाह्य सेवाओं तथा परिसीक्षण एवं परामर्शीय सुविधाओं की कमी के कारण अप्रत्यायक रूप के मातृक स्वास्थ्य तथा मातृक स्वास्थ्य देखभाल प्राचलों तक पहुंचा गया है, पुनरुत्पादक स्वास्थ्य एवं देखभाल के क्षेत्र में परिसीक्षण, उपचार अनुसरण के लिए सुविधाएं निरन्तर क्षीण तथा उदासीन रही हैं। बाल स्वास्थ्य तथा देखभाल अन्य योजनाओं द्वारा भी सम्बोधित होते हैं तथा अन्तर्ग्रस्थ व्यवस्था स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है। कार्यक्रम को महिलाओं के प्रति बहुत भारी बोझिल बना दिया है क्योंकि गर्भनिरोधक की आवधिक विधियों ने पुरुषों को आकर्षित नहीं किया है। कार्यक्रम के निष्पक्षता केन्द्र बिन्दु को व्यापक रूप से हानि हुई है। अवसंरचना तथा कार्यक्रम सहायता सेवाएं असन्तोषजनक रही हैं, अपुष्ट आंकड़ों के कारण प्रणाली सहायता विफल हुई है तथा आपूर्तियों की निरन्तर घटिया व्यवस्था रही है। जनसांख्यिकीय लक्ष्य अभी भी बहुत दूर हैं।

- कार्यक्रम के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान का लगभग 34 प्रतिशत बाह्य स्रोतों से वित्तपोषित होता था। तथापि सहायता का कम उपयोग रहा क्योंकि अप्रयुक्त बाह्य निधियां मार्च 2000 तक 3510.10 करोड़ रु. में से 438 करोड़ रु. तक संचित हो गईं

शी । कार्यक्रम का व्यावहारिक रूप से कोई योजनेतर बजटीय अंश नहीं है जो अवसंरचना के अनुक्षण हेतु अल्प बजट प्रावधान, यहां तक कि व्यय के वास्तविक स्तर से कम प्रावधान होने का प्रमाण देता । इसके अतिरिक्त, सत्तरहवें दशक के आरंभ में आकस्मिकताओं के लिए नियत प्रतिमानों का संशोधन न होने तथा राज्य द्वारा प्रचलित स्तरों पर व्यय करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के प्रति 656.50 करोड़ रु. बकाया एकत्र हो गए । रुचिकर यह है कि कुछ घनी आबादी वाले राज्य दोनों ओर के संसाधनों, अधिक आबंटन तथा कम आबंटन दोनों का उपयोग करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप बचत में अवसंरचना की तैयारी तथा संसाधनों के प्रवाह के बीच रोकल विषमता प्रदर्शित हुई ।

- राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मां तथा बच्चे के लिए पुनरुत्पादन स्वास्थ्य तथा देखभाल सुनिश्चित करके जनन क्षमता में कमी से जनसंख्या में स्थिरता लाना तथा परिवार कल्याण उपायों की पर्याप्त रूप से स्वीकार्यता प्रदान कराना था । तथापि बहुत से योजना सम्बन्धी हस्तक्षेपों के बावजूद कार्यक्रम उपलब्धियां अभिप्रेत उद्देश्यों से कम पड़ गई ।
- मातृ स्वास्थ्य तथा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं में अप्रासूतिक देखभाल, प्रासूतिक देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल तथा परामर्शीय सेवाएं शामिल हैं । जांच तथा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के अभिलेखों के सुव्यवस्थित असुक्षण की कमी गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण की अनुपलब्धता तथा द्वार द्वार पर सर्वेक्षण तथा स्वैच्छिक रूप से सूचना भेजने की विधि स्थापित न करने के कारण सांख्यिकीय सूचना का सत्यापन नहीं किया जा सका ।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य प्रासविक देखभाल औषधियों, नवजात पुनरुज्जीवन, नवजम उपकरण किटों की उपलब्धता बहुत कम थी तथा घर आघातित सपुदुर्गियों के लिए प्रयोज्य सपुदुर्गी किटों की आपूर्ति की योजना ग्रामीणं तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में विफल थी ।
- परीक्षण तथा फीडबैक के एकत्रण को शामिल करते हुए बाहर की सेवाओं के घटिया निष्पादन के कारण परामर्शीय सेवा योजना का कार्यान्वयन विफल हो गया ।
- गर्भपात सुविधाओं की घटिया उपलब्धता तथा लगभग 25 प्रतिशत प्रशिक्षित चिकित्सक गर्भपात करने के लिए लगभग 25 प्रतिशत केन्द्रों में उपलब्ध थे तथा केवल 36 प्रतिशत महिलाओं को यह जानकारी थी कि किन स्थानों पर गर्भपात सुविधाएं मिल सकती हैं ।
- कोल्ड चेन सुविधा, टीकाकरण कार्यक्रम सहायता के एक साधन का वास्तविक उपयोग असन्तोषजनक था तथा निर्मित क्षमता के स्तर से बहुत नीचे था ।
- 1998-2000 के दौरान की गई सू.शि.स. गतिविधियों के विश्लेषण से पता चला कि केवल 16 प्रतिशत परिवारों ने उनके क्षेत्र में कमी भी की गई कोई सू.शि.स. गतिविधि की जानकारी के बारे में सूचित किया । 13 राज्यों में या तो सू.शि.स. गतिविधियां आरम्भ नहीं की गई थी अथवा पर्याप्त कवरेज देने में विफल रही ।

- उच्चतर सेवा सफुर्दगी स्तर पर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी 11 से 22 प्रतिशत थी जब कि विभिन्न स्तरों पर सहायक स्टाफ की कमी 9 से 18 प्रतिशत के बीच तथा प्रा.स्वा.के. तथा के.स्वा.के. के स्तर चिकित्सा अधिकारियों तथा विशेषज्ञों की कमी 8 से 15 प्रतिशत थी ।
- रा.स्वा.प.क. सं. ने प्रस्तावित संख्या से अधिक अपेक्षाकृत बड़ी संख्या के लिए राज्यों/सं.रा.क्षे. को निधियां जारी की तथा सूचित की गई प्रशिक्षण की उपलब्धियां निराशाजनक थी ।

(अध्याय-1)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

लेखापरीक्षा समीक्षा द्वारा कार्यक्रम की अपर्याप्तताओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है । यद्यपि कार्यक्रम में सामाजिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के सभी आवश्यक तत्व समाविष्ट थे, यह आधार स्तर की वास्तविकताओं को संपूर्ण रूप से संबोधित नहीं करता । कार्यवाही के साधन के रूप में स्थानीय समुदाय का अधिक सहयोग सुनिश्चित और समुदाय स्वामित्व का अर्थ या जानकारी कराने में विफल रहा । यद्यपि जि.प्रा:शि.का. निधियों का प्रयोग नहीं किया गया, निजी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी । इसके प्रभाव में, योजनाबद्ध हस्तक्षेप मूल उद्देश्यों पर वांछित प्रभाव नहीं डाल सके ।

कार्यक्रम उपलब्धियां अभीष्ट उद्देश्यों से कम रही जैसा नीचे प्रकट किया गया है-

- 1994-2000 के दौरान, 3951.26 करोड़ रु. के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनागत बजट के प्रति 2271.95 करोड़ रु. जारी किए गए । वस्तुतः इतना कम बजट आबंटन राज्यों द्वारा पूर्णतः प्रयोग नहीं किया गया और इसलिए उनके संवितरण अनुसूचियों के अनुसार विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय निधियन अभिकरणों द्वारा सुलभ कर्जे एवं अनुदान के रूप में दी गई निधियों के संसाधनों के उपयोग में परिहार्य, व्यर्थ एवं अपव्यय के उदाहरणों के अतिरिक्त विपथन के कई उदाहरण ध्यान में आए ।
- लक्षित समूहों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों एवं अनुपूरक सामग्री का वितरण उचित नहीं था: 81 प्रतिशत विद्यालयों ने पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करने की पुष्टि की तथा 44 प्रतिशत विद्यालयों ने विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण करने के लिए सामग्री को प्राप्त करने की पुष्टि की । इसके विपरीत, क्रमशः केवल 64 एवं 24 प्रतिशत अभिभावकों ने पाठ्यपुस्तकें एवं अनुपूरक सामग्री को प्राप्त करने की पुष्टि की ।
- विद्यालयों में मूल आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान न किए जाने के कारण प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश का प्रतिकूल प्रभाव था । 84 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कियों के लिए

अलग से शौचालय नहीं था, यद्यपि 33 प्रतिशत विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में, छात्र अध्यापक अनुपात क्रमशः 72 एवं 96 काफ़ी ज्यादा था। सात राज्यों में विद्यार्थी कक्षा अनुपात का औसत सामान्य स्तरों से अधिक था। पश्चिम बंगाल (84) में सबसे अधिक उसके बाद असम (66) और उत्तर प्रदेश (64)

- जि.प्रा.शि.का. के कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवधि के दौरान नामांकन में तुलनात्मक उच्च वृद्धि प्रमाणित थी, परन्तु सभी जि.प्रा.शि.का. अनुवर्ती वर्षों में राज्यों में लगातार ऐसा नहीं रहा। एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक पहुंचने पर लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत हिस्सा कम होता गया। लड़के एवं लड़कियों तथा अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य के बीच नामांकन स्तरों में अनौचित्यता जि.प्रा.शि.का. के हस्तक्षेप के बावजूद बनी रही।
- सभी जि.प्रा.शि.का. में विद्यालय बीच में छोड़कर जाने वालों की दर 10 प्रतिशत से बहुत अधिक रही है। सात राज्यों के 17 जिलों में, लड़के, लड़कियों के बीच छोड़कर जाने वाली तथा सामाजिक रूप से लाभ प्राप्त न कर पाने वाले समूहों की दरों में पांच प्रतिशत से अधिक का अंतर रहा। लड़के तथा लड़कियों के बीच और अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य के बीच योग्यता प्राप्त करने के स्तरों में अंतर को पांच प्रतिशत के वांछित स्तर तक घटाया नहीं जा सका।
- छः राज्यों में शिक्षकों की तैनाती के लिए कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई थी। राज्यों द्वारा प्रशिक्षण सारणियों का भी सख्ती से पालन नहीं किया गया था तथा बड़ी संख्या में शिक्षकों तथा अन्य कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सका।
- शिक्षकों की स्थलपर अकादमिक सहायता तथा प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी खण्ड संसाधन केन्द्र तथा समूह संसाधन केन्द्र केवल 58 प्रतिशत शिक्षकों को प्रशिक्षण/अकादमिक सहायता प्रदान कर सके।
- सिविल निर्माण कार्यों के लिए नियत लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे। सिविल निर्माण कार्यों में समुदायिक आवेदन सीमान्त था।
- केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर योजना का अनुश्रवण प्रभावशाली नहीं था क्योंकि योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करने के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों की नियमित रूप से बैठकें नहीं हुईं।

(अध्याय-II)

शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
तथा उद्योग मंत्रालय

शहरी रोजगार उत्पादन कार्यक्रम तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, स्व रोजगार साहसिक कार्यों की स्थापना करके या मजदूरी रोजगार के माध्यम से शहरी बेरोजगारों/कम रोजगार वालों को लाभकर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1 दिसम्बर 1997 से आरंभ की गई थी। मंत्रालय स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार

योजनाके अंतर्गत रोजगार देने तथा रोजगार के इच्छुक लोगों के पंजीकरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी परिवारों का संतोषजनक ढंग से लक्ष्य निर्धारण सूचित करने के लिए समर्थ नहीं हैं। लाभभोगियों का न तो पंजीकरण किया गया है और न ही उन्हें परिवार कार्ड जारी किये गये हैं। अतः रोजगार अपंजीकृत श्रमिकों को दिया गया है तथा अधिकांश मामलों में उनके पास या तो परिवार कार्ड नहीं थे या जहां ये उपलब्ध थे वहां उनमें रोजगार ब्यौरे दर्ज नहीं किए गए थे। इस प्रकार, यह कोई निश्चित नहीं था कि क्या अभिप्रेत जनसंख्या जिसे योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाना था, का वास्तव में व्यापक रूप में लक्ष्य रखा गया था और न ही क्या रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति मजदूरी रोजगार प्राप्त करने के मानदण्ड को वास्तव में पूरा करते थे। उत्पादित रोजगार तथा किए गए व्यय के आंकड़े प्रामाणिक नहीं थे। अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना मंत्रालय की भूमिका दिशानिर्देशों को बनाने तथा उनको राज्य सरकारों को परिचालित करने तक सीमित थी जिससे लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंच सकें तथा निधियों का उचित ढंग से उपयोग हो सके।

- 1989-2000 के दौरान श.रो.उ.का. के अंतर्गत जारी 2039.89 करोड़ रु. की केन्द्र तथा राज्य के हिस्से की निधि में से मार्च 2000 तक 645.98 करोड़ रु. अव्ययित रहे क्योंकि पूर्व योजनाओं के अंतर्गत रहे अव्ययित शेषों को इस योजना के अंतर्गत निधियां जारी करते समय लेखे में नहीं लिया गया था।
- हुडको द्वारा अत्यधिक कम निष्पादन के कारण 1989-96 के दौरान न.रो.यो. के घटक शाशू के अन्तर्गत उन्हें जारी किये गये 117.17 करोड़ रु. में से, 57.46 करोड़ रु. मार्च 2000 तक अप्रयोजित रहे। जबकि हुडको ने इसके उपर ब्याज के रूप में 29.32 करोड़ रु. कमाये, शहरी जनता के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के केन्द्र को उन्नत करने तथा मकानों के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य को धक्का लगा। 37.97 करोड़ रु. उनके पास रहे।
- राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा सूचित किये गये 385.53 करोड़ रु. के प्रति 148.55 करोड़ रु. के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे।
- अधिकतर राज्यों/सं.शा.क्षे. में 1 दिसम्बर 1997 से स्व.श.रो.यो. में शामिल यथाकथित योजनाओं (ने.रो.यो., यूबीएसपी तथा पीएमआईयूपीईपी) का लेखा बन्द नहीं किया गया था। यथाकथित योजनाओं के 561.89 करोड़ रु. का अप्रयोजित अर्ध-शेष स्व.श.रो.यो. के अन्तर्गत बताये गये बकाया अप्रामाणिक थे।
- एक माह से सात वर्षों के बीच विलम्ब के साथ राज्य सरकारों को 75.59 करोड़ रु. केन्द्र के हिस्से के रूप में जारी किया गया था। इसी प्रकार 133.65 करोड़ रु. का राज्य अंशदान कार्यन्वयन एजेन्सियों को 36 माह तक विलम्ब के साथ जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त 57.51 करोड़ रु. का दोनों केन्द्रीय/राज्य अंशदान दो वर्षों तक विलम्ब के साथ जारी किया गया था। पीएमआरवाई में कुछ राज्यों में, दो माह से छः वर्षों के बीच विलम्ब के साथ निधियां जारी की गई थीं।
- कार्यन्वयन एजेन्सियो ने 910 योजनाएं 6 करोड़ रु. खर्च करने के पश्चात बीच में ही छोड़ दीं।

- रोजगार आंकड़ों पर सैद्धान्तिक सूचना, रोजगार बढ़ाने के प्रमाण की कमी ने इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वास्तविक रोजगार को बढ़ाने में संदेह उत्पन्न कर दिया ।
- पीएमआरवाई में 1993-95 के लिए आईएएमआर द्वारा मूल्यांकन किया गया तथा .नगर निगम/मंडल स्तर पर कार्य बल की बैठकें करने सेवा सेक्टर तथा व्यापार सेक्टर में कारखानों में निवेश की सीमा को बढ़ाने, संयुक्त सुरक्षा को तैयार करने तथा आयु सीमा बढ़ाना कार्यान्वयन किया गया था । कोई दूसरा मूल्यांकन नहीं किया गया था ।
- पीएमआरवाई में, सरकार/बैंकों द्वारा बनाई गयी परियोजनाएं या तो बन्द हो गई अथवा स्थापित नहीं की गई परिणामतः निधियों का दुरुपयोग । ऋण की वसूली मामलों के 52 प्रतिशत के लगभग थी ।

(अध्याय-III)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

संस्कृत-भाषा-शिक्षण-संस्थान-द्वारा-प्रकाशित-

संस्कृत-भाषा-शिक्षण-संस्थान-द्वारा-प्रकाशित-

अध्याय-I: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

परिवार कल्याण विभाग

1. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

लेखापरीक्षा पुनरीक्षण परिणाम दोषपूर्ण परिभाषित लक्ष्यों पर व्यापक रूप से छिन्नभिन्न एक बहुत बड़े कार्यक्रम का रहस्योद्घाटन करता है। राष्ट्रीय नीति के विकास के साथ कार्यक्रम ने नये दृष्टिकोण अपनाए हैं तथा नियंत्रित साम्राज्य से मुक्त स्वैच्छिक प्रणाली की ओर बढ़ गया है जबकि इसका परिदान वाहन अपरिवर्तित रह गया है। वृहत्तर कृत्रिमता तथा व्यापक तंत्रिय आवश्यकताओं पर बल दिया गया है परन्तु मानवशक्ति तथा अवसंरचना की गुणवत्ता को परम्परागत स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे में धकेल दिया गया है। शिक्षा, विस्वास प्रणाली तथा विकासोन्मुख कार्यक्रम का धरातल अस्पष्ट रहा है, कार्यक्रम सम्बन्धी हस्तक्षेप के रूप में घटिया संयोजन तथा असंगतियाँ की श्रृंखलाओं के कारण इनका झुकाव अकेन्द्रीभूत हो गया है। सेवा के प्रबन्ध की लागत बढ़ रही है, जबकि सेवाओं के लिए आबंटन घट रहा है। सेवाओं, लगभग पूर्णतया मानदण्डों के पुनर्परिभाषित करने की कमी तथा संसाधनों के पुनः पंक्तिबंधन के अभाव में सेवाएं पुनरुत्पादन तथा बाल स्वास्थ्य की केन्द्रीय संकल्पना के आसपास एकत्रित होने में विफल रही हैं। घटिया बाह्य सेवाओं तथा परिवीक्षण एवं परामर्शीय सुविधाओं की कमी के कारण अप्रत्यक्ष रूप से मातृक स्वास्थ्य तथा मातृक स्वास्थ्य देखभाल प्राचलों तक पहुंचा गया है। पुनरुत्पादक स्वास्थ्य एवं देखभाल के क्षेत्र में परिवीक्षण, उपचार तथा अनुसरण के लिए सुविधायें निरन्तर क्षीण तथा उदासीन रही हैं। बाल स्वास्थ्य तथा देखभाल, अन्य योजनाओं द्वारा भी सम्बोधित होते हैं तथा अन्तर्ग्रथन व्यवस्था स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है। कार्यक्रम को महिलाओं के प्रति बहुत भारी बोझिल बना दिया है क्योंकि गर्भनिरोध की आवधि विधियों ने पुरुषों को आकर्षित नहीं किया है। कार्यक्रम के निष्पक्षता केन्द्र बिन्दु को व्यापक रूप से हानि हुई है। अवसंरचना तथा कार्यक्रम सहायता सेवाएं असतोषजनक रही हैं, अपुष्ट आंकड़ों के कारण प्रणाली सहायता विफल हुई है तथा आपूर्तियों की निरन्तर घटिया व्यवस्था रही है। जनसांख्यिकीय लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है।

विशिष्टताएं

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मां तथा बच्चे के लिए पुनरुत्पादन स्वास्थ्य तथा देखभाल सुनिश्चित करके जननक्षमता में कमी से जनसंख्या में स्थिरता लाना तथा परिवार कल्याण उपायों की पर्याप्त रूप से स्वीकार्यता प्रदान करना था।

तथापि बहुत से योजना सम्बन्धी हस्तक्षेपों के बावजूद कार्यक्रम उपलब्धियां अभिप्रेत उद्देश्यों से कम पड़ गईं।

मातृ स्वास्थ्य तथा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं में अप्राप्तिक देखभाल, प्रासूतिक देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल तथा परामर्शीय सेवायें शामिल हैं। जांच तथा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के अभिलेख से सुव्यवस्थित असुरक्षण की कमी गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण की अनुपलब्धता तथा द्वार द्वार पर सर्वेक्षण की विधि स्थापित करने तथा स्वैच्छिक रूप से सूचना भेजने की विधि स्थापित न करने के कारण सांख्यिकीय सूचना का सत्यापन नहीं किया जा सका। सर्वेक्षण से पता चला कि जांच की बारम्बारता प्रत्यक्ष रूप के जीवन स्तर में वृद्धि के अनुपात में थी तथा पता चला कि शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लगभग 74 प्रतिशत ने तीन बार जांच करवाई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग 50 प्रतिशत रही। कार्यक्रम सम्बन्धित हस्तक्षेप की विफलता को सुव्यवस्थित पहुंच के अभाव के रूप में देखा जा ना चाहिए।

रक्त की रूग्णता, जिसने 1991 में मातृ मृत्यु की 20 प्रतिशत लेखाबद्ध किया, का सामना करने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम ने आइरन फॉलिक एसिड नियंत्रण को प्राथमिकता दी। तथापि नमूना जांच किये गये क्षेत्रों में आ.फा.ए. गोलियों की अनापूर्ति के कारण अनीमिया के प्रति लक्षित आवृत्ति में 30 से 81 प्रतिशत की भारी कमी थी। टीकाकरण के मामले में पूरे देश में केवल 74 प्रतिशत महिलाओं को आवृत्त किया जा सका था। सुरक्षित मातृत्व प्रेरणा के घटक के रूप में कुछ राज्यों में सांस्थानिक सुपुर्दगियां कुल सुपुर्दगियों के लक्ष्य स्तर से 50 प्रतिशत से नीचे थी जबकि कुछ राज्यों में आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाये गये थे। सर्वेक्षण से पता चला कि यद्यपि सरकारी रूप से 24 घण्टे की सुपुर्दगी सेवा संस्वीकृत की गई थी कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यह उपलब्ध नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य प्रासविक देखभाल औषधियों, नवजात पुनरुज्जीवन, विजात उपकरण किटों की उपलब्धता बहुत कम थी तथा घर आधारित सुपुर्दगियों के लिए प्रयोज्य सुपुर्दगी किटों की आपूर्ति की योजना ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में विफल थी।

आपातकालीन प्रासविक देखभाल के लिए पहचान की गई 1748 पहली परामर्शीय इकाइयों में से लगभग 300 इकाइयां, विशेषज्ञों, स्टाफ, किटों तथा उच्च जोखिम मामलों के लिए सुविधाओं के अभाव में पूरी तरह कार्य नहीं कर रही थी। पुनरीक्षण ने दर्शाया की ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की एक तिहाई महिलाओं ने अप्रासूतिक तथा प्रासूतिक अवधि के दौरान समस्याओं का सामना किया तथा जिनमें से लगभग 27 प्रतिशत को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं को भेजा गया था। उच्चतर संस्थाओं को मामले भेजने की प्रणाली का विभिन्न स्तरों पर केवल एक तिहाई केन्द्रों द्वारा पालन किया गया था। इस प्रकार परिवीक्षण तथा फ्रीडबैक के एकत्रण को शामिल करते हुये बाहर की सेवाओं के घटिया निष्पादन के कारण परामर्शीय सेवा योजना का कार्यान्वयन विफल हो गया।

पुनसत्यादक क्षेत्र संक्रमण तथा यौन अन्तर्गत रोगों के लिए पुनसत्यापन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध करवाने की योजना कुछ राज्यों में लागू नहीं की गई थी तथा आम तौर पर उपलब्ध करवाई गई सुविधायें अभी तक आरम्भिक चरण में हैं न कि वांछित चरण में। चिकित्सीय गर्भपात के लिए जिला/उप-जिला स्तर पर प्रत्येक अस्पताल में प्रारम्भिक रूप से कम से कम एक प्रशिक्षित दल (चिकित्सा अधिकारी तथा परिचारिका) तथा गर्भपात उपकरणों तथा किटों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। पुनरीक्षण से गर्भपात सुविधाओं की घटिया उपलब्धता का पता चला तथा यह पाया गया कि लगभग 25 प्रतिशत प्रशिक्षित चिकित्सक गर्भपात करने के लिए लगभग 25 प्रतिशत केन्द्रों में उपलब्ध थे तथा केवल 36 प्रतिशत महिलाओं को यह जानकारी थी कि किन स्थानों पर गर्भपात सुविधायें मिल सकती हैं।

महिलाओं में ग्रीवा कैंसर की प्रारम्भिक जांच के लिए पी.ए.पी. स्मिअर जांच सुविधा 1977 में आरम्भ हुई तथा 1998-2000 तक चरणबद्ध तरीके से 105 चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थाओं तक बढ़ाई गई थी। तथापि विभाग द्वारा ऐसे महाविद्यालयों/संस्थाओं के निष्पादन का निर्धारण बिना किसी निर्धारित मानदण्ड के तैयार की गई तथा जांची गई स्लाइडों के आधार पर किया गया था।

छः निरोग्य बिमारियों नामतः क्षयरोग, डिप्थीरिया काली खांसी, टेटनेस, पोलियो तथा खसरे के प्रति बच्चों तथा टेटनेस के लिए गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों की न तो जनसांख्यिकीय रूप रेखा से सर्वेक्षण पर आधारित थे। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में उपलब्धि ने कुछ राज्यों में भारी विषमता को, कुछ राज्यों में लक्ष्य से अधिक, कुछ राज्यों में लक्ष्य से 50 प्रतिशत से नीचे दर्शाया जबकि बच्चों के मामले में उपलब्धि लक्ष्य के 8 से 20 प्रतिशत कम थी। कोल्ड चैन सुविधा, टीकाकरण कार्यक्रम सहायता के एक साधन का वास्तविक उपयोग असन्तोषजनक था तथा निर्मित क्षमता के स्तर से बहुत नीचे था जैसा कि सर्वेक्षण से पता चला।

कार्यक्रम के अन्तर्गत लिंग असन्तुलन नलबन्दी के निराशापूर्ण अनुपात के अर्थ में पूर्णतया दर्शाया गया था जो कि कुल बन्धीकरण का 2 प्रतिशत है। कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ नलबन्दी के निष्पादन को परम्परागत नलबन्दी से बेहतर समझा गया था कुल महिला बन्धीकरण का 50 प्रतिशत था। परिवार नियोजन के अन्तर उपायों (खाने वाली गोलियां, निरोध उपयोगकर्ता तथा गर्भाशयान्तर्गत उपाय, निवेशन के सम्बन्ध में उपयोगिता सर्वेक्षण से परिणामों के अनुसार विभिन्न उपायों के लिए प्रयोग करने वालों की संख्या 2 तथा 4 प्रतिशत की बीच बहुत कम थी। सभी अन्तर उपाय उपयोगिताओं में से खाने वाली गोलियों की उपयोगिता निरोध (3 प्रतिशत) तथा गर्भाशयान्तर्गत लूप (2 प्रतिशत) से कुछ अधिक (4 प्रतिशत) थी।

इलेक्ट्रानिक मीडिया, विज्ञापनों तथा हॉर्डिंग के माध्यम से व्यापक प्रचार करके व्यावहारिक परिवर्तन, जागरूकता निर्माण करने हेतु अच्छे तथा सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) एक व्यापक नीति है। 1998-2000 के दौरान की गई सू.शि.सं. गतिविधियों से विश्लेषण से पता चला कि केवल 16 प्रतिशत परिवारों ने उनके क्षेत्र में कमी भी की

गई कोई सू.शि.सं. गतिविधि की जानकारी के बारे में सूचित किया। 13 राज्यों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि या तो सू.शि.सं. गतिविधियां आरंभ नहीं की गई थी अथवा पर्याप्त कवरेज देने में विफल रही।

लक्षित जनता को परिवार कल्याण की मूल न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेन्द्रों (उ.के.) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के.) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सा.स्वा.के.) के तीन पंक्ति अवसंरचना पर विकसित की गयी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली उपयुक्त गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने तथा वांछित कवरेज प्राप्त करने में विफल रही। यद्यपि 16 राज्यों/ सं.रा.क्षे. में उ.के. तथा प्रा.स्वा.के. तथा 9 राज्यों/ सं.रा.क्षे. में सा.स्वा.के. निर्धारित मानदण्ड से कम जनसंख्या की सेवा कर सके, जिसने दर्शाया कि उपकेन्द्रों/क्षेत्रों द्वारा आवृत्त क्षेत्रों का पुनर्गठन करके उपकेन्द्रों/क्षेत्रों तथा प्रा.स्वा.के. के साथ संयोजन करके इन केन्द्रों को बढ़ाया जा सकता था। सुविधा निर्धारित से पता चला कि औसतन प्रा.स्वा.के. ने उतनी जनसंख्या कवर की जो कि निर्धारित मानदण्ड से दुगुनी थी।

पुनरीक्षण से पता चला कि उच्चतर सेवा सुपुर्दगी स्तर पर स्वास्थ्य पर्यवेक्षण तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी 11 से 22 प्रतिशत थी जबकि विभिन्न स्तरों पर सहायक स्टाफ की कमी 9 से 18 प्रतिशत के बीच तथा प्रा.स्वा.के. तथा के.स्वा.से. स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों तथा विशेषज्ञों की कमी से 8 से 15 प्रतिशत थी।

प्रशिक्षण हेतु एक नोडीय अभिकरण आर.सी.एच. कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को जारी 6.61 करोड़ रू. अप्रयुक्त रहे। रा.स्वा.प.क.सं. ने प्रस्तावित संख्या से अधिक अपेक्षाकृत बड़ी संख्या के लिए राज्यों/सं.रा.क्षे. को निधियां जारी की, तथा सूचित की गई प्रशिक्षण की उपलब्धियां निराशाजनक थीं।

कार्यक्रम के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान का लगभग 34 प्रतिशत बाह्य स्रोतों से वित्तपोषित होता था। तथापि, सहायता का कम उपयोग रहा क्योंकि अप्रयुक्त बाह्य निधियां मार्च 2000 तक 3510.10 करोड़ रू. में से 438 करोड़ रू. तक संचित हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप बजट प्रावधान में 1996-97 में 37 प्रतिशत से 2000 में 28 प्रतिशत तक कटौती हुई। जबकि निर्देशन तथा प्रशासन के लिए बजटीय आबंटन में सही अर्थों में चौगुनी वृद्धि तथा प्रतिशतता के अर्थों में दुगुनी से अधिक वृद्धि हुई है, परिवार कल्याण सेवाओं तथा समर्थित सेवाओं, के लिए कार्यक्रम की केन्द्रक विषयवस्तु ने आबंटन में 1995-96 की तुलना में 1999-2000 के दौरान क्रमशः लगभग 2 प्रतिशत तथा लगभग 1 प्रतिशत तक कमी सहन की।

एक पृथक विशेषता के रूप में, कार्यक्रम का व्यावहारिक रूप से कोई योजनेतर बजटीय अंश नहीं है जो अवसंरचना के अनुक्षण हेतु अल्प बजट प्रावधान, यहाँ तक कि व्यय के वास्तविक स्तर से कम प्रावधान होने का प्रमाण देता। इसके अतिरिक्त सत्रहवें दशक के आरंभ में आकस्मिकताओं के लिए नियत प्रतिमानों का संशोधन न होने तथा राज्य द्वारा प्रचलित स्तरों पर व्यय करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के प्रति 656.50 करोड़ रू. के बकाया एकत्र हो गए। रूचिकर यह है कि कुछ घनी आबादीवाले राज्य दोनों ओर के संसाधनों, अधिक आबंटन तथा कम आबंटन दोनों का उपयोग करने में

बल रहे जिसके परिणामस्वरूप बचत में अवसरचना की तैयारी तथा संसाधनों के प्रवाह के बीच सकल विषमता प्रदर्शित हुई।

1. नीति का विकास

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम एकमात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जनसांख्यिकीय उद्देश्य को ही अन्ततः लक्ष्य बनाकर सम्पूरक उद्देश्यों की शृंखला को आवृत करते हुए निरन्तर विकसित नीति अभिक्रमों का संगम है। चालीस के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि ने योजनाकारों को देश की जनसंख्या के नियंत्रण हेतु कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित किया। पहली योजना ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए त्रिशाखीय नीति की रूप रेखा तैयार की:

- (क) सूचना का व्यापक प्रसार, जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता तथा उपायों के विवरण की सूचना देना।
- (ख) पुरुष जनसंख्या को आवधिक उपायों के लिए उत्पाहित करना।
- (ग) पुरुष गर्भ निरोधक के उपयोग द्वारा अन्तर के सम्बन्ध में शिक्षा देना।

जनसंख्या नियंत्रित करने के संघर्ष में महिलाओं की केन्द्रीयता को मान्यता देते हुये 1960 ने केन्द्र बिन्दु को महिलाओं की ओर परिवर्तित करने का प्रमाण दिया। मां तथा बच्चे का स्वास्थ्य का संकल्प इस सैद्धान्तिक सहारे के साथ माना गया था कि जनसंख्या में भविष्य में वृद्धि पर सम्भावित स्वैच्छिक नियंत्रण विद्यमान ढांचे से अच्छा प्रकट होगा। 1951 के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 146 की शिशु मृत्यु को, उच्चतर स्तर को परिवार नियोजन की प्रगति पर विरोधी के रूप में देखा गया था। इस प्रकार मां तथा बच्चे की मूल स्वास्थ्य आवश्यकताओं के हस्तान्तरण की विफलता ने भारी मात्रा में अनदेखी की जिससे परिवार नियोजन कार्यक्रम सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाता रहा। अखिल भारतीय प्रयासों पर व्यय में बहुविध वृद्धि थी जिसमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित थी।

- (क) मूल न्यूनतम सेवा कार्यक्रम: प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से उप जिला स्तर पर स्थापित किये गए ढांचे।
- (ख) गै.स.स. के कर्मचारियों के कौशल विकास पर केन्द्रीत क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री तथा और उपकरण का प्रावधान।
- (ग) मां तथा नवजात शिशु का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल सेवाओं की स्थापना करने के लिए अखिल भारतीय प्रसवोत्तर कार्यक्रम।

गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 ने मां तथा महिला सशक्तिकरण के स्वास्थ्य की ओर योजनागत विधि से केन्द्रित करने में एक और मीलपत्थर लगा दिया। साथ ही गर्भनिरोधक तथा परिवार नियोजन की जागरूकता का स्तर नए अनुपात तक पहुंच चुका था तथा पुरुष बन्धीकरण प्रयास जो सकल हो चुके थे 1975 तथा 1977 की घटनाओं के कारण समाप्त हो गए। 1990 तक डिजाइन किये गए कार्यक्रम लक्ष्य

अभिमुख थे तथा केवल संख्या अर्थात बन्धीकरण की संख्या में उपलब्धि द्वारा ही चलाए गये थे। अवधि के दौरान कुल जननक्षमता दर में 6.0 (1951) से 3.3 (1997) भागी गिरावट थी। पोषण के साथ प्रसार तथा जागरूकता के कार्यक्रमों/प्रयासों के घुमाव की पूरकता, मां तथा बच्चे की ओर विशेष ध्यान के साथ रोग की रोकथाम ने यह स्थिति उत्पन्न कर दी जहां पर 1980 की महिलाओं ने परिवार नियोजन के संकल्प को ग्रहण कर लिया। गोलियों को जननक्षमता नियमन के उपाय के रूप में स्वीकार करने को व्यापक लोकप्रियता मिली। जनसंख्या पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1994) ने केन्द्र बिन्दु को लक्षित पहुंच के सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण (सा.आ.नि.) की ओर मोड़ दिया तथा पुनः 1977 में, पुनरुत्पादक तथा बाल स्वास्थ्य (पु.बा.स्वा.) पहुंच को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया जिसके द्वारा लक्ष्य मुक्त पहुंच संकल्प अनुरक्षित किया गया था। जनसंख्या कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण 1994 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया था। पुनरीक्षण से विभिन्न कार्यक्रमों में जनसांख्यिकीय लक्ष्य की कम उपलब्धि कार्यक्रमों को आर्बंठित संसाधनों को पूर्णतया लागू करने में विफलता, परियोजना नियोजित करने तथा निष्पादित करने में कमियों का पता चला। व्यापक सामुदायिक भागीदारी तथा रोगों की आशंकाओं के विषयों को सम्बोधित करते हुये भारत सरकार ने 2000 में नई जनसंख्या नीति निर्धारित की जिसमें पुनरुत्पादक बाल स्वास्थ्य तथा महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया था।

इस प्रकार राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम जो सन्तती निग्रह के नैदानिक उद्देश्य के साथ आरम्भ हुआ था अगले पैंतालिस वर्षों की अवधि में परिवार कल्याण के तत्काल लक्ष्य तथा जनसंख्या कमी से सम्भावित लक्ष्य के साथ सामाजिक चिन्ता की खुली लक्ष्य मुक्त गतिविधि में बदल गया। नीति, धीरे-धीरे प्रवर्तितों को उत्प्रेरक को सुगम कारक के रूप में राज्य की भूमिका में परिवर्तित हो गई।

1.2 कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र

अक्टूबर 1997 में पुनरुत्पादन तथा बाल स्वास्थ्य (पु.बा.स्वा.) कार्यक्रम के आरम्भ होने से अभिसरण का उद्देश्य प्राप्त करने की सरकार नीति की तलाश निरन्तर योजना तथा आठवीं योजना के चल रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रयास जोड़ कर प्राप्त की गई थी। जन स्वास्थ्य प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के माध्यम से लागू किया गया पु.बा.स्वा. कार्यक्रम अन्तर्सम्बन्ध गतिविधियों की कड़ी से माध्यम से परिवार कल्याण तथा चरम जनसांख्यिकीय उद्देश्यों के लक्ष्यों के हस्तान्तरण का प्रयत्न करता है जिसे मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता था।

- आवश्यकता आधारित, ग्राहक केन्द्रित, मांग चालित उच्च गुणवत्ता तथा एकीकृत पु.बा.स्वा. सेवाओं की व्यवस्था करना।
- बेहतर साम्य केन्द्र बिन्दु के लिए सेवाओं की सुगम्यता सुधार कर कवरेज बढ़ाना।
- लाभभोगियों में भारी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) पर बल देना तथा सामुदायिक भागीदारी एवं पारदर्शी आवश्यकता निर्धारण सुनिश्चित करना।

- स्टाफ, प्रशिक्षण तथा आपूर्तियों के माध्यम से पर्याप्त कार्यक्रम सहायता के साथ कुशल अवसंरचना की व्यवस्था करना।
- सर्वेक्षण तथा रिपोर्ट करने के उपायों के माध्यम से पर्याप्त प्रणाली सहायता का आयोजन करना।


1.3 कार्यक्रम का गठन

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के सम्पूर्ण निदेशन, समन्वयन तथा बजटीय नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) एक नोडल अभिकरण है। राज्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.पं.क.) अथवा निर्दिष्ट नोडल विभाग अथवा राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (रा.प.क.ब्यू.) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार है। पिछले पचास वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में भारी अवसंरचना का निर्माण किया गया है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में तीन मुख्य योजनाओं- मूल न्यूनतम सेवा कार्यक्रम, क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम (अ.भा.अ.प्र.का.) के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना तथा मूल सुविधायें विकसित की गई हैं। उप-जिला स्तरों तक जड़ स्तर तक अवसंरचना स्थापित करने के लिए। मूल न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (प्रा.स्वा.से.) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की त्रि शाखीय अवसंरचनाओं का विकास किया गया है। क्षेत्र विकास परियोजनाओं ने अन्तरराष्ट्रीय अभीकरणों से वित्तीय सहायता से प्रशिक्षण तथा कौशल प्रौन्नति, उपकरण, शैक्षिक सामग्री, परिवीक्षण सूचना प्रणाली तथा गै.सं. अन्तरपृष्ठ के लिए अवसंरचना की व्यवस्था करके सुविधाओं को बढ़ाया है। शहरी क्षेत्रों में, सुविधायें प्रसवोत्तर कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ाई गई है, जिसका उद्देश्य प्रसवपूर्ण तथा प्रसवोत्तर अवधियों के दौरान मातृक देखभाल की व्यवस्था करना तथा महिलाओं को उनके परिवार के आकार को सीमित करने के लिए परिवार नियोजन उपाय अपनाने के लिए शिक्षित/प्रेरित करने हेतु सेवा प्रदान करने वालों तथा लाभभोगियों के बीच बारम्बार सम्पर्क करना है। इसके अतिरिक्त इन प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से मूल सुविधाओं का विकास करके, समय समय पर आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चार मुख्य शीर्ष अर्थात्, मातृक देखभाल, बाल देखभाल, परिवार नियोजन तथा पुनरुत्पादन स्वास्थ्य, लक्षित समूह को परिवार कल्याण सुविधायें उपलब्ध करवाई गई।

1.4 पुनरीक्षण का कार्यक्षेत्र

योजना के कार्यान्वयन का लेखापरीक्षा में पिछला पुनरीक्षण 1993-94 (भारत के नि.म.ले.प. के 1994 के प्रतिवेदन संख्या 2) में किया गया था। उस पुनरीक्षण ने निर्धारित अवधि के दौरान अन्वयों के साथ जनसांख्यिकीय लक्ष्यों की उपलब्धि न होने तथा योजना तैयार करने, परियोजना के सूत्रीकरण संचालनात्मक विफलताओं तथा संसाधन लागू करने आदि में कुछ कमियों को प्रकट किया गया था। वर्तमान पुनरीक्षण यह उजागर करता है कि जबकि लेखापरीक्षा द्वारा पिछले पुनरीक्षण के दौरान इंगित की गई संगठनात्मक तथा संचालनात्मक कमियां जारी हैं नई दुर्बलताओं तथा बेमेलताओं की कड़ियां उत्पन्न हो गई हैं तथा कार्यक्रम व्यापक रूप से फेले संयोजन को समेकित

करने में विफल रही। राष्ट्रीय नीति के मूल्यांकन के साथ-साथ निरन्तर योजनाओं पर अभिसरण के प्रयासों को ध्यान में रखते हुये लेखापरीक्षा पुनरीक्षण का मूल उद्देश्य गतिविधियों के अर्थ में कार्यक्रम के निष्पादन की जांच करना तथा यह निर्धारित करना कि क्या प्रस्तावों तथा हस्तक्षेपों ने कल्याण लक्ष्यों तथा बांछित जनसांख्यिकीय उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। लेखापरीक्षा पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम का प्रत्ययात्मक फ्रेमवर्क निम्नलिखित आख्यान मे प्रस्तुत किया गया है:



1.5 प्रणाली विज्ञान

1999-2000 की अवधि को आवृत्त करते हुये राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का पुनरीक्षण मार्च से अक्टूबर 2000 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा 26 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन अभिकरणों की नमूना जांच द्वारा किया गया था। लेखापरीक्षा पुनरीक्षण जांच के लिए 145 जिले आवृत्त किये गये थे। नमूना विवरण अनुबन्ध 1 में दिये गये हैं।

1.5.1 राष्ट्र व्यापी लाभभोगी तथा सुविधा सर्वेक्षण के लिए औ.आर.जी. सामाजिक अनुसन्धान केन्द्र, ओ.आर.जी.मार्ग अनुसन्धान लिमिटेड को एक भाग आरम्भ किया गया था। ओ.आर.जी. सर्वेक्षण द्वारा सभी राज्य/सं.रा.क्षे. आवृत्त किये गये थे। नमूना सर्वेक्षण के लिए 52121 परिवार चुने गये थे जिनमें से 35720 ग्रामीण क्षेत्र तथा 16401 शहरी क्षेत्र में थे। सर्वेक्षकों ने क्षेत्रीय कार्य सितम्बर से दिसम्बर 2000 के दौरान किया। इसके अतिरिक्त परिवारों तथा पात्र महिलाओं की कवरेज में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सुविधा सर्वेक्षण भी किया गया था। आवृत्त की गई सुविधाओं में ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.) खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ख.ग्रा.स्वा.के.)/प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा.के.) तथा उप केन्द्र (उ.के.) तथा शहरी क्षेत्र में प्रसवोत्तर केन्द्र (प्र.के.) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (श.प.क.के.)/ स्वास्थ्य केन्द्र (स्वा.के.) शामिल थे। सर्वेक्षण के दौरान सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 1086 सुविधाओं को आवृत किया गया था। पुनरीक्षण में सर्वेक्षण उपलब्धियों को जहां उपयुक्त समझा गया शामिल किया गया है। सर्वेक्षण परिणाम का सारांश अनुबन्ध-2 के रूप में संलग्न किया गया है।

1.6 पुनरीक्षण के परिणाम

पुनरीक्षण के परिणाम उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिये गये हैं

1.6.1 कार्यक्रम का निधियन

1.6.1.1 निधियन का स्रोत

कार्यक्रम लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, जिसमें वस्तुओं, जैसे गर्भनिरोधक, औषधियां, उपकरण आदि, कार्यक्रम के अन्तर्गत दानियों, अन्तराष्ट्रीय/द्विपक्षीय, सहायता कुछ गतिविधियां शामिल हैं। 1995-96 से 1999-2000 के दौरान सम्पूर्ण बजट प्रावधान तथा जारी की गई निधियां निम्न प्रकार थी:

(करोड़ रु. में)

| वर्ष | बजट प्रावधान | राज्यों को निर्गम | | जोड़ * | अन्य निर्गम | कुल निर्गम |
|-----------|--------------|-------------------|---------|---------|-------------|------------|
| | | नकद | वस्तु | | | |
| 1995-96 | 1581.00 | 1046.75 | 343.49 | 1390.24 | 104.34 | 1494.58 |
| 1996-97 | 1535.00 | 955.87 | 370.39 | 1326.26 | 235.99 | 1562.25 |
| 1997-98 | 1829.35 | 1143.58 | 334.08 | 1477.66 | 349.69 | 1827.35 |
| 1998-99 | 2489.35 | 1560.72 | 454.43 | 2015.15 | 337.85 | 2353.00 |
| 1999-2000 | 2940.60 | 2059.05 | 491.54 | 2550.59 | 549.91 | 3100.50 |
| जोड़ | 10375.30 | 6765.97 | 1993.93 | 8759.90 | 1577.78 | 10337.68 |

वस्तु में राज्यों को सहायता की प्रतिशतता कम हो गई।

* राज्यवार निर्गम अनुबन्ध 3 में दिये गये हैं।

1995-2000 के दौरान बजट प्रावधान लगभग दुगने हो गए हैं तथा इसी प्रकार नकद राज्यों सरकारों को जारी किये गये है। राज्य सरकारों को वस्तु के रूप में निर्गम की प्रतिशतता गिर गई है। तथापि, अनुसन्धान मूल्यांकन, विकास सहायता इत्यादि के उद्देश्य के लिए अन्य निर्गम लगभग चार गुणा बढ़ गये हैं।

1.6.1.2 निधियन पद्धति

(करोड़ रु. में)

| वर्ष | बजट प्रावधान | | | निर्गम | | |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | आन्तरिक | बाह्य | जोड़ | आन्तरिक | बाह्य | जोड़ |
| 1995-96 | 1080.90 | 500.10 | 1581.00 | 1006.11 | 488.47 | 1494.58 |
| 1996-97 | 949.90 | 585.10 | 1535.00 | 1000.72 | 561.53 | 1562.25 |
| 1997-98 | 1189.25 | 640.10 | 1829.35 | 1293.89 | 533.46 | 1827.35 |
| 1998-99 | 1551.35 | 938.00 | 2489.35 | 1686.45 | 666.55 | 2353.00 |
| 1999-2000 | 2093.80 | 846.80 | 2940.60 | 2278.50 | 822.00 | 3100.50 |
| जोड़ | 6865.20 | 3510.10 | 10375.30 | 7265.67 | 3072.01 | 10337.68 |

अनुपयोजित बाह्य सहायता के रूप में 438.09 करोड़ रु. एकत्रित हो गये थे।

यह देखा जा सकता है कि कुल बजट प्रावधान का लगभग 34 प्रतिशत बाह्य साधनों तथा 66 प्रतिशत आन्तरिक साधनों से वित्तपोषित किया जाता है। यु.बा.स्वा. कार्यक्रम के आरम्भ होने तथा परिवार कल्याण सेवाओं के नवीकरण के कारण 1999-2000 की अवधि के दौरान वृद्धि बहुत अधिक थी। बाह्य सहायता जो 1996-97 में बजट प्रावधान का 37 प्रतिशत बनती थी 1999-2000 में 28 प्रतिशत तक नीचे आ गई। बाह्य सहायता का कम उपयोग होता रहा है क्योंकि मार्च 2000 तक अनुपयोजित निधियां 438.09 करोड़ रु तक हो गई थी। सम्पूर्ण रूप में निधियां का पूर्णतया उपयोग किया गया है परन्तु आन्तरिक आबंटन के लिए बाह्य सहायता के उपयोग की प्रवृत्ति को इस बात को ध्यान में रखते हुये करना चाहिए कि बाह्य निधियन अभिकरण महत्वपूर्ण परिणाम के बिना उनके संसाधनों के उपयोग के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं।

1.6.1.3 निधीयन प्राथमिकताएं

कार्यक्रम की आन्तरिक आबंटन प्राथमिकताएं अनुबन्ध 4 में दी गई हैं। नीचे दी गई तालिका भारी संघटकों की समग्र स्थिति दर्शाती है:

बजट आबंटन का घटकवार विश्लेषण (करोड़ रु. में)

| योजना का नाम | ब.अ. 1995-96 | कुल ब.अ. की प्रतिशतता | ब.अ. 1996-97 | कुल ब.अ. की प्रतिशतता | ब.अ. 1997-98 | कुल ब.अ. की प्रतिशतता | ब.अ. 1998-99 | कुल ब.अ. की प्रतिशतता | ब.अ. 1999-2000 | कुल ब.अ. की प्रतिशतता | जोड़ |
|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| निर्देशन एवं प्रशासन | 47.61 | 3.01 | 48.60 | 3.17 | 57.00 | 3.12 | 92.00 | 3.70 | 192.20 | 6.54 | 437.41 |
| परिवार कल्याण सेवाएं | 1344.85 | 85.06 | 1313.05 | 85.54 | 1561.35 | 85.36 | 2187.7 | 87.88 | 2431.50 | 82.69 | 8838.45 |
| सहायता सेवाएं | 111.51 | 7.05 | 124.90 | 8.13 | 154.45 | 8.43 | 128.25 | 5.15 | 176.89 | 6.01 | 696.00 |
| अन्य सेवाएं | 77.03 | 4.88 | 48.45 | 3.16 | 56.55 | 3.09 | 81.40 | 3.27 | 140.01 | 4.76 | 403.44 |
| कुल जोड़ | 1581.00 | | 1535.00 | | 1829.35 | | 2489.35 | | 2940.60 | | 10375.30 |

जबकि कार्यक्रम के प्रबन्धन की लागत बढ़ रही है सहायता सेवाओं सहित सेवाएं कम आबंटन प्राप्त कर रही है। 1999-2000 में प्रशासन की लागत दुगुनी हो गई है जबकि सेवाओं का मूल्य 1998-99 की तुलना में केवल दस प्रतिशत बढ़ा है।

निर्देशन एवं प्रशासन के लिए आबंटन की प्रतिशतता दुगुनी हो गई है परन्तु सेवाओं के लिए ये केवल दस प्रतिशत बढ़ी है

राज्यों ने एक से दस वर्षों की अवधि के लिए केंद्र सरकार को उनकी प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत नहीं किये हैं जिसका विवरण अनुबन्ध 5(क) में दिया गया है। जैसे तथा जब ही लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध कराये जाते हैं राज्य सरकारें अन्तर का दावा करती हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्यों को बकाया का भुगतान देय हो गया है। राज्य स्तर पर आंकड़ों की नमूना जांच से पता चला कि केंद्र सरकार के प्रति 656.50 करोड़ रू. का बकाया इकट्ठा हो गया है (अनुबन्ध 5(ख))। परिणामस्वरूप योजनाएं केवल मजदूरी कार्यक्रम के रूप में कार्य कर रही है क्योंकि निधियां मुश्किल से वेतन पर व्यय पूरा कर पाती हैं। दूसरी ओर निर्धारित मानदण्डों से अधिक संस्थाओं के खोलने पर किया गया अधिक व्यय तथा तैनात किया गया अधिक स्टाफ बिना जांच के रह जाता है।

1.6.1.4 निधियों का वितरण: जनसंख्या अन्तरपृष्ठ

जनसंख्या प्रतिशतता की तुलना में आवंटित निधियां छः राज्यों को अधिक तथा चार राज्यों को कम थी।

कार्यक्रम के लिए संसाधनों का आबंटन, ढांचे द्वारा जनसंख्या आधारित है। जनसंख्या के वितरण की प्रतिशतता संसाधन अन्तरणर तथा किये गए व्यय का राज्यवार विवरण अनुबन्ध 6(क) तथा 6(ख) में दिया गया है। निधि आबंटन भारी रूप से राज्यों के जनसंख्या अनुपात के अनुसार होते हैं। तथापि आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश को आबंटन 0.79 से 1.40 प्रतिशत उच्चतर थे। उच्चतर आबंटन का उपयोग नहीं किया जा सका तथा कर्नाटक (119 करोड़ रू.) तथा उत्तर प्रदेश (375 करोड़ रू.) में बचत थी। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में आबंटन, इन राज्यों की जनसंख्या की प्रतिशतता की तुलना में अनुपातिक रूप से 1.04 से 2.21 प्रतिशत कम था। बिहार में कम आबंटन के बावजूद 2.38 करोड़ रू. की बचत थी। इस प्रकार कुछ घनी आवादी वाले राज्य अधिक आबंटन तथा कम आबंटन दोनों प्रकार से संसाधनों का उपयोग करने में विफल रहे परिणामतः बचत हुई। इससे संकेत मिलता है कि अवसंरचना की तैयारी तथा संसाधन के प्रवाह के बीच भारी बेमेलता है।

कुल घनी आवादी वाले राज्य किसी तरह संसाधनों का उपयोग करने में विफल रहे, उच्चतर आबंटन तथा कम आबंटन के कारण बचत हुई।

1.6.2 परिवार कल्याण सेवाओं का हस्तान्तरण

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार कल्याण सेवा की संरचना, प्रत्यक्ष हस्तान्तरण के लिए सेवाओं का संप्रत्ययीकरण सम्मिलित करने, व्यवस्था करने, प्रचालन करने, उत्प्रेरक तथा नेटवर्क का नेतृत्व करने के साथ-साथ हस्तान्तरित की गई सेवाओं की स्वीकृति के लिए लाभभोगियों को तैयार करने के लिए एक मिश्रित निकाय की है। हस्तान्तरण तथा स्वीकृति के जुझवा तत्व नीति अवबोधन पर आधारित है जिससे कि केवल सेवायें उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए लाभभोगियों को भी मानसिक रूप से तैयार करना उतना ही आवश्यक है कि ये कार्यक्रम के लाभों को जाने तथा तदनुसार लाभों के लाभ प्रद वर्गीकरण में स्वीच्छिक रूप के हिस्सा लें। कार्यक्रम

का व्यापक प्रतिबिम्ब, चार प्रमुख पैरामीटरों के अन्तर्गत लक्षित हस्ती के रूप में मां तथा बच्चों को आवृत्त करना था।

.मातृक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना तथा सुरक्षित मातृत्व के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था करना।

- मां तथा बच्चे के लिए पुनरूत्पादन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना तथा आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था करना
- सुरक्षित, रोग निरोधी तथा आरोग्यका उपायों के माध्यम से बाल स्वास्थ्य सुनिश्चित करना
- सुरक्षित सर्जिकल क्रियाविधियों, नैदानिक सहायता प्रणालियों, सांस्थानिक स्वास्थ्य देखभाल प्रबन्धों की व्यवस्था करके, पद्धतियों तथा परिवार नियोजन के लाभों की व्यापक जागरूकता तैयार करने के लिए उत्प्रेरक अभिवृत्तिक परिवर्तन करके परिवार नियोजन उपायों की बड़े रूप में सुनिश्चित करना।

1.6.2.1 विस्तार प्रसव संबंधी ढांचा

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में उप केन्द्रों (उ.के.) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के.) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सा.स्वा.के.) के त्रिपक्षीय ढांचे के रूप में विकसित किया गया था। इन केन्द्रों को कार्यक्रम के नैदानिक, रोगनिरोधक शिक्षाप्रद तथा परिवीक्षण कार्यों को करते हुए लक्षित जनसंख्या को परिवार कल्याण की मूल न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए सेवा केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था।

योजना आयोग द्वारा ग्रामीण सेवा केन्द्रों के लिए नियत लक्ष्यों के प्रति कमी आठवीं योजना तथा 1998-99 के दौरान उ.के., प्रा.स्वा.के. तथा सा.स्व. के. के लिए क्रमशः 70.28 से 75.20, 60.24 से 64.93 तथा 64.53 से 69.54 प्रतिशत तक थी। राज्यों में 1995-2000 की अवधि के आंकड़ों की नमूना जांच से पता चला कि 14120 उ.के., 689 प्रा.स्वा.के. तथा 776 सा.स्वा.के. के लक्ष्य के प्रति केवल 9277 उ.के., 679 प्रा.स्वा. के तथा 87 सा.स्वा.के. की स्थापना की गई थी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में यद्यपि 6403 उप केन्द्र, 1579 प्रा.स्वा. के तथा 311 सा.स्वा.के. स्थापित किए गए थे लेकिन वे कार्य नहीं कर रहे थे।

आवृत्त करने में बेमेलता

ग्रामीण केन्द्रों को प्रतिमानों के अनुसार जनसंख्या आवृत्त करना अपेक्षित था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

| केन्द्र | जनसंख्या-प्रतिमान | |
|---------------|-------------------|-----------------|
| | मैदानी क्षेत्र | पर्वतीय क्षेत्र |
| उप केन्द्र | 5000 | 3000 |
| प्रा.स्वा.के. | 30,000 | 20000 |
| सा.स्वा.के. | 120000 | 80000 |

पांच राज्यों/सं.रा.क्षे.
में 6403 उप केन्द्र,
1579 प्राथमिक
स्वास्थ्य केन्द्र तथा
311 सा.स्वा.के. कार्य
नहीं कर रहे थे

वास्तविक आवृत्त की प्रवृत्तियां नीचे दर्शाई गई हैं :

| केन्द्र | राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम |
|--|---|
| (i) उप केन्द्र आवृत्त की गई जनसंख्या सं. 1106 से 3832 | अंडमान तथा निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक लक्षद्वीप, दीप समूह, मणिपुर मेघालय, मिजोरम, पांडिचेरी, राजस्थान व सिक्किम। |
| 4012 से 4976 | आन्ध्र प्रदेश, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा। |
| 5010 से 6075 | बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, व पश्चिम बंगाल |
| (2) प्रा.स्वा.के. आवृत्त की गई जनसंख्या की सं. 5648 से 22311 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान तथा सिक्किम। |
| 27987 से 39120 | आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल |

| 40267 से 40591 | त्रिपुरा तथा गोवा |
|---|--|
| (3) सा.स्वा.के. आवृत्त की गई जनसंख्या की सं. 0.08 से 0.86 लाख | अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप मणिपुर, मिजोरम, तथा पांडिचेरी। |
| 1.11 से 1.94 लाख | असम, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा सिक्किम |
| 2 से 2.68 लाख | आन्ध्र प्रदेश, केरल, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा |
| 3.60 से 4.98 लाख | उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल |
| 5.07 से 5.11 लाख | बिहार तथा तमिलनाडु |

16 राज्यों/सं.रा.क्षे. में उप केन्द्र तथा प्रा.स्वा.के. तथा 9 राज्यों/सं.रा.क्षे. में सा.स्वा.के. निर्धारित जनसंख्या से कम जनसंख्या की सेवा कर रहे हैं।

16 राज्यों/सं.रा.क्षे. में उप केन्द्र तथा प्रा.स्वा.के. तथा 9 राज्यों/सं.रा.क्षे. में सा.स्वा.के., उप केन्द्र, प्रा.स्वा.के. तथा सा.स्वा.के. के लिए क्रमशः 5000, 25000 तथा 1 लाख की जनसंख्या की मानकीय सीमा से कम जनसंख्या की सेवा कर रहे हैं जो यह दर्शाता है कि संबंधित राज्यों/सं.रा.क्षे. में इन केन्द्रों की आवृत्त सीमा को पुनर्गठन द्वारा, उप केन्द्रों द्वारा क्षेत्रों को आवृत्त करके/उप केन्द्रों तथा प्रा.स्वा.के. के साथ क्षेत्र-संयोजन करके बढ़ाया जा सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि शेष राज्यों/सं.रा.क्षे. में उप केन्द्रों, प्रा.स्वा.के. तथा सा.स्वा.के. पर कार्यका भार अधिक है क्योंकि उप केन्द्रों,

प्रा.स्वा.के. तथा सा.स्वा.के. के लिए राष्ट्रीय औसत क्रमशः 4579, 27364 तथा 2.14 लाख जनसंख्या तक आती है।

सुविधा मूल्यांकन से यह प्रकट हुआ कि प्रा.स्वा.के. ने औसतन 65283 जनसंख्या को आवृत किया है जो जनसंख्या के निर्धारित प्रतिमान (30000) से दुगने से अधिक है। वैसे ही, उप केन्द्रों द्वारा आवृत की गई जनसंख्या भी निर्धारित प्रतिमान से अधिक (5247) पाई गई थी। कुछ विशिष्ट उपलब्धियों तथा कुछ प्रवृत्ति संकेतकों का नीचे विवरण दिया गया है:

यह देखा जा सकता है कि बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, पांडिचेरी तथा पंजाब के राज्य/सं.रा.क्षे. में उ.के. में आवृत-जनसंख्या निर्धारित प्रतिमानों के प्रति 2300 से 6900 तक थी। हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु में आवृत जनसंख्या क्रमशः 4000 तथा 10,000 से अधिक थी। यद्यपि शहरी स्लमों में उप केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई थी, चंडीगढ़, स्लम क्षेत्र में औसत आवृत जनसंख्या 17692 थी तथा दादरा एवं नगर हवेली में यह 2200 से 22000 तक थी। प्रा.स्वा.के. स्तर पर बिहार तथा हरियाणा में आवृत जनसंख्या निर्धारित प्रतिमान के प्रति क्रमशः 169898 तथा 37000 थी जबकि केरल में यह 24352 से 25593 तथा दादरा एवं नगर हवेली में 30000 से 48000 तक थी। हरियाणा तथा केरल में, सा.स्वा.के.में आवृत जनसंख्या निर्धारित प्रतिमानों के प्रति क्रमशः 233000 तथा 230000 से 440000 तक थी। तथापि, इन केन्द्रों द्वारा सेवा की गई गांवों तथा ग्रामीण क्षेत्र की औसत संख्या पर विचार करने से जो स्थिति उत्पन्न होती है वह निम्न प्रकार है:

| आवृत जनसंख्या | केन्द्र | | |
|---|------------|---------------|-------------|
| | उप केन्द्र | प्रा.स्वा.के. | सा.स्वा.के. |
| औसतन ग्रामीण क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में) | 23 | 136 | 1067 |
| आवृत किए गए गांवों की औसतन संख्या | 4 | 26 | 200 |
| औसतन त्रिज्यीय दूरी | 3 | 7 | 18 |
| आवृत किए गए उप केन्द्रों/प्रा.स्वा.के. की औसतन संख्या | | 6 | 8 |
| सेवा की गई औसतन ग्रामीण जनसंख्या | 4579 | 27364 | 214000 |

- हिमाचल प्रदेश में, नमूना जांच किए गए जिलों के 152 उप केन्द्र 3000 की आवश्यकता के प्रति 2000 से कम की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। नागालैंड में 80 (पाडी 71, टिजु द्वीप: 33 तथा अपो किटो:53) से कम की जनसंख्या के लिए उप केन्द्र स्थापित किए गए। नमूना जांच किए गए 192 उप केन्द्रों में से 10 उप केन्द्र जनसंख्या मानदण्ड को संतुष्ट करते हैं जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी के रूप में 1.43 करोड़ रु. का वार्षिक अधिक व्यय हुआ। दादरा एवं नगर हवेली में, प्रा.स्वा.के. खानवेल तथा किलवानी के अन्तर्गत उप केन्द्रों ने क्रमशः 3100 से 7600 तथा 2200 से 22000 तक की

जनसंख्या की सेवा की है। पांडिचेरी में 26 प्रा.स्वा.के. में प्रत्येक ने 15,000 से कम की जनसंख्या को आवृत किया है, करॉयकल में कार्य कर रहे 11 प्रा.स्वा.के. ने 3312 से 1751 तक की जनसंख्या को अपृत किया तथा महि स्थित प्रा.स्वा.के. ने केवल 5842 की जनसंख्या को आवृत किया। सा.स्वा. के. में आवृत की गई जनसंख्या 7502 से 19503 तक थी।

1.6.2.2 मातृ स्वास्थ्य एवं देखभाल

मातृ स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण सेवाओं में प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान देखभाल, प्रसव पश्चात देखभाल तथा संप्रेषण सेवाएं शामिल हैं।

प्रसव पूर्व देखभाल

भारत में मातृ मृत्यु दर, इसको घटाने के लिए विस्तृत कार्यक्रम, जिसमें सुरक्षित मातृ प्रयास शामिल हैं, चलाने के बावजूद अधिक रही है। सुरक्षित मातृत्व प्रयास के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं का उनकी गर्भावस्था के 20 सप्ताह पूर्ण होने से पहले पंजीकरण करना है तथा उनको सेवाएं जैसे तीन प्रसव पूर्व जांच, 90 या इससे अधिक आयरन फोलिक एसिड गोलियां, टेटनेस टॉक्सॉयड (टे.टा.) की दो खुराकें देना तथा उनको सही आहार तथा विटामिन अनुपूरकों को परामर्श देना, जटिलताओं के मामले में उनको और अधिक विशेषीकृत स्त्रीरोग संबंधी देखभाल के लिए भेजना है।

तीन राज्यों में प्रसवपूर्व जांचों के सुव्यवस्थित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए।

कर्नाटक में पंजीकृत गर्भावस्था के आंकड़े अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं।

दिल्ली ने क्षेत्रीय इकाईयों से सर्वेक्षण आंकड़े एकत्र नहीं किए यद्यपि खून की कमी, रक्तस्राव, सेपसिस आदि के कारण 620 मौतें सूचित की गई थी।

गर्भावस्था के दौरान तीन निर्धारित प्रसव पूर्व जांचों द्वारा जटिलताओं का शीघ्र पता लगाना, मातृ मृत्यु दर तथा अस्वस्थता दर को रोकने की एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता है। तथापि यह पाया गया था कि दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, तथा पश्चिम बंगाल में जांचों के सुव्यवस्थित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। सेवाएं प्रदान करने के लिए गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एक मूल आवश्यकता होने के नाते तथ्य यह है कि कुछ राज्यों में ऐसे पंजीकरण के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। कर्नाटक ने 1995-2000 की अवधि के दौरान कुल 9.50 लाख पंजीकृत प्रसवपूर्व मामलों की संख्या दर्शाई लेकिन नमूना जिलों में केवल 5.83 लाख गर्भवती महिलाओं के निर्धारित तीन जांच किए गए। स्पष्ट रूप से, पंजीकरण प्रक्रिया, घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने तथा स्वैच्छिक रूप से सूचित करने की प्रणाली सफलतापूर्वक नहीं बनाई गई है। राज्य निदेशालय, पश्चिम बंगाल ने सांख्यिकीय सूचना भेजी जिसे समर्थित अभिलेख के अभाव में सत्यापित नहीं किया जा सका। उदाहरणार्थ, यह दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल में 50 से 94 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं के तीन प्रसव पूर्व जांच किए गए थे। इस दावे के आधार को प्रमाणित नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य निदेशालय के पास उप केन्द्रों, प्रा.स्वा.के. तथा अस्पतालों से आंकड़े एकत्र करने के कोई नियमित साधन नहीं है और न ही किसी समय कोई राज्य व्यापी सर्वेक्षण चालू किया गया है। दिल्ली में, चूक स्पष्ट थी क्योंकि निदेशालय ने इस तथ्य के बावजूद कि पुनरीक्षण की अवधि के दौरान खून की कमी, रक्तस्राव, संप्रसिस टॉसेमिया टेटनेस तथा बाधित मजदूरी के कारण कम से कम 620 महिलाओं की मृत्यु हुई, क्षेत्रीय केन्द्रों से कोई सर्वेक्षण आंकड़े एकत्र नहीं किए थे। लेखापरीक्षा

सात राज्यों के नमूना जिलों में जांच में ऑ.फो.ए. गोलियों की आपूर्ति में 35 से 81 प्रतिशत तक कमी आई।

चार राज्यों में ऑ.फो.ए. गोलियों की आपूर्ति नहीं की गई।

मिजोरम में 32204 पंजीकृत माताओं को ऑ.फो.ए. गोलियों की आपूर्ति नहीं की गई थी।

सभी राज्यों के लिए टीकाकरण आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

द्वारा आरंभ किए गए लाभभोगी सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में लगभग 74 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की तीन बार जांच की गई जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह 50 प्रतिशत के आस-पास रही। लगभग 84 प्रतिशत महिलाओं की केवल एक ही जांच की गई थी। सर्वेक्षण ने दर्शाया कि जांच की आवृत्ति प्रत्यक्ष रूप से जीवन स्तर बढ़ने तक अनुपातिक था। लेकिन सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के अभाव के कारण कार्यक्रम संबंधी मध्यस्थता की विफलता अधिक देखी जा सकती है। 1991 में, देश में 20 प्रतिशत मातृ मृत्यु खून की कमी के कारण हुई तथा यह मातृ मृत्यु दर का एक मुख्य कारण तथा रक्त स्राव, टॉक्सेमिया तथा स्पेसिस में गंभीर कारण समझा गया था। अतः शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं के लिए ऑयरन फोलिक एसिड (आ.फो.ए.) गोलियों का उपयोग करने पर बल दिया गया था। एक गर्भवती महिला में पोषणिक खून की कमी के प्रति रोगनिरोध के लिए उसको 100 दिनों तक ऑयरन फोलिक एसिड गोलियों की प्रतिदिन एक बड़ी खुराक की आवश्यकता होती है। तथापि, निदेशालयों तथा क्षेत्रीय इकाईयों के अभिलेख की जांच से यह प्रकट हुआ कि कुछ नमूना जिलों में यह दादरा नगर हवेली में 81 प्रतिशत, 1995-2000 के दौरान कुछ नमूना क्षेत्रों में लक्षित कवरेज में कमी 35 से 81 प्रतिशत, तमिलनाडु में 73 प्रतिशत, दिल्ली में 65 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 59 प्रतिशत, जम्मू व कश्मीर में 59 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 53 प्रतिशत तथा हिमाचल प्रदेश में 35 प्रतिशत थी। तथ्य के प्रकाश में यह महत्वपूर्ण है कि 1998-99 में किए गए दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने इन राज्यों में गर्भवती महिलाओं के बीच खून की कमी की उंची दर सूचित की थी। कम कवरेज का एक कारण आ.फो.ए. (गोलियों) की आपूर्ति न करना पाया गया था। 1995-2000 के दौरान नमूना जांच किए गए केन्द्रों जम्मू एवं कश्मीर, केरल, पांडिचेरी तथा तमिलनाडु में आ.फो.ए. गोलियों तथा विटामिन ए का स्टॉक लम्बी अवधियों के लिए शून्य था। 1995-2000 के दौरान नमूना जांच किए गए केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं को किए गए आ.फो.ए. (गोलियों) का वितरण गुजरात में 3 प्रतिशत से कम, मणिपुर में 0 तथा 48 प्रतिशत के बीच, कर्नाटक में 72 तथा 75 प्रतिशत के बीच तथा हिमाचल प्रदेश में 61 प्रतिशत था। मिजोरम में 1995-2000 के दौरान 32204 पंजीकृत माताओं को आ.फो.ए. गोलियां जारी नहीं की गई थीं। सभी राज्यों के संबंध में एक समान टीकाकरण आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। 1995-2000 की अवधि के लिए 15 राज्यों तथा सं.रा.क्षे. के संबंध में आंकड़े केवल टेटनस के प्रति टीकाकरण के लिए संकलित किए जा सके।

(लाख रु. में)

| राज्य | ट.ट. (पी. डब्ल्यू) | | |
|----------------|--------------------|---------|----------------------|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि की प्रतिशतता |
| अरुणाचल प्रदेश | 1.24 | 0.41 | 33.1 |
| बिहार | 164.14 | 54.61 | 33.3 |
| गोवा | 1.22 | 1.17 | 95.9 |
| हरियाणा | 30.21 | 25.8 | 85.4 |
| हिमाचल प्रदेश | 7.76 | 6.85 | 88.3 |
| कर्नाटक | 63.4 | 61.8 | 97.4 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| मेघालय | 3.26 | 1.37 | 42.0 |
| नागालैंड | 1.37 | 0.49 | 35.8 |
| सिक्किम | 0.62 | 0.54 | 87.1 |
| तमिलनाडु | 63.85 | 64.94 | 102.0 |
| पश्चिम बंगाल | 77.34 | 67.69 | 87.5 |
| अंडमान व निकोबार | .27 | .24 | 88.8 |
| दिल्ली | - | 11.80 | - |
| पांडिचेरी | 0.84 | 0.92 | 109.5 |

प्रतिरक्षण लक्ष्य जनसांख्यिकीय रूपरेखा से संबंधित नहीं थे तथा आधार रेखा पर आधारित नहीं थे।

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षण पर महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं थी।

निर्धारित किये गये लक्ष्यों का जनसांख्यिकीय रूपरेखा के साथ कोई संबंध नहीं था, न ही यह किसी आधार-रेखा सर्वेक्षण पर आधारित थे। जबकि कर्नाटक ने 63.4 लाख रूपए का लक्ष्य निर्धारित किया, बिहार ने 164.14 लाख रूपए का लक्ष्य तय किया तथा पश्चिम बंगाल ने 77.34 लाख रूपए का लक्ष्य निर्धारित किया। यह तो तथ्य की पृष्ठभूमि में और भी अधिक अविश्वसनीय प्रतीत होगा की गभवती महिलाओं के व्यवस्थित अभिलेखे उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्धि के आंकड़ों ने भी व्यापक विभिन्नताएँ दर्शाईं। जबकि तमिलनाडु तथा पांडिचेरी ने लक्ष्य से अधिक उपलब्ध किया, अरुणांचल प्रदेश, बिहार, मेघालय, नागालैंड पचास प्रतिशत अंक से कहीं नीचे थे। यह चिन्ता का विषय है कि दो अधिकतम जनसंख्या वाले राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण सूचना अभिलेख में नहीं थी। उत्तर प्रदेश ने प्रसवोत्तर केन्द्र के अभिलेख ने उपयुक्त बच्चों की केवल 6 से 16 प्रतिशत प्रतिरक्षण को दर्शाया जबकि मध्य प्रदेश में उपयुक्त महिलाएं अथवा प्रतिरक्षण खुराकें देने के कोई अभिलेखे उपलब्ध नहीं थे। देश भर के नमूना सर्वेक्षण ने दर्शाया कि केवल 74% महिलाओं ने प्रतिरक्षण प्राप्त किया, आवृत की जा सकी।

प्रसव देखभाल

सुरक्षित - मातृत्व पहल का एक आवश्यक अंग माताओं को स्थानीय प्रसवों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना था अथवा प्रशिक्षित कार्मिक की. निगरानी में प्रसव कराये जाएँ।

सिवाए हरियाणा, कनाटक तथा तामिलनाडु के राज्यों/सं.स में संस्थान प्रसवों के विवरण उपलब्ध नहीं थे

24 घंटे प्रसव सेवाएं योजना आठ राज्यों/सं.स तथा उत्तर प्रदेश की 92 इकाइयों में कार्यन्वयन नहीं की गई।

संस्थानों (उप-केन्द्र प्रा.स्वा.के. तथा सा.स्वा.के.) प्रसवों का लक्ष्य 2000 तक कुल प्रसवों का 50 प्रतिशत था। नमूना जाँच से पता चला कि संस्थानीय प्रसव हरियाणा में 9 से 16 प्रतिशत, कर्नाटक में 38 से 44 प्रतिशत तथा तामिलनाडु में 75 से 84 प्रतिशत के बीच रहा। दूसरे राज्यों /सं स के विषय में विवरण उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि सुविधा निर्धारण से पता चला कि 24 घंटों की प्रसव सेवा सुविधा कम से कम 40 प्रतिशत प्रा स्व के में उपलब्ध नहीं थी हालांकि यह सरकारी रूप से संस्वीकृत किया गया था। कार्यक्रम ने एक नर्स तथा डाक्टर बुलाने को सुनिश्चित करने के लिए, तथा समस्व प्रा स्वा के/सा स्वा के में सामान्य कार्य-समय से परे सफाई के रखरखाव को चरणबद्ध तरीके से 24 घंटों प्रसव सेवाओं को डाक्टरों स्टाफ नर्सों तथा चतुर्थ श्रेणी स्टाफ को मानदेय उपलब्ध कराते हुए सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार/सं स से योजना प्रस्तावों की ओर ध्यान दिलवाया। योजना पांडिचेरी, कर्नाटक, दिल्ली, तामिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल तथा उत्तर प्रदेश की 92 इकाइयों में

कार्यन्वयन नहीं की गई थी। पांडिचेरी, तामिलनाडू तथा पश्चिम बंगाल में कमी सुविधा, स्टाफ तथा मानदेय इत्यादि के भुगतान हेतु लंबित स्पष्टीकरण को आसोपित की गई थी। कायन्वयन न करने के लिए बाकी चार राज्यों ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया था। योजना के लिए निधियों का उपयोग उड़ीसा में बहुत कम था।

अनिवार्य प्रसूति देख-भाल दवाईयों, प्राण बचाने वाले बैग तथा नवजात देख-भाल उपकरणों की कम उपलब्धता।

प्रयोज्य प्रसव किट की आपूर्ति की योजना एक विफलता थी।

अनिवार्य प्रसूति देख-भाल में प्रसव देख-भाल, नवजात इत्यादि के लिए अनिवार्य प्रसूति देख भाल दवाई, नव-प्रसव फिर प्राण डालने वाली दवाईयां तथा उपकरण सम्मिलित हैं। राज्य/ सं.स के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि व्यवस्थित अभिलेख निदेशालयों तथा क्षेत्र-निर्माण में उपलब्ध नहीं थे। सर्वेक्षण ने दर्शाया कि जबकि अधिकतर सं स्व के तथा प्रा स्व के (क्रमशः 92 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत) ने सामान्य प्रसव के लिए उपकरण के साथ किट के उपयोग तथा आपूर्ति की सूचना दी, अनिवार्य प्रसूति देख-भाल दवाईयों, नव-प्रसव फिर से प्राण फूंकने वाली उपकरण तथा नवजात देखभाल उपकरण किटों की उपलब्धता कम थी। अनिवार्य प्रसूति देख-भाल दवाई किट के मामले में प्रतिशितता 54 तथा 70 तथा नव - प्रसव जान डालने के उपकरण तथा नवजात उपकरण के मामले में 26 तथा 52 के बीच रही। घरेलू - आधारित प्रसवों की गुणवत्ता को सुधारने हेतु प्रयोज्य प्रसव किट (प्र प्र कि) आपूर्ति की योजना को सुदृढ़ बनाना अपेक्षित है जैसा कि केवल 25 प्रतिशत ग्रामीण प्रत्यर्थियों ने प्र प्र कि प्राप्त करना तथा उपयोग करने की पुष्टि की, जबकि 37 प्रतिशत शहरी प्रत्यर्थियों ने प्र प्र कि उपयोग करने की पुष्टि की।

आपातकालीन प्रसूति देखभाल के लिए 1748 प्र प्रा ई (प्रथम प्रामर्शों इकाईयों) पहचानी गई तथा योजना के अन्तर्गत किटों के साथ सुसज्जित की गई, परन्तु ये विशेषज्ञ स्टाफ, अवसंरचना, उपकरण तथा दवाईयों की कमी के कारण पूर्णरूप से चालू नहीं थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत ये प्र प्रा ई संवीदागत स्टाफ, लैपरोस्कोपस, सर्जिकल उपकरणों, रक्त संचारण सैटों, प्रामर्शकर्ता ऐन्स्थेटिस्ट, औषधियां/दवाईयों इत्यादि का प्रावधान करते हुए तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एनारसयीया में डिप्लोमा को वित्तपोषित करके सुदृढ़ की जानी थी। यद्यपि यह देखा गया कि विशेषज्ञ स्टाफ पश्चिम बंगाल (26) हिमाचल प्रदेश (24) उत्तर प्रदेश (44) के प्र प्रा ई में तथा कुछ सिक्किम तथा तामिलनाडू की प्र प्रा ई में उपलब्ध नहीं थे। मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर की 18 प्र प्रा ई किटों के अप्रावधान तथा अधिक जोखिम हेतु सुविधा की अनउपलब्धता के कारण कार्यशील नहीं थीं जबकि किटों की उपलब्धता के बावजूद मेघालय की 3 प्र प्रा ई कार्यशील नहीं थं। मध्य प्रदेश की सभी प्र प्रा ई तथा उत्तर प्रदेश की 118 प्र प्रा ई के पास रक्त -संचारण की सुविधाएं नहीं हैं।

पूर्व प्रसव देख-भाल

पूर्व प्रसव में प्रतिरक्षण, बच्चे के वजन का अनुक्षण करना, महिला का शारिरिक निरीक्षण, स्तनपान पर परामर्श तथा परिवार नियोजन इत्यादि शामिल हैं। यह देखा गया था कि पूर्व प्रसव देखभाल सेवाओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया था। इन सेवाओं की उपभोगिता की लाभभोगी मूल्यांकन ने दर्शाया कि प्रसव के पश्चात केवल 21 प्रतिशत महिलाओं ने अपने आप की जाँच करवाई जबकि पूर्व-प्रसव की 79 प्रतिशत

महिलाएं से संपर्क नहीं किया गया था। सेवा की उपयोगिता की प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्र (180 प्रतिशत) से शहरी क्षेत्र (30 प्रतिशत) में उच्चतर थी।

परामर्शी सेवाएँ

प्र शि स्व योजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, नागालैंड, उड़ीसा तथा हरियाणा के आठ कम निष्पादित राज्यों के ग श्रेणी जिलों से 25 प्रतिशत उप केन्द्रों में, स्थानीय परिवारों से गर्भवती महिलाओं को ले जाने के लिए पंचायतों को एक मुश्त सहायता में ध्यान दिया गया है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि संतोषजनकरूप से कार्यन्वयन नहीं किया गया था। असम में, ऐसी कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को जारी किये गए 75 लाख रूपए बिना खर्च किए पड़े रहे क्योंकि किसी भी ग्राम पंचायतों ने उनके द्वारा किये गये व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे। उड़ीसा में, इस उद्देश्य के लिए वितरित किये गये 12.65 लाख रूपये या तो लेखों में नहीं लिये गये अथवा नमूना जिलों में बिना उपयोग किये पड़े रहे।

मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य (मा शि स्व) सेवा योजना के अंतर्गत, राज्यों/सं स को किसी दुर्घटना से बचने के लिए उच्च जोखिम महिलाओं को उचित स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों के भेजने के संबंध में उचित निदेश देना अपेक्षित थे योजना के अंतर्गत, संबंधित केन्द्र को विशेषज्ञ द्वारा दिए गए उचित उपचार के संबंध में परामर्श केन्द्रों से पुनर्निवेश प्राप्त करना चाहिए, ऐसी संबंधित महिलाओं के अभिलेखे सभी स्तर पर बनाए गए हैं, तथा प्रशिक्षित ए एन एम को प्रत्येक सप्ताह भेजी गई महिलाओं के पास निरीक्षण के लिए प्रसव, प्रसूति तथा पूर्व अवाधियों के दौरान अनुसरण करने के लिए जाना चाहिए। अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सं.स को तीन विभिन्न रंगों में कार्ड बनाना तथा मुद्रित करना अपेक्षित थी। राज्य/सं.स की नमूना जांच से पता चला कि हरियाणा में ग्रामीण केन्द्रों में केवल 2 प्रतिशत उच- जोखिम मामले भेजे/उपचार किये गये थे, तमिलनाडू में परामर्श रजिस्टर तथा अनुसरण कार्ड नहीं बनाए गए थे तथा लगभग कर्नाटक के पी पी सी के 44 प्रतिशत तक भेजे गए 3.99 लाख मामलों की अनुसरण रिपोर्टें 1995-99 के दौरान तमिलनाडू में प्राप्त नहीं हुई थी तथा 67 उच्च जोखिम महिलायें मुख्यता विशेषज्ञों की अनुपस्थिति के कारण सरकारी अस्पताल द्वारा उच्चतर संस्थानों को भेजी गई थीं। सुविधा मूल्यांकन ने दर्शाया कि विभिन्न स्तरों (पी पी सी, यू एफ डब्ल्यू सी/एच पी सी एच सी तथा बी पी एच सी पी एम सी) पर केवल एक तिहाई केन्द्रों ने विभिन्न रंगीन कार्डों के साथ मामले भेजने की प्रणाली का अनुसरण किया।

कठिनाईयें बताई गई 27 प्रतिशत महिलाओं को उच्चतर स्वास्थ्य संस्थानों में भेजी गई थी।

लामभोगी सर्वेक्षण से पता चला कि शहरों तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रसूति तथा प्रसव अवधि के दौरान एक तिहाई से अधिक महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुख्य कठिनाइयों में कमजोरी/थकान, अत्यधिक उबकाई तथा उलटी, सरदर्द, पैरों तथा चेहरे में शोथ, पेट में दर्द तथा पीठ दर्द शामिल है (प्रतिशतता 27 तथा 56 के बीच रही)। गम्भीर लक्षण जैसे की सैक में दरार, रक्त रिसाव, धब्बे, ऐंठन तथा गर्भाशय में हस्त गर्भवती महिलाओं के आठ से नौ प्रतिशत तक भी पाई गई। उन महिलाओं में

हरियाणा में केवल 2 प्रतिशत उच्च जोखिम मामले भेजे गये/शहरी क्षेत्रों में उपचार किया गया।

जिन्होंने कठिनाइयाँ बताईं, केवल 27 प्रतिशत तक ही उच्चतर स्तर स्वास्थ्य संस्थानों को लिए या भेजी गयी थीं। इन महिलाओं की एक विशेष औसत निजी अस्पतालों (46%) बाद में सरकारी/नगर पालिका अस्पताल (25 प्रतिशत) को भेजी गई थी। महिलाओं का एक छोटा अनुपात (12 प्रतिशत) ने प्रसव के दौरान प्रसूति कठिनाइयों का सामना करने की सूचना दी।

विफलता अथवा योजना को कार्यन्वयन न करने का एक मुख्य कारण बाहरी सेवाएं जैसे क्षेत्रों में दौरे, अनुरक्षण तथा अनुसरण को एकत्रित करने की घटिया निष्पादन था। मणीपुर, मिजोरम, अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 1995-2000 के दौरान ए एन एम/एल एच वी द्वारा कोई क्षेत्रीय दौरे नहीं किये गये थे। राजस्थान चंडीगढ़, दिल्ली में नमूना जांच किये गये किसी भी जिलों में ए एन एम/ एल एच वी द्वारा क्षेत्रीय दौरों के अभिलेख तैयार नहीं किये गए थे। उत्तर प्रदेश में ए एन एम/ एल एच वी द्वारा क्षेत्रीय दौरों के अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे। असम में, ए एन एम/एल एच वी द्वारा क्षेत्रीय दौरों की सूचना तैयार नहीं की गई थी। मेघालय में, ए एन एम/ एल एच वी द्वारा क्षेत्रीय दौरों में कमी 18 तथा 30 प्रतिशत के बीच रही। हिमाचल प्रदेश में, ए एन एम/ एल एच वी द्वारा 4023 क्षेत्रीय दौरे (जिला स्तर:3024 तथा उप-जिला स्तर:999) 12480 की आवश्यकता के प्रति (जिला स्तर: 8640 तथा उप-जिला स्तर 3840) नमूना जांच केन्द्रों में 1995-2000 के दौरान किये गये थे। 32 प्रतिशत की गिरावट को ए एन एम तथा एल एच वी की कमी, चिकित्सा अधिकारियों के पदों को स्वीकृत न करना तथा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण में कमी को आरोपित किया गया था। तामिलनाडू में, भेजी गई उच्च जोखिम महिलाओं की अनुसरण प्रणाली की अनुचित कार्यशैली, सरकारी नमूना जांच केन्द्रों, राजाजी अस्पताल मदुरई तथा तमबारम, कावेरीपटनम कृष्णागिरि, धर्मपुरी तथा हारूर, सरकारी अस्पतालों के केन्द्रों/स स्व के में पाई गई थी। तामिलनाडू तथा उत्तर प्रदेश में 3767 मातृ मौतें 1995-99 के दौरान पूर्व प्रसव केन्द्रों में अनीमिया, रक्तस्त्राव, पूर्ति टोकसिमीया, टैटनेस, प्रसव पीड़ा में रूकावट तथा अन्य कारण बताई गई थी। इन मामलों में पर्यवेक्षण का कोई प्रमाण नहीं था। पांडिचेरी में अनीमिया तथा सैपसिस के कारण निरोध मातृ-मौतें 1995-2000 के दौरान 18 से 36 प्रतिशत तक रहीं। इसका कोई प्रमाण नहीं था कि यह मामले जांच पड़ताल तथा परामर्शी उपचार के लिए उचित पर्यवेक्षण किये गये थे।

यह सुझाव देने का कोई प्रमाण नहीं था कि पहचान करने तथा परामर्शीय उपचार के लिये इन मामलों का उपयुक्त परिवीक्षण किया गया था।

1.6.2.3 पुनरुत्पादक स्वास्थ्य तथा देखभाल

पुनरुत्पादक स्वास्थ्य तथा देखभाल में गर्भ के सुरक्षित समापन के लिए सुविधाएं तथा सरवाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए पी ए पी स्मीयर जांच सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पुनरुत्पादक क्षेत्र संक्रमण एवं लैंगिक प्रेषित रोगों के प्रति सेवाएं शामिल हैं।

तामिलनाडू तथा उत्तर प्रदेश में अनीमिया, हैमरेज, सैपसिस इत्यादि के कारण प्रसवोत्तर केन्द्रों में 3767 मातृक मौतें सूचित की गई

पु.क्षे.सं. एवं लै.प्रे.रो.सेवाएं

पुनरूत्पादन क्षेत्र संक्रमण (प्र.क्षे.सं.) तथा लैंगिक प्रेषित रोग (लै.प्र.रो.) की, विशेषकर महिलाओं में व्यापकता के विभिन्न स्तरों पर ऐसे मामलों के प्रबंधन पर प्र.वा.स्वा. कार्यक्रम के अंतर्गत विचार किया गया था। योजना में सभी जिला अस्पतालों में प्र.क्षे.सं. तथा लै.प्रे.रो. के नैदानिक केन्द्रों तथा श्रेणी “क” जिलों में तीन प्रथम परामर्शी इकाइयों, ख श्रेणी जिलों में दो तथा ग श्रेणी जिलों में एक इकाई की स्थापना पर विचार किया गया है। इनकी सहायता प्रशिक्षण तथा उपमोक्ष्य उपकरणों तथा औषधि किटों की आपूर्ति सहित केन्द्र सरकार द्वारा की जानी थी। योजना 1998-2000 के दौरान केरल तथा पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई थी तथा प्रशिक्षित चिकित्सकों, प्रशिक्षण की कमी तथा औषधि किटों की अनापूर्ति के कारण मेघालय के 12 प्र.प.ई. में आरम्भ नहीं की गई थी। पांडिचेरी में 3 सा.स्वा.के. में प्रयोगशाला सहायकों के 5 पद खाली होने के कारण प्र.क्षे.सं. जांच नहीं की जा सकी तथा उड़ीसा एवं पांडिचेरी के प्र.प.ई. में प्र.क्षे.सं./लै.प्रे.रो. के लिए पूर्णतया चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे। उत्तर प्रदेश में पहचान की गई प्र.प.ई. में से 15 प्रतिशत में सुविधा उपलब्ध थी तथा केवल निदान केन्द्रों के 74 प्रतिशत को निधियां जारी की गई थीं। सामान्यता नमूना जांच ने दर्शाया कि कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं अभी भी आरम्भिक चरण में हैं तथा वांछित स्तर के अनुसार नहीं हैं।

प्र.क्षे.सं. तथा लै.प्रे.रो. सेवा सुविधाएं योजना अभी तक आरम्भिक चरण में हैं।

सुविधा निर्धारण ने दर्शाया कि प्र.क्षे.सं./लै.प्रे.रो. के लिए प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की सुविधाओं तथा प्र.क्षे.सं./प्र.प.ई. जांच अभिलेखों का अनुक्षण क्रमशः 14 प्रतिशत तथा 47 प्रतिशत पिछड़ गया था। प्र.क्षे.सं./प्र.प.ई. निदान के लिए प्रयोगशाला उपकरणों की उपलब्धता में राज्यों में अन्तर ने दर्शाया कि पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा खराब निष्पादन वाले राज्यों में से थे तथा जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडू निष्पादन वाले राज्यों में थे। लाभभोगी निर्धारित ने दर्शाया कि महिलाओं जिन्होंने प्र.क्षे.सं./लै.प्रे.रो. समस्या का सामना किया, में से केवल 37 प्रतिशत ने उपचार कराया। इनमें से केवल 18 प्रतिशत ने सरकारी सुविधा से उपचार करवाया था।

गर्भ का चिकित्सा क्षरा समापन (ग.चि.स.)

ग.चि.स. अधिनियम 1971 के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में गर्भ के चिकित्सा द्वारा समापन की अनुमति है। ग.चि.स. के लिए सुविधाओं की संख्या तथा गुणवत्ता को बढ़ाना कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है। कार्यक्रम में जिला तथा उप-जिला स्तर पर प्रत्येक अस्पताल में आरम्भ में कम से कम एक प्रशिक्षित दल (चिकित्सा अधिकारी एवं परिचारिका) सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जहां पर प्रशिक्षित दल तथा शल्य चिकित्सा थियेटर उपलब्ध थे, तथा उसके पश्चात प्रा.स्वा.के. में ग.चि.स. के प्रावधान पर विचार किया गया था। कार्यक्रम में ग.चि.स. किटों के प्रावधार पर भी विचार किया गया था। आंध्र प्रदेश में लक्षित संख्या के केवल 32 प्रतिशत को प्रशिक्षण दिया गया था तथा हिमाचल प्रदेश में ग.चि.स. किटों की आपूर्ति नहीं की गई थी। असम तथा मणिपुर के ग.चि.स. के संबंध में लेखा परीक्षा को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

मेघालय तथा तमिलनाडू में ग.चि.स. के लिए चिकित्सक तथा परिचारिकार्ये उपलब्ध नहीं थी जबकि आंध्र प्रदेश में केवल 32 प्रतिशत प्रशिक्षित थे।

केवल 36
प्रतिशत
महिलाओं को
ग्रा.चि.स. के
बारे में पता
था।

लामभोगी सर्वेक्षण ने अनुमोदित केंद्रों के केवल एक चौथाई में ग.चि.स. सुविधाओं तथा ग.चि.स. करने के लिए उसी अनुपात में प्रशिक्षित चिकित्सकों की घटिया उपलब्धता को प्रदर्शित किया। लगभग 24 प्रतिशत केंद्रों ने ग.चि.स. करने के लिए निष्पादन आधारित नकद सहायता प्राप्त करने का उल्लेख किया। लामभोगी सर्वेक्षण ने दर्शाया कि केवल 36 प्रतिशत महिलाओं को उन स्थानों का पता था जहाँ पर ग.चि.स. सुविधाएं प्राप्त की जा सकती थीं। ग.चि.स. सेवाओं के उपयोग के संबंध में महिलाओं के बहुत कम अनुपात (4 प्रतिशत) ने विगत में गर्भपात कराया था। इनमें से लगभग 56 प्रतिशत ने प्राइवेट अस्पतालों से सेवाएं प्राप्त की थी।

पी.ए.पी. स्मीयर जांच सुविधा कार्यक्रम

महिलाओं में सरवाइकल कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए पी.ए.पी. स्मीयर जांच सुविधा 25 चिकित्सा महाविद्यालयों में पाइलर आधार पर 1977 में आरम्भ की गई थी। 1998-2000 तक यह पूरे देश में चरणबद्ध विधि से 105 चिकित्सा महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर संस्थाओं तक बढ़ाई गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार, राज्य/सं.रा.क्षे. के वेतनमानों के अनुसार साइटों-तकनीशियनों के वेतन, शीशे के सामान, रसायनों की खरीद के लिए 3000 रू. तथा आकस्मिक व्यय के रूप में 200 रू. की निधियां प्रदान करती है। साइटों-तकनीशियन को स्मीयर का एकत्रण/जांच करना तथा प्रदान की सेवा का अभिलेख बनाए रखना तथा संबंध राज्य परिवार कल्याण विंग के माध्यम से परिवार कल्याण विभाग को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती है। परिणामों की पुष्टि चिकित्सा महाविद्यालय/स्नातकोत्तर संस्थान जहां पर कार्यक्रम आरम्भ किया गया था के साइटों पैथोलोजिस्ट/पैथोलोजी के विभाग के अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। इस प्रकार के महाविद्यालयों/संस्थाओं के निष्पादन का निर्धारण विभाग द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये बिना तैयार तथा जांच की गई स्लाइडों के आधार पर किया जाता था। विभाग द्वारा 1995-199 के दौरान किये गये निष्पादन के निर्धारण से पता चला कि तिमाही जिसके लिए संस्थाओं ने निष्पादन सूचित किया प्रत्येक वर्ष लगातार 358 (1995-96) से घट कर 298 (1998-99) हो गई। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अ.नि.द्वीपसमूह दादरा एवं नागर हवेली, दमण व दीप, दिल्ली, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी ने 1995-99 के दौरान त्रैमासिक रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की जो दर्शाता है कि परिवार कल्याण विभागों ने इन संस्थाओं के निष्पादन का प्रभावी ढंग से परीक्षण नहीं किया। रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं द्वारा तैयार की गई स्लाइडों की संख्या 1995-96 से 1998-99 के दौरान 46372 से 62866 थी। कर्कट रोग के लिए तैयार की गई स्लाइडों के विश्लेषण से पता चला कि केवल 59 से 61 प्रतिशत स्लाइडों की जांच की गई थी। राज्य/सं.रा.क्षे. के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पांडिचेरी, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में, पदों की संस्वीकृति न होने अथवा रिक्त पद भरे न जाने के कारण साइटों-तकनीशियनों के 48 प्रतिशत पद रिक्त थे। यद्यपि कार्यक्रम अनुमोदित था परन्तु दिल्ली तथा राजस्थान में लागू नहीं किया गया था। असम तथा दिल्ली में प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में साइटों-तकनीशियनों के पद भरे

1995-99 के दौरान
राज्यों/सं.रा.क्षे द्वारा
त्रैमासिक रिपोर्टों का
अप्रस्तुतीकरण

11 राज्यों/सं.रा.क्षे. में
साइटों/तकनीशियनों
के 48 प्रतिशत पद
रिक्त थे

नहीं गए थे क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान जारी नहीं किये गये थे। पंजाब में, 1995-96 से साइटों-तकनीशियनों की उपलब्धता न होने के कारण स्पीयर एकत्रण तथा उनकी जाँच चिकित्सा महाविद्यालय पटियालाके प्रयोगशाला तकनीशियनों द्वारा किया गया था। हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू अस्पताल शिमला द्वारा तैयार की गई स्लाइडों की जाँच साइटों-तकनीशियनों के अभाव के कारण इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा पाँडिचेरी में स्लाइडों के उपयुक्त अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे। बिहार में 1995-2000 के दौरान तैयार की गई 120 स्लाइडों की जाँच नहीं की गई थी। असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू तथा उत्तर प्रदेश के पाँच राज्यों में जाँच की गई 41 प्रतिशत स्लाइडों के विवरण उपलब्ध नहीं थे। असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में 1995-96 से 1999-2000 के दौरान तैयार की गई स्लाइडों की संख्या 120 से 4400 थी। इससे पता चलता है कि कर्कट रोग का पता लगाने के लिए रक्त स्पीयर के एकत्रण तथा जाँच के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे।

पाँच राज्यों में जाँच की गई 41 प्रतिशत स्लाइडों का विवरण अभिलेख में नहीं था।

आठ राज्यों में कर्कट रोग का पता चलाने के मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए थे।

प्र.के. तथा सा. स्वा. के. निष्पादन रजिस्टर, जो सुविधा निर्धारण के दौरान एकत्रित किये गए थे के प्रमाण से पता चला कि ऐसी जाँच करने के लिए एक चौथाई प्र.के. तथा एक बड़ा छः सा.स्वा.के. में प्रयोगशाला उपकरण थे घटिया निष्पादन (प्रतिकेंद्र वार्षिक रूप से औसतन 50 मामले) प्रस्तुत की गई सुविधा की घटिया गुणवत्ता का द्योतक था।

1.6.2.4 बाल स्वास्थ्य एवं देखभाल

बाल उत्तरजीविता में सुधार लाने के लिए सेवाओं को सुदृढ़ करना प्र.क्षे.सं. कार्यक्रम का एक प्रमुख संघटक है। बाल उत्तरजीविता कार्यक्रम मुख्यतः रोगनिरोधी पहलुओं, वैक्सीन रोगनिरोधी रोगों का नियंत्रण अतिसार रोग तथा शिशुओं तथा 5 वर्ष से नीचे के बच्चों के बीच तीव्र श्वसन संक्रमण पर केन्द्रित किया गया है।

छः रोगनिरोधी बिमारियों, नामता क्षयरोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो तथा खसरे के प्रति बच्चों का टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आधार शिला रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के भाग के रूप में, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भारत में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है सभी पात्र बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध करवा कर इन छः बीमारियों से अस्वस्थता, मर्त्यता तथा विकलांगता कम करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा 1978 में टीकाकरण पर विस्तृत कार्यक्रम (टी.वि.का.) आरम्भ किया गया था। पोलियो के विरुद्ध टीकाकरण 1979-80 में आरम्भ किया गया था तथा 1980-81 में बच्चों के लिए टेटनेस टाक्साइड जोड़ा गया था। टी.वि.का. कार्यक्रम में 1981-82 में वी.सी.जी. जोड़ा गया था। कार्यक्रम में अंतिम परिवर्धन खसरे के प्रति टीकाकरण 1985-86 में किया गया है।

निम्न तालिका लक्ष्यों और उपलब्धियों के सारांश को दर्शाती है:-

(संख्या लाखों में)

| टीके का नाम | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | कमी की प्रतिशतता |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| बी.सी.जी. | | | | | | |
| लक्ष्य | 247.65 | 248.61 | 254.02 | 255.45 | 251.17 | |
| उपलब्धियां | 246.15 | 240.61 | 248.80 | 253.53 | 242.97 | 0.60 से 3.26 |
| डी.पी.ए. | | | | | | |
| लक्ष्य | 247.65 | 248.61 | 254.02 | 255.45 | 251.17 | |
| उपलब्धियां | 233.25 | 224.92 | 231.87 | 236.71 | 232.50 | 5.81 से 9.52 |
| पोलियो | | | | | | |
| लक्ष्य | 247.65 | 248.61 | 254.02 | 255.45 | 251.17 | |
| उपलब्धियां | 235.00 | 227.13 | 234.82 | 238.67 | 236.26 | 5.10 से 8.64 |
| खसरा | | | | | | |
| लक्ष्य | 247.65 | 248.61 | 254.02 | 255.45 | 251.17 | |
| उपलब्धियां | 215.33 | 204.83 | 210.88 | 218.26 | 218.77 | 12.89 से 17.60 |
| टैटनस | | | | | | |
| लक्ष्य | 275.25 | 275.30 | 281.08 | 282.87 | 277.47 | |
| उपलब्धियां | 230.02 | 220.67 | 229.22 | 232.52 | 229.69 | 16.43 से 19.84 |
| जोड़ | | | | | | |
| लक्ष्य | 1265.85 | 1269.74 | 1297.16 | 1304.67 | 1282.15 | |
| उपलब्धियां | 1159.75 | 1118.16 | 1155.59 | 1175.69 | 1160.19 | 8.38 to 11.93 |

बच्चों के बी.सी.जी., डी.पी.टी., पोलियो आदि से प्रतिरक्षण की उपलब्धता में 8 से 20 प्रतिशत की कमी

1994-99 के दौरान बी.सी.जी., डी.पी.टी. पोलियो, खसरा तथा टैटनेस के प्रतिरक्षण में उपलब्धियों में समग्र कमी लक्ष्यों की तुलना में 8 से 12 प्रतिशत के बीच रही जबकि खसरा ओर टैटनेस में यह कमी क्रमशः 13 से 18 प्रतिशत और 16 से 20 प्रतिशत के बीच रही। समस्त पांच वर्षों में बी.सी.जी., डी.पी.टी., पोलियो तथा खसरे के लक्ष्य 250 लाख के आस पास स्थिर रहे। बिमारी - वार लक्ष्य किसी वार्षिक समीक्षा के आधार पर निर्धारित नहीं किए गए हैं।

अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम में जी गर्भवती महिलाओं को टैटनस टोक्साइड (टी.टी.) से प्रतिरक्षण तथा अस्पतालों में पैदा हुए समस्त बच्चों तथा बहिरोगी विभाग (ब.रो.नि) में आने वाले तथा आवंटित क्षेत्रों में शामिल समस्त बच्चों के प्रतिरक्षण की कल्पना की गई थी। केन्द्रीयस्तर पर 1990-2000 के दौरान गर्भवती महिलाओं

तथा विद्यालय जाने वाले 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए टी.टी. से प्रतिरक्षण का लक्ष्य 100 प्रतिशत था तथा डीपीटी (3 वर्ष से कम आयु बच्चों) तथा डी टी और टायफाइड (विद्यालय में प्रवेश पाने वाले 5-6 वर्ष की आयु के नए बच्चों) से प्रतिरक्षण का लक्ष्य 85 प्रतिशत था। शिशुओं के लिए पोल्सो और बी सी जी का लक्ष्य 70 और 80 प्रतिशत (1990) से 85 प्रतिशत (2000) तक बढ़ा दिया। 22 राज्यों में प्रक्षिप्त जनसंख्या के अनुसार प्रतिरक्षित किए जाने वाले शिशुओं से सम्बन्धित आंकड़े अनुबन्ध - 7 में दिए गए हैं।

विश्लेषण से पता चलता है कि 0-1 आयु वर्ग के शिशुओं के लिए निर्धारित प्रारम्भिक प्रतिरक्षण के लक्ष्यों में कमी दमन तथा दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 8 से 20 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश, अरुणचल प्रदेश, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दमन तथा दीव, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर नागालैंड, पंजाब, पांडिचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा में 23 से 50 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त परवर्ती प्रतिरक्षण के लिए 5 से 6वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को भी डी टी (डिपथिरिया तथा टैटनस टोक्साइड) तथा 10 और 16 वर्षों से कम बच्चों को टी टी की दो खुराक पिलाई जानी अपेक्षित थी। दिल्ली, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि टीकों के लक्ष्य निर्धारण करने के आधार अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे जबकि 1995-2000 के दौरान प्रत्येक वर्ष में लक्ष्य वही थे और इन राज्यों में शामिल न किए गए बच्चों की प्रतिशतता का पता नहीं लगाया जा सका है। त्रिपुरा में बी सी जी, खसरा, डी पी टी और पोलियो के प्रतिरक्षण के लिए अपेक्षित 100 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। नागालैंड में 1995-2000 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई परन्तु प्रतिरक्षण के लक्ष्यों में तदनुसूची वृद्धि नहीं हुई। परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित बी सी जी, टी टी (पी. डब्ल्यू), पोलियो, खसरा तथा डी पी टी के संबंध में राज्य-वार लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों के सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां 100 प्रतिशत से अधिक थी या तो लक्ष्य निम्न स्तर पर निर्धारित किए गए थे या यथार्थवादी नहीं थे। 1995-2000 की अवधि के दौरान किया गया प्रतिरक्षण अनुबंध-8 में दिया गया है। सर्वेक्षण से पता चला कि निम्नतम व्याप्ति खसरे के टीकों की थी। कुल मिलाकर, लक्षित बच्चों में से लगभग 83 प्रतिशत बच्चों को निवार्य बिमारियों के प्रति पूर्णतया प्रतिरक्षित किया गया है।

लामभोगी मूल्यांकन से पता चलता है कि सर्वेक्षण की तिथि को 12-23 महीनों की आयु के अधिकांश बच्चों (72 प्रतिशत और 82 प्रतिशत के बीच) ने बी सी जी, डी पी टी और पोलियो के टीके लगवा लिए थे। यद्यपि अधिकांश बच्चों ने डी पी टी और पोलियो के टीके लगवा लिये थे, डी पी टी की 1-3 खुराकों में 9 प्रतिशत बिन्दुओं की कमी तथा पोलियो की 1-3 खुराकों में 10 प्रतिशत बिन्दुओं की कमी आई थी। 60 प्रतिशत और 51 प्रतिशत बच्चों ने क्रमशः खसरे के टीके लगवा लिए थे तथा अतिरिक्त विटामिन-ए का घोल ले लिया था। कुल मिलाकर, पूर्णतया प्रतिरक्षित बच्चों की प्रतिशतता केवल 55 थी जबकि कार्यक्रम के अंतर्गत शत प्रतिशत व्याप्ति की कल्पना

की गई थी। उत्साह पूर्वक सरकारी सुविधाएं को प्रतिरक्षण सेवाएं प्राप्त करने का मुख्य स्त्रोत बताया गया था।

3 वर्ष से कम आयु के समस्त बच्चों को उनके अन्धेपन को रोकने के लिए शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन ए घोल की परिकल्पना की गई थी। बच्चों में पोषण अल्परक्तता के रोग निरोध के लिए 100 दिनों की अवधि तक आयरन फोलिक एसिड गोलियों की खुराक प्रतिदिन दी जानी अपेक्षित है, और विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों में अन्धेपन के रोग निरोध के लिए 9 महीने की आयु में खसरे के टीके के साथ पहली खुराक तथा बाद में छः महीने के अन्तराल में तीन खुराकें दी जानी अपेक्षित है। नमूना जांच से पता चला कि हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में भिन्न वर्षों में आई एफ ए गोलियों के उपयोग में कमी 1 से 56 प्रतिशत के बीच थी जब कि दिल्ली के संबंध में सूचना भेजी नहीं गई थी। जम्मू व काश्मीर, महाराष्ट्र के नमूना जांच किए गए जिलों तथा हरियाणा में कमी आई एफ ए गोलियों की आपूर्ति न करने/आपूर्ति करने में विलम्ब के कारण थी। नमूना जांच से यह भी पता चला कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु में विटामिन-ए के उपयोग में कमी 3 से 82 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त 1999-2000 के दौरान लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे तथा उपलब्धियां समस्त खुराकों के संचय तथा 2 से 13 प्रतिशत बच्चों जिन्होंने केवल पहली खुराक ली थी ने सभी औषध निर्देशित खुराकें ले लेने के कारण थी। पश्चिम बंगाल में छोड़े हुए मामलों, जिनमें 16.36 लाख खुराकों (टी.टी: 2.64 लाख खुराकें, डी पी टी: 6.05 लाख खुराकें, पोलियो: 6.08 लाख खुराकें तथा डी.टी. 1.59 लाख खुराकें) शामिल थी, के टीकाकरण पर 1995-99 के दौरान 24.11 लाख रू. व्यय किए गए थे जिससे अभीष्ट उद्देश्य पूरे नहीं हुए क्यों कि 1995-99 के दौरान छोड़े हुए मामले 5 से 11 प्रतिशत के बीच थे। दिल्ली में 1995-2000 के दौरान जिन्होंने 15 चरणों में 254-29 लाख खुराकें ली थी, उनमें से 11.43 लाख बच्चे प्लस पोलियो की बाद की खुराकें लेने के लिए नहीं आए, नेमी ओ पी वी कार्यक्रम के अन्तर्गत 21.96 प्रतिशत तक दूसरी तथा तीसरी खुराक लेने के लिए नहीं आए।

प्रतिरक्षण कार्यक्रम की सहायता के लिए, देश के समस्त प्रा.स्वा.के. में कोल्ड चैन अनुरक्षण (कोल्ड चैन स्टाफ की भरती सहित) की कल्पना की गई थी जिसे सी एस एस एम कार्यक्रम के अंतर्गत सतत सहायता प्रदान करनी थी। प्रजनन शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत कोल्ड चैन का नवीनीकरण किया जाना था तथा आवश्यकता पर आधारित मूल्यांकन किया जाना था, अतिरिक्त केन्द्रों में डीप फ्रीजर तथा आईसलाइन्ड रेफ्रीजरेटर प्रदान किए जाने थे। प्रजनन शिशु स्वास्थ्य जिलों के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारियों द्वारा जिले की कोल्ड चैन क्रियाविधि का पर्यवेक्षण किया जाना अपेक्षित था। सुविधा सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकांश सा.स्वा.के. तथा प्रा. स्वा.के. के पास टीका भण्डारण की पर्याप्त सुविधाएं जैसे रेफ्रीजरेटर, आईस लाइन्ड रेफ्रीजरेटर, डीप फ्रीजर आइस बाक्स तथा टीका संवाहक उपलब्ध थी। परन्तु सुविधाओं का वास्तविक उपयोग असंतोषजनक पाया गया तथा क्षमता के स्तर से बहुत नीचे था। बिहार में 3241 में से लगभग 1300 कोल्ड चैन क्षतिग्रस्त पड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश में

पांच राज्यों में
आई.एफ.ए. की
गोलियों के उपयोग में
कमी 1 से 56 प्रतिशत
के बीच थी।

मार्च 1998 में 2599 में से 1000 अधिक कोल्ड चेन क्षतिग्रस्त पड़ी हुई थी जब कि यह सूचित किया गया कि मई 2000 तक 2445 में से 1166 कोल्ड चेन प्रा.स्वा.के. के पास बेकार पड़ी हुई थी। मणिपुर में कुशल प्रचालकों के अभाव के कारण सौर रेफरीजरेटर्स का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जा सका। उड़ीसा में 14 कोल्ड चेन प्रतिस्थापित की जा रही है। दिल्ली में 5 कोल्ड चेनों तथा 16 डीप फ्रीजर्स का अभी तक प्रतिस्थापन नहीं हुआ है।

1.6.2.5 परिवार नियोजन

भारत सरकार ने समय अवधि के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किए जिसके अंतर्गत विविध परिवार नियोजन सेवाएं लागू की गईं।

क्योंकि सेवाओं में सुविधाओं के जटिल तन्त्र, स्वतःप्रेरणा तथा जनन प्रणाली की परिकल्पना की गई थी, लेखा परीक्षा तथा सर्वेक्षणों के परिणाम विभिन्न संयोजनों तथा उलंघनों को सम्मिलित करते हुए विषय क्षेत्रों के अंतर्गत नीचे दर्शाए गए हैं।

पुरुष नसबन्दी
का कुल
बन्धीकरण से
नगण्य अनुपात

पुरुष नसबन्दी में निस्पादन

पुरुष नसबन्दी का कुल बन्धीकरण से अनुपात केवल 2 प्रतिशत है। साधारणतः 98 प्रतिशत से अधिक बन्धीकरण महिला नसबन्दी के हैं तथा यह लिंग असन्तुलन का प्रकटीकरण है जिससे कार्यक्रम में बाधा आती है। निम्न तालिका प्रयोग किए गए उपायों की तुलनात्मक उपलब्धियों को दर्शाती है:

| वर्ष | बन्धीकरण के मामलों की संख्या | | | पुरुष नसबन्दी की प्रतिशतता | महिला नसबन्दी की प्रतिशतता |
|-----------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| | पुरुष नसबन्दी | महिला नसबन्दी | जोड़ | | |
| 1995-96 | 123748 | 4298571 | 4422319 | 2.8 | 97.2 |
| 1996-97 | 72006 | 3798220 | 3870226 | 1.9 | 98.1 |
| 1997-98 | 71352 | 4167162 | 4238514 | 1.7 | 98.3 |
| 1998-99 | 102656 | 4104070 | 4206726 | 2.4 | 97.6 |
| 1999-2000 | 88010 | 4502560 | 4590570 | 1.9 | 98.1 |
| जोड़ | 457772 | 20870583 | 21328355 | 2.15 | 97.85 |

नमूनों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में कुल बन्धीकरण में से 0.9 से 6 प्रतिशत भाग पुरुष नसबन्दी आपरेशन का है। मिजोरम तथा तमिलनाडु के मामले में यह 0 से 0.2 प्रतिशत से भी कम था। लाभभोगी सर्वेक्षण से भी पता चला कि मुख्यतया महिला बन्धीकरण कार्यक्रम पर सरकार द्वारा सतत बल देने दिए जाने के कारण योग्य दम्पतियों में पुरुष नसबन्दी को स्वीकार करने की दर बहुत कम है (0.9%)। तथापि गैर-क्षारिका पुरुष नसबन्दी के लागू होने तथा प्र.शि.स्वा. के अन्तर्गत पुरुषों की व्यरित से यह आशा की जाती है कि पुरुष नसबन्दी के भाग में सुधार आएगा। अन्य उपायों की तुलना में पुरुष नसबन्दी का ज्ञान अपेक्षाकृत कम था (46%), ओर प्रथा नगण्य थी।

लैप्रोस्कोपिक महिला
नसबंदी कुल
बन्धीकरण के 50
प्रतिशत से भी कम

लैप्रोस्कोपिक महिला नसबंदी में निस्पादन

यद्यपि महिला बन्धीकरण बहुत अधिक अपनाया जाने वाला तरीका है, कार्यक्रम परम्परागत महिला नसबंदी की अपेक्षा लैप्रोस्कोपिक महिला नसबंदी पर बल देता है। तथापि लैप्रोस्कोपिक महिला नसबंदी का निस्पादन कुल महिला बन्धीकरण के 50% से भी कम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में निस्पादन 1-16 प्रतिशत, गुजरात और दादरा नगरहवेली में 25-49 प्रतिशत तथा कर्नाटक में 25-30 प्रतिशत के बीच रही।

समापन उपायों में कम उपलब्धि

बन्धीकरण लक्ष्यों की अनुपलब्धि बिहार में (71%) राजस्थान में (62%) जम्मू व काश्मीर में (51%) उत्तर प्रदेश में (39%) उड़ीसा में (30%) मध्य प्रदेश में (29%) दिल्ली में (महिला नसबंदी में 27.55% तथा पुरुष नसबंदी में 59.70%) अधिक थी। लाभभोगी सर्वेक्षण से पता चल कि परिवार नियोजन के समापन उपायों की वर्तमान उपयोगिता (महिला नसबंदी लैप्रोस्कोपी तथा पुरुष नसबंदी) दम्पति सुरक्षा दर की 40% के विरुद्ध 31% थी। वर्तमान में बन्धीकरण का प्रयोग करने वालों की प्रतिशतता असम, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में 25 प्रतिशत से कम थी। दुसरी ओर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में महिला नसबंदी स्वीकार करने वालों की प्रतिशतता 40 पर पर्याप्त थी। जैसा कि लाभभोगी मूल्यांकन से पता चला सरकारी कार्यक्रम में समापन उपायों पर अधिक बल देने से दम्पतियों (76%) में अधिक जागरूकता के कारण 31% (समस्त समापन उपाय) का स्वीकार करने का स्तर प्रत्याशित स्तर से मेल नहीं खाता।

असफल बन्धीकरण

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड तथा पश्चिम बंगाल में नोडीय विभागों को बन्धीकरण की विफलता पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। तथापि, हिमाचल प्रदेश: (52), केरल: (13), महाराष्ट्र: (115), उड़ीसा: (9), पंजाब: (3), राजस्थान: (367), तमिलनाडु: (122), चण्डीगढ़: (13), दिल्ली: (62) ने विफलता के 762 मामले सूचित किए। विफलता के कारणों को प्रमाणित करने के लिए कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई थी।

समापन उपायों पर लक्ष्य रहित दृष्टिकोण का प्रभाव

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा दिल्ली के राज्यों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि लक्ष्य रहित दृष्टिकोण ने वांछित दिशा में परिणाम नहीं दिखाए ओर सेवाओं की गुणवत्ता में भी कोई सुधार नहीं हुआ। इससे मात्रात्मक निस्पादन में बहुत कमी आई। यह भी देखने में आया कि अस्थायी उपायों के लिए निर्धारित लक्ष्य पर्याप्त रूप से कम थे तथा उन्हें भी पूरा नहीं किया जा सका। ये यह दर्शाते हैं कि निस्पादन अधिकांशतः समापन उपायों पर निर्भर था। सामान्यतया, बन्धीकरण कार्यक्रम का निस्पादन लक्ष्य रहित दृष्टिकोण अपनाते के पश्चात या तो गिरा या स्थिर रहा। हिमाचल प्रदेश, मिजोरम तथा

9 राज्यों/संघ शासित
क्षेत्रों ने बन्धीकरण
विफलता के 762 मामले
सूचित किए

लक्ष्य रहित दृष्टिकोण
अपनाने के पश्चात
बन्धीकरण कार्यक्रम में
गिरावट आई या स्थिर
रहा।

त्रिपुरा में निस्पादन में 14 से 39 प्रतिशत की सीमा तक गिरावट आई। तमिलनाडु और दिल्ली में भी बन्धीकरण निस्पादन में गिरावट देखी गई।

परिवार नियोजन के अन्तरण उपायों में निस्पादन

| वर्ष | मुख सेव्य गोलियां प्रयोग करने वाले | कण्डोम का प्रयोग करने वाले | आई.यू.डी. निवेशन | जोड़ | प्रयोग करने वालों की प्रतिशतता | | |
|-------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | मुखसेव्य गोलियां | कण्डोम | आई.यू.टी. |
| 1995-96 | 5090850 | 17297429 | 6857882 | 29246161 | 17.41 | 59.14 | 23.45 |
| 1996-97 | 5250025 | 17214327 | 5680671 | 28145023 | 18.65 | 61.16 | 20.18 |
| 1997-98 | 6394793 | 16795452 | 6172904 | 29363149 | 21.78 | 57.20 | 21.02 |
| 1998-99 | 6868654 | 17308141 | 6065335 | 30242130 | 22.71 | 57.23 | 20.06 |
| जोड़ | 23604322 | 68615349 | 24776792 | 116996463 | 20.17 | 58.65 | 21.18 |

हालांकि कुल अन्तरण उपायों का प्रयोग करने वालों की संख्या इतनी कम थी कि उनमें लगभग 59% अकेले कण्डोम का प्रयोग करने वाले थे तथा शेष 41% गोलियों का प्रयोग करने वाले तथा आई.यू.डी. निवेशन वाले थे, ये यह दर्शाता है कि पिछले दो उपायों का प्रयोग कम हुआ। बन्धीकरण तथा आई.यू.डी., कण्डोम और गोलियों के अस्थायी उपायों का प्रयोग करने वालों के लिए 1995-96 तक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा उसके पश्चात उपलब्धियों के प्रत्याशित स्तर या सर्वेक्षण करने के पश्चात निचले स्तर के स्टाफ द्वारा अनुमानित समाज की आवश्यकताओं का मुल्यांकन करके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

आई.यू.डी., मुखसेवर गोली तथा कंडोम जनसंख्या विनियमन एवं जन्म के बीच उच्च दूरी रखने में विभिन्न प्रणालियां हैं। ये अंतराक्षेपण बिहार में प्रयोग करने में सार्थक नहीं थे तथा अन्य राज्यों में परिवर्ती सफलता थी। नमूना जांच से पता चला कि:

बिहार में मुखसेव्य गोली, कंडोम का अपर्याप्त प्रयोग था तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में अनुपलब्धता आई.यू.डी. की अनुपलब्धता की स्थिति 32 से 69 प्रतिशत के बीच रही जबकि दिल्ली, गोआ, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में मुख-सेव्य तथा कंडोम के प्रयोग में अनुपलब्धता 29 से 73 प्रतिशत के बीच रही।

लाभभोगी सर्वेक्षण से पता चला कि, अंतर वाली प्रणालियों की विद्यमान उपयोगिता काफी कम थी (विभिन्न प्रणालियों के लिए 2 से 4 प्रतिशत के बीच) सभी अंतर रखने वाली प्रणालियों में कंडोम (3%) और आई.यू.डी.या लूप (2%) से मुख सेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता (4%) सीमांतत अधिक थी। इसी प्रकार, प्राकृतिक प्रणालियों का प्रयोग काफी कम था।

स्वीकारकर्ताओं को परम्परागत गर्भनिरोधकों (प.ग.) और मुख-सेव्य गोलियां (मु.गो.) का अपर्याप्त वितरण

कम आपूर्ति के कारण चार राज्यों में 127.5 लाख प.ग. एवं 32.3 लाख मु.गो. आवश्यकता पूरी नहीं की गई।

मुख-सेव्य गोलियों और कंडोम का निःशुल्क वितरण संतोषजनक नहीं पाया गया हालांकि 1995-99 के दौरान प्रत्येक वर्ष लगभग 55 से 73 करोड़ रु. खर्च किए गए थे। राज्य/सं.रा.क्षे. के अभिलेखों से पता चला कि प.ग. और मुख-सेव्य गोलियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार वितरित नहीं की गई थी। प.ग. की कम आपूर्ति त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मिजोरम राज्यों में क्रमशः 27 लाख, 60 लाख, 34 लाख और 6.5 लाख तक रही। मु.गो. की आपूर्ति त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मिजोरम में क्रमशः 3 लाख, 0.31, 27 लाख और 2 लाख तक अपूर्ण रही। लाभभोगी मूल्यांकन से पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों ने भी, वर्तमान में इस्तेमाल करने वालों का अधिक बहुमत (76%) कंडोम और मुख-सेव्य का था इन प्रणालियों को उपलब्ध कराने दोनों क्षेत्रों शहरी (81%) और ग्रामीण (77%) का मुख्य स्रोत दुकानें (78%) बतायी गई। इस प्रकार, गर्भनिरोधक के निःशुल्क वितरण की उपयोगिता या आवश्यकता संदेहात्मक है।

नसबंदी पलंग योजना

सरकार द्वारा अस्पतालों में नसबंदी विस्तारों के आरक्षण की एक योजना चलायी जा रही है। अस्पतालों में महिला नसबंदी आपरेशनों के लिए तत्काल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय निकाय और स्वयं सेवी संगठन 1964 में पुनःस्थापित की गई थी। अस्पतालों में बिस्तरों की संस्वीकृति पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान निष्पादन के आधार पर की जाती है। राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वैच्छिक संस्थाओं को विस्तरों की संस्वीकृति दी जाती है। बाद में, प्रश्नोत्तर केन्द्रों के पुनःस्थापित होने के साथ कुछ बिस्तर प्रस्वोत्तर केन्द्रों को स्थानंतरित किए गए। 3000-4500 रु. प्रति वर्ष प्रति पलंग का अनुक्षण अनुदान स्वीकार्य था बशर्ते कि 45-60 महिला नसबंदियों का प्रतिवर्ष प्रति पलंग की जाए, 45 से कम मामलों में अनुपातीय समायोजन के अधीन दिया जाता था। 1995-2000 के दौरान (8.40 करोड़ रु. अनुमानित बजट के प्रति) योजना पर 8.69 करोड़ रु. का व्यय किया गया। विभिन्न राज्यों में 3170 बिस्तर कार्य कर रहे हैं। इसमें से, 64 राज्य सरकार अस्पतालों में, 454 स्थानीय निकायों में तथा 2656 स्वैच्छिक संस्थाओं में थे। आपरेशन बिस्तर का लगभग 84 प्रतिशत स्वैच्छिक क्षेत्र में थे और इसलिए लेखापरीक्षा में इन बिस्तरों के सम्बन्ध में सूचना का सत्यापन नहीं किया जा सका। यद्यपि, राज्य अभिलेखों की नमूना जांच से पता चलता है कि:

रा.प.क.ब्यू. को बिना मूल अभिलेखों का सत्यापन किए बिना 11.75 लाख रु. से दावे प्रस्तुत किए गए।

बिहार में लेखापरीक्षा को सदर अस्पताल जिला से संलग्न 30 प्रस्वोत्तर केन्द्रों में नसबंदी बिस्तरों की निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। दिल्ली में अनुमोदित 589 (108 से 130 5 वर्षों के दौरान) में से 437 बिस्तर और निम्न स्तर से कम उपलब्धियों के कारण 5.45 लाख रु. का उपयोग नहीं किया गया। विभाग को उनकी स्वयं सेवी संगठनों की संख्या का नहीं पता था जिन्होंने 45 से कम महिला नसबंदी के मामले किए थे। गुजरात में, 1995-99 के दौरान 1472 पलंग में से 85 पलंग ने 1 से 43 तक नसबंदी का कार्य निष्पादन दिखाया। 791 पलंगों का कार्य निष्पादन 60 या अधिक प्रति पलंग

पांच राज्यों में
गै.स.सं. को 47.57
लाख रु. की
अनियमित/अधिक
भुगतान हुआ

था जबकि 596 पलंगों का कार्य निषादन शून्य था। जम्मू और कश्मीर में विभाग को नहीं पता था 14 अनुमोदित के प्रति नसबंदी के लिए पलंगों की उपलब्धता दो अस्पतालों अर्न्तनाग एवं श्रीनगर में थी। 2.70 लाख रु. प्राप्त अनुदान का अन्य योजनाओं के अंतर्गत वेतन का भुगतान करने के लिए विपथन किया गया था। मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में, 1995-2000 के दौरान योजना के अंतर्गत कोई निधि नहीं दी गई क्योंकि भारत सरकार द्वारा योजना को संस्वीकृति नहीं दी गई थी। मेघालय में, निजी अस्पताल को 0.05 लाख रु. का भुगतान किया गया जहाँ कार्यनिषादन स्तर 2 पलंग का 45 से कम था। तमिलनाडु में 22 स्व.सं. द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों को 50 प्रतिशत अग्रिम अनुदान के रूप में 92.76 लाख रु. दिए गए परन्तु प.क.वि. द्वारा उपलब्ध पलंगों का कार्य निषादन स्तर अनुरक्षित नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में, 1995-2000 के दौरान प्रत्येक वर्ष की 88 संस्वीकृति में से 277 पलंगों का कार्यनिषादन प्रति वर्ष 45 नसबंदी मामलों से कम था जो उन्हें अनुक्षण अनुदान का अधिकार नहीं देता था, फिर भी 11.76 लाख रु. उपलब्ध कराये गये। पश्चिम बंगाल में, रा.प.क.ब्यू. को कार्यनिषादन को मूल अभिलेखों से सत्यापित किए बिना 4 गै.स.सं. के 11.75 लाख रु. के दावसे प्रस्तुत किए गए। आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और सिजोरम के नमूना जांच से पता चलता है कि कार्य निषादन के मूल्यांकन के बिना 47.57 लाख की अनियमित प्रतिपूर्ति या गै.स.सं. को आहार प्रभार देवाईयो, मरहम पट्टी, पलंगों के अनुक्षण के संबंध में अधिक भुगतान किया गया।

1.6.3 सूचना शिक्षा और संप्रेषण (सू.शि.सं.)

सू.शि.सं. नीति का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक परिवर्तनों को प्रोत्साहन देना, जागरूकता निर्माण करना एवं विशिष्ट क्षेत्रों तथा जनसंख्या खण्डों हेतु सुस्पष्ट परिभाषित तथा सांस्कृतिक रूप से विनियोजित कार्यक्रम प्रारंभ करना है। परिवार कल्याण विभाग सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय के दूरदर्शन आकशवाणी - संगीत एवं नाटक प्रभाग, विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालीय और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के व्यापक उपयोग के माध्यम से प्रचार के लिए एक व्यापक सू.शि.सं. पैकेज का कार्यान्वयन करता रहा है। इसके अतिरिक्त नगरों में होर्डिंग, समाचार पत्रों में विज्ञापन मुद्रित सामग्री सू.शि.सं. क्रियाकलापों के लिए केन्द्रीय रूप से परिवार कल्याण विभाग द्वारा तथा राज्यों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग की जा रही है। गैर-सरकारी संगठन नुककड़ नाटक आदि जैसे जन प्रचार के माध्यम से सू.शि.सं. क्रियाकलापों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रम के पुनः स्थापन के लिए समय समय पर सू.शि.सं. के प्रभाग का मूल्यांकन करना होता था। सू.शि.सं. क्रियाकलापों का उद्देश्य पुनरीक्षण क दौरान पोलियो उन्मूलन, विवाह आयु में वृद्धि, पुनरुत्पादकता एवं शिशु स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, महिला अधिकारिता, लैंगिक समानता एवं पुरुष भागीदारी जैसी विषय वस्तुओं पर केन्द्रीत था। परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभूत विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा 1998-2000 में सू.शि.सं. के क्रिया कलापों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. तक अधिकतर सीमित थे और उनका जनसंख्या पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया।

1.6.3.1 अपर्याप्त व्यापकता

1995-2000 के दौरान सू.शि.सं. क्रियाकलापों में अधिकतर गिरावट थी

सू.शि.सं. क्रियाकलापों का सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. में ठीक से कार्यान्वयन नहीं किया गया।

गुजरात को सू.शि.सं. ब्यूरो के लिए दिए गए 15.41 लाख रू. व्यपगत हो गए (जून 2000)

केवल 16 प्रतिशत परिवारों ने सू.शि.सं. की जानकारी की सूचना दी

विभिन्न सू.शि.सं. क्रियाकलापों में 22 से 63 प्रतिशत

यह जानकारी में आया कि या तो सू.शि.सं. क्रियाकलाप हाथ में नहीं लिए गए अथवा पर्याप्त विस्तार उपलब्ध कराने में विफल रहे। 13 राज्यों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि आन्ध्र प्रदेश में फिल्म प्रदर्शन में 25 से 67 प्रतिशत कमी थी कुर्नूल, आदिलाबाद तथा गुन्टूर जिलों में क्रमशः 100 प्रतिशत तथा 75 से 97 प्रतिशत थी। असम में, स्वास्थ्य सेवा विभाग (प.क.) द्वारा सू.शि.सं. क्रियाकलापों के विषय में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। दिल्ली में 1995-2000 के दौरा सू.शि.सं., क्रियाकलापों में गिरावट आई। संगीत तथा नाटक कार्यक्रम 811 (1995-06) से गिरकर 593 हो गए, फिल्म प्रदर्शन 430 से कम होकर 1995-2000 में 312 रह गए तथा श्रव्य तुकबंदी 26 (1996-97) से गिर कर 9(1999-2000) रह गई। मणिपुर में होर्डिंग अथवा भाषागत सू.शि.सं. सामग्री का 1995-2000 के दौरान निधियों की अपर्याप्ता के कारण उपयोग नहीं किया गया। गुजरात में भारत सरकार द्वारा सू.शि.सं. ब्यूरो की विद्यमा कर्मचारी संख्या के भीतर स्थापना के लिए उपलब्ध कराए गए 15.41 लाख रू. व्यपगत हो गए। जम्मू-कश्मीर में 58 कर्मचारियों (राज्य ब्यूरो: 3 तथा जिला ब्यूरो: 55) की प्रभावी संख्या वाले सू.शि.सं. कक्ष द्वारा सू.शि.सं. क्रियाकलापों हेतु तैयार की गई कार्य योजना कार्यान्वित नहीं की गई। कर्नाटक में 5 से 19 सू.शि.सं. क्रियाकलापों के बारे में कार्ययोजना में निर्धारित प्रगति प्राप्त नहीं की गई। प्रदर्शनी लक्षित जनसंख्या/आम जनसंख्या को प्रशिक्षण, स्वस्थ शिशु प्रदर्शनी महिला विचार विनियम बाल/महिला दिवस इत्यादि जैसे क्रियाकलापों में 1995-2000 के दौरान 22 से 63 प्रतिशत की कमी रही। मध्य प्रदेश में माण्डला देवास तथा दुर्ग जिलों 156 फिल्म प्रदर्शनियां आयोजित की गई तथा लक्षित 7200 के प्रति शहडोल, झुबुवा तथा राजगढ़ में 1995-2000 के दौरान कोई प्रदर्शन नहीं किया गया। त्रिपुरा में 1998-2000 के दौरान कोई फिल्म प्रदर्शन नहीं किया गया। दादर-नगर हवेली में लक्षित 1250 के प्रति 1995-2000 में 230 फिल्म प्रदर्शन आयोजित किए गए। मेघालय में बिना क्षेत्रीय भाषा में रूपान्तरित किए गए “दाई माँ” शीर्षक में 20 हिन्दी फिल्म के कैंसेट तथा 62 अंग्रेजी के वीडियो प्रदर्शन के लिए उपयोग किए गए जिनका अशिक्षित ग्रामीण जनता पर कम प्रभाव पड़ा। पश्चिम बंगाल में 1996-97 के दौरान आयोजित सू.शि.सं. क्रियाकलापों में ग्रामीण जनता की महत्वहीन व्यापकता थी, पॉण्डिचेरी में कोई फिल्म प्रदर्शन आयोजित नहीं किया गया क्योंकि स्थानीय चैनल पर प्रसारण हेतु क्षेत्रीय भाषा में रूपान्तरित कैंसेट भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुए थे। कार्यक्रम का सू.शि.सं. घटक लाभार्थी मूल्यांकन में केवल 16 प्रतिशत परिवारों द्वारा उनके क्षेत्र में चलाए गए किसी सू.शि.सं. क्रियाकलाप के बारे में जागरूकता सूचित करने के साथ बहुत असक्त पाया गया। स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलापों में व्याप्त किसी वर्ग की उपलब्धता सूचित करने की महिलाओं की प्रतिशतता नगण्य थी (1.5 प्रतिशत)।

लोकप्रिय जन प्रचार माध्यम में, जबकि दूरदर्शन दर्शक सर्वाधिक थे (45 प्रतिशत), रेडियो तथा समाचार पत्र का एक चौथाई से कम महिलाओं ने उल्लेख किया, विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा परिवार नियोजन संदेश की पहुंच 36 प्रतिशत से कम थी उसके बाद 30 प्रतिशत असंक्रमीकरण के लिए तथा 27 प्रतिशत एम सी एच के लिए थी।

1.6.3.2 मुद्रण तथा प्रचार सामग्री की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय

मुद्रण हेतु सुविधाओं पर किया गया 201.41 लाख रु. का व्यय निष्फल था

राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 1.88 करोड़ रु. के मूल्य का समस्त मुद्रण कार्य खुले बाजार से करवाया गया जबकि इस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई सुविधा बेकार पड़ी रही। इस प्रकार स्टाफ की मजदूरी तथा वेतन तथा प्रिंटिंग मशीनों के रख-रखाव तथा उनकी खरीद पर खर्च किये गये 201.41 लाख रु. के फलस्वरूप निष्फल व्यय हुआ। मध्य प्रदेश में, 1995-99 के दौरान, 6 नमूना जांच जिलों में दिखाए गये फिल्मी शो के अमहत्वपूर्ण निष्पादन ने स्टाफ जैसे मास मिडिया अधिकारियों, प्रोजेक्शनट, ड्राईवरों इत्यादि के वेतन तथा भत्तों पर 1.15 करोड़ रु. व्यय करते हुए स्थापना के घटिया निष्पादन को दर्शाया।

1.6.6.3 अनुपयोजित आई ई सी सामग्री

8 राज्यों में, 1991-2000 के दौरान आई ई सी उपकरणों का उपसाधन तथा मास मिडिया वैन बेकार पड़ी रही

| राज्य | नमूना इकाइयों में बेकार सामग्री |
|---------------------------|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 19 मास मिडिया वैन 9 फिल्म प्रोजेक्ट, 6 जनरेटर, 2 रंगीन टी.वी. तथा विडियो के सैट रिकार्डर नमूना जांच जिलों में काम नहीं कर रहे थे। |
| असम | 42.53 लाख स्कूल स्वस्थ जांच कार्यक्रम इतिहास उपयोग नहीं किये गये थे। पीपीआइ के लिए पोस्टर, पर्चे इत्यादि स्टॉक में पड़े रहे। |
| बिहार | 4800 कैसेटों में से 2980 उपयोग नहीं की गई थी। मरम्मत से परे 36 मास मिडिया वैन बदली नहीं गई थी। |
| गुजरात | 4 मास मिडिया वैन तथा 412 आइइसी उपकरण (480 में से) चालू हालत में नहीं थे। |
| कर्नाटक | 102 मर्दों में से आइइसी की 66 मर्दें उपकरण तथा उपसाधन चालू हालत में नहीं थे। |
| महाराष्ट्र डीएसओ (जलगांव) | 150 कामैडी फिल्मों तथा 7 फीचर फिल्मों 12-15 वर्षों तक स्टॉक में पड़ी रही। |
| पंजाब | रंगीन टी.वी. के 5 सैट तथा वीसीआर उपयोग नहीं किये गये थे। |
| पश्चिम बंगाल | आइइसी सामग्री के 19.09 लाख रु. मूल्य के भंडार 1-9 वर्षों के लिए स्टॉक में पड़े रहे। |

1.6.3.4 महिला स्वास्थ्य संघ (म स्वा सं)

चार राज्यों में नये म.स्व.स. की स्थापना के लिए 1.88 करोड़ रु. आव्ययित पड़े रहे

भारत सरकार ने 1990 के दौरान आई ई सी के अन्तर्गत 'महिला स्वास्थ्य समिति' (म स्वा सं) की एक योजना प्रारम्भ की। प्रथम वर्ष के लिए 1500 रु. प्रति म.स्व.स. तथा 1200 रु. तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने थे। आर सी एस के अन्तर्गत लगभग 80000 वर्तमान म स्वा सं को निधियां उपलब्ध कराई जानी थी तथा 30000 नई स्व.स. स्थापित की जानी थी। नमूना जांच से पता चला कि गुजरात,

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा सिक्किम में 1995-2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा नई म.स.0.स. के रखरखाव, प्रशिक्षण तथा स्थापना के लिए जारी किये गये 1.88 करोड़ रू. अब्ययित पड़े रहे। पांडीचेरी में, काराकल जिले में म.स्व.स. के रखरखव अनुदान के लिए कोई धन आबंटित नहीं किया गया था तथा हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुए भी 1998-2000 के दौरान नई म.स्व.स. नहीं स्थापित की गई थी।

1.6.3.5 आई ई सी का जिला कार्यक्रम

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम को जोड़ने के लिए जिला साक्षरता समिति (जि.सा.स.) से 3-5 लाख रू. के बीच व्यय करते हुए योजना प्रस्ताव के आधार पर आई ई सी के कार्यक्रम बनाए जाने थे। यह समन्वय व्यवस्था बेअसर सिद्ध हुई चूंकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विवरण अधिकतर राज्यों में परिविधित नहीं किये जा रहे हैं। असम, हिमाचल प्रदेश तथा उड़ीसा में जहां कुछ योजना विवरण उपलब्ध थे, नमूना जांच से यह देखा गया था कि असम तथा हिमाचल प्रदेश में जारी की गई निधियां (44.19 लाख रू.) उपयोग नहीं की गई थी। उड़ीसा में अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे।

आई ई सी के जिला कार्यक्रम के लिए 44.19 लाख रू. उपयोग नहीं हुए

1.6.3.6 आई ई सी के प्रभाव का मूल्यांकन

प्रतिवर्ष कुछ एक जिलों में, मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रम को पुनःस्थापित करने हेतु विशेषज्ञ संचार एजेन्सियों द्वारा आई ई सी को चालू रखना था। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में मूल्यांकन कार्य, जैसाकि कार्यक्रम में निर्धारित किया गया है किसी भी विशेषज्ञ एजेन्सी को सौंपा नहीं गया था। जबकि मणिपुर में, मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कलकत्ता, को सौंपी गई थी, मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी (मई 2000)। उड़ीसा में जिला स्तर आइइसी अधिकारियों द्वारा भाग ली गई तथा निदेशक, राज्य स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित की गई तिमाही बैठकों में आइइसी के कार्यकलापों की समीक्षा की गई थी, परन्तु कोई कार्यवृत्त उपलब्ध नहीं थे। तमिलनाडु में, राज्य में अभी तक आइइसी के कायकलापों का मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा अनुसरण/प्रभाव निधारण प्रणाली जिला स्तर पर अपनाई नहीं जा रही है। आइइसी का मूल्यांकन कार्यक्रम 1998-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया गया था।

आई ई सी के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया गया

1.6.4 प्रत्यक्ष अवसंरचना की गुणवत्ता

1.6.4.1 सुविधा सर्वेक्षण परिणाम:

सुविधा सर्वेक्षण से निम्नलिखित त्रुटियां सामने आईं:

स.स्व.के. के पास 90% से भी अधिक अपने निजी भवन थे, जिनमें से लगभग दो-तिहाई नियमित भारत सरकार के कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण किये गये थे। स.स्व.के.

के 3/5 वें भाग के पास मूल सुविधाएं थी। दूसरी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विषय में, यह पाया गया था कि अधिकतर स.स्व.के. के पास (80% से अधिक) ओटी, लेबर रूम, ओपीडी, इनडोर वार्ड, डिस्पेंसिंग रूम, डाक्टर का कमरा, स्टाफ रूम, स्टोर रूम तथा एक लैबोरी की सुविधाएं थी। आधे से अधिक केन्द्रों के पास आइयूडी इसररशन रूम एक स्टाफ रूम तथा ओटी के लिए जनरेटर बैकअप भी था। केवल स.स्व.के. के 32 प्रतिशत के पास आइइसी रूम था। केवल स.स्व.के. के 16 प्रतिशत के पास आपरेशन थियेटर्स में एयरकंडीशनर थे। बीपीएचसी/पीएचसी के अधिकतम (84%) के पास अपने निजी भवन तथा बाकी किराये अथवा दान में पाई/किराया मुक्त परिसरों में कार्य कर रहे थे। बीबीएचसी/पीएचसी स्तर पर मूल सुविधाओं की उपलब्धता तुलना में कम थी जबकि बिजली, पीने का पानी तथा वेंटिंग परिसर लगभग 70 प्रतिशत केन्द्रों में उपलब्ध था, आवश्यक सुविधाएं जैसा कि शौचालय तथा शौचालयों के बहता पानी केवल 40 प्रतिशत केन्द्रों में उपलब्ध था। जहां तक दूसरी सुविधाओं का प्रश्न है, यह पाया गया था कि बीपीएच/पीएचसी के तीन चौथाई के पास लगभग ओटी, आइयूडी इनसरशन रूम, ओपीडी, इनडोर वाड, डिस्पेंसिंग रूम, डाक्टर का कमरा तथा स्टोररूम थे।

तथापि शल्य चिकित्सा कक्ष के लिए जनरेटर जैसी प्रमुख सुविधा का अभाव था। केवल 3/5 उप केन्द्र अपने स्वयं के भवनों से कार्य कर रहे थे। मूल सुविधाओं की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं थी क्योंकि 57 प्रतिशत के पास बिजली उपलब्ध थी, 47 % के पास पेयजल सुविधा थी तथा 31 % के पास निरन्तर जलापूर्ति सुविधा थी। इसी प्रकार केवल 47 प्रतिशत केन्द्रों पर शौचालय उपलब्ध थे जिनमें से 28 प्रतिशत के पास बहता जल उपलब्ध नहीं था। केवल तिहाई उपकेन्द्रों के पास प्रसूती तथा आई.यू.डी. निवेशन के लिए पृथक कमरे थे।

1.6.4.2 राज्य विशेष लेखापरीक्षा जांच परिणाम

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह: 2-3 वर्ष के विलंब से 11 लक्षित (1995-2000) में से 4 उपकेन्द्रों का निर्माण (1998-2000) किया गया। 2.96 लाख ग्रामीण जनता के लिए 98 की आवश्यकता के प्रति कुल मिलाकर 102 उपकेन्द्र कार्यरत थे तथा 7 निर्माणाधीन थे। तुगापुर (1996-97), फेरागंज (1999-99) तथा किशोरी नगर (1999-2000) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए कर्मचारी आवास अपूर्ण अवस्था में थे। केवल कैम्पबैल में सी.एच.सी. का चरण I निर्मित हुआ तथा चरण II का निर्माण अभी तक प्रारंभ किया जाना है (मार्च 2000)।

आन्ध्र प्रदेश: भारत सरकार द्वारा जारी 7.83 करोड़ रु. में से, 5.63 करोड़ रु. अप्रयुक्त रहे तथा राज्य सरकार (जून 1997) द्वारा अवसंरचना सुविधा तथा सुधार हेतु संस्वीकृत 1.98 करोड़ रु. अधिकांश अप्रयुक्त रहे।

हिमाचल प्रदेश: हमीर पुर, सिरमौर तथा उना के 53 प्रा.स्वा.के. में से 28 में शैयायें नहीं थीं।

निजी जमा
खाते में 5.63
करोड़ रु.
अप्रयुक्त पड़े
रहे।

केरल: कोट्टायम तथा कन्नूर जिलों के 60 प्रा.स्वा.के. में से 19 में पेयजल सुविधा नहीं थी, 20 में पट्टी के कमरे नहीं थे, 6 में शौचालय नहीं थे, 6 में इंजक्शन के कमरे नहीं थे तथा 40 में प्रसव कक्ष नहीं थे।

मेघालय: ग्रामीण केन्द्रों के निर्माण हेतु जारी 70.63 लाख रु. 1997-99 की अवधि में अप्रयुक्त पड़े रहे।

पूरा किया गया निर्माण कार्य न सौंपने के कारण 6.72 करोड़ रु. का व्यय निष्फल रहा।

राजस्थान: 8 प्रा.स्वा.के. में शल्य चिकित्सा कक्ष, 7 प्रा.स्वा.के. में निगरानी वार्ड, 7 प्रा.स्वा.के. में प्रसूती कक्ष, 12 चिकित्सक एवं ए एन एम आवास तथा 41 नलकूपों का निर्माण कार्य नहीं हुआ। जबकि इन कार्यों को संस्वीकृत किया जा चुका था। 405 कार्य यद्यपि पूर्णावस्था में थे किन्तु कार्यान्वयन अभिकरणों को नहीं सौंपे गए जिसके फलस्वरूप 6.72 करोड़ रु. का व्यय (अनुमोदित लागत पर परिकलित) निष्फल रहा। 34 भवनों के निर्माण पर 13.19 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत के प्रति 13.96 करोड़ रु. व्यय किए गए। 82 नलकूपों का निर्माण 24.64 लाख रु. में हुआ जबकि राज्य के जल विकास निगम को 123 नलकूपों के निर्माण हेतु 66.80 लाख रु. का भुगतान किया गया था। निगम द्वारा 42.61 लाख रु. की शेष राशि नहीं लौटाई गई (जून 2000)।

सिक्किम: 1995-2000 की अवधि में 12 प्रा.स्वा.के. भवनों का निर्माण किया गया जिनमें से 5 का कार्य 2 से 11 माह के विलंब के बाद पूरा किया गया तथा 7 का कार्य 2 से 22 माह के विलंब के बाद 96.23 लाख रु. की लागत पर पूरा किया गया। यह 141.63 लाख रु. की लागत पर लक्षित 17 के विरुद्ध था। 1997-98 की अवधि में पूरे किए जाने के लिए अपेक्षित शेष पांच का कार्य अभी तक आरंभ होना है।

तमिलनाडु: जारी किए गए 28.73 करोड़ रु. 1998-2000 में अव्ययित रहे। राज्य सरकार द्वारा 190 संस्वीकृत उप केन्द्रों (जनवरी 1999) के प्रति 179 उपकेन्द्रों में निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया (अगस्त 2000)।

पश्चिम बंगाल: नए उपकेन्द्र/प्रा.स्वा.के./बा.स्वा.के. के निर्माण हेतु 18 जिला दण्डाधिकारियों को दिए गए 32.85 करोड़ रु. निर्माण लिए उपयोग में नहीं लाए गए। चार नमूना जांच किए गए जिलों द्वारा प्राप्त 8.94 करोड़ रु. में से 3.01 करोड़ रु. अप्रयुक्त छोड़ते हुए (मार्च 2000) 5.93 करोड़ रु. अन्य उद्देश्यों, जैसे औषधि, उपकरण तथा मरम्मत पर उपयोग किए गए। कुल 8552 कार्यरत उपकेन्द्रों में से 6513 किराए के भवनों में स्थित हैं जो अपर्याप्त था, नमूना-जांच उपकेन्द्रों में आवास के अभाव में ए एन एम स्टाफ क्वार्टरों में नहीं ठहरती थीं।

1.6.5 कार्यक्रम सहायता

1.6.5.1 कर्मचारी

32 राज्यों/सं.शा.क्षे. में जनशक्ति परिनियोजन पर किए गए अध्ययन से विसंगतियों की एक श्रृंखला अर्थात् योजना के प्रत्येक क्षेत्र में परिनियोजन की कमी, कर्मचारियों का अन्य स्वास्थ्य क्रियाकलापों के लिए विपथन तथा मापदण्ड से अधिक स्टाफ, प्रकाश में आई। निष्कर्षों का विवरण अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

कर्मचारियों की कमी

हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा के 989 परिवार कल्याण केन्द्रों में, केरल के 8 से 630 प्रा.स्वा.के. तथा बा.स्वा. के. में स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला स्वास्थ्य परिदर्शक, बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ), सहायक स्टाफ (प्रयोगशाला तकनीशियन/सहायक, फार्मसिस्ट/कम्पाउण्डर) तथा चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ और मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के क्रमशः 4 नमूना जांच किए गए पी पी सी में, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, प. बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 273 प्रा.स्वा.के./एफ.आर.यू./यू.एफ.डब्ल्यू.सी./पी.वी.सी./सी.एच.सी. में प्रयोगशाला तकनीशियन कभी भी उपलब्ध नहीं थे। केरल के 9 से 98 प्रा.स्वा.के. में, पं.बंगाल के 91 पीवीसी में तथा कर्नाटक के 25 से 28 एफ.आर.यू. में चिकित्साधिकारी उपलब्ध नहीं थे।

अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, नागालैण्ड, पंजाब, त्रिपुरा, दादर-नगर हवेली तथा पाण्डिचेरी के नमूना जांच किए गए पीवीसी, पी.एच.सी. तथा एस.सी. में स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा सहायक स्टाफ के परिनिर्भोजन में 41 से 95 प्रतिशत की कमी थी। जबकि हरियाणा, महाराष्ट्र, प.बंगाल तथा राजस्थान के पी.पी.सी./सी.एच.सी./आर.एफ.एस.सी. में चिकित्साधिकारियों/विशेषज्ञों की 9 से 40 प्रतिशत थी।

सुविधा सर्वेक्षण/निर्धारण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

उपकेन्द्र स्तर पर पर्यवेक्षणीय स्टाफ के लिए स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उच्चतर सेवा समर्पण स्तर पर 11 से 22 प्रतिशत की कमी थी तथा लगभग 8 प्रतिशत उपकेन्द्र सहायक नर्स-दाई के बिना थे। विभिन्न स्तरों पर सहायक स्टाफ की कमी 9 से 18 प्रतिशत की बीच थी। जबकि पी.वी.सी. तथा सी.एच.सी. स्तर पर चिकित्साधिकारियों/विशेषज्ञों की कमी 8 से 15 प्रतिशत थी। भरे गए पदों (2 से 8 प्रतिशत के बीच) में महिला चिकित्साधिकारी का अनुपात बहुत कम था तथा पी.एच.सी. आम तौर पर पुरुष चिकित्सकों द्वारा प्रबंधित थे।

सेवा समर्पण में कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकेगा क्योंकि तृणमूल स्तर पर सहायक नर्स-दाई की सेवा निर्णायक होती है, इस स्तर पर रिक्तियों का अर्थ है सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सेवाएँ समर्पित न करना जिसका उच्चतर स्तर के क्रिया कलापों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उच्चतर स्तर पर विशेषज्ञों की कमी विशेषज्ञ सेवा पाने वाले लाभार्थियों को प्रभावित करेगी जिसका प्रजननीय एवं मातृ संबंधी परिचर्या सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आई ई सी स्टाफ में कमी

अरुणाचल प्रदेश के पी पी सी तथा बिहार, गुजरात एवं मेघालय के नमूना जांच युक्त जिलों एवं राज्य जनसांख्यिकी तथा मूल्यांकन कक्षों में आई ई सी स्टाफ की कमी 60 से 100 प्रतिशत थी तथा अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय में जन शिक्षा/सूचना तंत्र

अधिकारी के मुख्य पद के मामले में शत प्रतिशत थी। जबकि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा तथा पं. बंगाल में यह 28 से 52 प्रतिशत थी।

ग्रामीण केन्द्रों में अधिक जनशक्ति

कार्यरत 449
स्वास्थ्य कर्मी तथा
707 सहायक नर्स-
दाइयां संस्वीकृत
संख्या से अधिक
थी।

हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम की नमूना जांच किए गए जिलों के उपकेन्द्रों/प्रा.स्वा.के. में कार्यरत 449 स्वास्थ्य कर्मी, सहायक नर्स-दाइयां तथा अर्ध चिकित्सा कर्मी संस्वीकृत संख्या से अधिक थे जबकि गुजरात तथा पं. बंगाल में 707 सहायक नर्स-दाइयां संस्वीकृत संख्या से अधिक थी।

1.6.6 प्रशिक्षण

क्षमता उपयोग तथा योग्यता प्राप्त प्रशिक्षुओं से संबंधित आंकड़े मंत्रालय के अभिलेखों से प्राप्त नहीं हो रहे थे। तथापि राज्यों में उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि 1996 में सहायक नर्सदाई/स्वास्थ्य कर्मी (महिला) विद्यालयों की क्षमता का उपयोग असम, गोवा, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह 45.7 प्रतिशत से 95 प्रतिशत था तथा उड़ीसा एवं महाराष्ट्र के विद्यालयों में क्षमता उपयोग बहुत कम था (उड़ीसा 45.7 तथा महाराष्ट्र 52.8)। गोवा में समता उपयोग 1996 में 85 प्रतिशत से गिरकर 1998 तथा 1999 में 60 प्रतिशत हो गया। उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षुओं की प्रतिशतता, त्रिपुरा को छोड़कर, 26.3 से 99.6 प्रतिशत थी तथा सिक्किम और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में कम थी (सिक्किम: 26.3 प्रतिशत तथा अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह: 56.5 प्रतिशत)। 1996, 1998 तथा 1999 में असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा गोवा के एल.एच.व्ही./एच.ए.(एफ) प्रोत्साहक-विद्यालयों में क्षमता उपयोग 2.5 से 40 प्रतिशत था। इन राज्यों में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षकों की प्रतिशतता 63.1 प्रतिशत से 100 प्रतिशत थी जिसमें से महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश 85 प्रतिशत से नीचे थे (महाराष्ट्र: 63.1, राजस्थान: 81.1 तथा मध्य प्रदेश: 84.6)।

1.6.6.1 दाइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

जून 1996 तक उपलब्ध विभागीय आंकड़ों से देखा गया कि 16 राज्यों/सं.शा.क्षे. में 149521 अप्रशिक्षित दाइयां थी। 8 राज्यों/सं.शा.क्षे. में अप्रशिक्षित दाइयां नहीं थी तथा 8 राज्यों/सं.शा.क्षे. के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। कार्यक्रम के निधीयन की व्यवस्था, जब सहायता की अत्यंत आवश्यकता थी, 1997-98 में वापस ले ली गई। त्वरित परिवार सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि 123 जिलों में 70 प्रतिशत से अधि, 240 जिलों में 30-70 प्रतिशत तथा 140 जिलों में 30 प्रतिशत से कम सुरक्षित प्रसव के मामले थे। 30 प्रतिशत से कम सुरक्षित प्रसव वाले 142 जिलों में दाइयों को आर.सी.एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने की योजना सितम्बर 2000 में दुबारा प्रारंभ की गई।

यद्यपि योजना का कार्यान्वयन किया गया तथा 1996-97 तक भारत सरकार द्वारा इसका निधीयन किया गया, न तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रशिक्षित दाई उपलब्ध हो, प्रत्येक राज्य/सं.शा.क्षे. के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्यक्ष निष्पादन की तुलना में लक्ष्यों जिनके लिए 1996-97 तक निधियां जारी की गई

थी, का परिवार कल्याण विभाग द्वारा कभी मूल्यांकन किया गया। कुछ राज्यों/सं.शा.क्षे. के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि:

तमिलनाडु: में राज्य द्वारा पहचान की गई (दिसंबर 1995) 58 प्रतिशत अप्रशिक्षित दाइयों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया जबकि कर्नाटक में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए तथा 1997-98 की तुलना में 1999-2000 में वित्तीय सहायता के अभाव में प्रशिक्षण 99 प्रतिशत कम कर दिया गया। महाराष्ट्र में 62 प्रतिशत उपलब्ध दाइयां (मार्च 1998) वास्तव में कार्यरत थी (मई 2000)।

विभिन्न स्तरों पर (पी.पी.सी., सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी.) सुविधा मूल्यांकन ने सूचित कि पिछले 5 वर्षों में सुविधाओं के केवल 31 प्रतिशत में ही दाइयों के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम था। इसी प्रकार, तृणमूल स्तर पर भी केवल 33 प्रतिशत उपकेन्द्रों में दाइयों कि पिछले 3 महीनों में सुरक्षित प्रसव का प्रशिक्षण दिया गया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि महिलाओं के 35 प्रतिशत ने प्रसव के दौरान दाइयों से सेवा प्राप्त की थी जैसा कि लाभार्थी मूल्यांकन से प्रकट हुआ।

1.6.6.2 प्रशिक्षित कर्मियों की देखभाल में प्रसव

हरियाणा में प्रशिक्षित दाइयों द्वारा प्रसव सेवा 52 से 58 प्रतिशत थी तथा महाराष्ट्र में यह 41 प्रतिशत संस्थानिक प्रसवों का 29 से 31 प्रतिशत थी। हरियाणा में अन्य प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा की गई प्रसव सेवा 14 से 18 प्रतिशत थी। कर्नाटक तथा मिजोरम में यह 50 प्रतिशत की आसपास थी तथा तमिलनाडु में 95 से 98 प्रतिशत थी। कर्नाटक, हरियाणा तथा महाराष्ट्र में अप्रशिक्षित कर्मियों द्वारा व्यवस्थित प्रसव 3 से 21 प्रतिशत की बीच थे। राज्यों/सं.शा.क्षे. के स्तर पर नमूना जांच से प्रकट हुआ कि हरियाणा में स्वास्थ्य संस्थाओं के अतिरिक्त अथवा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा व्यवस्थित प्रसवों की प्रतिशतता कम थी (12.17 % से 21.40 %)। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में 3 से 13 प्रतिशत प्रसव भी अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा व्यवस्थित थे। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में की गई प्रसव व्यवस्था के अनुपात का मूल्यांकन करने के प्रयास में लाभभोगी सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि केवल 52 प्रतिशत प्रसव प्रशिक्षित चिकित्सा/अर्धचिकित्सा कर्मियों की सहायता से सम्पन्न हुए। सुविधा मूल्यांकन से प्रकट हुआ कि विभिन्न स्तरों पर चिकित्साधिकारियों में केवल 27 तथा 16 प्रतिशत प्रशिक्षित थे तथा क्रमशः साधारण तथा शल्यक्रिया द्वारा प्रसव व्यवस्था करते थे। अर्धचिकित्सा कर्मियों में सुरक्षित प्रसव के लिए केवल 48 प्रतिशत प्रशिक्षित थे।

1.6.6.3 प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य में प्रशिक्षण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (रा.स्वा.प.क.मं.), नई दिल्ली को आर.सी.एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु एक प्रमुख अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया। रा.स्वा.प.क.सं. ने प्रशिक्षण के लिए असंरचना अर्जित करने पर मार्च 2000 तक 1.11 करोड़ ₹. व्यय किए: 73 लाख रु. (यात्रा भत्ता) तथा 38 लाख रु. (मानदेय इत्यादि)। भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में जारी 57.10 करोड़ रु. में से 1998-2000 के दौरान विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए 49.38 करोड़ रु. अग्रिम के रूप में दिए गए, विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. से केवल 5.63 करोड़

प्रशिक्षण के लिए
6.61 करोड़ रु.
रा.स्वा.प.क.सं.
के पास अप्रयुक्त
पड़े रहे।

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

रु. के व्यय के विवरण प्राप्त हुए तथा रा.स्वा.प.क.सं. के पास 6.61 करोड़ रु. के अव्ययित शेष थे। रा.स्वा.प.क.सं. नई दिल्ली ने एकीकृत दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित करने योग्य ए.एन.एम., एल.एच.व्ही तथा चिकित्साधिकारियों की संख्या निर्धारित की थी। प्रशिक्षण की निर्धारित अपेक्षा तथा 1998-2000 के दौरान उपलब्धि इस प्रकार थी:

एकीकृत दक्षता प्रशिक्षण का अनुश्रवण

| राज्य/सं.शा.क्षे. | ए.एन.एम. | | एल.एच.व्ही. | | एम.ओ. | |
|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | प्रशिक्षण भार | प्रशिक्षित | प्रशिक्षण भार | प्रशिक्षित | प्रशिक्षण भार | प्रशिक्षित |
| आन्ध्र प्रदेश | 11493 | 219 | 2135 | - | 2683 | - |
| बिहार | 7947 | 235 | 755 | - | 303 | - |
| चंडीगढ़ | 60 | 30 | 12 | - | 30 | - |
| गोवा | 180 | - | 60 | - | 140 | - |
| गुजरात | 7098 | 138 | 960 | - | 1158 | - |
| हरियाणा | 2478 | 809 | 542 | 52 | 1809 | 11 |
| हिमाचल प्रदेश | - | - | 282 | - | 1066 | 9 |
| जम्मू व कश्मीर | 2561 | 15 | 387 | - | 1677 | - |
| केरल | 5955 | 91 | 906 | 10 | 1290 | 30 |
| मध्य प्रदेश | 10968 | - | 2160 | - | - | - |
| महाराष्ट्र | 657 | 438 | 300 | - | 253 | - |
| मेघालय | 374 | - | 83 | - | 111 | - |
| उड़ीसा | 4040 | - | - | - | - | - |
| पांडिचेरी | 218 | - | 25 | - | 66 | - |
| पोर्ट ब्लेयर | 135 | - | 35 | - | - | - |
| पंजाब | 3359 | 308 | 685 | - | 1814 | - |
| तमिलनाडु | 11841 | 92 | - | - | 2598 | - |
| पं. बंगाल | 2588 | 30 | 597 | - | 690 | - |
| जोड़ | 71952 | 2405 | 9924 | 62 | 15688 | 50 |

निर्धारित प्रशिक्षण भार में से केवल 3.3 प्रतिशत ए एन एम, 0.6 प्रतिशत एल.एच.व्ही. तथा 0.3 प्रतिशत एम.ओ. को प्रशिक्षण दिया गया।

विशिष्ट दक्षता प्रशिक्षण का निर्धारित प्रशिक्षण भार तथा 1998-2000 के दौरान उपलब्धियां इस प्रकार थी:

विशिष्ट दक्षता प्रशिक्षण द्वारा परिवीक्षण

| राज्य/सं.क्षे. का नाम | एम.टी.पी. | | एल.ऐ.पी. | | मिनी एल ऐ.पी. | | आई.यू.डी. | |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | प्रशिक्षण भार | प्रशिक्षित | प्रशिक्षण भार | प्रशिक्षित | प्रशिक्षण भार | प्रशिक्षित | प्रशिक्षण भार | प्रशिक्षित |
| चंडीगढ़ | 10 | - | - | - | - | - | 70 | - |
| दिल्ली | 36 | 10 | 216 | 24 | - | - | 160 | - |
| हरियाणा | 443 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| जम्मू व कश्मीर | 331 | - | - | - | - | - | 2946 | 20 |
| केरल | 90 | - | 150 | 12 | 120 | - | 500 | - |
| मिजोरम | 60 | 12 | 36 | 6 | 120 | 20 | 600 | - |
| नागालैंड | 36 | - | 18 | - | 120 | - | 240 | - |
| उड़ीसा | 27 | - | 72 | 6 | - | - | - | - |
| पंजाब | 320 | 9 | 444 | - | 648 | 18 | 3817 | 68 |

| राज्य/सं.क्षे का नाम | एम.टी.पी. | | एल.ए.पी. | | मिनी एल.ए.पी. | | आई.यू.डी. | |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | प्रशिक्षण भार | प्रशिक्षित | प्रशिक्षण भार | प्रशिक्षित | प्रशिक्षण भार | प्रशिक्षित | प्रशिक्षण भार | प्रशिक्षित |
| त्रिपुरा | 264 | - | 75 | - | - | - | 140 | - |
| उत्तर प्रदेश | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| पश्चिम बंगाल | 542 | 27 | 192 | 11 | 54 | - | - | - |
| जोड़ | 2159 | 77 | 1203 | 59 | 1062 | 38 | 8623 | 88 |

10.46 करोड़ की निधि के विरुद्ध 0.14 करोड़ रु. के खर्च का ब्यौरा दिया।

इससे यह मालूम होता है कि निधियों प्रस्ताविक संख्या से अधिक संख्या में जारी की गई थी। उपलब्धि निकृष्ट हो गई थी। एम.ओ. और एल.एमबी. शून्य. ऐ.एस.य. 294, 1, 10.46 करोड़ रु. के विरुद्ध, खर्च का ब्यौरा सिर्फ 0.14 करोड़ रु. का दिया।

1.6.6.4 प्रशिक्षण में कमी

1995-2000 में विभिन्न प्रशिक्षणों में कमी निम्न प्रकार थी:

| राज्य का नाम | समय | विभिन्न श्रेणी में कमी की प्रतिशतता |
|--------------|----------------------|--|
| असम | 1995-98 | चिकित्सा/पैरा चिकित्सा स्टाफ की सेवा में एकीकृत प्रशिक्षण के मामले में 41 से 69 प्रतिशत |
| बिहार | 1997-98 1999-2000 | आर.सी.एच. प्रशिक्षण के मामले में 10 प्रतिशत भागलपुर ने आर.सी.एच. प्रशिक्षण के मामले में 40 प्रतिशत |
| गुजरात | 1995-90 | चिकित्सा अधिकारी और पैरा चिकित्सा कर्मियों के संदर्भ में क्रमशः 3 से 60 प्रतिशत और 28 से 37 प्रतिशत |
| कर्नाटक | 1995-2000 | (i) डायस, अस्पताल, प्रबन्धन, इन्डक्सन कोर्स और सेवा में प्रशिक्षण के संदर्भ में 30 प्रतिशत, 34 प्रतिशत, 51 प्रतिशत और 56 प्रतिशत |
| | 1995-96 | (ii) दूरबीन प्रणाली और एम.टी.पी. के मामले में 100 प्रतिशत |
| | 1995-98 | (iii) प्रशिक्षक प्रशिक्षण और इन्डक्सन कोर्स के मामले में 100 प्रतिशत |
| | 1998-2000 | (iv) आई.यू.डी.रोपण में 100 प्रतिशत |
| | | (v) अस्पताल प्रबन्धन में 100 प्रतिशत |
| मणीपुर | 1998-2000 | 10 कोर्सों में से 7 में 19 प्रतिशत से 74 प्रतिशत |
| मेघालय | 1995-98 | ए.एन.एम. के मामले में 20.6 प्रतिशत |
| उड़ीसा | 1995-2000 | (i) आर.एच. व एफ.डब्ल्यू.टी.सी. में 10 से 100 प्रतिशत |
| | | (ii) आर.एच. व एफ.डब्ल्यू.टी.सी. में 17 प्रतिशत से 85 प्रतिशत |

| | | |
|--------------|--|---|
| पंजाब | 1995-99 | 29 प्रतिशत से 89 प्रतिशत |
| | 1995-99 | (i) (क) चिकित्सा अधिकारी के मामले में 17 प्रतिशत से 81 प्रतिशत (ख) एम.पी.डब्लू. के मामले में 31 प्रतिशत से 78 प्रतिशत |
| | 1995-98 | (ii) पंजाब स्वास्थ्य विद्यालय, अमृतसर में एल.एच.बी. तथा एम.पी.डब्लू. के मामले में 56 प्रतिशत से 62 प्रतिशत |
| तमिलनाडू | -- | अनिवार्य ओबस्ट्रिक/नवजात देखभाल ने एफ.आर.यू. में पैरामैडिकल तथा स्टाफ नर्सों के प्रशिक्षण के मामले में 100 प्रतिशत |
| उत्तर प्रदेश | -- | दाई की प्रशिक्षण में 80 प्रतिशत |
| पश्चिम बंगाल | 1995-96 | एम.एच.डब्लू. (पुरुष) एवं ए.एन.एम. के मामले में क्रमशः 74 प्रतिशत एवं 53 प्रतिशत |
| | 1998-2000 | एम.टी.पी. लैप्रोस्कोपिक मिनी लैब आई.यू.डी. रोपण तथा जागरूकता प्रजनन के मामले में 21 से 86 प्रतिशत |
| | | मुर्शीदाबाद में आर.सी.एच. प्रशिक्षण के मामले में 69 प्रतिशत |
| | | रिक्त पदों के कारण दार्जिलिंग में कोई आर.सी.एच. प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया |
| | पुरुलिया तथा मिदनापुर जिलों में प्रशिक्षण लक्ष्य के अनुसार प्रदान नहीं किया गया था | |
| देहली | 1999-2000 | (i) प.क.स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के मामले में 46 प्रतिशत (ii) जागरूकता प्रजनन प्रशिक्षण के मामले में 91 प्रतिशत |

छ: राज्यों में मेडिकल पैरा मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण में 3 से 100 प्रतिशत की कमी।

आसाम, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में मेडिकल पैरा मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण में 1996-2000 के विभिन्न वर्षों में 3 से 100 प्रतिशत और कर्नाटक में 1995-98 के दौरान इनडक्सन-पाठ्यक्रम और प्रशिक्षक प्रशिक्षण में 100 प्रतिशत की कमी थी। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और देहली में स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण ए.टी.एम. सहित 10 से 100 प्रतिशत, जबकि बिहार, मणीपुर, पश्चिमी बंगाल (दार्जिलिंग, पुरुलिया और मिदनापुर जिलों) में आ.सी.एच. प्रशिक्षण में 10 से 100 प्रतिशत की कमी थी।

निर्धारण सुविधायें बताती हैं कि विभिन्न क्रिया कलापों के लिये कर्मचारियों स्टाफ के प्रशिक्षण के प्रोग्राम को अभी ओर आगे लम्बा जाना है। जबकि प्रशिक्षित एवं कार्यरत पैरा

मेडिकल स्टाफ पी.पी.सी. और पी.एस.सी. और सी.एस. एस.एम., ईमुनेशन, और सी.एन.ए. की विभिन्न सेवाओं में 32 एवं 52 प्रतिशत, वहीं ए.सी. स्तर पर 50 एवं 60 प्रतिशत थी। विशेष क्रिया कलापों के प्रशिक्षण के विषय में जैसकि निदान, उपचार आर.टी.आई./ए.टी.डी. केसों में रीफेरल, मेडिकल आफिसर एवं प्रशिक्षित पैरा मेडिकल स्टाफ का अनुपात और पी.पी.सी.सी. एच.सी.और पी एस.सी. में क्रमशः 14 और 54 प्रतिशत थी। एस.सी.स्तर यह सिर्फ 43 प्रतिशत थी।

चार राज्यों में 4.24 करोड़ रु. का वितरण अधिक एवं तीन राज्यों में 1.77 करोड़ रु. की प्राप्ति कम रही।

1.6.7 आपूर्ति

नमूना जांच में बड़ी मात्रा में कोन्ट्रासेप्टिव्क, बेसिन, दवाईयां, एवं औजारों की प्राप्ति एवं वितरण में फर्क पाया गया था। अन्तिम तिथि के बाद जारी किये गये स्टाफ के मामले भी देखने में आये। कुछ विशेष टिप्पणीयों का समालेख नीचे दिया गया है।

असाम, दिल्ली, केरल, मेघालय में 6.24 करोड़ रु. की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में 1.77 करोड़ रु. की आपूर्ति कम थी एवं नुकसान की लेखों में नहीं लिया गया था।

तीन राज्यों में आपूर्ति किये ट्यूबवैल रिंग निम्नश्रेणी के थे।

उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार एवं राजस्थान में निम्न श्रेणी के शल्य चिकित्सक उपकरण, इंजेक्शन, कोन्ट्रासेप्टिकस की आपूर्ति की रिपोर्ट थी। जबकि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान ने इन आपूर्ति की कीमत 1.02 करोड़ आकी, लेकिन बिहार और राजस्थान से इनकी कीमत का विस्तृत ब्यौरा न होने के अभाव में इनका इकट्ठा नहीं किया जा सका।

तीन राज्यों को 645.51 लाख रु. की आइ. एफ. ए. गोलियों की आपूर्ति निम्न स्तर की थी

मध्य प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा में आपूर्ति किये सभी ट्यूबवैल रिंगस घटिया किस्म के थे। उड़ीसा में उनकी कीमत आदेश के अनुसार 13.50 लाख रु. थी, जबकि मध्य प्रदेश और पंजाब में इनकी कीमत को इकट्ठा नहीं किया गया।

दिल्ली मध्य प्रदेश और अं. एवं नि. द्वीप समूह 645.51 लाख रु. की आइ.एफ.ए. गोलियों की आपूर्ति निम्न स्तर की पाई गई ।

सात राज्यों/सं.शा.क्षे. में 2.39 करोड़ रु. की आपूर्ति नहीं हुई

अरुणाचल प्रदेश, आसाम, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मणीपुर और चंडीगढ़ में 2.39 करोड़ रु. की आपूर्ति नहीं हुई। नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़ी मात्रा में न इस्तेमाल किये स्टाफ के मामले देखने में आये। जिनकी सही कीमत का अन्दाजा लेखे न रखने के कारण नहीं लगाया जा सकता था।

निर्धारण सुविधायें दर्शाती है कि 86 से 90 प्रतिशत केन्द्रों में वैक्सीन कोन्ट्रासेप्टिस और परापिकलेक्टिक की आपूर्ति कम थी। 75 से 90 प्रतिशत केन्द्रों में आइ.यू.डी. इन सरसन ओर आम वितरण किट्स उपलब्ध थी। लेकिन शल्य चिकित्सा किट्स, लेपरोस्कोप, एम.टी.पी. सेक्शन पम्प, आपात कालीन, एवं प्रयोगशाला निदान की

अधिप्राप्ति,
वितरण मोनीशन
कार्य प्रणाली
विकसित नहीं की

उपलब्धता अपर्याप्त थी। उच्चतम उपलब्धता 56 % प्रतिशत तथा कम उपलब्धता 8 % थी।

कार्यान्वयन एजेंसियों ने प्रापण, वितरण तथा उपयोग के अनुश्रवण हेतु समुचित प्रणाली का विकास नहीं किया तथा भंडार एवं स्टाफ के लेखांकन की सामान्यतः उपेक्षा की। 1998 के अन्त तक औषधियों के मंडलीय डिपो स्थापित करने की प्रणाली अस्तित्व में नहीं आई। लागत लेखाओं का अनुश्रवण न करने के कारण बड़ी मात्रा में छीजन चोरी तथा धोखाधड़ी साधारण लेखांकन की विफलता के बहाने छिपाई जा सकती थी।

1.6.8 कार्य प्रणाली सहायता

कार्यक्रम के
लिए प्रणाली
सहायता केवल
कागजों पर थी

राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये ठीक कार्य प्रणाली सहायता जैसे कि लगातार सूचना, मोनीशन, सर्वेक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन जिससे कि पालिसी स्तर को योग्य बनाने के लिये गलत दिशा को ठीक करना और पर्याप्तता का आंकलन समय पर करना। लेकिन यह देखा गया था कि कार्यप्रणाली सहायता कार्यक्रमों के लिये सिर्फ कागजों पर दी गई जिसको प्रभावशाली तरीके से अभ्यास में नहीं लाया गया जैसा कि आगे पैराग्राफ में वर्णन किया गया है।

1.6.8.1 रिकार्ड का रख-रखाव

नाजुक रिकार्ड का रख रखाव बहुत खराब है जो कि आंकड़ों में हेराफेरी, गलत अनुमान व गलत सूचना के खतरे की तरफ ले जाते हैं। निर्धारण सुविधायें दर्शाती है कि लगभग 13 से 39 प्रतिशत परिवार कल्याण सेवा केन्द्र, इमुनेशन, एनटसलनेटल और पोस्टनेटल सेवा के अद्यतन रिकार्ड नहीं रखे गये थे। रिकार्ड रखने की गुणता में संदेह है ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां गलत सूचना एवं गलत आंकड़े देखे गये थे।

1.6.8.2 सूचना

ईमुनाइजेशन आंकड़ों की सूचना बढ़ा-चढ़ा कर देना

गुजरात में 1995-2000 में निवार्य रोगों के इमुनाइजेशन की उपलब्धि 75 और 94 प्रतिशत बतायी गई, लेकिन 1997 में 9 जिले तथा 1999 के दौरान 10 जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय जन संख्या विज्ञान संस्थान के नमूना सर्वेक्षण में सिर्फ 31 और 80 प्रतिशत तक कवर किया दर्शाया है। मासिक प्रगति रिपोर्ट (मा.पो.रि.) के अनुसार 1995-2000 के दौरान नागालैण्ड 6,31,099 पोलियो खुराक, बी.सी.जी., डी.पी.टी. टी.टी. मीजल् का इस्तमाल हुआ, जबकि खुराक भारत सरकार के मापदंड के आधार पर बरबादी होने के बाद क्रमशः 6,35,095 और 4,67,744 मौजूद थी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का अनुमान 1997 और 1999 में जन्म दर अनुपात के आधार पर क्रमशः 119805 और 126281 था, जबकि इन वर्षों में 182498 और 233865 को कवर किया गया।

परिवार कल्याण आंकड़ों की अधिक सूचना

मध्य प्रदेश में (अप्रैल से दिसम्बर 1999) तक वास्तविक 262 आई.यू.डी. इनसरसन के बजाय 740 कियोपारी सी.एच.सी. की उपलब्धि बतायी गई।

महाराष्ट्र में ओरंगाबाद के 44 पी.एच.सी. जिलों में 1995-96 के दौरान 10831 नसबन्दी और 7765 आई.यू.डी. के मामले बताये गये थे, जबकि वास्तविक उपलब्धि क्रमशः 10097 और 7327 मामले थी। 82290 नसबन्दी मामले (1995-2000 में कुल नसबन्दी के 27.47 लाख मामलों का 3 प्रतिशत) में उन जोड़ों के आंकड़े जिनके की पांच या ज्यादा बच्चे हैं, को भी एस.एफ.डब्लू. व के (अप्रैल 1991) के आदेशों के बावजूद कि इन मामलों को उच्च शामिल नहीं करना है, उपलब्धता सूचना में शामिल किया गया था।

पंजाब में 1995-99 के दौरान फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा तथा पटियाला में प्रा.स्वा.के. में 4278 बन्दीकरण मामलों के वास्तविक निष्पादन के प्रति 5102 सूचित किये गये थे। अमृतसर फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, पटियाला तथा रोपड़ के नमूना जांच किये गए 6 जिलों में 10 प्रा.स्वा.के. तथा एक प्रसवोत्तर केन्द्र में 1995-99 के दौरान सूचित किये गए आई.यू.डी. निवेशन मामलों में 10350 मामले बढ़ कर दिखाये गए पाये गए। बन्धीकरण के पूर्व अनिवार्य प्रीओपरेटिव रक्त तथा मूत्र जांच ने घोसी, महमूदाबाद, गोहना, रायबरेली, फूलपुर, रामनगर, पूरू तथा माउ के पिलखुआ, रायबरेली, इलाहाबाद तथा गाजियाबाद जिले के प्रा.स्वा. के में 1995-2000 के दौरान सूचित किये गए बन्धीकरण मामलों की संख्या की सहायता नहीं की क्योंकि 8917 बन्धीकरण मामलों के प्रति रक्त तथा मूत्र की जांच क्रमशः 3634 तथा 4084 मामलों में की गई थी।

त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट

विश्लेषण से पता चला कि सिक्किम तथा उड़ीसा में कार्यक्रम का मूल्यांकन नहीं किया गया था, जहां पर त्रै.नि.रि. समेकन राज्य जनसंख्याकीय सैल द्वारा नहीं किया गया था। त्रै.नि.रि. के प्रस्तुत करने में जिला स्तर पर उत्तर प्रदेश के प्र.के. 100 से 200 तथा उप जिला स्तर प्र.के. की 1160 से 1640 कमी का पता चला।

जबकि चण्डीगढ़, गोवा (1995-98), दिल्ली (लो.ना.ज.ना. अस्पताल में प्र.के.), उत्तर प्रदेश (5 से 10 जिले तथा 58 से 80 उप जिला स्तर प्रसवोत्तर केन्द्र जम्मू व कश्मीर (15 प्र.के. में से 14 के राज्यों/सं.रा.क्षे. ने 1995-2000 के दौरान कोई त्रि. प्र.रि. प्रस्तुत नहीं की, अन्य राज्यों/ सं.रा.क्षे. से त्रि.प्र.रि. प्रस्तुत नहीं की, अन्य राज्यों सं.रा.क्षे. से त्रि. प्र.रि. की प्राप्ति लगातार कम हो रही है। विभाग मुख्य रूप से त्रि.प्र.रि. का उपयोग अपने डाटा बैंक को अद्यतन करने के लिए करता है। न तो कम निष्पादन वाले ने किसी उपचारी उपायों का सुझाव दिया था न ही समबद्ध राज्यों/सं.रा.क्षे. के अनुवर्ती कार्यवाही के लिए फीडबैक मांगी गई थी।

1.6.8.3 सर्वेक्षण

असाधारण जन्म/मृत्यु/शिशु मृत्युता दर तथा सी.पी.आर. के कम सतर वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किये जाने अपेक्षित है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। मेघालय, पांडिचेरी तथा पश्चिम बंगाल में 1998-99 में जिला सर्वेक्षण किये

आन्ध्र प्रदेश,
जम्मू व कश्मीर
मध्य प्रदेश तथा
त्रिपुरा में सर्वेक्षण
नहीं किया गया

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

गये थे, परन्तु सर्वेक्षण परिणामों का उपयोग नहीं किया गया था। पु.बा.स्वा. कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले किसी भी राज्य में नियमित रूप से नहीं किये गये थे।

1.6.9 मूल्यांकन

दस राज्यों/सं.रा.क्षे.
में कार्यक्रम का
मूल्यांकन नहीं किया
गया

चण्डीगढ़, असम, हरियाणा, मेघालय, पंजाब, मणिपुर, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम राज्यों/ सं.रा.क्षे. में 1995-2000 के दौरान कार्यक्रम का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

अध्ययन/सर्वेक्षण
रिपोर्ट प्रकाशित
नहीं हुईं

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की गई थीं। बहुत से राज्यों ने सूचित किया कि यद्यपि सर्वेक्षण/अनुसंधान उनके क्षेत्रों में किये गये थे, उन्होंने उपचारी अनुवर्ती कार्यवाही के लिए इन रिपोर्टों को प्राप्त नहीं किया। विभाग ने न तो कमजोर क्षेत्रों में निष्पादन का सुधार करने के लिए न तो किसी विशेष उपचारी कार्यवाही की सिफारिश की और न ही मामला उठाया गया था। सम्बद्ध सरकार के मुख्य सचिव को संक्षेप रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही मामले को समाप्त समझा गया था। मूल्यांकन की कमी के साथकेन्द्रीय परिवीक्षण मशीनरी अभाव ने जुड़ कर कार्यक्रम को बुरी तरह प्रभावित किया।

1.7 जनसांख्यिकीय लक्ष्य की उपलब्धि

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के सूत्रीकरण से आधी सदी के पश्चात भारत ने निम्नलिखित को कम किया है।

- अपरिपक्व जन्म दर (अ.ज.द.) 40.8 (1967) से 26.4(1998) तक,
- अपरिपक्व मृत्यु दर (अ.मृ.द.) 25 (1951) से 9.8 (1998) तक,
- शिशु मृत्युता दर (शि.मृ.द.) प्रति 1000 जीवित जन्म 146 (1951) से प्रति 1000 जीवित जन्म 72 (1998) तक,
- कुल जननक्षमता दर 6.0 (1951) से 3.3 (1997) तक,
- दम्पति सुरक्षा दर (द.सु.द.) 10.4 प्रतिशत (1971) से 44 प्रतिशत (1999) तक,

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली, भारत का महा पंजीयक

मृत्यु दर में तीव्र गिरावट जन्म दर में उसी प्रकार की गिरावट द्वारा सुसंगत नहीं थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 ने यह प्रेक्षेपत किया था कि पूर्ण जननक्षमता दर (पू.ज.द.) की बदलाई वर्ष 2000 तक प्राप्त की जानी चाहिए।

यद्यपि यह सत्य ज्ञात नहीं हुआ। नयी जनसंख्या निति, 2000 में अब वर्ष 2010 तक स.उ.द. के स्तर को बदलने और जनसंख्या को 2045 तक स्थिर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनसंख्या के आयु संरचना और जनसंख्या के जनन आयु वर्ग (15-49) प्रतिशत के कारण नौवीं योजना अभिलेख में चेतावनी दी गई है कि जनसंख्या

की बढ़ोत्तरी तुरन्त नहीं रोकी जा सकती ओर स.उ.द. बदलने के स्तर को प्राप्त करने के बाद भी जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने में 35 वर्ष लगेंगे।

सभी राज्यों/संघ शा.रा. के मामले में मंत्रालय के पास अ.ज.द., अ.मृ.द., शि.मृ.द., सं.सं.द. उपलब्ध नहीं थीं।

यद्यपि तीन सांकेतिक समयावधि (1995, 1998, 1999) में सभी राज्यों/सं.शा.रा. के लिए अ.ज.द., अ.मृ.द. और शि.मृ.द. के आंकड़े अनुबंध-9 में दिये गये हैं। इससे पता चलता है कि कुछ राज्य/सं.शा.रा. अभी भी आंकड़े राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक देते हैं। सूचना का विश्लेषण आने वाले पैराग्राफों में दिया गया है। आंकड़ों के अभाव के कारण सं.सं.द. से संबंधित सूचना सारणीबद्ध नहीं की गई है लेकिन सीमित आंकड़ों पर आधारित कुछ सांकेतिक प्रवृत्ति, सम्पूर्ण को समझने की सुविधा हेतु, दी गई है।

एक दिये गए वर्ष में प्रति एक हजार की जनसंख्या पर जन्म की संख्या को **अपूर्ण जन्म दर** (अ.ज.द.) के रूप में परिभाषित किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण से पता चलता है कि 1995 की तुलना में 1999 में अ.ज.द. में गिरावट रही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु, ओर पश्चिम बंगाल राज्यों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अ.ज.द. 30 प्रतिशत उच्चतर थी तथा शेष राज्यों में 16 से 29 प्रतिशत थी।

एक दिए गए वर्ष में प्रति एक हजार की जनसंख्या पर मृत्यु की संख्या को **अपूर्ण मृत्यु दर** (अ.मृ.द.) के रूप में परिभाषित किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में अ.मृ.द. 9 के राष्ट्रीय औसत से उच्चतर है। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि (1995) 9 के और (1996 ओर 1997) के 8.9 के राष्ट्रीय औसत के प्रति मध्य प्रदेश में अ.मृ.द. 1995-98 के दौरान प्रति हजार 11.2 से 11.8 के बीच थी और राजस्थान में अ.मृ.द. प्रति हजार 8.9 से 13.2 के बीच रही (1995-97), जबकि अरुणाचल प्रदेश में मार्च 1995 से मार्च 1997 के समय के दौरान अ.मृ.द. 13.5 पर स्थिर रही और इसके बाद के आंकड़े संकलित नहीं किये गये थे।

आधुनिक परिवार नियोजन के किसी भी तरीके का प्रयोग करके गर्भधारण से प्रभावी सुरक्षित दम्पतियों के प्रतिशत को **दम्पति संरक्षण दर** (द.सं.द.) के रूप में परिभाषित किया गया है। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय संयोजक संरक्षा दर 46 (1995) से घटकर 44 (1998) हो गई। जो यह दर्शाती है कि पिछले 5 वर्षों में उत्पादक आयु के शादी शुदा जोड़ों के द्वारा परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों का प्रयोग घटा था। आगे भी राज्य ने 60 प्रतिशत से अधिक सं.सं.द. प्राप्त नहीं की। राज्यों की नमूना जांच से पता चला कि केवल चार राज्य (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश) सं.सं.द. 49 से 59 प्रतिशत के मध्य प्राप्त करने में सक्षम रहे। बेकार भौतिक ढांचा लक्ष्य रहित दोषी दृष्टिकोण तथा निष्पादन का मात्रात्मक मूल्यांकन, जिसने कुल मिलाकर मात्रात्मक दृष्टिकोण को अवमूल्यित किया, के अतिरिक्त सं.सं.द. में धीमे निष्पादन के लिए ग्रामीण गठन में कमियाँ, चिकित्सा/पैरा-चिकित्सा कर्मचारी और ग्रामीण जनता को उत्साहित करने के लिए अपर्याप्त जनसमूह मीडिया को आरोपित

किया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998-99 ने बताया कि भारत में इस समय शादी-शुदा औरतों का (15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में) लगभग 20 प्रतिशत को परिवार नियोजन के लिए एक अमाप आवश्यकता है। परिवार नियोजन हेतु अमाप आवश्यकता (परिवार नियोजन के तरीकों के एच्छिक एवं वास्तविक प्रयोग के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित) जैसा कि लाभकारी मूल्यांकन द्वारा गुणित की गयी, स्पेसिंग तरीकों के लिए 19 प्रतिशत तथा स्थाई तरीकों के लिए 5 प्रतिशत था। गुणित की गई सं.सं.द. 41 प्रतिशत है (31 प्रतिशत टर्मिनल तथा परिवार नियोजन के स्पेसिंग तरीकों के लिए 10 प्रतिशत)

एक वर्ष में एक वर्ष से कम आयु के मरने वाले शिशुओं की संख्या उसी वर्ष के प्रति हजार जन्मित के रूप में **शिशु मृत्यु दर** (शि.मृ.द.) को परिभाषित किया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक वर्ष के अंतर्गत नये जन्में शिशुओं का लगभग 7 प्रतिशत मर जाते हैं। बच्चों का कम जन्म भार तथा अपरिपक्व प्रसव का कारण मातृत्व का खराब स्वास्थ्य है। शिशु ओर बचपन की हैजा बीमारियों, भयंकर श्वसन संक्रमण ओर कुपोषण खतरे में बढ़ोत्तरी कर देते हैं। यद्यपि शि.मृ.द. 1951 के 146 से घटकर 1997 में 72 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई फिर भी इनमें बहुत अधिक अन्तरराज्यीय अन्तर हैं। दक्षिण एशियामें अन्य देशों की शि.मृ.द. की तुलना में भारत को अभी बहुत अधिक रास्ता तय करना है यद्यपि शि.मृ.द. 1999 में प्रति 1000 जन्मों पर गिरकर 70 हो गई।

| श्रीलंका | थाईलैंड | चीन | इंडोनेशिया | भारत | पाकिस्तान | बांग्लादेश | नेपाल |
|----------|---------|-----|------------|------|-----------|------------|-------|
| 18 | 29 | 41 | 48 | 72 | 74 | 79 | 83 |

श्रोत: यू.एन.एफ.पी.ए. विश्व जनसंख्या 1999 की स्थिति

घनी आबादी वाले 11 राज्यों, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, के संदर्भ में वर्ष 195 और 1998 के लिए उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि 1995 और 1998 के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल में शि.मृ.द. प्रति एक हजार जीवित जन्मों पर 60 से नीचे रही। कर्नाटक में शि.मृ.द. 1995 में 62 से घटकर 1998 में 58 हो गई। आंध्र प्रदेश में शि.मृ.द. 1995-98 के दौरान स्थित रही और यह गुजरात में 1995 में 62 से बढ़कर 1998 में 64 हो गयी। मध्य प्रदेश में शि.मृ.द. 195 और 1998 के दौरान 99 और 98 प्रति हजार जीवित जन्म थी और राजस्थान में अखिल भारतीय औसत 74 (1995) और 72 (1998) के प्रति 1995 ओर 1998 के दौरान प्रति हजार जन्मों पर शि.मृ.द. 65 और 83 थी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्य के आंकड़ों की नमूना जांच से पता चला कि 1995-99 के दौरान शि.मृ.द. प्रति हजार जीवित जन्मों पर 61 से 64 के बीच रही। तमिलनाडु में धर्मपुरी और सेलेम जिलों की नमूना जांच में शि.मृ.द. क्रमशः 80.7 और 73.3 प्रति हजार जीवित जन्म (1998) थी। जबकि इस दौरान राज्य औसत 60 से नीचे था। हरियाणा में 1998 के दौरान शि.मृ.द. प्रति हजार जीवित जन्मों पर 70 थी।

एक लाख जीवित जन्मों पर मातृत्व की मृत्यु की संख्या के रूप में मातृत्व मृत्यु अनुपात (मा.मृ.अ.) को परिभाषित किया जाता है। देश के लिए मा.मृ.अ. प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 437 महत्वपूर्ण रूप से अधिक था जो कि दक्षिण एशिया में अन्य कहीं के वर्तमान स्तर की तुलना में अस्वीकार्य है यद्यपि मा.मृ.अ. 1997 में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर घटकर 408 हो गया था।

| श्रीलंका | चीन | थाईलैंड | पाकिस्तान | इंडोनेशिया | भारत | बांग्लादेश | नेपाल |
|----------|-----|---------|-----------|------------|------|------------|-------|
| 30 | 115 | 200 | 340 | 390 | 437 | 850 | 1500 |

स्रोत: यू.एन.एफ.पी.ए. विश्व जनसंख्या 1999 की स्थिति

यद्यपि सभी राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्ध आंकड़ों की नमूना जांच ने दर्शाया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्थापित 200 से नीचे के उद्देश्य के मुकाबले गुजरात के लिए मा.मृ.अ. (389), आंध्र प्रदेश (380) और तमिलनाडु (230) उच्चतर हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में निर्धारित

जनसांख्यिकीय उद्देश्य बार-बार संशोधित किए गए और आठवीं पंच वर्षीय योजना अभिलेख में यह बताया गया कि 1 की शुद्ध प्रजनन दर केवल 2011-16 के काल में ही प्राप्य होगी। जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (योजना आयोग द्वारा गठित) संकेत करती है कि शु.ज.द.1 का स्थानापन्न स्तर 2026 तक या उसके बाद प्राप्य है। नौवीं योजना (1997-2002) अभिलेख में योजना आयोग ने दो स्तर उद्देश्य निर्धारित किए और 2002 तक निम्नलिखित जनसांख्यिकीय उद्देश्य प्राप्त करने हेतु स्थिर किए।

| अ.ज.द. | शि.मृ.द. | स.उ.द. | सं.सं.न. |
|--------|----------|---------|----------|
| 24-23 | 56-50 | 2.9-2.6 | 51%-60% |

इससे निश्चित है कि उपजाउपन का स्थानापन्न स्तर 2000 तक प्राप्य नहीं था और स.उ.द. का एक “2.9 से 2.6 का स्तर” 2002 तक प्राप्त करना था। लेखा शंका पर विभाग ने बताया कि प्राप्तियाँ समुदाय के सहयोग से कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी, सामाजिक और राजनैतिक नेतृत्व पर निर्भर करेगी और इसलिए जनसंख्या में वृद्धि एक विशेष समय तक वास्तविक परिस्थियों पर आधारित जनसांख्यिकीय उद्देश्यों के बार-बार संशोधन के कारण नहीं हुई थी।

राज्यों और संघ शासित राज्यों की जनसंख्या स्थिति स.उ.द., शि.मृ.द. और सं.सं.न. के साथ नीचे सारिणी में वर्ग संरचना में ज्ञान स्तर को दर्शाते हुए दी गई है।
जनसंख्या स्थिति

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

| राज्य/संघ शासित राज्य | जनसंख्या (मिलियन में) 1 माच 1999 को | कुल जनसंख्या का प्रतिशत | सकल उपजाउपन पर | शिशु मृत्यु दर 1998 | गर्भ निरोधक में काम आने वाली वस्तुओं के प्रचलन की दर 1999 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---|
| भारत | 981.3 | --- | 3.3 | 72 | 44 |
| ग्रुप-1 (3 से बड़ा या बराबर) | | | | | |
| उड़ीसा | 35.5 | 3.6 | 3.0 | 98 | 39 |
| गुजरात | 47.6 | 4.8 | 3.0 | 64 | 54.5 |
| असम | 25.6 | 2.6 | 3.2 | 78 | 16.7 |
| हरियाणा | 19.5 | 2.0 | 3.4 | 69 | 49.7 |
| दादर एण्ड नागर हवेली | 0.2 | 0.02 | 3.5 | 61 | 29.1 |
| त्रिपुरा | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 49 | 25.2 |
| मेघालय | 2.4 | 0.2 | 4.8 | 52 | 4.6 |
| मध्य प्रदेश | 78.3 | 8.0 | 4.0 | 98 | 46.5 |
| राजस्थान | 52.6 | 5.4 | 4.2 | 83 | 36.4 |
| बिहार | 98.1 | 10.0 | 4.4 | 67 | 19.7 |
| उत्तर प्रदेश | 166.4 | 17.0 | 4.8 | 85 | 38.2 |
| जम्मू एण्ड कश्मीर | 9.7 | 1.0 | ए | 45 | 15.0 |
| ग्रुप- II (2-1 से बड़े लेकिन 3 से छोटे) | | | | | |
| मणिपुर | 2.21 | 0.2 | 2.4 | 25 | 20.1 |
| दमन एण्ड दिव | 0.1 | 0.01 | 2.5 | 51 | 30.2 |
| कर्नाटक | 51.4 | 5.2 | 2.5 | 58 | 55.4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 74.6 | 7.6 | 2.5 | 66 | 50.3 |
| हिमाचल प्रदेश | 6.5 | 0.7 | 2.5 | 64 | 48.2 |
| सिक्किम | 0.5 | 0.06 | 2.5 | 52 | 21.9 |
| पश्चिम बंगाल | 78.0 | 7.9 | 2.6 | 53 | 32.9 |
| महाराष्ट्र | 90.1 | 9.2 | 2.7 | 49 | 50.1 |
| पंजाब | 23.3 | 2.4 | 2.7 | 54 | 66.0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 47 | 14.0 |
| लक्ष्यद्वीप | 0.07 | 0.01 | 2.8 | 37 | 9.1 |
| ग्रुप- III 2-1 से कम या बराबर) | | | | | |
| गोआ | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 23 | 27.1 |
| नागालैण्ड | 1.6 | 0.2 | 1.5 | ए | 7.8 |
| दिल्ली | 13.4 | 1.4 | 1.6 | 36 | 28.8 |
| केरल | 32.0 | 3.3 | 1.8 | 16 | 40.5 |
| पांडीचेरी | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 21 | 56.9 |
| ए.एण्ड एन. आइलैण्ड | 0.4 | 0.04 | 1.9 | 30 | 39.9 |
| तमिलनाडु | 61.3 | 6.2 | 2.0 | 53 | 50.4 |
| चंडीगढ़ | 0.9 | 0.09 | 2.1 | 32 | 35.0 |
| मिजोरम | 0.9 | 0.09 | ए | 23 | 34.6 |

@ तीन वर्षीय गतिमान औसत स.उ.द. 1995-97

* जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी ग्रुप 1996 द्वारा जनसंख्या प्रक्षेपण

यह देखा जा सकता है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पाँच राज्य वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या का करीब-करीब 44 प्रतिशत का गठन करते हैं और स.उ.द. 3 के बराबर या अधिक अकेले ये राज्य जनसंख्या बढ़ोत्तरी की तरफ अधिक योगदान करेंगे। जनसंख्या का आकार ओर समय जिस पर भारत जनसंख्या स्थिरिकरण प्राप्त करेगा इन राज्यों में जनसांख्यिकीय परिणाम निर्धारित करेंगे।

मामला मंत्रालय को मई 2001 में भेजा गया था, उसका उत्तर जुलाई 2001 तक प्रतिक्षित था।

अनुबन्ध 1

(पैराग्राफ 1.5 देखें)

लेखापरीक्षा हेतु चुने गये नमूना जिलों के राज्यवार ब्यौरे

| क्रम सं. | राज्य | जिलों की कुल संख्या | जिले जिनकी जांच की गई (संख्या) | जांचे गये जिलों के नाम |
|----------|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 23 | 6 | अदीलाबाद, कुडडापाह, गुन्तुर कुनूल, निजामाबाद, विजियानगराम |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 13 | 3 | पपुमपरे, लोवर सबन्चिरी तथा दक्षिणी सियांग |
| 3. | असम | 23 | 6 | कामरूप, धुबी लखीमपुर कर्बी अंगलोग तथा काचर |
| 4. | बिहार | 55 | 11 | भागलपुर, धनबाद, दरभंगा पूर्वी-सिंगभुम, पूर्वी चम्पारन, गया, हजारीबाग, कटीहार, नवादा रोहतास तथा सियान |
| 5. | गोवा | 2 | 1 | पणजी |
| 6. | गुजरात | 19 | 6 | अहमदाबाद, गोधरा, जामनगर, राजकोट, सूरत बडोदरा |
| 7. | हरियाणा | 19 | 5 | भिवानी, महेन्द्रगढ़, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 3 | हमीरपुर, सिरमौर, ऊना |
| 9. | जम्मू तथा कश्मीर | 14 | 4 | श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, उधमपुर |
| 10. | कर्नाटक | 27 | 6 | बंगलौर-ग्रामीण, बेलगाम, बेल्लारी, दक्षिण-कन्नड गुलबर्गा एवं शिमोगा |
| 11. | केरल | 14 | 4 | तिरुवानाथापुरम, मालापपुरम, कोट्टायाम, कान्नूर |
| 12. | महाराष्ट्र | 29 | 7 | अकोला, औरंगाबाद, गोडचिरोली, जलगांव, कोल्हापुर, मुम्बई, पुणे |
| 13. | मध्य प्रदेश | 47 | 14 | सतना, बिलासपुर, धार, देवास-सिओनी-बेतुल, मंडला, सागर, शहडोल, दुर्ग, बालघाट, झाबुआ, बर्वाणी, राजगढ़ |
| 14. | मणिपुर | 9 | 6 | पश्चिमी इम्फाल, विशनपुर थौबल, चरचांदपुर, सेनापती, तमेगलोग |
| 15. | मेघालय | 7 | 1 | पूर्वी खारी हिल्स |
| 16. | मिजोरम | 4 | 3 | आइजोल, लुंगली, फिमटुइपाई |
| 17. | नागालैंड | 8 | 5 | कोहिमा, दीमापुर, मोकोसचुंग, त्युनसेंग तथा मोन |
| 18. | उड़ीसा | 30 | 6 | धेनकानल, गजपती, कालाहांडी खुर्द रायगढ़ तथा सम्बलपुर |
| 19. | पंजाब | 17 | 6 | अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, पटियाला, रोपड़ |
| 20. | राजस्थान | 32 | 6 | भीलवाडा, बीकानेर जोधपुर, कोटा, पाली उदयपुर |
| 21. | सिक्किम | 4 | 4 | ग्यालशिग पश्चिमी जिला, मंगन तथा उत्तरी जिले |
| 22. | तमिलनाडु | 29 | 5 | कुड्डोबोर धर्मपुरी तथा कृष्णा गिरी (धर्मपुरी जिला) इरोड तथा धरमपुरम (इरोड जिला) कांचीपुरम तथा सैदापट्ट (जिला कांचीपुरम) |
| 23. | त्रिपुरा | 4 | 3 | अगरतला, उदैपुर, कैलाशाहर |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 69 | 11 | अलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर शहर, लखनऊ, गाउ, मिर्जापुर, रायबरेली, सोनभद्ररा सुलतानपुर |
| 25. | पश्चिमी बंगाल | 18 | 4 | पुरुलिया, मिदनापुर, मुर्शीदाबाद, दार्जिलिंग |
| 26. | अं.नि.द्वीप | 2 | 2 | बाम्बूफ्लेट, रंगत |
| 27. | चण्डीगढ़ | 1 | 1 | जिला परिवार कल्याण अधिकारी चण्डीगढ़ |
| 28. | दा. एवं न. हवेली | 1 | 1 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी दा. एवं न. हवेली |
| 29. | दमन एवं दीव | 1 | | |
| 30. | दिल्ली | 1 | 1 | रा.रा.क्ष. दिल्ली |
| 31. | लक्षद्वीप | 1 | | |
| 32. | पांडिचेरी | 4 | 4 | पांडिचेरी क्षेत्र, कराईकल, यानम, माहे |
| | जोड़ | 539 | 145 | |

अनुबन्ध 2

(पैराग्राफ 1.5.1 देखें)

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लाभभोगी एवं सुविधा मूल्यांकन का सारांश

सामाजिक अनुसंधान के लिए ओ.आर.जी. केन्द्र द्वारा किये गये लाभभोगी मूल्यांकन में, विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत भिन्न स्तरों पर लाभभोगियों तथा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के कवरेज के बीच का एक सर्वेक्षण भी शामिल था। सर्वेक्षण में देश के समग्र राज्यों तथा सं.शा. क्षेत्र के 131 जिलों को कवर किया गया था। कवर किये गये नमूनों में 52121 परिवारों (16401 शहरों में तथा 35720 ग्रामीणों में), 15-49 आयु की सभी नई-नई शादी सुदा महिलाओं जो सर्वेक्षण टीम के दौरे के समय मौजूद थी तथा 1086 विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं (पीपीसी, यूएफ.डब्ल्यू.सी/एच.पी.सी.एच.सी./पी.एच.सी तथा एच.सी) को सम्मिलित किया गया था।

चूंकि सर्वेक्षण का उद्देश्य एक कार्यक्रम/योजना के विशिष्ट विश्लेषण को प्रस्तुत करना था, सारांश, परिवार कल्याण कार्यक्रम द्वारा बताये गये मामलों की असमुच्च्य उपलब्धियों तथा विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत सृजित सुविधाओं को, प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम/योजना विशिष्ट विश्लेषण प्रस्तुत करने से पहले, यह कि उचित होगा कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम कैसे विकसित हुआ तथा इसके प्रारम्भ से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं द्वारा इस पर दिये गये दबाव की चर्चा की जाय।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्यू.आ.का.)

भारत में, पी.एच.सी. ने औसतन 65 283 जनसंख्या को कवर किया जो कि जनसंख्या कवरेज के (30,000) के निर्धारित मापदण्ड के दुगुने से अधिक था। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक पी.एच.सी. द्वारा औसत जनसंख्या कवरेज दर्शाता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की उपलब्धि इसके उद्देश्यों की पूर्ति से बहुत दूर है, क्योंकि कुछ राज्य अभी भी प्रति पी.एच.सी 10,000 जनसंख्या की कवरेज के पुराने मापदण्ड को ही अपना रहे हैं।

प्रत्येक उपकेन्द्र द्वारा औसत-जनसंख्या कवरेज लगभग निर्धारित मापदण्ड (5000 के 5247) के अनुसार पाई गई थी। विभिन्न राज्यों में जनसंख्या कवरेज सीमा 2778 हिमाचल प्रदेश में से 8955 पश्चिमी बंगाल में थी। अवधि के दौरान सीमान्त उच्च कवरेज मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि के कारण है।

शिशु उत्तरजिविता एवं मा-सुरक्षा कार्यक्रम (आर.सी.एच. कार्यक्रम के रूप में विस्तृत)

गर्भवती स्त्री की प्राक्प्रशव देखभाल, जिसने आशाजनक नतीजे दिखाये के अतिरिक्त, शिशु देखभाल सेवाये जैसा कि प्रतिक्षण ओ.आर.एस. प्रशासन एवं ए.आर.आइ.का उपचार तथा सुरक्षित प्रशव सेवाये जैसे कि सांस्थानिक प्रशव, प्रशिक्षित चिकित्सा/प्राचिकित्सा कर्मचारियों की सहायता से प्रशव तथा डी.डी.के. का उपयोग, असन्तोषजनक थी। महत्वपूर्ण संकेतकों के राज्य विभेदकों जैसे कि टी.टी. कवरेज, प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रसवों तथा पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित बच्चों की स्थिति से ज्ञात होता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एवं आसाम कमजोर निष्पादन वाले राज्यों में से हैं जबकि केरल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पंजाब बेहतर निष्पादन वाले राज्यों में से हैं।

चिकित्सा एवं प्राचिकित्सा स्टाफ के लिए प्रशिक्षण प्रयास धीमे थे, विशेषकर चिकित्सा अधिकारियों के लिए/सी.एस.एस.एम के अन्तर्गत गतिविधियों के निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

आर.सी.एच. में स्टाफ को प्रशिक्षण तथा विशिष्ट गतिविधियों जैसे कि अंतरालन तरीकों, आइयूडी निवेशन तथा आरसीआइ/एसटीडी निदान करने के लिए मामलों की छटनी के संदर्भ में भारत में सरकारी सुविधाओं के लिये अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

समग्र रूप से, महिलाओं के एक महत्वपूर्ण अनुपात (31 प्रतिशत) ने आर.टी.आइ./एस.टी.डी. समस्याओं का सामना किया है। इनमें से केवल एक तिहाई (37 प्रतिशत) को ही उपचार मिला। वांछित सुविधाओं की अनुपलब्धता, उपचार के लिए काम आने के मुख्य कारणों में से एक है। सरकारी अस्पताल/केन्द्रों से उपचार प्राप्त करने का अनुपात लगभग आधा था (18 प्रतिशत) जो सेवाओं की उपलब्धता में गिरावट के साथ निम्न सरकारी सेवाओं की निम्न विश्वसनीयता को भी इंगित करता है।

यद्यपि, कम से कम एक आधुनिक परिवार नियोजन के तरीके की जागरूकता 93 प्रतिशत तक ऊंची थी, अन्तरथ (31 प्रतिशत) तथा अंतरालन दोनों तरीकों के वर्तमान प्रयोगकर्ता तुलनात्मक रूप से कम थे।

सुविधायें, आर.टी.आइ./एस.टी.डी. निदान के लिए प्रयोगशालाओं को उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ आर.टी.आइ./एस.टी.डी. से सम्बन्धित अभिलेखों के रख-रखाव में बहुत पीछे थी। (क्रमशः 14 प्रतिशत तथा 47 प्रतिशत)।

क्षेत्र विकास परियोजनायें

लगभग दो-तिहाई परिवारों ने बताया कि उन्होंने हमेशा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग किया है। पिछले एक वर्ष में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने का अनुपात केवल 37 प्रतिशत था।

केवल कुछ ही केन्द्रों का निर्माण (8 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत के बीच) ए.डी.पी./आइ.पी.पी. के अन्तर्गत हुआ था। आइ.पी.पी. के राष्ट्रीय स्तर पर सीमित कार्यान्वयन के कारण यह निम्न था।

स्टाफ के विभिन्न स्तरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के सम्बन्ध में ए.डी.पी./आइ.पी.पी. परियोजनाओं ने बेहतर कार्य किया था।

एक आशाजनक केन्द्रों को (25 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत के बीच) आइ.पी.पी./ए.डी.पी. के अन्तर्गत उपकरणों की आपूर्ति की गई थी।

प्रसवोत्तर कार्यक्रम

केवल चार प्रतिशत महिलाओं की उनके प्रशव के 42 दिवस के अन्दर जांच होने की सूचना के साथ, प्रसवोत्तर देखभाल लगभग नाम मात्र थी।

केवल एक चौथाई महिलाओं को ही, जन्मपूर्व तथा जन्म उपरांत अवधि में परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने की सलाह दी गई थी।

सुविधा वार, प्रसवोत्तर केन्द्र, एक अच्छे अनुपात के साथ एफ.आर.यू. के रूप में नामित, रक्त आपूर्ति के लिये इंतजाम एवं 24 घण्टे आपात-कालीन सेवाओं की संस्वीकृति के साथ पाये गये थे।

पैप स्मीयर टैस्ट सुविधा कार्यक्रम

यद्यपि, पी.पी.सी./दूसरे शहरी केन्द्रों तथा वी.पी.एच.सी./सी.एच.सी.के. ग्रीवा कैंसर मरीजों को देखने की सुविधा के उपकरणों से लैस रहने की अपेक्षा की जाती है, केवल पी.पी.सी. का लगभग एक चौथाई तथा आर.एच/सीएचसी का एक-छटबो ही ऐसी जांच करने के लिए प्रयोगशाला उपकरण रखते थे। इन केन्द्रों पर लोगों का कम आना भी इस पर प्रभाव डालता था।

बन्धुकीकरण विस्तार योजना

बन्धुकीकरण अपनाने वालों में, जिन्होंने सरकारी अस्पतालों की सेवायें प्राप्त की, लगभग दो-तिहाई को ही रात को ठहरने की सुविधा प्रदान की गई थी।

चिकित्सा-द्वारा गर्भ समापन योजना (चि.ग.स.)

केवल एक तिहाई महिलाओं को ही चि.ग.स. सेवायें प्राप्त करने के स्थान की जानकारी थी।

महिलाओं के एक बहुत छोटे अनुपात (4 प्रतिशत) ने भूतकाल में गर्भपात करवाने की सूचना दी। इनमें से अधिकतर ने (56 प्रतिशत) निजी अस्पतालों की सेवायें प्राप्त की, इसके बाद लगभग 40 प्रतिशत ने सरकारी केन्द्रों को सेवायें प्राप्त की/सुविधा के बारे में अजागरूकता, कम उपलब्धता एवं निम्न प्रतिक्रिया, सरकारी सुविधाओं से चि.ग.स. कराने वालों की कम तादाद के कुछ मुख्य कारण थे।

सूचना, शिक्षा तथा संचार

कार्यक्रम का सू.शि.सं. संघटक बहुत कमजोर पाया गया था क्योंकि केवल 16 प्रतिशत परिवारों ने उनके क्षेत्रों में कभी किए गए सू.शि.सं. क्रियाकलापों के बारे में जागरूकता सूचित की थी।

स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलापों में शामिल किसी समूह की उपलब्धता सूचित करने तथा ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने वाली महिलाओं की प्रतिशतता नगण्य थी।

2001 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

सरकारी केन्द्रों में सू.शि.सं. सामग्री की उपलब्धता असंतोषजनक पाई गई थी।

प्र.शि.स्वा. में गै.स.सं. का आवेष्टन

भारत में गै.स.सं. का कार्य नगण्य पाया गया था क्योंकि तीन प्रतिशत से कम महिलाओं ने उनके क्षेत्र में गै.स.सं. की उपलब्धता तथा गै.स.सं. से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सूचित किया था। तथापि, जिन्होंने सेवाओं का लाभ उठाया उन्होंने प्राप्त सेवाओं से संतुष्ट होना सूचित किया।

भारत में, नसबन्दी सेवाएं उपलब्ध कराने में गै.स.सं. का कार्य बहुत कम पाया गया था। केवल उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उनकी उपस्थिति महसूस की गई थी।

नसबन्दी के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन योजना

उल्लिखित किए गए लगभग दो-तिहाई स्वीकर्ताओं ने नकद प्रोत्साहन प्राप्त किए हैं। बहुत कम अनुपात (4 प्रतिशत) का जिस रूप में प्रोत्साहन प्राप्त करने का भी उल्लेख किया गया है। प्राप्त की गई राशि सरकार द्वारा आबंटित प्रोत्साहन राशि (145/-रु.) से नाममात्र अधिक (161/रु.) होनी प्रतीत होती है जो शिविरों के दौरान दी गई अतिरिक्त राशि के कारण होगी।

अनुबन्ध 3

(पैराग्राफ 1.6.1.1 देखें)

राज्यों को जारी की गई निधियां

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | जोड़ |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 13118.67 | 17179.66 | 11225.96 | 14614.2 | 19632.7 | 75771.19 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 250.54 | 180.68 | 237.38 | 219.81 | 334.55 | 1222.96 |
| 3 | असम | 3711.88 | 3057.75 | 4450.31 | 4437.8 | 8492.91 | 24150.65 |
| 4 | बिहार | 11900.2 | 8358.55 | 12621.82 | 12817.9 | 33304.28 | 79002.75 |
| 5 | गोवा | 169.22 | 195.05 | 206.83 | 243.77 | 325.94 | 1140.81 |
| 6 | गुजरात | 5536.01 | 5365.16 | 11323.12 | 12611.98 | 17213.08 | 52049.35 |
| 7 | हरियाणा | 3085.18 | 2299.14 | 4244.3 | 3652.67 | 4407.75 | 17689.04 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 1963.77 | 1908.8 | 1431.02 | 2373.54 | 2407.34 | 10084.47 |
| 9 | ज.व.क. | 1499.42 | 1131.49 | 2137.78 | 2056.5 | 2261.85 | 9087.04 |
| 10 | कर्नाटक | 7557.81 | 9384.68 | 6461.33 | 9792.97 | 19086.05 | 52282.84 |
| 11 | केरल | 3465.82 | 3192.32 | 3955.16 | 5503.94 | 6864.11 | 22981.35 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 10126.12 | 9755.89 | 9993.3 | 13153.54 | 16361.97 | 59390.82 |
| 13 | महाराष्ट्र | 12717.93 | 11734.71 | 10677.68 | 15036.24 | 15896.09 | 66062.65 |
| 14 | मणिपुर | 754.01 | 475.33 | 585.85 | 731.06 | 1055.35 | 3601.6 |
| 15 | मेघालय | 355.56 | 387.47 | 397.04 | 469.53 | 750.71 | 2360.31 |
| 16 | मिजोरम | 241.89 | 243.42 | 296.04 | 307.88 | 444.27 | 1533.5 |
| 17 | नागालैंड | 336.87 | 259.25 | 268.24 | 338.27 | 500.51 | 1703.14 |
| 18 | उड़ीसा | 5365.77 | 4109.53 | 6159.09 | 6484.62 | 7819.21 | 29938.22 |
| 19 | पंजाब | 2989.72 | 2734.32 | 3569.72 | 3684.16 | 4188.09 | 17166.01 |
| 20 | राजस्थान | 9413.13 | 10179.17 | 9476.69 | 11180.84 | 17545.57 | 57795.4 |
| 21 | सिक्किम | 451.95 | 259.96 | 264.87 | 349.4 | 485.06 | 1811.24 |
| 22 | त.ना. | 11534.63 | 8714.41 | 12759.97 | 11779.69 | 23103.19 | 67891.89 |
| 23 | त्रिपुरा | 721.26 | 1099.46 | 572.78 | 1975.59 | 1000.48 | 5369.57 |
| 24 | उ.प्र. | 21119.46 | 19158.64 | 25073.58 | 51256.08 | 36652.35 | 153260.11 |
| 25 | प.बं. | 8189.78 | 8955.9 | 7707.15 | 14295.8 | 11948.24 | 51096.87 |
| | जोड़ | 136576.6 | 130320.74 | 146097.01 | 199367.78 | 252081.65 | 864443.78 |
| 26 | पांडिचेरी | 139.32 | 127.27 | 174.02 | 192.4 | 186.32 | 819.33 |
| 27 | दिल्ली | 1972.55 | 1863.39 | 1155.41 | 1485.94 | 2791.07 | 9268.36 |
| 28 | अं.नि. द्वीप समूह | 100.12 | 106.32 | 122.4 | 123.6 | 0 | 452.44 |
| 29 | चंडीगढ़ | 32.8 | 35.49 | 39.96 | 69.29 | 0 | 177.54 |
| 30 | लक्षद्वीप | 150.56 | 119.62 | 113.33 | 189.05 | 0 | 572.56 |
| 31 | दमन व दीव | 17.68 | 14.52 | 19.16 | 35.06 | 0 | 86.42 |
| 32 | दादर एवं नगर हवेली | 34.36 | 38.8 | 44.4 | 52.05 | 0 | 169.61 |
| | जोड़ | 2447.39 | 2305.41 | 1668.68 | 2147.39 | 2977.39 | 11546.26 |
| | सकल जोड़ | 139023.99 | 132626.15 | 147765.69 | 201515.17 | 255059.04 | 875990.04 |

अनुबन्ध 4

(पैराग्राफ 1.6.1.3 देखें)

घटक वार बजट आबंटन का विश्लेषण (करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | स्कीम का नाम | ब.अ. 1995-96 | कुल ब.अ. % के सन्दर्भ में | ब.अ. 1996-97 | कुल ब.अ. % के सन्दर्भ में | ब.अ. 1997-98 | कुल ब.अ. % के सन्दर्भ में | ब.अ. 1998-99 | कुल ब.अ. % के सन्दर्भ में | ब.अ. 1999- 2000 | कुल ब.अ. % के सन्दर्भ में | कुल |
|-------------------------|---|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | निर्देशन और प्रशासन | 47.61 | 3.01 | 48.60 | 3.17 | 57.00 | 3.12 | 92.00 | 3.70 | 192.20 | 6.54 | 437.4 |
| | कुल | 47.61 | 3.01 | 48.60 | 3.17 | 57.00 | 3.12 | 92.00 | 3.70 | 192.20 | 6.54 | 437.4 |
| कार्यक्रम/सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं | 350.00 | 22.14 | 350.00 | 22.80 | 460.00 | 25.15 | 605.00 | 24.30 | 875.00 | 29.76 | 2640.0 |
| 3. | शहरी परिवार कल्याण सेवाएं | 33.00 | 2.09 | 33.00 | 2.15 | 50.00 | 2.73 | 64.00 | 2.57 | 58.00 | 1.97 | 238. |
| 4. | एमसीएच तथा आर सी एच | 220.10 | 13.92 | 350.10 | 22.81 | 450.10 | 24.60 | 758.00 | 30.45 | 676.80 | 23.02 | 2455.1 |
| 5. | नराबंदी पलंग योजना | 1.00 | 0.06 | 2.00 | 0.13 | 2.00 | 0.11 | 1.70 | 0.07 | 1.70 | 0.06 | 8.4 |
| 6. | प्रसवोत्तर कार्यक्रम | 49.00 | 3.10 | 49.00 | 3.19 | 70.00 | 3.83 | 100.00 | 4.02 | 120.00 | 4.08 | 388.0 |
| 7. | क्षेत्रिय परियोजनाएं | 250.00 | 15.81 | 195.00 | 12.70 | 150.00 | 8.20 | 120.00 | 4.82 | 100.00 | 3.40 | 815.0 |
| 8. | उत्तर प्रदेश में एस.आइ.एफ.पी.एस.ए. परियोजना | 30.00 | 1.90 | 40.00 | 2.61 | 40.00 | 2.19 | 60.00 | 2.41 | 70.00 | 2.38 | 240.0 |
| 9. | स्वास्थ्य गाइड स्कीम | 10.00 | 0.63 | 10.00 | 0.65 | 10.00 | 0.55 | 10.00 | 0.40 | 10.00 | 0.34 | 50.0 |
| 10. | मुआवजा | 100.00 | 6.33 | 100.00 | 6.51 | 90.00 | 4.92 | 125.00 | 5.02 | 140.00 | 4.76 | 555.0 |
| 11. | प्रचलित गर्भनिरोधकों का मुफ्त वितरण | 109.00 | 6.90 | 99.00 | 6.45 | 109.80 | 6.00 | 92.00 | 3.70 | 107.50 | 3.65 | 517.3 |
| 12. | कोल्ड चेन | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.00 | 1.70 | 50.0 |
| 13. | 90 पिछड़े जिलों के लिए विशेष इनपुट | 45.00 | 2.84 | 1.00 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | 46.0 |
| 14. | बकाया का भुगतान तथा अन्य स्कीम | 146.25 | 9.25 | 23.95 | 1.56 | 82.45 | 4.51 | 250.50 | 10.06 | 222.50 | 7.57 | 725.6 |
| 15. | स्कूल स्वास्थ्य योजना | - | - | 45.00 | 2.93 | 37.00 | 2.02 | - | - | - | - | 82.0 |
| 16. | फ्लैक्सीबल अप्रोच स्कीम | 1.50 | 0.09 | 15.00 | 0.98 | 10.00 | 0.55 | 1.50 | 0.06 | - | - | 28.0 |
| | कुल | 1344.85 | 85.06 | 1313.05 | 85.54 | 1561.35 | 85.36 | 2187.70 | 87.88 | 2431.50 | 82.69 | 8838.4 |
| सहायक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 17. | परिचहन | 25.80 | 1.63 | 26.00 | 1.69 | 32.00 | 1.75 | 27.50 | 1.11 | 43.20 | 1.47 | 154.5 |
| 18. | आइ.इ.सी. | 33.50 | 2.12 | 43.00 | 2.80 | 60.60 | 3.31 | 28.00 | 1.12 | 32.95 | 1.12 | 198.0 |
| 19. | प्रशिक्षण | 28.22 | 1.78 | 28.95 | 1.89 | 26.75 | 1.46 | 39.95 | 1.60 | 100.74 | 3.42 | 311.9 |
| 20. | अनुसंधान एवं मूल्यांकन | 15.49 | 0.98 | 18.45 | 1.20 | 26.60 | 1.45 | 26.80 | 1.08 | - | - | - |
| 21. | स्वैच्छिक संगठनों का इन्वोल्वमेंट | 8.50 | 0.54 | 8.50 | 0.55 | 8.50 | 0.46 | 6.00 | 0.24 | - | - | 31.5 |
| | कुल | 111.51 | 7.05 | 124.90 | 8.13 | 154.45 | 8.43 | 128.25 | 5.15 | 176.89 | 6.01 | 69 |
| अन्य सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 22. | अन्य विभागों का इन्वोल्वमेंट | 1.20 | 0.08 | 1.65 | 0.11 | - | - | - | - | 0.01 | - | 2.8 |
| 23. | भारत का अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान | 1.03 | 0.06 | 1.05 | 0.07 | 1.10 | 0.06 | 1.30 | 0.05 | - | - | 4.4 |
| 24. | तकनीकी मिशन | 34.75 | 2.20 | 0.50 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 35.2 |
| 25. | कमर्शियल का वितरण | 40.00 | 2.53 | 44.00 | 2.87 | 53.95 | 2.95 | 80.00 | 3.21 | 140.00 | 4.76 | 357.9 |
| 26. | हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड | 0.05 | 0.01 | 1.25 | 0.08 | 1.50 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | - | - | 2.9 |
| | कुल | 77.03 | 4.88 | 48.45 | 3.16 | 56.55 | 3.09 | 81.40 | 3.27 | 140.01 | 4.76 | 403.4 |
| | कुल जोड़ | 1581.00 | 100.00 | 1535.00 | 100.00 | 1829.35 | 100.00 | 2489.35 | 100.00 | 2940.60 | 100.00 | 10375.3 |

अनुबन्ध 5 (क)

(पैराग्राफ 1.6.1.3 देखें)

राज्य/सं.शा.क्षे. पर बकाया

| राज्यों का नाम | अब तक प्राप्त लेखापरीक्षित आंकड़े |
|------------------|--------------------------------------|
| केरल | 1991-92 |
| मध्य प्रदेश | 1994-95 (सिवाय 1991-92) |
| महाराष्ट्र | 1994-95 |
| मिजोरम | 1994-95 |
| नागालैण्ड | 1993-94 |
| मणिपुर | 1995-96 |
| मेघालय | 1995-96 (सीएसएसएम के व्यय को छोड़कर) |
| उड़ीसा | 1995-96 (1992-93 को छोड़कर) |
| अरुणाचल प्रदेश | 1996-97 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 1996-97 |
| असम | 1997-98 |
| बिहार | 1997-98 |
| गोवा | 1997-98 |
| गुजरात | 1997-98 |
| पंजाब | 1997-98 |
| त्रिपुरा | 1997-98 |
| आन्ध्र प्रदेश | 1998-99 |
| हरियाणा | 1998-99 |
| हिमाचल प्रदेश | 1998-99 |
| कर्नाटक | 1998-99 |
| राजस्थान | 1998-99 |
| सिक्किम | 1998-99 |
| तमिलनाडु | 1998-99 |
| उत्तर प्रदेश | 1998-99 |
| पश्चिम बंगाल | 1998-99 (सिवाय 1997-98) |

अनुबन्ध 5 (ख)

(पैराग्राफ 1.6.1.3 देखें)

भारत सरकार से मिलने वाले अंकलित अनुदान

(करोड़ रु. में)

| राज्य | अवधि | कार्यक्रम/योजना | भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान |
|--------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| बिहार | 1997-1998 | प.क.का. | 17.78 |
| गुजरात | 1995-2000 | प.क.का. | 47.53 |
| कर्नाटक | 1995-2000 | 794 विस्तारों का रखरखाव | 1.78 |
| | 1995-2000 | प.क.का. | 19.43 |
| केरल | 1986-1992 | प.क.का. | 5.30 |
| | 1993-1999 | प.क.का. | 133.61 |
| मध्य प्रदेश | 1998-1999 | प.क.का. | 41.33 |
| महाराष्ट्र | 1992-1997 | प.क.का. | 98.01 |
| उड़ीसा | 1995-2000 | प.क.का. | 81.34 |
| राजस्थान | 1995-2000 | प.क.का. | 82.19 |
| सिक्किम | 1995-1999 | प.क.का. | 1.62 |
| तमिलनाडु | 1995-1999 | निष्पादन त्रिक बैड अनुदान | 1.35 |
| | 1998-1999 | प.क.का. | 75.96 |
| उत्तर प्रदेश | 1998-1999 | प.क.का. | 49.27 |
| कुल | | | 656.50 |

अनुबन्ध 6 (क)

(पैराग्राफ 1.6.1.4 देखें)

राज्य सरकार द्वारा बताया गया व्यय

| क्र. सं. | राज्य | जारी की गई सहायता | व्यय | कमी | आधियम (+) | प्रतिशत कमी | प्रतिशत आधियम |
|----------|------------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|---------------|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश * | 532.72 | 696.51 | | 163.79 | | 30.70 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 8.10 | 7.89 | 0.21 | | 2.60 | |
| 3. | असम | 173.51 | 163.85 | 9.66 | | 5.60 | |
| 4. | बिहार | 937.87 | 699.76 | 238.11 | | 25.40 | |
| 5. | गोवा * | 6.29 | 7.31 | | 1.02 | | 16.20 |
| 6. | गुजरात | 409.08 | 456.61 | | 47.53 | | 11.60 |
| 7. | हरियाणा | 235.94 | 196.13 | 39.81 | | 16.90 | |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 135.27 | 110.28 | 24.99 | | 18.50 | |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 70.33 | 73.08 | | 2.75 | | 3.90 |
| 10. | कर्नाटक | 570.10 | 451.55 | 118.55 | | 20.80 | |
| 11. | केरल * | 117.47 | 216.15 | | 98.68 | | 84.00 |
| 12. | महाराष्ट्र | 417.68 | 472.55 | | 54.87 | | 13.10 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 235.28 | 352.48 | | 117.20 | | 49.80 |
| 14. | मणिपुर | 33.19 | 28.53 | 4.66 | | 14.00 | |
| 15. | मेघालय * | 11.55 | 25.57 | | 14.02 | | 121.40 |
| 16. | मिजोरम | 12.57 | 12.31 | 0.26 | | 2.10 | |
| 17. | नागालैंड | 9.67 | 23.67 | | 14.00 | | 144.80 |
| 18. | उड़ीसा | 202.01 | 283.36 | | 81.35 | | 40.30 |
| 19. | पंजाब | 171.35 | 140.79 | 30.56 | | 17.80 | |
| 20. | राजस्थान | 580.45 | 644.43 | | 63.98 | | 11.00 |
| 21. | सिक्किम * | 11.82 | 14.48 | | 2.66 | | 22.50 |
| 22. | तमिलनाडु | NI ¹ | NI ¹ | -- | -- | -- | -- |
| 23. | त्रिपुरा | 52.36 | 63.89 | | 11.53 | | 22.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 1513.59 | 1138.99 | 374.60 | | 24.70 | |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 296.24 | 401.10 | | 104.86 | | 35.40 |
| 26. | अं. एवं नि. द्वीप समूह | NI ¹ | NI ¹ | --- | -- | | |
| 27. | चण्डीगढ़ | 6.40 | 4.89 | 1.51 | | 23.60 | |
| 28. | दा. एवं न. हवेली | 71.95 | 45.02 | 26.93 | | 37.40 | |
| 29. | दमन एवं दीव | 2.24 | 1.44 | 0.80 | | 35.70 | |
| 30. | दिल्ली | | | | | | |
| 31. | लक्षद्वीप | | | | | | |
| 32. | पांडिचेरी | 8.69 | 8.32 | 0.37 | | 4.30 | |
| | जोड़ | 6833.72 | 6740.94 | 871.02 | 778.24 | --- | --- |

* सिवार 1999-2000

अनुबन्ध 6 (ख)

(पैराग्राफ 1.6.1.4 देखें)

राज्य वार जनसंख्या का प्रतिशत वितरण तथा वित्तीय सहायता

| राज्य | कुल जनसंख्या की प्रतिशतता | केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई कुल सहायता की प्रतिशतता |
|-----------------------|---------------------------|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 07.86 | 08.65 |
| अरुणाचल प्रदेश | 00.10 | 00.14 |
| असम | 02.65 | 02.76 |
| बिहार | 10.21 | 09.02 |
| गोवा | 00.14 | 00.13 |
| गुजरात | 04.88 | 05.94 |
| हरियाणा | 01.95 | 02.02 |
| हिमाचल प्रदेश | 00.61 | 01.15 |
| जम्मू व कश्मीर | 00.91 | 01.04 |
| कर्नाटक | 05.31 | 05.97 |
| केरल | 03.44 | 02.63 |
| महाराष्ट्र | 07.82 | 06.78 |
| मध्य प्रदेश | 09.32 | 07.54 |
| मणिपुर | 00.22 | 00.41 |
| मेघालय | 00.21 | 00.27 |
| मिजोरम | 00.08 | 00.17 |
| नागालैंड | 00.14 | 00.19 |
| उड़ीसा | 03.74 | 03.42 |
| पंजाब | 02.40 | 01.96 |
| राजस्थान | 05.20 | 06.60 |
| सिक्किम | 00.05 | 00.20 |
| तमिलनाडु | 06.60 | 07.75 |
| त्रिपुरा | 00.33 | 00.61 |
| उत्तर प्रदेश | 16.44 | 17.50 |
| पश्चिम बंगाल | 08.04 | 05.83 |
| दिल्ली | 01.10 | 01.06 |
| पांडिचेरी | 00.10 | 00.09 |
| अ. एवं नि. द्वीप समूह | | |
| चण्डीगढ़ | | |
| दा. एवं न. हवेली | 00.15 | 00.17 |
| दमन एवं दीव | | |
| लक्षद्वीप | | |
| भारत | 100.00 | 100.00 |
| जोड़ (एन) | (996944000)* | |

* वर्ष 2000 के योजना आयोग के अनुमानों पर आधारित.

अनुबन्ध 7

(पैराग्राफ 1.6.2.4 देखें)

प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार प्रतिरक्षित किए जाने वाले शिशुओं के लक्ष्य

| राज्य का नाम | 1:3.98 को प्रक्षेपित आबादी (हजारों में) | 3 प्रतिशत प्रक्षेपित आबादी का लक्ष्य | राज्यों द्वारा डीटीपी, पोलियो, बीसीजी मिसैल्स के लिए नियत लक्ष्य | अन्तर | प्रतिशतता |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|--------|-----------|
| आन्ध्र प्रदेश | 73773 | 2213.19 | 1608 | 605.19 | 27.3 |
| गुजरात | 46869 | 1406.07 | 1153 | 253.07 | 17.9 |
| हरियाणा | 19240 | 577.2 | 533 | 44.20 | 7.6 |
| कनाटक | 50758 | 1522.74 | 1133 | 389.74 | 25.6 |
| केरल | 31680 | 950.4 | 562 | 388.4 | 40.9 |
| महाराष्ट्र | 89052 | 2671.56 | 2011 | 660.56 | 24.7 |
| उड़ीसा | 35190 | 1055.7 | 885 | 170.7 | 16.2 |
| पंजाब | 23005 | 690.15 | 525 | 165.15 | 23.9 |
| तमिलनाडु | 60696 | 1820.88 | 1127 | 693.88 | 38.1 |
| पश्चिम बंगाल | 76892 | 2036.76 | 1699 | 337.76 | 16.6 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1035 | 31.05 | 24 | 7.05 | 22.7 |
| दिल्ली | 1193 | 357.93 | 271 | 86.93 | 24.3 |
| गोवा | 1387 | 41.61 | 21 | 20.61 | 49.5 |
| हिमाचल प्रदेश | 5902 | 177.06 | 142 | 35.06 | 19.8 |
| मणिपुर | 2187 | 65.61 | 46 | 19.61 | 29.9 |
| नागालैण्ड | 1458 | 43.74 | 30 | 13.74 | 31.4 |
| सिक्किम | 485 | 14.55 | 10 | 4.55 | 31.3 |
| त्रिपुरा | 3285 | 98.55 | 64 | 34.55 | 35.1 |
| अ. एवं नि. द्वीप समूह | 335 | 10.05 | 6 | 4.5 | 42.9 |
| चण्डीगढ़ | 771 | 23.13 | 14 | 9.13 | 39.4 |
| दमन एवं द्वीप | 121 | 3.63 | 3 | 0.63 | 17.36 |
| पॉण्डिचेरी | 964 | 28.92 | 19 | 9.92 | 34.3 |

अनुबध 8

(पैराग्राफ 1.6.2.4 देखें)

1995-2000 के दौरान प्रतिरक्षण कवरेज

(आंकड़े लाखों में)

| राज्य | लक्ष्य | उपलब्धियां | | | | एफ आइ | डीटी | | टीटी (16) | | टीटी (10) | |
|------------------------|--------|------------|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | बीसीजी | मिश्रित्स | डीपीटी | ओपीवी | | टी | ए | टी | ए | टी | ए |
| अरुणाचल प्रदेश | 1.24 | 0.69 | 0.49 | 0.65 | 0.60 | 0.49 | - | - | 0.57 | 0.25 | 0.62 | 0.50 |
| बिहार | 30.14 | 20.36 | 14.71 | 16.5 | 21.24 | 14.71 | - | - | - | - | - | - |
| गोवा | 1.12 | 1.27 | 1.03 | 1.14 | 1.14 | 1.03 | - | - | - | - | - | - |
| हरियाणा | 27.01 | 28.74 | 24.06 | 26.05 | 26.21 | 24.06 | 24.53 | 25.87 | 19.54 | 15.14 | 23.01 | 20.52 |
| हिमाचल प्रदेश | 7.06 | 7.00 | 6.40 | 6.71 | 6.66 | 6.40 | 6.00 | 6.15 | 5.55 | 43.94 | 6.10 | 5.4 |
| कर्नाटक | 57.64 | 58.99 | 51.71 | 55.9 | 55.94 | 51.71 | - | - | - | - | - | - |
| मेघालय | 2.91 | 2.10 | 1.18 | 1.62 | 1.60 | 1.18 | - | - | - | - | - | - |
| मिजोरम | - | 0.85 | 0.71 | 0.79 | - | 0.71 | - | - | - | - | - | - |
| नागालैण्ड | 1.55 | 0.47 | 0.29 | 0.82 | 0.82 | 0.29 | 26.27* | 15.95 | - | - | - | - |
| सिक्किम | 0.57 | 0.55 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.23 | 0.55 | 0.50 |
| तमिलनाडु | 58.08 | 67.87 | 59.89 | 61.27 | 61.52 | 59.89 | -- | - | 58.86 | - | 60.39 | 51.49 |
| त्रिपुरा | 3.26 | 2.87 | 2.26 | 2.62 | 2.65 | 2.26 | -- | - | - | - | - | - |
| पश्चिम बंगाल | 71.14 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | - | - | - | - | - | - |
| अण्डमान एवं निकोबार | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | - | - | - | - | - | - |
| दादरा एवं नगर हवेली | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
| दिल्ली | 11.7 | 13.52 | 9.81 | 10.22 | 10.28 | 9.81 | 13.11 | 9.89 | 11.23 | 2.45 | 12.47 | 8.54 |
| पांडिचेरी | 0.84 | 1.53 | .80 | 0.92 | 0.92 | .80 | 0.78 | 0.92 | - | - | 0.86 | 1.03 |
| कुल | 274.54 | | 229.47 | 241.49 | | 229.47 | | | | | | |

* एफ आ:ई- पूर्ण प्रतिरक्षण

* 1996-99 में 3 वर्षों तक के आंकड़े प्रदान किए गए

अनुबन्ध 9

(पैराग्राफ 1.7 देखें)

डैमोग्राफिक लक्ष्य

(प्रति हजार)

| क्र.सं. | राज्य/सं.शा.क्ष. के नाम | सीडीआर | | | सीडीआर | | | आइएमआर | |
|---------|-------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|
| | | 1995 | 1998 | 1999 | 1995 | 1998 | 1999 | 1995 | 1998 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 24.00 | 22.30 | 22.40 | 8.30 | 8.80 | 8.80 | 66 | 66 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 23.80 | 21.90 | 22.50 | 6.00 | 5.90 | 6.10 | 63 | 44 |
| 3. | असम | 29.30 | 27.70 | 27.90 | 9.60 | 10.10 | 10.00 | 77 | 78 |
| 4. | बिहार | 32.10 | 31.10 | 31.10 | 10.50 | 9.40 | 9.40 | 73 | 67 |
| 5. | गोवा | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 7.30 | 8.10 | 8.20 | 14 | 23 |
| 6. | गुजरात | 26.70 | 25.30 | 25.50 | 7.60 | 7.80 | 7.90 | 62 | 64 |
| 7. | हरियाणा | 30.00 | 27.60 | 27.60 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 68 | 70 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 25.20 | 22.50 | 22.50 | 8.60 | 7.70 | 7.70 | 67 | 68 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | उ.न. | 19.80 | 19.90 | उ.न. | 5.40 | 5.40 | उ.न. | 45 |
| 10. | कर्नाटक | 24.20 | 22.70 | 22.00 | 7.60 | 7.90 | 7.90 | 62 | 58 |
| 11. | केरल | 17.70 | 18.20 | 18.30 | 6.00 | 6.40 | 6.40 | 16 | 16 |
| 12. | महाराष्ट्र | 33.00 | 30.60 | 30.70 | 11.80 | 11.20 | 11.20 | 99 | 98 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 24.50 | 22.30 | 22.50 | 7.40 | 7.60 | 7.70 | 55 | 49 |
| 14. | मणिपुर | 20.30 | 19.00 | 19.00 | 6.70 | 5.30 | 5.30 | 23 | 25 |
| 15. | मेघालय | 28.90 | 29.20 | 29.20 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 49 | 52 |
| 16. | मिजोरम | उ.न. | 15.80 | 15.80 | उ.न. | 5.60 | 5.60 | उ.न. | 23 |
| 17. | नागालैण्ड | उ.न. | उ.न. | 11.90 | उ.न. | उ.न. | 17.00 | 6 | उ.न. |
| 18. | उड़ीसा | 27.70 | 25.70 | 25.70 | 10.80 | 11.10 | 11.10 | 103 | 98 |
| 19. | पंजाब | 24.70 | 22.40 | 22.40 | 7.30 | 7.70 | 7.70 | 54 | 54 |
| 20. | राजस्थान | 33.20 | 31.50 | 31.60 | 9.10 | 8.80 | 8.80 | 85 | 83 |
| 21. | सिक्किम | 22.50 | 20.90 | 20.90 | 6.90 | 6.10 | 6.10 | 37 | 52 |
| 22. | तमिलनाडु | 20.20 | 18.90 | 19.20 | 7.90 | 8.40 | 8.50 | 56 | 53 |
| 23. | त्रिपुरा | 18.70 | 17.60 | 17.60 | 7.60 | 6.10 | 6.10 | 43 | 49 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 34.70 | 32.40 | 32.40 | 10.40 | 10.50 | 10.50 | 86 | 85 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 23.60 | 21.30 | 21.30 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 59 | 53 |
| 26. | अं. एवं नि. द्वीप समूह | 18.70 | 17.70 | 17.70 | 5.70 | 4.60 | 4.60 | 30 | 30 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 18.50 | 17.90 | 17.90 | 5.10 | 4.10 | 4.10 | 32 | 32 |
| 28. | दा. एवं न. हवेली | 29.70 | 34.10 | 34.10 | 8.20 | 7.70 | 7.90 | 78 | 61 |
| 29. | दमन एवं दीव | 21.80 | 21.50 | 21.40 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 43 | 51 |
| 30. | दिल्ली | 22.60 | 19.40 | 19.40 | 5.90 | 5.30 | 5.30 | 43 | 36 |
| 31. | लक्षद्वीप | 25.50 | 22.90 | 23.00 | 7.70 | 6.20 | 6.20 | 27 | 30 |
| 32. | पांडिचेरी | 19.80 | 18.00 | 18.20 | 7.30 | 7.80 | 7.80 | 31 | 21 |
| | समस्त भारत | 28.30 | 26.40 | 26.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 74 | 72 |

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

5

1871

अध्याय II : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग

2. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

लेखापरीक्षा पुनरीक्षण से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम की अपर्याप्तताएँ प्रकाश में आईं। यद्यपि कार्यक्रम में सामाजिक क्षेत्र के संचालन हेतु सभी अपेक्षित तत्व समाविष्ट थे किन्तु यह समग्र रूप से आधारभूत वास्तविकाताओं को सम्बोधित नहीं कर सका। कार्य साधक के रूप में भी यह स्थानीय समुदाय की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने तथा जागरूकता अथवा सामुदायिक स्वामित्व का भाव उत्पन्न करने में विफल रहा। जबकि जि.प्रा.शि.का. निधियों का उपयोग नहीं किया गया, निजी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण थी। वास्तव में प्रधान उद्देश्यों पर योजनाबद्ध मध्यस्थता ने अपेक्षित प्रभाव नहीं डाला।

विशिष्टताएं

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में नामांकन में वृद्धि करना, बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी लाना, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अथवा तदनु रूप अनौपचारिक शिक्षा के साथ गणित एवं भाषाओं में उनका क्षमता स्तर विकसित करने की सुविधा प्रदान करना सम्मिलित था। कार्यक्रम का उद्देश्य लिंग तथा सामाजिक वर्गों में विद्याध्ययन की विषमताएँ घटाकर पांच प्रतिशत से नीचे तक कम करना भी था।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की रणनीति में विकेन्द्रीयकरण तथा सहभागिता योजना, अपेक्षित भौतिक मूलभूत अवसरचना का निर्माण तथा उपयुक्त क्षमता निर्माण उपायों द्वारा विद्यालयों की प्रभावकारिता में वृद्धि करना शामिल था। अनौपचारिक संरचना जैसे वैकल्पिक विद्यालय तथा आरंभिक वाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा केन्द्रों के समागम का भी कार्यक्रम रणनीति के अन्तर्गत निर्माण किया गया था।

तथापि कार्यक्रम की उपलब्धियाँ अपेक्षित उद्देश्यों से कम रही जैसाकि नीचे बताया गया है:

विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के प्रावधानों के अभाव में प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 84 प्रतिशत विद्यालयों में कन्याओं के लिए पृथक प्रसाधन उपलब्ध नहीं थे, जबकि 33 प्रतिशत विद्यालयों में पेय जल की सुविधा नहीं थी। उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्रमशः 72 और 96 था जो बहुत अधिक था। सात राज्यों में विद्यार्थी-कक्षा कमरों का अनुपात सामान्य स्तर से

अधिक था। यह सर्वाधिक प्रश्चिम बंगाल में (84) उसके बाद असम में (66) तथा उत्तर प्रदेश में (64) था।

बच्चों के नामांकन में वृद्धि के रूप में कार्यक्रम का प्रभाव पड़ने का कम संकेत मिलता था। जि.प्रा.शि.का. के कार्यान्वयन की प्रारम्भिक अवधि में तुलनात्मक दृष्टि से नामांकन के रूप में उच्चतर वृद्धि देखी गई परन्तु इसे जि.प्रा.शि.का. युक्त सभी राज्यों में अनुवर्ती कार्यों में वहन नहीं किया जा सका। आठ राज्यों के 23 जिलों में नामांकन की प्रतिशतता में वास्तव में कमी आई। 1997-99 की अवधि में जि.प्रा.शि.का. वाले नौ राज्यों में कक्षा I के नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। एक कक्षा से दूसरी में प्रवेश के कारण प्रतिशतता के अंश के रूप में लड़कियों के नामांकन में कमी आई। बालक एवं बालिकाओं तथा अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य के नामांकन में असमानता का स्तर जि.प्रा.शि.का. के हस्तक्षेप के बावजूद भी निरन्तर जारी रहा।

जि.प्रा.शि.का. का उद्देश्य प्रारम्भिक बाल्यावस्था परिचर्या और शिक्षा केन्द्रों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों (वैकल्पिक विद्यालयों) के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को अभिसारित करना था, जबकि (प्रा.बा.दे.भ.शि. केन्द्र) आरम्भिक बाल्यावस्था परिचर्या तथा शिक्षा केन्द्र खोलने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, वैकल्पिक विद्यालय खोलने हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। मध्यप्रदेश में मापदण्डों का उल्लंघन करते हुए एकीकृत बाल विकास योजना से आवृत्त क्षेत्रों में आरंभिक बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा केन्द्र खोले गए। केवल 9 प्रतिशत परिवारों को ही अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के विषय में जानकारी थी। परिणामस्वरूप इन केन्द्रों में नामांकन अत्यधिक कम 0.6 प्रतिशत था।

केरल को छोड़कर सभी जि.प्रा.शि.का. वाले राज्यों में विद्यालय छोड़ने वालों की दर 10 प्रतिशत से अधिक बनी रही, असम और बिहार की स्थिति अधिक चिन्ताजनक थी जहां छोड़ने वालों की दर 38 तथा 39 प्रतिशत के बीच तक अधिक रही। असम, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के छः राज्यों में अ.जा., अ.ज.जा. के छोड़कर जाने वालों की दर में या तो वृद्धि रही या स्थिरता रही। कक्षा-वार छोड़कर जाने वालों की दर कक्षा I में सर्वाधिक थी। सात राज्यों के 17 जिलों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि लिंग तथा सामाजिक रूप से प्रतिकूल स्थिति वाले वर्गों में छोड़कर जाने वालों की दर पांच प्रतिशत से अधिक रही।

अधिकांश जिलों में भाषा तथा गणित में कुशलता दोहन के स्तर में 25 प्रतिशत तक वृद्धि उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। बालक-बालिकाओं के बीच तथा अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य के बीच कुशलता स्तर का अन्तर 5 प्रतिशत तक के वांछित स्तर तक सीमित नहीं किया जा सका।

कार्यक्रम पदाधिकारियों विशेषकर अध्यापकों/प्रशिक्षकों की नियुक्ति में व्यापक कमी देखी गई। कार्यक्रम में महिला अध्यापिकाओं की उच्च अनुपात में नियुक्ति पर जोर देने के

बावजूद 34 प्रतिशत विद्यालयों में एक भी महिला अध्यापिका नहीं थी। छः राज्यों में अध्यापकों की तैनाती असंरचनात्मक पाई गई। राज्यों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दृढ़ता से अनुसरण भी नहीं किया गया तथा अध्यापकों एवं अन्य कार्यक्रम पदाधिकारियों की बड़ी संख्या को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका।

कार्यक्रम में समुदाय आधारित संरचनाओं जैसे ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम निर्माण समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, मातृ-अध्यापक संघ की सहायता से स्थानीय समाज को सम्मिलित करते हुए विकेन्द्रीयकरण एवं सहभागिता योजना पर जोर दिया गया था। तथापि इन संरचनाओं के अस्तित्व तथा क्रियात्मक स्थिति में महत्वपूर्ण अन्तर देखा गया। शिक्षकों को स्थल पर शैक्षिक सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी खण्ड संसाधन केन्द्र तथा समूह संसाधन केन्द्र केवल 58 प्रतिशत अध्यापकों को ही प्रशिक्षण/शैक्षिक सहायता प्रदान कर सके।

सिविल कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे। सिविल कार्यों में समुदाय की भागीदारी सीमांतक थी।

1994-95 से 1999-2000 की अवधि में 3951.26 करोड़ रु. के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना बजट के प्रति 2271.95 करोड़ रु. जारी किए गए। यहां तक कि इतना कम बजट आवंटन भी राज्यों द्वारा पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया इस प्रकार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय निधियन अभिकरणों द्वारा सुलभ ऋण तथा अनुदान के रूप में प्रदत्त निधियों को उनकी सवितरण सूची के अनुसार आहरित नहीं किया जा सका। संसाधनों के उपयोग में परिहार्य, बेकार तथा व्यर्थ व्यय के उदाहरणों के अतिरिक्त निधियों के विपथन के कई उदाहरण पाए गए।

लक्षित वर्गों को पाठ्य पुस्तकों तथा पूरक सामग्री का निःशुल्क वितरण समुचित नहीं था। 81 प्रतिशत विद्यालयों ने पाठ्य पुस्तकों की पुष्टि की तथा 44 प्रतिशत विद्यालयों ने विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण हेतु अन्य सामग्री प्राप्त करने की पुष्टि की। इसके प्रति केवल 64 तथा 243 प्रतिशत अभिभावकों ने (एक सर्वेक्षण में) क्रमशः पाठ्य पुस्तकों तथा अनुपूरक सामग्री प्राप्त करने की पुष्टि की।

केन्द्र तथा राज्य स्तर पर योजना का अनुश्रवण प्रभावी नहीं था क्योंकि योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित विभिन्न समितियों की बैठक नियमित रूप से नहीं होती थी। 12 वे संयुक्त समीक्षा मिशन के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय निधियन एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गम्भीर कमियाँ पाईं।

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 पृष्ठ भूमि

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण (प्रा.शि.सा.) अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य विषय रहा है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में कुछ सुधार के बावजूद प्राथमिक

विद्यालय आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे अभी विद्यालयों से वंचित है तथा बालिकाओं, अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) के बच्चों की सहभागिता बहुत कम रही है तथा एक चुनौती प्रस्तुत करती है। प्रा.शि.सा. का लक्ष्य निरन्तर भ्रान्तिजनक बन कर रह गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा.शि.नी.) 1986 तथा कार्यवाही कार्यक्रम 1992 का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण (प्रा.शि.सा.), अर्थात् सर्वसुलभ बनाना, 14 वर्ष की आयु तक के शिक्षार्थियों का नामांकन करना तथा उनको रोके रखना और शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार करना था ताकि सभी बच्चे शिक्षण का अनिवार्य स्तर प्राप्त कर सकें। इसमें शैक्षिक रूप से असुविधायुक्त तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यनीति तैयार की गई थी। इसने आगे आधारभूत शिक्षा औपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षण दोनों के विस्तार तथा सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। इसने एक एकीकृत तथा विकेंद्रीकृत प्रयास की आवश्यकता व्यक्त की तथा प्राथमिक शिक्षा की आयोजना और प्रबंधन के लिए विशेषकर जिला तथा उप जिला स्तर पर भवन निर्माण क्षमता पर बल दिया।

इन नीति प्रावधानों के अभिप्राय को आत्मसात करते हुए विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (अ.वि.सं.) द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक सुस्वा निवल क्रेडिट (सा.सु.नि.क्रे.) का कार्यनीति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (जि.प्रा.शि.का.) के माध्यम से उपयोग किया गया। शिक्षा विभाग ने जि.प्रा.शि.का. को औपचारिक रूप से 1994 में प्रारम्भ किया।

2.1.2 जि.प्रा.शि.का. के उद्देश्य

जि.प्रा.शि.का. के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- (i) नामकन बीच में छोड़ने वालों की दर में तथा लिंग और सामाजिक वर्गों में विद्यार्जन की विषमताएं घटाकर 5 प्रतिशत से नीचे तक कम करना।
- (ii) सभी विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की सम्पूर्ण दर को घटाकर 10 प्रतिशत से कम करना।
- (iii) प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों द्वारा, परिमापित आधार रेखा से औसत उपलब्धि स्तर को कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा आधारभूत साक्षरता और गणन सक्षमता तथा अन्य सक्षमताओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत की उपलब्धि स्तर को सुनिश्चित करना।
- (iv) सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अथवा उसके समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

2.1.3 कार्यक्रम कार्य नीति

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यक्रम कार्य नीतियां इस प्रकार हैं-

- विकेन्द्रीयकरण और प्रतिभागी आयोजना जो स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर से ऊपर की संरचना के विकास पर बल देती है।
- भौतिक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करना जिससे प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच, प्रतिधारण सुगम हो जाए और समुदायिक स्वामित्व की भावना उत्पन्न हो।
- शिक्षकों की प्रतिस्थापना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के द्वारा तथा उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित करके पाठशाला की प्रभावकारिता में वृद्धि करना।
- अनौपचारिक संरचना के साथ अभिसरण तथा लिंग और समुदाय संबंधी बाधाओं का हटाकर समान रूप से ध्यान केन्द्रित करने की व्यवस्था करना।

2.1.4 जिला चयन मापदण्ड

जिला जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन की इकाई है, का चयन निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जाता है:

- (क) शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले जिनमें महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम हो, और
- (ख) ऐसे जिले जहां समग्र साक्षरता अभियान (स.सा.अ.) सफल रहे हों, जिसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक शिक्षा के लिए मांग बढ़ी हो।

2.1.5 व्याप्ति

यह कार्यक्रम 1994-95 में सात राज्यों (असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु) में प्रथम चरण में 42 जिले आवृत्त करते हुए प्रारंभ किया गया था तथा 1996-97 और 1997-98 से विद्यमान राज्यों के और अधिक जिलों तथा आठ अन्य राज्यों (गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान) में चरणों में (चरण II/III) इसका विस्तार किया गया। अभी तक कुल 214 जिले शामिल किए गए हैं। जि.प्रा.शि.का. I और जि.प्रा.शि.का. II के लिए परियोजना अवधि सात वर्ष की और जि.प्रा.शि.का. III के लिए छः वर्ष की।

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

2.2 संगठनात्मक ढांचा

मानव विकास संसाधन मंत्रालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के समग्र नियंत्रण और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय स्तर के ढांचे में निम्नलिखित शामिल है:-

- (i) मानव विकास संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक समान्य परिषद तथा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना बोर्ड।
- (ii) शिक्षा विभाग में एक संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ब्यूरो, जिसमें छः निदेशक/उपसचिव तथा आवश्यक सहायक कर्मचारी होंगे।
- (iii) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम - एजुकेशनल कन्सल्टेंट इन्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत एक तकनीकी सहायता दल।

राज्य स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन पंजीकृत राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। संस्था के दो अंग इस प्रकार हैं:-

- (i) एक समान्य परिषद जिसका पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री हों, तथा
- (ii) मुख्य सचिव / शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य के कार्यक्रम निदेशक का होता है जो कार्यकारी समिति और समान्य परिषद का सदस्य सचिव होता है। सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति में भी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व होता है।

राज्य स्तरीय पंजीकृत संस्था के माध्यम से कार्यान्वित होकर जि.प्रा.शि.का. में निर्णय लेने की विकेन्द्रीयकृत योजना के प्रत्येक स्तर पर अंशाधारियों की भागीदारी से प्रचालनात्मक नम्यता की परिकल्पना की गई है।

जिला और उपजिला स्तर पर कार्यक्रम अयोजन और प्रबन्धन का कार्य संवद्ध विभाग के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधीश के नेतृत्व में जिला परियोजना कार्यान्वयन समिति के परामर्श से किया जाता है।

2.3 पुनरीक्षण का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 1999 से जुलाई 2000 तक की अवधि में 14 राज्यों अर्थात् आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 70 जिलों में (1997-98 तक आवृत्त 149 में से) कार्यक्रम का 1994-95 से 1999-2000 तक की अवधि का पुनरीक्षण किया। राज्य परियोजना कार्यालयों, चयनित जिलों के जिला परियोजना कार्यालयों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में रखे गए

कार्यक्रम से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा यह जानने के लिए जांच की गई कि कार्यक्रम के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया था ।

इसके अलावा ओ.आर.जी. समाज अनुसंधान केंद्र जो ओ.आर.जी. एम.आ.जी. रिसर्च लिमिटेड का एक प्रभाग है की सेवाएं भी लेखापरीक्षा द्वारा ली गई जिसका मुख्य उद्देश्य लाभभोगियों पर जि.प्रा.शि.का. का प्रभाव, लक्षित जनता को आवृत्ति करने का कार्य तथा जि.प्रा.शि.का. के अधीन सृजित परिसम्पत्तियों की स्थिति का आकलन करना । सर्वेक्षण अक्टूबर 2000 से दिसम्बर 2000 तक किया गया जिसमें 54 जिले 1081 गाँव, 280 जनगणना खण्ड, 22 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/राज्य शैक्षिक प्रबन्धन और प्रशिक्षण संस्थान, 150 खण्ड संसाधन केंद्र शामिल किए गए ।

एजेंसी ने 40844 परिवारों, विद्यालय से बाहर हुए 5164 बच्चों के अभिभावकों तथा 13929 स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों, 2451 शिक्षकों 3161 ग्राम शिक्षा समिति (ग्रा.शि.स.)/ग्राम निमाण समिति (ग्रा.नि.स.) 801 अभिभावक शिक्षक संघ (अ.शि.स.)/मातृ शिक्षक संघ (मा.शि.स.)/के सदस्यों से सम्पर्क किया । सर्वेक्षण में दोनों संख्यात्मक (प्राथमिक सर्वेक्षण में पूव जाच की गई लाभभोगी अनुसूचियों का प्रयोग करके तथा गुणात्मक (कार्यक्रम अधिकारियों के साथ गहन साक्षात्कार करके) तकनीकों को प्रयोग किया गया । सर्वेक्षण के निष्कर्षों को जहां जहां उपयुक्त हुआ समीक्षा में संदर्भित किया गया है । सर्वेक्षण के निष्कर्षों का सारांश **अनुबन्ध 1** में दिया गया है ।

2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

पुनरीक्षण निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया था:

- यदि नीति ढांचा तथा कौशल मापदंड उत्पादकतापूर्ण एवं काल्पनिक रूप से बनाये गये हैं, की जांच करना ।
- मुख्य संकेतकों द्वारा, विस्तार, पहुंच तथा कार्यक्रम पर स्थाई प्रभाव का मूल्यांकन करना ।
- प्रक्रियाओं जिनके द्वारा कार्यक्रम के संसाधन, आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं तथा वितरण के स्तरों के आधार पर लगाये गये थे, के साथ सहसम्बन्ध स्थापित करना ।
- क्षमता उत्पन्न करने की प्रभावोत्पादकता तथा सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य के संदर्भ में सहयोगपूर्ण उपायों का आंकलन करना ।

2.5 संसाधनों का प्रयोग

2.5.1 निधियन का स्रोत

जि.प्रा.शि.का. भारत सरकार परियोजना की लागत का 85 प्रतिशत तथा राज्य सरकार शेष 15 प्रतिशत का अंशदान कर रही एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। दोनों केन्द्रीय सरकार अंशदान तथा राज्य सरकार अंशदान प्रत्यक्षरूप से राज्य कार्यान्वयन समितियों (रा.का.स.) को अनुदान के रूप में प्रदान किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार का अंशदान पूर्णतया बाह्य निधीयन द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय एन्जेसियां जैसे कि विश्व बैंक, यूरोपीय समुदाय, नीदर लैंड सरकार, अन्तराष्ट्रीय विकास विभाग (अ.वि.वि.) तथा संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय बाल-आपात कोष (यूनिसेफ), सुलभ ऋण तथा योजना अवधि के दौरान वितरित किये जाने वाले अनुदानों के रूप में जि.प्रा.शि.का. को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही हैं। प्रत्येक एजेंसी द्वारा वचनबद्ध की गई ऋणों तथा अनुदानों की प्रमात्रा नीचे दी गई है।

| क्र.सं | एजेंसी का नाम | सहायता की शर्त | वचनबद्ध की गई कुल राशि (करोड़ रु. में) |
|--------|---|----------------|--|
| 1. | विश्व बैंक अन्तराष्ट्रीय विकास संस्था (अ.वि.स.) | सुलभ ऋण | 4545.00 |
| 2. | यूरोपीय समुदाय (मध्य प्रदेश के लिए) | अनुदान | 585.00 |
| 3. | नीदरलैंड सरकार (गुजरात के लिए) | अनुदान | 90.00 |
| 4. | अन्तराष्ट्रीय विकास हेतु विभाग (यू.के.) (पश्चिम बंगाल तथा आन्ध्र प्रदेश के लिए) | अनुदान | 629.00 |
| 5. | यूनिसेफ (बिहार के लिए) | अनुदान | 36.00 |
| | कुल | | 5885.00 |

2.5.2 कार्य योजना, आवंटन एवं व्यय

(क) प्रत्येक प्रोजेक्ट वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना तथा बजट (वा.का.यो.ब.) पर आधारित केन्द्रीय सरकार का 85 प्रतिशत अंशदान रा.का.स. को उपलब्ध किया जाना है। यद्यपि यह पाया गया था कि 1994-2000 के दौरान बजट आवंटन वा.का.यो. और ब. द्वारा अनुमोदित अपेक्षित राशि से बहुत कम थे। इससे इंगित हुआ कि कार्य योजनाएं पूर्णतया निधिवद्ध नहीं की गई थी। अनुमोदित वा.का.यो.ब., बजट आवंटन के विवरण नीचे दिये गये हैं।

अनुमोदित वा.का.यो.ब. व अनुसार निधिया आवंटित नहा की गई थी।

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | वर्ष | अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना बजट | अपेक्षित बजट आवंटन | जारी की गई निधि | अपेक्षित बजट आवंटन को जारी की गई निधि की प्रतिशतता |
|---------|-----------|----------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 1. | 1994-95 | 108.98 | 92.63 | 94.00 | 101 |
| 2. | 1995-96 | 250.87 | 213.23 | 201.14 | 94 |
| 3. | 1996-97 | 330.11 | 280.59 | 184.00 | 65 |
| 4. | 1997-98 | 760.15 | 646.12 | 559.89 | 87 |
| 5. | 1998-99 | 1072.30 | 911.46 | 550.00 | 60 |
| 6. | 1999-2000 | 1428.85 | 1214.52 | 682.92 | 56 |
| | जोड़ | 3951.26 | 3358.55 | 2271.95 | 68 |

यह स्पष्ट है कि मुख्यतया पिछले दो वर्षों में बढ़ती हुई निधियन की अवशोषण करने की राज्य की क्षमता पर प्रतिबन्ध थे, जैसा कि ऊपर तालिका से देखा जा सकेगा।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि कार्यान्वयन के पहले तथा दूसरे वर्षों के दौरान व्यय कम थे, बाद के वर्षों के दौरान आवंटन /निधियों को जारी करना व्यय की प्रवृत्ति के अनुसार नियमित किया गया था यद्यपि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि तब क्यों जारी की गई उच्चतर निधियाँ व.का.यो.अ.ब. में अनुमोदित की गई थी।

(ख) 1994-2000 के दौरान अनुमोदित व.का.यो.अ.ब. जारी की गई निधिया तथा किये गये व्यय की राज्य-वार स्थिति नीचे दी गई है-

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | अवधि | चरण | अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना | भा.स. तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधियाँ | व्यय (जारी की गई निधियों की प्रतिशतता) | व.का.यो.अ.ब. को जारी की गई निधियों की प्रतिशतता | अ.व.क.यो.के व्यय की प्रतिशतता |
|---------|---------------|----------------------|------------|------------------------------|---|--|---|-------------------------------|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1996-97 से 1999-2000 | चरण I + II | 422.41 | 640.93 | 325.76 (51) | 152 | 77 |
| 2. | असम | 1994-95 से 1999-2000 | चरण I + II | 186.37 | 141.54 | 129.95 (92) | 76 | 70 |
| 3. | बिहार | 1997-98 से 1999-2000 | | 206.10 | 117.16 | 99.73 (85) | 57 | 48 |
| 4. | गुजरात | 1996-97 से 1999-2000 | | 58.59 | 58.75 | 55.41 (94) | 100 | 95 |
| 5. | हरियाणा | 1994-95 से 1999-2000 | चरण I + II | 164.82 | 103.06 | 95.66 (93) | 63 | 58 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 1996-97 से 1999-2000 | | 69.63 | 62.49 | 53.59 (86) | 90 | 77 |
| 7. | कर्नाटक | 1994-95 से 1999-2000 | चरण I + II | 315.3 | 271.57 | 258.87 (95) | 86 | 82 |
| 8. | केरल | 1994-95 से 1999-2000 | चरण I + II | 135.97 | 110.4 | 104.11 (94) | 81 | 77 |
| 9. | महाराष्ट्र | 1994-95 से 1999-2000 | चरण I + II | 235.45 | 192.91 | 164.37 (85) | 82 | 70 |

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------|---------------|--------|--------|-------------|----|----|
| 10. | मध्य प्रदेश | 1994-95 से 1999-2000 | चरण I + II | 692.77 | 633.49 | 566.07 (89) | 91 | 82 |
| 11. | उड़ीसा | 1996-97 से 1999-2000 | | 89.24 | 62.08 | 51.71 (83) | 70 | 58 |
| 12. | तमिलनाडु | 1994-95 से 1999-2000 | चरण I + II | 158.38 | 145.02 | 122.34 (84) | 92 | 77 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 1996-97 से 1999-2000 | | 243.78 | 224.12 | 191.50 (85) | 92 | 79 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 1996-97 से 1999-2000 | | 94.76 | 66.62 | 52.80 (79) | 70 | 56 |

ऊपर की तालिका से यह देखा जाएगा कि दोनों केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का अनुपात अनुमोदित व.क.यो.अ.ब. के 57 प्रतिशत (बिहार) से 152 प्रतिशत (आन्ध्रप्रदेश) के बीच रहा। आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर अधिकतर राज्यों में वास्तविक व्यय जारी की गई निधियों के संदर्भ में 79 प्रतिशत से कहीं अधिक था। यद्यपि अनुमोदित कार्य योजना के सम्बन्ध में राज्यों का वित्तीय निष्पादन वचनबद्ध संसाधनों के संदर्भ में कम था, इसके परिणामस्वरूप योजना स्तर से नीचे का बजट बनाना पड़ा। यह तथ्य से स्पष्ट है कि योजना आकार के संदर्भ में उपयोगिता बिहार, उड़ीसा, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में 60 प्रतिशत से कम तथा आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तथा हिमाचल प्रदेश में 70 तथा 80 प्रतिशत के बीच थी। केवल गुजरात, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में यह 80 प्रतिशत से अधिक रही।

2.5.3 राज्यों द्वारा निधियों का कम जारी किया जाना

राज्य सरकारों ने अपने पूरे अंशदान जारी नहीं किये।

राज्य सरकारें योजना लागत का 15 प्रतिशत अंशदान करने हेतु अपेक्षित थी। नीचे दिये गये छः राज्यों ने अपने पूरे अंशदान जारी नहीं किये जिसके फलस्वरूप 1994-2000 के दौरान 29.28 करोड़ रु. तक की कम निधियां जारी हुईं।

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. i. | राज्य का नाम | अवधि | भा.स. द्वारा जारी की गई राशि | 15 प्रतिशत राज्य अंश के रूप में राज्यों से देय राशि | राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि | राज्य सरकार द्वारा कम जारी की गई राशि | कम जारी की गई प्रतिशतता |
|------------|---------------|-------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1996-97 से 1999-2000 | 101.00 | 17.82 | 12.25 | 5.57 | 31 |
| 2. | असम | 1994-95 से 1999-2000 | 134.37 | 23.71 | 7.15 | 16.56 | 70 |
| 3. | हरियाणा | 1994-95 से 1999-2000 | 89.18 | 15.74 | 13.88 | 1.86 | 12 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 1996-97 से 1999-2000 | 50.80 | 8.96 | 7.20 | 1.76 | 20 |
| 5. | केरल | 1994-95 से 1999-2000 | 88.86 | 15.68 | 12.23 | 3.45 | 22 |
| 6. | तमिलनाडु | 1994-95 से 1999-2000 | 118.32 | 20.88 | 20.80 | 0.08 | 0.38 |
| | कुल | | | | | 29.28 | |

ऊपर की तालिका से यह देखा जा सकता है कि असम ने अपने अंश का केवल 30 प्रतिशत ही जारी किया।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि चार राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश (1.48 करोड़ रु.), असम (14.85 करोड़ रु.), हरियाणा (1.77 करोड़ रु.) तथा हिमाचल प्रदेश (1.76 करोड़ रु.) ने 2000-2001 के दौरान केवल कुछ भग अपने अंशदान का जारी किया तथा बाकी कमी वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी की जाएगी।

2.5.4 विदेशी सहायता का कम उपयोग

अन्तर्राष्ट्रीय
निधियन एजेंसियों
द्वारा बचबद्ध की
गई निधियों का
उपयोग उनकी
संवितरण
अनुसूची द्वारा
नहीं किया गया
था।

मंत्रिमंडल ने, जि.प्रा.शि.का. को अनुमोदित करते समय निर्णय लिया था कि अतिरिक्त योजना आवंटन जि.प्रा.शि.का. के लिए अनुमोदित विदेशी निधियों के प्रवाह के साथ अनुरूप करते हुए कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। लेखापरीखा ने पाया कि निधियन एजेंसियों द्वारा वचनबद्ध वितरण आशा के अनुकूल नहीं उपयोग किये जा सके थे। अ.वि.स. देय (सुलभ ऋण) पूर्णतः चरण I के लिए, 1999-2000 तक 196.85 मिलियन अमरीकी डालर के संचित लक्ष्य के प्रति अ.वि.स. केवल 131.854 मिलियन अमरीकी डालर (67 प्रतिशत) ही वितरित कर सका क्योंकि व्यय अनुमोदित योजना आकार के साथ-साथ नहीं हुआ। इसी प्रकार जि.प्रा.शि.का. चरण II के लिए 164.6 मिलियन अमरीकी डालर लक्ष्य के प्रति, अ.वि.स. द्वारा किये गये वितरण केवल 150.365 मिलियन अमरीकी डालर थे। जि.प्रा.शि.का. चरण III - बिहार के लिए, 31 मार्च 2000 तक 65.25 मिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य के प्रति, अ.वि.स. ने केवल 16.448 मिलियन अमरीकी डालर ही जारी किये। आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में डी.एफ.आइ.डी. के अनुदानों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में, 162.89 करोड़ रु. के व्यय लक्ष्य के प्रति आन्ध्र प्रदेश में केवल 93.2 करोड़ रु. ही उपयोग में लाए जा सके। पश्चिम बंगाल में 31 मार्च 2000 तक 136.95 करोड़ रु. के लक्षित व्यय के प्रति केवल 52.80 करोड़ रु. (38 प्रतिशत) ही व्यय किया गया था, इस व्यय ने 31 मार्च 2000 तक 104 करोड़ रु. के वितरण लक्ष्य के प्रति 44.88 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति प्राप्त की।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि कार्यान्वयन की धीमी गति तथा परिणामस्वरूप निम्न स्तर के व्यय के कारण विदेशी सहायता पूर्णतया उपयोग में नहीं लाई जा सकी।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि वर्षों तक विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के कारण यह असम्भव है कि विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में निर्धारित वितरण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता। यद्यपि रूपये के सम्बन्ध में भी जि.प्रा.शि. का-I, जि.प्रा.शि. का.-III तथा दूसरे अनुदानों के लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

2.5.5 निधियों का गलत उपयोग तथा विपथन

2.5.5.1 जि.प्रा.शि.का. के दिशानिर्देशों में निर्धारित वित्तीय मापदंडों के अनुसार जि.प्रा.शि.का. अशैक्षणिक प्रोत्साहन, जैसे कि निःशुल्क वर्दियां उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन, आहार इत्यादि को वित्तपोषित नहीं करेगा। केवल राज्यों में जिनमें ऐसी योजना नहीं है योजना जिलों में बालिकाओं, अ.जा./अ.ज.जा. को निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान किया जाएगा। नकद छात्रवृत्तियां/पुरस्कार जि.प्रा.शि.का. की निधियों से वित्तपोषित लिए नहीं किये जाएंगे सिवाय स्कूलों के बीच प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के पुरस्कार कार्यक्रम उन क्षेत्रों में जैसे कि बालिकाओं, अ.जा./अ.ज.जा. का नामांकन तथा प्रतिधारण। यद्यपि यह देखा गया था कि 15.93 करोड़ रू. की निधियां 10 राज्यों में ऐसे क्रियाकलापों में खर्च की जो जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत नहीं आते। विवरण अनुबन्ध-2 में दिये गये हैं।

10 राज्यों में कार्यक्रम द्वारा आवृत्त न की गई गतिविधियों पर 15.93 करोड़ रू. व्यय किये गए।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि मदें/कार्यक्रम, जिनके लिए निधियां असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक तथा केंद्र में उपयोग की गई योजना अनुमोदन मण्डल द्वारा प्रत्येक मामले में अनुमोदित की गई थी। हांलाकि ये विशेषरूप से जि.प्रा.शि.का. दिशानिर्देशों वित्तीय मापदंडों में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। जि.प्रा.शि.का. वित्तीय मापदंडों में सम्मिलित नहीं किए गए जि.प्रा.शि.का. दिशानिर्देशों में प्रावधान किये गये अवशिष्ट अधिकार योजना अनुमोदन मण्डल को नये क्रियाकलापों के लिए जि.प्रा.शि.का. के लिए पात्रता निर्णय करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि एक विस्तृत योजना अवशिष्ट अधिकार नये क्रियाकलापों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किये जा सकते हैं तथा योजना द्वारा प्रतिबन्धित क्रियाकलापों को वित्तपोषित करने के लिए नहीं।

9 राज्यों में 15.2 करोड़ रू. की निधियां या तो दूसरी योजनाओं को विपथन की गई थी या सिविल डिपार्टमेंट में रखी गई थी।

2.5.5.2 जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई निधियां जि.प्रा.शि.का. से सम्बन्धित योजना मण्डल द्वारा अनुमोदित क्रियाकलापों के लिए ही उपयोग की जानी थी। यद्यपि, यह देखा गया कि 15.27 करोड़ रू. की जि.प्रा.शि.का. की निधियां 9 राज्यों द्वारा गैर जि.प्रा.शि.का. क्रियाकलापों के लिए विपथन की गई थी अथवा निजी खाते (नि.खा.)/ सिविल डिपार्टमेंट में रखी गई थी जैसा कि अनुबन्ध-3 में विवरण दिया गया है।

यह देखा गया कि 57 प्रतिशत की विपथन राशि गुजरात द्वारा बजट की समाप्ति को परिहार्य करने हेतु निजी खाते/ सिविल डिपार्टमेंट में रखी गई थी (448.31 लाख रू.), मध्य प्रदेश (217.00 लाख रू.) तथा उड़ीसा (2020.17) द्वारा विपथन की गई 15 प्रतिशत राशि जि.प्रा.शि.का. के साथ-साथ चल रही दूसरी योजनाओं के लिए उपयोग की गई थी जैसे कि दोपहर का भोजन कुल साक्षरता अभियान, अन-ऑपचारिक शिक्षा (मध्य प्रदेश), न्यूनतम स्तर ज्ञान योजना (तमिलनाडु), मूल शिक्षा योजना (उत्तर प्रदेश)।

तमिलनाडु में (63.08 लाख रू.) तथा उत्तर प्रदेश में (199.04 लाख रू.), निधियां प्राथमिक अध्यापकों के लिए विशेष पूर्वाभिमुखीकरण, को चलाने के लिए रा.शे.अ.प्र.प. द्वारा आवृत्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए शिक्षकों को संशोधित वेतन के

बकायों का (राज्य सरकार द्वारा देय) 1999-2000 में भुगतान करने के लिए विपथित की गई ।

164.10 लाख रू. दूसरी गतिविधियों पर खर्च किये गये थे जैसे कि अक्टूबर 1997 से दिसम्बर 1999 के दौरान पांच गैर योजना अधिकारियों को अनियमित भुगतान (8.31 लाख रू. आन्ध्रप्रदेश), वार्षिक आक्समिक/रखरखाव अनुदान का अधिक भुगतान (0.78 लाख रू. आसाम) एवं कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अपने पास रोके गए (48 लाख रू. बिहार), अध्यापकों के लिए पुस्तिका की तैयारी, मुद्रण एवं वितरण (15.00 लाख रू. तमिलनाडू), बेसलाइन मूल्यांकन सर्वेक्षण पर व्यय (14.05 लाख रू. गुजरात), जि.प्रा.शि.का. गतिविधियों से सम्बन्ध न रखने वाली पुस्तिकाओं, रजिस्ट्रों, प्रशंसाप्रमाण पत्रों (जन्म भूमि प्रशंसा पथालू) के मुद्रण प्रभार (77.96 लाख रू. आंध्र प्रदेश)

मई 2001 में मंत्रालय द्वारा दी गई राज्यवार टिप्पणियां नीचे दी गई हैं :

आन्ध्र प्रदेश: मंत्रालय ने कहा कि व्यय पर्यावरण-निर्माण एवं स्कूल स्तर पर भागीदारी के सुधार हेतु जन समुदाय को संघटित करने की ओर किये गये थे, जो कि जि.प्रा.शि.का. मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत अनुमत गतिविधियां हैं । उत्तर सही नहीं था क्योंकि व्यय वास्तव में प्रशंसा पत्रों, पुस्तिकाओं, रजिस्ट्रों एवं शिक्षा समितियां बनाने के प्रमाण पत्रों के मुद्रण प्रभारों पर क.च.आ. परीक्षा के आयोजन हेतु पेट्रोल तेल, एवं स्नेहक प्रभारों, पर जीपों की मरम्मत तथा जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन के लिये किये गये थे ।

असम: अधिक भुगतान का समायेजन कर लिया गया है ।

गुजरात: 448 लाख रू. में से 430.23 लाख रू. की बनासकाठा एवं पंचमहल जिलों की जिला पंचायतों से वसूली की जा रही है तथा बाकी रकम डांग जिले में नये अध्यापकों के वेतनमान के लिए उपयोग कर ली गई है । मंत्रालय ने आगे बताया कि जि.प्रा.शि.का. निधियों से परियोजना पूर्व गतिविधियों पर किया गया 14.05 लाख रू. का व्यय परियोजना-पूर्व गतिविधियों के लिए प्राप्त निधियों को ही प्रभारित किया गया था ।

तमिलनाडु: मंत्रालय ने बताया कि निधियां उपयुक्त गतिविधियों के लिए ही खर्च की गई थी और कोई विपथन नहीं था । उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि निधियों को शिक्षण के न्यूनतम स्तर की परियोजना एवं अध्यापकों के लिए विशेष पूर्वाभिमुखीकरण प्रशिक्षण, जिनके लिए मंत्रालय द्वारा अलग से निधियां प्रदान की जाती है, के लिए खर्च किया गया था ।

मंत्रालय ने केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के सम्बन्ध में विपथन को स्वीकार किया ।

2.5.6 अन्य वित्तीय अनियमितताएं

विविध वित्तीय अनियमितताओं की एक विवरणी अनुबन्ध 4 में दी गई हैं ।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि गुजरात में प्रतिनियुक्तियों के मूल कार्यालय से 87.41 लाख रू. के वेतन के बकायों की प्रतिपूर्ति के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

चुकी है। जि.प्रा.शि.का. महाराष्ट्र द्वारा प्रत्यक्ष अनुबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत पुस्तकों की अधिप्राप्ति के लिए 1.50 करोड़ रु. के उच्चक मूल्य में संशोधन किया जा रहा था।

मंत्रालय ने आगे बताया कि आसाम में परियोजना निदेशालय द्वारा दिये गये 697.84 लाख रुपये के अग्रिमों में से 517 लाख रु. की एक राशि का समायोजन कर लिया गया है। केरल एवं मध्य प्रदेश में बकाया राशि के निपटान के लिए कार्यवाही की जा चुकी है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि आसाम में 1999-2000 के दौरान उ.प्र. प्राप्त कर लिये गये थे तथा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में जहां भी बकाया थे उ.प्र. प्राप्त करने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये थे।

2.6 मूल संकेतकों द्वारा निष्पादन

शिक्षा तक सर्वव्यापी पहुंच, नामांकन एवं 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों का अवधारण जि.प्रा.शि.का. के मूल उद्देश्य थे। नए विद्यालय खोलने के लिए, अतिरिक्त कक्षा उपलब्ध कराके विद्यमान विद्यालयों के उन्नयन हेतु शिक्षकों की भर्ती विशेष कर महिला शिक्षकों की, जल एवं शौचालय सुविधाओं के प्रावधान, विद्यालयों के प्रभाव में वृद्धि, उनकी पहुंच (नामांकन), पकड़ (अवधारण), कक्षा संचालन के संदर्भ में एवं ज्ञान उपलब्धियां, कन्याओं अनु.जा. एवं ज.जा. पर विशेष ध्यान के साथ, विद्यालयों को अवसरचना अनुदानों के भुगतान हेतु निधियां उपलब्ध कराई गई थी। जि.प्रा.शि.का. लिंग एवं सामाजिक समूहों में नामांकन, बीच में छोड़ गये एवं ज्ञान उपलब्धि के अन्तर को पांच प्रतिशत से कम करने एवं सभी विद्यार्थियों के लिए समग्र रूप से प्राथमिक स्तर पर बीच में छोड़ गये की दरों को 10 प्रतिशत से कम पर विचार किया गया है। इन मूल क्षेत्रों में किये गये निष्पादन को नीचे दर्शाया गया है:-

2.6.1 शिक्षण सुविधाओं तक पहुंच

6 से 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये प्राथमिक स्कूली शिक्षा तक सर्वव्यापी पहुंच या इसके समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य के लिए जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत नये विद्यालय भवन बनवाने के लिए अतिरिक्त कक्षा, वर्तमान विद्यालयों की मरम्मत, पीने के पानी के प्रावधान एवं पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं, विशेषकर कन्याओं के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात एवं विद्यार्थि-कक्षा अनुपात को 40:1 तक लाने के लिये अतिरिक्त शिक्षकों के पदों का सर्जन करने हेतु निधियों का प्रावधान किया गया था।

12 जि.प्रा.शि.का. राज्यों में विद्यालयों में मूल आवश्यकताओं/सुविधाओं के अभाव के कारण विद्यालयों का नामांकन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

लाभभोगी सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 14 राज्यों के लगभग सभी परिवारों (96 प्रतिशत) ने गावों/जनगणना परिगणना खंडों या रिहायस के 1 किलोमीटर के अन्दर ही प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंच के संकेत दिये। यद्यपि प्राथमिक विद्यालयों तक आसान पहुंच के बावजूद विद्यालयों में सुविधाओं की कमी के कारण, विशेषकर कन्या विद्यार्थियों के मामलों में विद्यार्थियों का नामांकन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। यहां ऐज्यूकेशनल

कन्सल्टैन्ट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा संकलित आंकड़े का संदर्भ करना तर्क संगत होगा । जि.प्रा.शि.का. परियोजना के अन्तर्गत 12 राज्यों में 1999-2000 के दौरान अवसंरचना सुविधाओं का स्तर जो इस आंकड़े से उजागर हुआ है, का स्पष्टीकरण, समस्या की गंभीरता के संकेत हेतु नीचे किया गया है (विवरणी अनुबन्ध 5 में) ।

- 12 जि.प्रा.शि.का. राज्यों के उन स्कूलों की प्रतिशतता जिनमें छात्राओं के शौचालय एवं पीने के पानी की सुविधाएँ नहीं थी, क्रमशः 84 तथा 33 थी । इसी प्रकार केवल एक अध्यापक एवं 50:1 से अधिक पी.टी.आर. वाले स्कूलों की प्रतिशतता 18 एवं 49 थी । ग्यारह विद्यालयों में तो एक श्यामपट तक नहीं था ।
- नौ राज्यों (आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू एवं उड़ीसा) में 70 प्रतिशत से ज्यादा विद्यालयों में छात्राओं के शौचालय नहीं थे, 90 से 96 के बीच प्रतिशतता की गिरावट की सेट आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडू एवं पश्चिमी बंगाल में स्थिति बदतर थी ।
- आठ राज्यों (आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश) में 10 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में केवल एक ही अध्यापक था ।
- छः राज्यों (आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल) में विद्यालयों के 50 प्रतिशत से अधिक में छात्र अध्यापक अनुपात (छा.अ.अ.) 50:1 से बढ़ गया था । उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में स्थिति बदतर थी क्योंकि ऐसे विद्यालयों की प्रतिशतता क्रमशः 72 एवं 96 थी ।
- आठ राज्यों (आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तथा पश्चिमी बंगाल) में 30 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी । उड़ीसा में स्थिति अधिक गम्भीर थी जहां ऐसे स्कूलों की प्रतिशतता 52 थी ।
- दो राज्यों (बिहार, एवं उत्तर प्रदेश) में क्रमशः 22 और 20 प्रतिशत विद्यालयों में श्यामपट उपलब्ध नहीं थे ।
- साधारणतः यह अपेक्षा की जाती है कि लगभग 35-40 छात्रों के अनुभाग/कक्षा के लिए एक कक्ष होगा । इसके विपरीत यह देखा गया था, कि आसाम, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल के सात राज्यों में छात्र कक्ष अनुपात (छा.क.अ.) आवश्यक सीमा से अधिक था । पश्चिमी बंगाल (84) के साथ आसाम, (66) एवं उत्तर प्रदेश (64) में स्थिति गम्भीर थी । जिला स्तर पर (छा.क.अ.) विस्तृत विश्लेषण करने पर पता चला कि तीन राज्यों अर्थात् आसाम (3) उत्तर प्रदेश (4) एवं पश्चिमी बंगाल (4) के 11 जिलों में छा.क.अ. 70 से ऊपर था । इन राज्यों के 5 जिलों में छा.क.अ., 93 (दुबरी), 88 (लखीमपुर खेरी), 97 (कूच बिहार), 98 (मुर्शीदाबाद एवं दक्षिण 24 पर्गना) पर असाधारण तौर पर उच्च था ।

- मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि जि.प्रा.शि.का. सभी प्रत्यक्ष अवसंरचना सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं करता और न इसके पास ऐसा करने के लिए निधियां ही हैं। उत्तर युक्ति संगत नहीं था क्योंकि जि.प्रा.शि.का. जिलों में प्रा.शि.सा. की उपलब्धि के लिए अवसंरचना सुविधा का प्रावधान आवश्यक था।

पांच राज्यों के चुनिन्दा जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच से नीचे दी गई स्थिति प्रकट होती है:

शिक्षकों, श्यामपट्टों, विद्यालय भवनों तथा कक्षा कमरों में बैठने की क्षमता की कमी थी। लक्ष्यों के अनुसार नए विद्यालय नहीं खोले गए।

(i) बिहार में 31 मार्च 2000 को परियोजना क्षेत्र में 54180 निवासियों में से 21754 (40 प्रतिशत) निवासियों के पास शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें नहीं थी। 32554 विद्यालयों में से 9291 विद्यालयों में 50 विद्यार्थियों से अधिक के लिए केवल एक अध्यापक एवं 5014 विद्यालयों में 100 से अधिक विद्यार्थियों के लिए एक अध्यापक था। 12950 तथा 27653 विद्यालयों में क्रमशः पीने के पानी एवं शौचालय सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई थी जबकि छात्राओं के लिए शौचालय सुविधायें केवल 1307 विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई थी। 7041 विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड नहीं थे और 2151 विद्यालयों के भवन ही नहीं थे। 1998-2000 में भर्ती किये गये विद्यार्थियों में से 26 से 32 प्रतिशत को कक्षाओं में बैठने का स्थान प्राप्त नहीं हुआ। 1997-2000 के दौरान प्रत्येक विद्यालय में दो अध्यापकों के साथ 2825 नये विद्यालय खोलने के निर्धारित लक्ष के विपरीत 1999-2000 के अन्त तक केवल 572 विद्यालय ही खोले गये थे।

(ii) हरियाणा में, चार जिलों की परियोजना (जिन्द, हिसार, सिरसा, एवं महेन्द्रगढ़) में विद्यालयों में प्रवेश क्षमता आवश्यकता से कम थी। 1995-96 से 1999-2000 के दौरान प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य बच्चों की जनसंख्या की तुलना में प्रवेश के लिए प्राथमिक विद्यालयों की क्षमता 19 से 25 प्रतिशत कम थी।

(iii) उड़ीसा में, 1996-2000 के दौरान 17 प्रतिशत योग्य बच्चे, प्राथमिक विद्यालयों की अनुपस्थिति, शिक्षा के विकल्प केन्द्र एवं प्रवेश क्षमता के डाटा अर्थात विद्यमान विद्यालयों में कक्षा कमरों की बढ़ोतरी न होने के कारण, प्राथमिक शिक्षा की पहुंच से वंचित रह गये थे।

(iv) तमिलनाडु में 1995-2000 के दौरान पांच जिलों की परियोजना में (कुड्डालोर, पुडुकोट्टाई), 20.45 लाख बच्चे (कुल योग्य बच्चों का 30 प्रतिशत) अधिक शिक्षा के विकल्प केन्द्रों के न खोलने के कारण शामिल करने से रह गये थे। योग्य बच्चों के लिये विकल्प के रूप में स्कूलों की संख्या का कोई मापदंड नहीं अपनाया गया।

पश्चिम बंगाल में विद्यार्थी अध्यापक अनुपात बहुत उच्च थी और यह बांकुरा तथा दक्षिणी 24 परगना के दो जिलों में 200 तक पहुंच गया था।

(v) पश्चिम बंगाल में, काफी अधिक संख्या में विद्यालयों में मूल अवसंरचना का अभाव था, विद्यार्थी अध्यापक अनुपात उच्च था, तथा 10 प्रतिशत विद्यालयों में एक अध्यापक था। दो जिलों में स्थिति बहुत गम्भीर थी (वांकुरा, एवं दक्षिणी 24 पगना) जहां ऐसे विद्यालयों में नामांकन 50, 100, 150 या 200 प्रति विद्यालय तक था।

विद्यालयों में मूल सुविधाओं के बिना एक कक्षा के कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की भीड़ थी । 14 विद्यालयों को जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पाया गया था । विद्यालयों के निरीक्षण के समय, विद्यालय रजिस्टर में दिखाये गये वास्तविक नामांकन के विपरीत केवल 7 से 26 प्रतिशत विद्यार्थी ही पाये गये थे । चार जि.प्रा.शि.का. जिलों में प्राथमिक विद्यालयों के 40 प्रतिशत में आवास तथा न्यूनतम सुविधाओं की अनुपलब्धता की अत्यन्त कमी थी ।

लाभभोगी सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि जि.प्रा.शि.का. राज्यों में 56 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय सुविधायें नहीं थी तथा 72 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय/छात्राओं के लिए पृथक शौचालय नहीं थे । आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, तथा तमिलनाडु के पांच राज्यों में छात्राओं के लिए पृथक शौचालय न होने वाले विद्यालयों की प्रतिशतता बहुत उच्च क्रमशः 89, 89, 94, 85 एवं 81 थी । 14 जि.प्रा.शि. का. राज्यों में नमूने के तौर पर आवृत्त कुल 1361 विद्यालयों में से केवल 24 प्रतिशत में ही सभी आधार भूत सुविधायें, अर्थात् विद्यालय भवन, खेल मैदान की सुविधा, एवं अच्छी स्थिति में चार दीवारी, पाई गई थी । आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के सात राज्यों में औसत छा.अ.अ. 50:1 के मापदण्ड से ऊपर था । उत्तर प्रदेश में स्थिति अत्यन्त भयप्रद थी जहां औसत छा.अ.अ. 105 था ।

आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में छा.क.अ. 82 से अधिक था ।

केरल तथा महाराष्ट्र के अतिरिक्त सभी जि.प्रा.शि.का. राज्यों में औसत छा.क.अ. 40 से ऊपर था । राज्य वार औसत छा.क.अ. उत्तर प्रदेश में (107) इसके बाद पश्चिमी बंगाल (95) तथा आंध्र प्रदेश (83) था । इन तीन राज्यों में विद्यालयों के केवल 5-18 प्रतिशत में ही चार या इससे अधिक कक्षा-कमरे थे ।

विद्यालय निधियों को कक्षा दीवार के निचले भाग को ब्लैक बोर्डों के लिए रंगाई करने के लिए प्रयोग में लाने का विचार था, जिससे उन्हें (ब्लैक बोर्ड) बच्चों की पहुंच में लाया जा सके । यद्यपि, विद्यालय निधियों का उपयोग इस कार्य के लिये कम (44 प्रतिशत) था नमूना विद्यालयों के आधे से भी कम (43 प्रतिशत) की दीवारों के निचले भाग में ब्लैक बोर्डों की रंगाई की गई थी । प्रथम चरण के जिलों में (55 प्रतिशत) द्वितीय चरण जिलों की तुलना में (39 प्रतिशत) स्थिति बेहतर थी ।

2.6.2 नामांकन

जि.प्रा.शि.का. का एक मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का साधारणीकरण (प्रा.शि.सा.) है अर्थात् अनु.जा./ज.जा. तथा कन्याओं जैसे लक्षित समूहों पर विशेष ध्यान के साथ सभी बच्चों का सर्वव्यापी नामांकन । समग्र नामांकन में प्रवृत्ति (कक्षा-I नामांकन पर विशिष्ट टिप्पणियों के साथ) एवं लक्षित समूहों के नामांकन का अनुवर्ती उप-पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है । विश्लेषण में लिंग एवं सामाजिक तौर पर लाभान्वित न हुए समूहों की भर्ती में अन्तर को कम करने के जि.प्रा.शि.का. के उद्देश्य की प्राप्ति सीमा पर टिप्पणियां सम्मिलित की गई हैं ।

2.6.2.1 नामांकन की प्रवृत्ति

विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि के लिए विभिन्न पहलशक्तियों द्वारा किये गये योगदान की सीमा निर्धारित करने के लिए नामांकन की राज्य-वार प्रवृत्ति का ओ.आर.जी. द्वारा अध्ययन किया गया था। इन प्रवृत्तियों की अर्थपूर्ण व्याख्या करने के लिए 1999-2000 के दौरान 6-11 के आयु-समूह में कुल बच्चों (जनसंख्या) की स्थिति की समीक्षा भी की गई थी। सर्वेक्षण से प्रकट हुई प्रवृत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

1995-96 से 1999-2000 के दौरान नामांकन में राज्य वार वृद्धि

| राज्य | नामांकन में प्रवृत्ति (प्रतिशतता में) | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 1995-96 से 1996-97 | 1996-97 से 1997-98 | 1997-98 से 1998-99 | 1998-99 से 1999-2000 |
| राज्य जहां 6-11 आयु में कुल बच्चों में वृद्धि हुई (1995-2000) | | | | |
| गुजरात | 0 | 6 | 1 | 4 |
| हरियाणा | 4 | 3 | -4 | -2 |
| हिमाचल प्रदेश | 4 | -3 | -5 | -6 |
| मध्य प्रदेश | 3 | 3 | 1 | 0 |
| महाराष्ट्र | 5 | 5 | -3 | -5 |
| राज्य जहां 6-11 आयु में कुल बच्चों में कमी हुई (1995-2000) | | | | |
| आन्ध्र प्रदेश | 0 | -2 | -3 | -1 |
| असम | 23 | 0 | 0 | -2 |
| बिहार | 9 | 8 | -1 | 4 |
| कर्नाटक | -2 | -3 | -3 | -7 |
| केरल | 0 | -6 | -4 | -3 |
| उड़ीसा | 4 | -1 | -2 | 0 |
| तमिलनाडु | -2 | 0 | -2 | -3 |
| उत्तर प्रदेश | 14 | 13 | 2 | 5 |
| पश्चिम बंगाल | 0 | 6 | 0 | -1 |

टिप्पणी: जब कि जि.प्रा.शि.का. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में 1996-97 में आरम्भ हुआ था नामांकन की प्रवृत्ति को समानता के उद्देश्य से 1995-96 से दर्शाया गया था।

परियोजना के कार्यान्वयन के बाद के वर्षों में कई राज्यों ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई।

उपर्युक्त तालिका से यह साबित होता है कि कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने के सन्दर्भ में, प्रभाव का कम प्रमाण था। कार्यान्वयन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यक्रम द्वारा सर्जित गतिमात्रा को बाद के वर्षों में कायम नहीं रखा जा सका। उन राज्यों में जहां कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रारम्भिक वर्षों में नामांकन में अच्छी वृद्धि थी वहां भी बाद में गिरावट देखने में आई। समग्र रूप से पांचो राज्यों में 1995-2000 के दौरान 6-11 वर्ष के आयु समूह में कुल जनसंख्या में एक वृद्धि देखी गई। इन राज्यों में से, गुजरात में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के वर्षों के दौरान नामांकन में सतत वृद्धि देखी गई। इस श्रेणी के अन्य राज्यों में (अर्थात् हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र) 6-11 आयु वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद नामांकन में वृद्धि केवल कार्यक्रम कार्यान्वयन

के प्रारम्भिक वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 में देखी गई। बाद में नामांकन में नकारात्मक वृद्धि देखी गई।

अन्य नौ जि.प्रा.शि.का. मुक्त राज्यों में से जहां 1995-2000 के दौरान 6-11 आयु वर्ग में कुल जनसंख्या में अवनति देखी गई, उत्तर प्रदेश में 1995-96 से 1999-2000 के दौरान नामांकन में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रोत्साहनों, जैसे नकद प्रोत्साहन योजना, मध्याह्न भोजन योजना आदि के आरम्भ किए जाने के बावजूद प्रतिधारण की समस्या बनी हुई थी क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं (20 प्रतिशत) में भरती हुए कुल बच्चों में से पांचवां हिस्सा विद्यालय छोड़ता रहा।

असम, बिहार और उड़ीसा जहां कार्यक्रम कार्यान्वयन (23 प्रतिशत) के प्रथम वर्ष के दौरान भरती में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद इसी प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई थी, प्रणाली शिक्षार्थियों को रोके रखने में विफल रही और विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या निरन्तर अधिक होती रही।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए 23 जिलों में यह देखा गया कि भरती की प्रतिशतता में कार्यक्रम/प्रारम्भिक वर्ष के आरम्भ में विद्यमान भरती की प्रतिशतता की तुलना में गिरावट आई थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

आठ राज्यों के 23 जिलों में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भरती की प्रतिशतता में गिरावट आई थी।

| क्र.सं. | राज्य का नाम | जिले का नाम | भरती की प्रतिशतता | |
|---------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | आरम्भ के/प्रारम्भिक वर्ष के दौरान | अन्तिम वर्ष के दौरान |
| 1. | असम | गोलपारा | 76 (97-98) | 58 (99-00) |
| | | बोंगईगांव | 91 (97-98) | 72 (99-00) |
| 2. | बिहार | डूमका | 90 (97-98) | 79 (99-00) |
| | | पूर्वी सिंहभूम | 69 (97-98) | 59 (99-00) |
| | | गया | 73 (97-98) | 65 (99-00) |
| | | रांची | 81 (97-98) | 71 (99-00) |
| | | रोहतास | 89 (97-98) | 86 (99-00) |
| | | सीतामढ़ी | 84 (97-98) | 68 (99-00) |
| 3. | कर्नाटक | वैशाली | 76 (97-98) | 62 (99-00) |
| | | बेलगांव | 97 (96-97) | 94 (98-99) |
| 4. | उड़ीसा | बारागढ़ | 95 ((97-98) | 92 (99-00) |
| | | बोलनगिर | 85 (95-96) | 85 (99-00) |
| | | कालाहांडी | 78 (95-96) | 68 (99-00) |
| | | सम्बलपुर | 80 (97-98) | 66 (99-00) |
| 5. | झारखण्ड | तिरुवन्नामलाई | 75 (95-96) | 69 (99-00) |
| | | कुडालोर | 69 (95-96) | 65 (99-00) |
| | | पुडुकोट्टई | 70 (96-97) | 68 (99-00) |
| 6. | महाराष्ट्र | जान्देड | 104 (94-95) | 97 (99-00) |
| | | उस्मानाबाद | 104 (94-95) | 99 (99-00) |
| 7. | आन्ध्र प्रदेश | नैल्लौर | 75 (95-96) | 73 (98-99) |

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

| | | | | |
|----|------|--------------|------------|------------|
| 8. | केरल | त्रिवेन्द्रम | 96 (97-98) | 89 (99-00) |
| | | इडुक्की | 49 (94-95) | 35 (99-00) |
| | | वायानाड | 93 (94-95) | 87 (99-00) |

भरती में कमी के अतिरिक्त, कुछ राज्यों में लेखापरीक्षा की नमूना जांच से पता चला कि कुछ जिलों में, जहां भरती की प्रतिशतता पहले ही कम थी, जि.प्रा.शि.का. के हस्तक्षेप के कारण इन प्रतिशतताओं में केवल न्यूनतम सुधार हुआ था:

| क्र.सं. | राज्य का नाम | जिले का नाम | भरती की प्रतिशतता | |
|---------|--------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | आरम्भ के/प्रारम्भिक वर्ष के दौरान | अन्तिम वर्ष के दौरान |
| 1. | असम | बारपेटा | 70 (97-98) | 72 (98-99) |
| 2. | गुजरात | पंचमहल | 72 (97-98) | 76 (99-00) |
| 3. | हरियाणा | 4 जिले | 80 (95-96) | 81 (99-00) |
| 4. | तमिलनाडु | धर्मपुरी | 66 (95-96) | 67 (99-00) |
| | | विल्लुपुरम | 69 (95-96) | 71 (99-00) |
| 5. | मध्य प्रदेश | सरगुजा | 80 (94-95) | 84 (99-00) |

अपर्याप्त भरती उड़ीसा में सिविल निर्माण-कार्यों के आरम्भ न किए जाने, विकल्पी विद्यालयों के खोले न जाने, नए अध्यापकों की नियुक्ति न होने तथा हरियाणा में विद्यालयों की भरती क्षमता कम होने के कारण थी।

2.6.2.2 जि.प्रा.शि.का. के कार्यान्वयन के पश्चात् कक्षा I की नामांकन में कमी

जि.प्रा.शि.का. के अधिकांश राज्यों में कक्षा I की भरती में गिराती प्रवृत्ति देखी गई।

बहुत राज्यों में, 6-11 वर्ष की आयु के अधिकांश बच्चों ने अभी भी विद्यालयों में प्रवेश नहीं लिया था, यह आशा की गई थी कि जि.प्रा.शि.का. के चालू हो जाने से इनमें से अधिक बच्चे विद्यालय जाना प्रारम्भ कर देंगे तथा कक्षा I में नामांकन में तीब्रता से वृद्धि होगी। इस आशा के विपरीत, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को छोड़कर अधिकांश जि.प्रा.शि.का. राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान कक्षा I की भरती में कमी आई थी।

| क्रम सं. | राज्य का नाम | जिलों की संख्या | कक्षा I में भरती | | | प्रतिशतता में कमी | |
|----------|---------------|-----------------|------------------|---------|---------|-------------------|---------|
| | | | 1997 | 1998 | 1999 | 1997-98 | 1998-99 |
| 1. | असम | 09 | 651217 | 582532 | 554191 | 10.5 | 4.9 |
| 2. | बिहार | 17 | 1962990 | 1723690 | 1577205 | 12.2 | 8.5 |
| 3. | हरियाणा | 07 | 237248 | 204726 | 188662 | 13.7 | 7.8 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 04 | 52225 | 43631 | 38384 | 16.5 | 12.0 |
| 5. | कर्नाटक | 11 | 817817 | 805760 | 770543 | 1.5 | 4.4 |
| 6. | केरल | 06 | 99868 | 102323 | 99019 | -2.5 | 3.2 |
| 7. | महाराष्ट्र | 09 | 705919 | 631349 | 615346 | 10.6 | 2.5 |
| 8. | उड़ीसा | 08 | 322030 | 316380 | 311893 | 1.8 | 1.4 |
| 9. | तमिलनाडु | 07 | 328160 | 325132 | 323096 | 0.9 | 0.6 |
| जोड़ | | 78 | 5179471 | 4737521 | 4480338 | 8.5 | 5.4 |

* बीजापुर जिले के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

** केवल चरण-I जिलों के आंकड़े शामिल हैं।

स्रोत: टी.एस.जी./जि.प्रा.शि.का. अक्टूबर 2000

उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलेगा कि 1997 और 1998 के मध्य असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में कक्षा I की भर्ती में कमी अधिक सुस्पष्ट थी। यद्यपि 1998-99 के वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ था, बिहार, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में प्रतिशतता में कमी यद्यपि अधिक थी। कर्नाल में, 1998 में भर्ती में वृद्धि हुई थी, तथापि 1999 में नामांकन 1997 के स्तर से भी नीचे गिर गया।

मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के कुछ चुने हुए जिलों में कक्षा I की भर्ती में गिरावट पर जांच-पड़ताल सम्बन्धी अध्ययन किया गया।

अध्ययन के निष्कर्ष से पता चला कि कक्षा I की भर्ती में गिरावट नए निजी विद्यालयों में बच्चों की बढ़ती हुई भर्ती, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को वापस लेने, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की बहुत अधिक कमी तथा कक्षाओं में बच्चों को बहुत अधिक संख्या में बैठाने के कारण थी जिसके परिणामस्वरूप अभिभावकों में अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों आदि में भेजने के लिए व्यापक अनिच्छा उत्पन्न हो गई। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान रा.शै.यो.प्र.सं.* द्वारा किए गए अध्ययन ने इस गिरावट के दो कारण बताए। (i) भर्ती (नए प्रवेश) में वास्तविक गिरावट और (ii) पुनरावृत्ति का बढ़ा हुआ प्रभाव।

मंत्रालय ने कक्षा I की भर्ती में गिरावट को स्वीकार करते हुए इसका कारण कुछ राज्यों में एक विशेष वर्ष में विशेष परिस्थितियों को बताया जिसके पश्चात् इसमें पुनः अगले वर्ष धीरे-धीरे सुधार हुआ तथा अन्य मामलों में बच्चों की जनसंख्या में कमी बताया। तथापि मंत्रालय ने ऐसी गिरावट को रोकने के लिए, किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया।

2.6.3 समानता का केन्द्रीकरण

शिक्षा के क्षेत्र में, विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में शैक्षिक उपलब्धि में असमानता, उनके आर्थिक विकास के स्तर के बीच विभेदक के उद्देश्य और प्रभाव दोनों के कारण थी। समय-समय पर भारत सरकार ने अनुकूल विभेदन के सिद्धान्तों तथा लड़कियों के नामांकन तथा अवरोधन में सुधार लाने के लिए विशेष ध्यान देने पर आधारित विकास की योजनाएं आरम्भ की हैं। जि.प्रा.शि.का. के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि बालिकाओं की शिक्षा पर, तथा सामाजिक रूप से असुविधा युक्त वर्गों पर बल देते हुए अधिक ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर केन्द्रित किया जाएगा।

लामभोगी सर्वेक्षण से पता चला कि 14 जि.प्रा.शि.का. राज्यों में, कुल भर्ती का 22 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा 7 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों का था। 1995-96

* "प्रवेश तथा प्रतिधारण", 2000 पर रा.शै.यो.प्र.सं. का अध्ययन।

से 1999-2000 तक बालिकाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की भर्ती में वृद्धि की वर्ष-वार प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है ।

| राज्य | बालिकाओं तथा अ.जा./अ.ज.जा. की भर्ती वृद्धि में प्रतिशतता | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|------------|-----------------------|-----|------------|-----------------------|-----|------------|-------------------------|-----|------------|
| | 1995-96 से 1996-97 | | | 1996-97 से 1997-98 | | | 1997-98 से 1998-99 | | | 1998-99 से 1999-2000 | | |
| | बालिकाएं | अ.ज | अ.ज .ज. | बालिका एं | अ.ज | अ.ज .ज. | बालिका एं | अ.ज | अ.ज .ज. | बालिका एं | अ.ज | अ.ज .ज. |
| आन्ध्र प्रदेश | 2 | 6 | - | 0 | -8 | - | 1 | 12 | - | 3 | -5 | - |
| असम चरण-I | 23 | 19 | -9 | 0 | -5 | 19 | 0 | -8 | -7 | -2 | 1 | 0 |
| चरण-II | | 14 | 29 | | -9 | 12 | | -3 | -7 | | -3 | -3 |
| बिहार | 7 | 14 | 6 | 11 | 9 | 10 | 1 | 3 | -4 | 5 | 3 | 9 |
| गुजरात | 0 | -4 | -2 | 6 | 5 | 5 | 4 | -3 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| हरियाणा चरण-I | 1 | 12 | - | 7 | 5 | - | -2 | -1 | - | -1 | -1 | - |
| चरण-II | | 3 | - | | 9 | - | | -4 | - | | -1 | - |
| हिमाचल प्रदेश | 4 | 18 | - | -4 | -3 | - | -5 | -6 | - | -8 | 1 | - |
| कर्नाटक चरण-I | 7 | -5 | - | -7 | 0 | - | -3 | -7 | - | -3 | 0 | - |
| चरण-II | | 2 | - | | -2 | - | | -2 | - | | 1 | - |
| केरल चरण-I | -1 | 13 | - | -4 | -14 | - | -4 | -3 | - | -3 | 18 | - |
| चरण-II | | -6 | - | | 4 | - | | -8 | - | | 1 | - |
| मध्य प्रदेश चरण-I | 4 | 12 | 13 | 6 | -3 | 19 | 3 | 8 | 8 | 2 | -5 | 3 |
| चरण-II | | -1 | -1 | | 9 | 6 | | 8 | 5 | | -3 | 2 |
| महाराष्ट्र चरण-I | 4 | 13 | 1 | 8 | 3 | -21 | 0 | -9 | 2 | -6 | -1 | -19 |
| चरण-II | | 10 | 15 | | -11 | 5 | | -5 | -6 | | -7 | -3 |
| उड़ीसा | 6 | 5 | 3 | -1 | 1 | 8 | -2 | 3 | -3 | 1 | -4 | 11 |
| तमिलनाडु चरण-I | -4 | 5 | - | -2 | 0 | - | -1 | -1 | - | -1 | -4 | - |
| चरण-II | | 2 | - | | -1 | - | | -2 | - | | 1 | - |
| उत्तर प्रदेश | 20 | 16 | - | 23 | 14 | - | 6 | -5 | - | 8 | -4 | - |
| पश्चिम बंगाल | 1 | 5 | - | 11 | 10 | - | -1 | -1 | - | 2 | 1 | - |

बालिकाओं तथा अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की भर्ती में नकारात्मक वृद्धि ।

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान इन वर्गों की भर्ती में वृद्धि, 1998-99 से 1999-2000 के बीच वृद्धि, की तुलना में अधिक थी । 1999-2000 में 1998-99 की भर्ती की तुलना में 14 जि.प्रा.शि.का. राज्यों में से सात राज्यों ने बालिकाओं के मामले में, आठ राज्यों ने अ.जा के मामले में तथा दो राज्यों ने अ.ज.जा. के मामले में (10 प्रतिशत से अधिक अ.ज.जा. जनसंख्या वाले 6 राज्यों में से), भर्ती की वृद्धि में गिरावट दिखाई ।

जि.प्रा.शि.का. के हस्तक्षेप के प्रथम वर्ष के पश्चात् लिंग-वार, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पांच राज्यों ने नकारात्मक वृद्धि दिखाई है ।

जि.प्रा.शि.का. के हस्तक्षेप के प्रथम वर्ष के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश, असम (चरण- II), हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु (चरण-I) तथा उत्तर प्रदेश के सात राज्यों ने

अ.जा. के मामले में जाति-वार वृद्धि नकारात्मक दिखाई है। अ.ज.जा. के मामले में, असम (चरण-II) तथा महाराष्ट्र के दो राज्यों ने भर्ती में गिरावट दिखाई है।

सात जि.प्रा.शि.का. राज्यों में जिला-स्तर निष्पादन की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चला:

(i) **आन्ध्र प्रदेश** (जिला नैल्लोर) में, 1998-99 के दौरान बालकों तथा बालिकाओं, अ.जा./अ.ज.जा. की भर्ती में 1997-98 के स्तर से क्रमशः लगभग 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की कमी आई।

मन्त्रालय ने कमी का कारण परिवारों का अन्य जिलों में प्रवास तथा मान्यता अप्राप्त विद्यालयों की संख्या में वृद्धि बताया।

(ii) **असम** में, नमूना जांच किए गए सात जिलों (1998-99 तक 4 तथा 1999-2000 तक 3) में भर्ती हुए अ.जा. और अ.ज.जा. के छात्रों की औसत प्रतिशतता क्रमशः 75 और 74 थी। बोंगईगांव में स्थिति सबसे खराब थी, जहां 1997-2000 के दौरान भर्ती हुए अ.ज.जा. के छात्रों की औसत प्रतिशतता मात्र 44 थी।

(iii) **उड़ीसा** में, तीन जिलों (बोलनगीर, ढेंकानल, कालाहांडी) में अ.जा./अ.ज.जा. (दोनों को शामिल करके) की भर्ती की प्रतिशतता 1996-2000 के दौरान 33 से 50 के बीच थी, ढेंकानल में स्थिति गम्भीर थी जहां इसकी प्रतिशतता 33 (1996-97) और 35 (1999-2000) के बीच रही। इसी प्रकार, बारागढ़, क्योँझार तथा सम्बलपुर के तीन जिलों 43 और 63 के बीच घटती बढ़ती रही। सात जिलों (रायगड को छोड़कर) में से किसी में भी 1999-2000 तक प्रतिशतता 70 से ऊपर नहीं रही।

(iv) **कर्नाटक** में, नमूना जांच किए गए चार जिलों कोलार, रायचूर, बेलगांव तथा गुलबर्गा में 1995-2000 के दौरान बालिकाओं की भर्ती की प्रतिशतता 76 (रायचूर) तथा 92 (गुलबर्गा) के बीच थी।

(v) **गुजरात** में, पंचमहल और डांग के दो जिलों में अ.जा. के छात्रों की भर्ती की प्रतिशतता में कमी क्रमशः 1997-98 में 87 और 72 से 1999-2000 में 84 और 62 हो गई।

(vi) **बिहार** में, बालिकाओं की भर्ती की कुल प्रतिशतता में 1998 में 64 से 2000 में 43 तक गिरावट आई। इसी प्रकार अ.जा. और अ.ज.जा. की भर्ती की कुल प्रतिशतता में क्रमशः 1998 में 82 और 79 से 2000 में 64 और 68 तक कमी आई। नमूना जांच किए गए सात जिलों में, अ.जा., अन्य, बालक तथा बालिकाओं की भर्ती की प्रतिशतता में क्रमशः 1997-98 में 93, 77, 88 और 71 से 1999-2000 में 81, 68, 76 और 64 तक गिरावट आई।

(vii) **केरल** में, इदिककी जिले में, बालिकाओं की भर्ती की प्रतिशतता 1996-97 में 43 से 1999-2000 में 31 तक गिरी, जबकि तिरुवनन्तपुरम जिले में 1996-97 और 1999-2000 के दौरान ये आंकड़े 50 प्रतिशत (लगभग) पर स्थिर रहे।

मन्त्रालय द्वारा गिरावट का कारण सहायता अप्राप्त निजी विद्यालयों का सरकारी/सहायता प्राप्त विद्यालयों के सन्निकर खोला जाना बताया गया।

(viii) **महाराष्ट्र** में, औरंगाबाद, लातूर, नान्देड़ और उस्मानाबाद के चार जिलों ने बालकों तथा बालिकाओं की भर्ती की प्रतिशतता में गिरती प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया।

(ix) **पश्चिम बंगाल** में, नमूना जांच किए गए पांच जिलों (बांकुश, बीरभूम, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद तथा दक्षिण 24 परगना) के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की साक्षरता दर बहुत कम होने के बावजूद 1998-99 तक बालिकाओं की शिक्षा की समस्याओं के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया गया। भर्ती में वृद्धि करने तथा प्राथमिक शिक्षा में छात्राओं के अवरोधन के लिए जिला योजना अधिकारियों द्वारा कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। 1999-2000 में इस उद्देश्य के लिए वार्षिक कार्य योजना तथा बजट में 69.19 लाख रु. की राशि का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध मार्च 2000 तक केवल 5.58 लाख रु. (8.06 प्रतिशत) व्यय किए गए थे। अ.जा. तथा अ.ज.जा. के छात्रों के लिए राज्य योजना अधिकारी द्वारा अभी विशेष योजना तैयार की जानी थी (जून-2000)।

(x) कक्षा I से कक्षा V तक बालिकाओं की भर्ती में गिरती हुई प्रवृत्ति को निम्न तालिका में देखा जा सकता है।

| शैक्षिक वर्ष | कुल भर्ती विद्यार्थियों के प्रतिशत से बालिकाओं का प्रतिशत | | | | |
|---------------|---|----------|-----------|----------|---------|
| | कक्षा I | कक्षा II | कक्षा III | कक्षा IV | कक्षा V |
| चरण I | | | | | |
| 1995-96 | 46.9 | 46.2 | 45.5 | 44.9 | 42.8 |
| 1996-97 | 47.3 | 46.6 | 45.6 | 45.1 | 43.8 |
| 1997-98 | 47.9 | 47.1 | 46.3 | 45.5 | 44.1 |
| 1998-99 | 48.2 | 48.0 | 46.8 | 46.2 | 44.6 |
| 1999-00 | 47.8 | 47.9 | 47.4 | 46.5 | 44.9 |
| चरण I का औसत | 47.6 | 47.2 | 46.4 | 45.7 | 44.2 |
| चरण II | | | | | |
| 1996-97 | 44.7 | 44.0 | 43.7 | 42.8 | 38.2 |
| 1997-98 | 45.2 | 44.2 | 43.2 | 42.5 | 38.9 |
| 1998-99 | 45.9 | 45.3 | 44.4 | 43.4 | 39.7 |
| 1999-00 | 45.9 | 45.8 | 45.2 | 44.4 | 40.8 |
| चरण II का औसत | 45.5 | 45.0 | 44.3 | 43.4 | 39.7 |

स्रोत: एनआईपीए स्टीऑन "एसैस एण्ड रिटैण्ड" 2000

बालिकाओं के प्रवेश का अनुपात घटा है जैसी वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती हैं।

इससे पता चलता है कि जैसे-जैसे बालिकाएं एक कक्षा से अगली कक्षा में प्रोन्नत होती हैं वैसे-वैसे नामांकन में उनकी संख्या घटती जाती है। इस गिरावट का संचित प्रभाव तब प्रतिबिम्बित होता है जब पांचवी कक्षा के नामांकन की तुलना पहली कक्षा के नामांकन से की जाती है पहले चरण के जिलों में 1995-96 से 1999-2000 तक पहली कक्षा में हुए 47.6 प्रतिशत औसत नामांकन की तुलना में पांचवी कक्षा में औसत 42.2 प्रतिशत नामांकन हुए अर्थात् 7 प्रतिशत की कमी आई। इसी प्रकार दूसरे चरण के जिलों में 1996-97 से 1999-2000 तक पहली कक्षा में हुए 45.5 प्रतिशत के

औसत नामांकन की तुलना में औसत 39.7 प्रतिशत नामांकन हुए अर्थात् 13 प्रतिशत की कमी आई। इस प्रकार दूसरे चरण के जिलों में नामांकन की संख्या में संचित गिरावट अधिक आई।

2.6.3.1 लिंग और सामाजिक भेदों का बना रहना

कार्यक्रम में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा बालकों तथा बालिकाओं एवं अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्यो के नामांकन के बीच अन्तर को घटाकर 5 प्रतिशत से कम करने की संकल्पना की गई है। 10 राज्यों में एच्छिक रूप से चुने गए जिलों में नमूना जांच से पता चला कि और बालिकाओं तथा अ.जा./अ.ज.जा. और अन्यो के बीच नामांकन में अन्तर कार्यक्रम के शुरु होने के बाद 3 से 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद भी 1998-2000 के दौरान 5 प्रतिशत से अधिक रहा, जिसका ब्यौरा अनुबन्ध 6 में दिया गया है।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि जि.प्रा.शि.का. वाले जिलों में प्रयाप्त कमी आई है और परियोजनाओं के अन्त तक इसमें और अधिक कमी आने की उम्मीद है। उसने यह भी बताया कि पुनरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित अधिकांश जिले जि.प्रा.शि.का. II और III के भाग हैं जिनके पास परियोजना के अन्त तक पर्याप्त समय है। मंत्रालय ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच अन्तर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं दी है।

शिक्षा छोड़कर जाने वाले बालक तथा बालिकाओं के बीच तथा अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य के बीच की दर 5 प्रतिशत की विचारी गई दर से अधिक रही।

2.6.3.2 लिंग और सामाजिक वर्गों के बीच में स्कूल शिक्षा छोड़कर जाने वाली दरों में न्यूनतम अन्तर का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया

कार्यक्रम में बालकों और बालिकाओं के बीच तथा अ.जा./अ.ज.जा. और अन्यो के बीच विद्यालय शिक्षा छोड़ने वालों की दर घटाकर 5 प्रतिशत से कम करने की संकल्पना की गई है। नमूना जांच से पता चला है कि निम्नलिखित 7 राज्यों के 17 जिलों में लिंग और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच का अन्तर 5 प्रतिशत से अधिक बना रहा।

| क्र.सं. | राज्यों का नाम | जिले का नाम | वर्ष | स्कूली शिक्षा बीच में छोड़कर जाने वाले की प्रतिशतता का अन्तर | | |
|---------|----------------|-------------|-----------|--|----------------|------------------|
| | | | | बालक तथा बालिकाएं | अ.जा. तथा अन्य | अ.ज.जा. तथा अन्य |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | करीम नगर | 1998-99 | - | 11 | 27 |
| | | कुरनूल | --वही-- | 9 | 10 | 11 |
| | | नलीर | --वही-- | - | 9 | 28 |
| | | विजियानगरम | --वही-- | - | - | 20 |
| | | वारंगल | --वही-- | - | 8 | 23 |
| 2. | असम | बाटपेरा | 1998-99 | - | - | 12 |
| | | गोलपाड़ा | --वही-- | - | 8 | - |
| 3. | गुजरात | बनाराकंठा | 1999-2000 | 7 | - | 11 |
| 4. | हरियाणा | जींद | 1999-2000 | - | 16 | - |
| | | सिरसा | 1999-2000 | - | 13 | - |

| | | | | | | |
|----|------------|-----------|-----------|---|----|----|
| 5. | कर्नाटक | गुलबर्गा | 1999-2000 | - | 11 | 13 |
| 6. | महाराष्ट्र | प्रभनी | 1999-2000 | 6 | - | - |
| 7. | उड़ीसा | गजापत्ती | 1998-99 | - | - | 28 |
| | | रायगढ़ | --वही-- | - | - | 45 |
| | | कालाहांडी | --वही-- | 6 | - | - |
| | | क्योंझर | --वही-- | - | - | 43 |
| | | सम्बलपुट | --वही-- | - | - | 6 |

2.6.4 प्रोत्साहन

जि.प्रा.शि.का. के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना वाले जिलों में नामांकित अ.जा./अ.ज.जा. और बालका विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें तथा पूरक शिक्षण सामग्री मुफ्त प्रदान की जाती थी बशर्ते राज्य सरकार की ऐसी सामग्री के निःशुल्क वितरण के लिए अपनी कोई स्कीम ना हो ।

नमूना जांच के परिणामों के आधार पर नीचे दी गई राज्यवार स्थिति से पता चलता है कि पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण में स्पष्ट तौर पर कमियां थी ।

(क) बिहार

लक्षित समूह के अर्थात् अ.जा., अ.ज.जा. और लड़कियां तथा बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वितरित नहीं की गई ।

(i) नमूना जांच किए गए जिलों में वर्ष 1998 में लक्षित समूह के बच्चों (अ.जा./अ.ज.जा. और बालिकाएं) को पाठ्य पुस्तकें नहीं दी गई क्योंकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बि.शि.प.प.) द्वारा कोई पाठ्य पुस्तक नहीं खरीदी गई । वर्ष 1999 में लक्षित समूह के नामांकित 11.61 लाख बच्चों अ.जा.,अ.ज.जा. और बालिकाएं विद्यार्थी में से केवल 11.09 लाख (95 प्रतिशत) बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई ।

(ii) वर्ष 1999 और 2000 में क्रमशः 44.35 लाख (46 प्रतिशत) और 51.85 लाख (54 प्रतिशत) पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई । इसके अलावा बच्चों में पुस्तक वितरित करने में 4 से 11 महिने तक की देरी की गई ।

(iii) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक के दौरान नामांकित किए गए 81.16 लाख अ.जा., अ.ज.जा. और बालिका विद्यार्थियों में से 56.69 लाख (70 प्रतिशत) विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित की गई और 24.47 लाख (30 प्रतिशत) विद्यार्थियों को इस अवधि के दौरान पुस्तकें नहीं दी गई ।

(iv) वर्ष 1997-2000 के दौरान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पास लक्षित वर्ग को निःशुल्क वितरित करने के लिए विभिन्न शीर्षकों वाली 288.34 लाख पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध थी ।

(v) राज्य सरकार ने बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड को उसके द्वारा प्रकाशित एवं पूर्ति की जाने वाली पुस्तकों के मूल्य का 50 प्रतिशत आर्थिक

पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य ने आर्थिक सहायता नहीं दी

सहायता उपलब्ध करानी थी। ऐसा पाया गया कि बि.शि.प.प. ने जि.प्रा.शि.का. III 1999 के लिए 20.11 करोड़ रु. के मूल्य की 1.75 करोड़ पुस्तकों की आपूर्ति के लिए आदेश दिया। इसके प्रति, निगम ने अग्रिम भुगतान पर 19.18 करोड़ रु. मूल्य की 1.68 करोड़ पुस्तकों की पूर्ति की। बि.शि.प.प. 9.59 करोड़ रु. तक की पुस्तकें प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि राज्य सरकार ने निगम को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की थी।

(ख) हरियाणा के जिलों की नमूना जांच में, 1995-99 के दौरान 5.44 लाख अ.जा. छात्रों तथा 5.49 लाख गैर अ.जा. छात्रों में से, 5.05 लाख अ.जा. छात्रों (93 प्रतिशत) तथा 2.18 लाख गैर - अ.जा. छात्रों (40 प्रतिशत) को मुफ्त पुस्तकें प्रदान नहीं की गई थी।

(ग) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, 1997-98 के दौरान 18086 छात्रों में से, 2800 छात्रों को पुस्तकें नहीं दी गई। जि.प.अ. ने बताया कि एक ख.सं.के. ने बिक्री डिपो से पुस्तकें नहीं उठाई थी।

मंत्रालय ने मई 2001 में स्थिति की पुष्टि की:

(घ) 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान उत्तर प्रदेश में, हरदोई जिले में, निधियों में कमी के कारण 70 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को तथा 65 प्रतिशत छात्रों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई, जबकि बलरामपुर जिले में, 3902 अ.ज./अ.ज.जा. छात्रों तथा 5050 छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी गई।

पाठ्य पुस्तकों की पूर्ति में विलम्ब।

(ड.) तमिलनाडु में जून 1997 में विद्यालय खुले थे, परन्तु कक्षा I के बच्चों को तीन विषयों के लिए अभ्यास पुस्तकों की समय पर पूर्ति नहीं की गई क्योंकि तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम को रा.प.नि. द्वारा केवल अक्टूबर 1997 में आदेश दिया गया तथा मार्च 1998 में 1 करोड़ रु. का भुगतान किया गया। निगम द्वारा अभ्यास पुस्तकों की पूर्ति की गई और केवल फरवरी 1999 में बच्चों को वितरित की गई। इसी प्रकार, 1999-2000 में कक्षा 1 से 3 के लिए अभ्यास पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए आदेश अक्टूबर 1998 में दिया गया तथा पूर्ति केवल जनवरी 2000 में की गई।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि अभ्यास पुस्तकों के वितरण में विलम्ब प्रशासनिक कारणों से था।

(च) उड़ीसा: (i) उड़ीसा में अभिलेखों की जांच से पता चला कि 22.49 लाख रु. मूल्य की मुफ्त पाठ्य पुस्तकें तथा मुफ्त पढ़ने एवं लिखने की सामग्री जो अ.जा./अ.ज.जा. तथा छात्रों के बीच 1997-2000 के दौरान जिसका वितरण किया जाना था, मार्च 2000 तक वितरित नहीं की गई थी। शैक्षणिक सत्र से पूर्व पुस्तकों को उपलब्ध कराने की बजाय 6 से आठ महीने का विलम्ब पाया गया। इसके

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

अतिरिक्त, 2.35 लाख रू. मूल्य की 1998-99 के दौरान प्राप्त पाठ्य पुस्तकों की अनुवर्ती वर्षों में पाठ्यपुस्तक में परिवर्तन के कारण, वितरण की कोई गुंजाइश नहीं थी ।

(ii) जि.प.के. सम्बलपुर द्वारा 1998-99 के दौरान 0.52 लाख रू. की 7085 पुस्तकों का वितरण नहीं किया गया क्योंकि पूर्वधिकारी द्वारा उन पुस्तकों के भंडार लेखा का कार्यभार नहीं सौंपा गया था ।

(iii) 5 जिलों बोलनगिर, बारगढ, कालाहांडी, कौजर और सम्बलपुर में 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान कक्षावार पुस्तकों का पूरा सेट छात्रों को वितरित नहीं किया गया था ।

(iv) राज्य परियोजना केन्द्र से पुस्तकों की देरी से प्राप्ति, जि.प.के. द्वारा आवश्यकता से अधिक पुस्तकों की प्राप्ति के कारण 4 जिलों में 13.58 लाख रू. मूल्य की पुस्तकें अवितरित रही ।

(v) 1.07 करोड़ रू. मूल्य की मुफ्त पुस्तकों तथा पढ़ने एवं लिखने की सामग्री के सम्बन्ध में जिसे वितरित बताया गया था, जि.प.के. द्वारा 1997-98 से 1999-2000 के दौरान 192 खण्ड अनुसंधान केन्द्र समन्वयों (ख.अ.के.स.) द्वारा सम्बन्धित जि.प.के. को छात्रों से सामग्री का वितरण दर्शाने वाली वितरण सूचियां /प्राप्ति पत्रों को उपलब्ध नहीं कराया गया ।

सर्वेक्षण द्वारा भी प्रोत्साहन के कम विस्तार की विशेष रूप से व्याख्या की गई मुफ्त पाठ्य पुस्तकों तथा अनुपूरक सामग्री का क्रमशः 81 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत विद्यालयों द्वारा दावा किया गया । यद्यपि, केवल 64 प्रतिशत अभिभावकों ने पाठ्यपुस्तकों की प्राप्ति की पुष्टि की तथा 24 प्रतिशत अभिभावकों ने अनुपूरक सामग्री की प्राप्ति की पुष्टि की । राज्य वार स्थिति अनुबंध 7 में दी गई गई है:

उपयुक्त समूहों
को प्रोत्साहन
का कम
विस्तार ।

2.6.5 अवरोधन

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (जि.प्रा.शि.का.) की महत्वपूर्ण स्थिति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा चक्र के प्रत्येक भाग में छात्रों के अवरोधन का सुधार करना है । प्राथमिक शिक्षा में विद्यालय छोड़ने वालों की अधिक दर पर विचार करने पर जि.प्रा.शि.का. में प्राथमिक विद्यालयों में सभी छात्रों के विद्यालय छोड़ने की दर में 10 प्रतिशत से कम की कटौती तथा छात्रों एवं छात्राओं के बीच विद्यालय छोड़ने वालों का अन्तर तथा अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों की तुलना में अन्य के बीच पाँच प्रतिशत से कम कटौती पर विचार किया गया ।

2.6.5.1 विद्यालय छोड़ने वालों की दर में कटौती की प्राप्ति नहीं की जा सकी ।

प्राथमिक स्तर पर छात्रों के अवरोधन पर जि.प्रा.शि.का. के संघटन की जांच के लिए, लाभकारी सर्वेक्षण ने विद्यालय छोड़ने वालों की प्रवृत्ति को दो समय खण्डों, 1995-96 तथा 1999-2000 में संकलित किया । यह अभ्यास प्राथमिक कक्षाओं में पंजीकरण से छात्रों का पता लगाने से किया गया (कोहोर्ट पद्धति) विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है:

जि.प्रा.शि.का. राज्यों ने बीच विद्यालय छोड़ने वालों की दर

(प्रतिशत में)

| राज्य | 1995-96 | | | | 1999-2000 | | | |
|---------------|---------|----------|-------|---------|-----------|----------|-------|---------|
| | कुल | छात्राएँ | अ.जा. | अ.ज.जा. | कुल | छात्राएँ | अ.जा. | अ.ज.जा. |
| आन्ध्र प्रदेश | 19 | 19 | 21 | -- | 16 | 17 | 19 | -- |
| असम | 32 | 33 | 32 | 28 | 38 | 36 | 39 | 37 |
| बिहार | 41 | 42 | 44 | 41 | 39 | 38 | 42 | 42 |
| गुजरात | 19 | 18 | 21 | 25 | 21 | 21 | 18 | 29 |
| हरियाणा | 25 | 23 | 27 | - | 25 | 22 | 30 | - |
| हिमाचल प्रदेश | 16 | 14 | 18 | - | 12 | 10 | 14 | - |
| कर्नाटक | 28 | 27 | 31 | - | 24 | 22 | 30 | - |
| केरल | 7 | 7 | 8 | - | 8 | 8 | 9 | - |
| मध्य प्रदेश | 25 | 25 | 23 | 27 | 21 | 21 | 23 | 25 |
| महाराष्ट्र | 18 | 18 | 15 | 21 | 14 | 18 | 15 | 17 |
| उड़ीसा | 22 | 23 | 21 | 34 | 22 | 22 | 27 | 32 |
| तमिलनाडु | 18 | 15 | 19 | - | 15 | 13 | 16 | - |
| उत्तर प्रदेश | 19 | 21 | 17 | - | 20 | 20 | 15 | - |
| पश्चिम बंगाल | 27 | 26 | 35 | - | 23 | 22 | 28 | - |

विद्यालय छोड़ने वालों की दर में कटौती में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । छोड़ने वालों की दर लगातार 10 प्रतिशत अधिक रही ।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कार्यक्रम के प्रारंभ होने के समय विद्यालय छोड़ने वालों की विद्यमान दर की तुलना में कुल मिलाकर कोई सराहनीय सुधार नहीं हुआ था । केरल को छोड़कर (8 प्रतिशत) सभी राज्यों में विद्यालय छोड़ने वालों की दर 10 प्रतिशत से ऊपर रही थी । असम तथा बिहार में विद्यालय छोड़ने वालों की दर काफी ज्यादा रही, वास्तव में असम में दर में वृद्धि रही । इन दो राज्यों में 1999-2000 के दौरान प्राथमिक कक्षाओं में पंजीकृत छात्रों के 38-39 प्रतिशत ने विलय छोड़ा । दो संदर्भित वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में विद्यालय छोड़ने वालों की दर सीमांतत कम रही (4 प्रतिशत) । असम, गुजरात, हरियाणा, केरल, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश छः राज्यों में, कुल विद्यालय छोड़ने वालों की दर में बढ़ोतरी हुई या स्थिरता रही । इसी प्रकार, असम, गुजरात, केरल तथा महाराष्ट्र चार राज्यों में, छात्राओं की विद्यालय छोड़ने की दर में बढ़ोतरी हुई या स्थिरता रही । क्रमशः अ.जा. एवं अ.ज.जा. के मामले में असम, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा तथा असम, बिहार एवं गुजरात तीन राज्यों में विद्यालय छोड़ने वालों की दर में बढ़ोतरी हुई या स्थिरता रही । यद्यपि, असम, हरियाणा तथा उड़ीसा में 1995-96 की

तुलना में 1999-2000 में अ.जा. के विद्यालय छोड़ने वालों की दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई ।

सर्वेक्षण रिपोर्ट से आगे पता चलता है कि सभी वर्गों में कक्षा I के विद्यालय छोड़ने वालों का दर, I से V तक सभी कक्षाओं के बीच उच्चतम रही तथा योजना के प्रारंभ होने के पांचवर्षों के समाप्त होने के बाद भी यह पाया गया कि कक्षा I के विद्यालय छोड़ने वालों की दर की कटौती दर में कोई वास्तविक सुधार नहीं हुआ, जैसा निम्न तालिका की स्थिति से प्रत्यक्ष होता है:-

| वर्ष | विद्यालय छोड़ने वाले (प्रतिशत में) | | | | |
|---------|------------------------------------|-------|----------|-------|---------|
| | कुल | छेत्र | छात्राएं | अ.जा. | अ.ज.जा. |
| 1995-96 | 30 | 29 | 33 | 32 | 36 |
| 1999-00 | 29 | 27 | 31 | 31 | 29 |

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि अधिकतर जि.प्रा.शि.का. जिलों में विद्यालय छोड़ने वालों की दर में कमी नहीं हुई क्योंकि जि.प्रा.शि.का. के आरंभ में विद्यालय छोड़ने वालों का दर काफी ज्यादा थी । मंत्रालय ने यह भी बताया कि राज्यों ने विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करने के लिए उनके विद्यालय छोड़ने के कारणों तथा विद्यालय में भर्ती न हुए बच्चों तथा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए किए जाने वाले घरेलू सर्वेक्षण के निष्कर्ष पर आधारित उपचारी उपाय करने के लिए अपने प्रयास तीव्र कर दिए हैं । यद्यपि, जैसा पहले बताया गया है कि योजना के शुरु होने के 5-6 वर्षों के बाद भी विद्यालय छोड़ने वालों की दर में कटौती के लिए कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया ।

लेखापरीक्षा नमूना जांच द्वारा पता लगाए गए राज्यों में जिला स्तर स्थिति जहां विद्यालय छोड़ने वालों की दर काफी ज्यादा थी राज्य वार नीचे दी गई है ।

(i) **आंध्र प्रदेश** में, पांच जिलों में करीमनगर, करनूल, नीलोर विजयनगरम एवं वेरंगल, विद्यालय छोड़ने वालों की दर 1998-99 के दौरान लड़के, लड़कियां, अ.जा. तथा अ.ज.जा. के बीच क्रमशः 26 और 55, 34 और 58, 40 और 64, 40 और 79 रही । दो जिलों निलोर और वेरंगल में 1998-99 के दौरान अ.जा. छात्रों की विद्यालय छोड़ने वालों की दर 79 थी ।

(ii) **कर्नाटक** में, एक जिले (रायचुर) में, 1998-99 के दौरान लड़के, लड़कियों, अ.जा. तथा अ.ज.जा. की विद्यालय छोड़ने वालों की दर क्रमशः 35, 51, 45 और 54 रही ।

(iii) **महाराष्ट्र** में (धूले जिला), 1998-99 के दौरान विद्यालय छोड़ने वालों की दर लड़के और अ.जा. की 39 थी जबकि लड़कियों और अ.ज.जा. की क्रमशः 41 और 51 थी, इसी प्रकार नांदेड़ जिला में, 1999-2000 के दौरान विद्यालय छोड़ने वालों की दर लड़के, लड़कियों और अ.जा. के लिए क्रमशः 35, 34 और 31 थी ।

(iv) **उड़ीसा** में, आठ जिलों गजापति, बोलंगीर, रायगढ़ कालाहांडी, दनकनाल, कौंजर, सम्बलपुर और बारागढ़ में 1998-99 के दौरान विद्यालय छोड़ने वाले लड़के,

लड़कियों और अ.ज.जा. की दर क्रमशः 47 और 57, 43 और 53, 25 और 65 के बीच रही। तीन जिलों गजापति, रायगढ़ और कौंजर में, विद्यालय छोड़ने वाले अ.ज.जा. की दर क्रमशः 62, 64 तथा 65 थी।

(v) उत्तर प्रदेश में सभी जि.प्रा.शि.का. में, विद्यालय छोड़ने वाले दोनों लड़के और लड़कियों के लिए औसत दर 39 थी।

2.6.5.2 पुनरावृत्ति

कक्षा पुनरावृत्ति एक रूग्णता है जो न केवल शिक्षा पद्धति की आंतरिक दक्षता को प्रभावित करती है बल्कि बाल्यावस्था के पूर्व वर्षों को भी बेकार करती है। पहली पीढ़ी के छात्रों में कक्षा पुनरावृत्ति की समस्या से बाहर निकलने के लिए, कई राज्यों ने पहले के कुछ वर्षों की शिक्षा के लिए 'गतिबद्धता नहीं' की नीति अपनयी है। इस लिए 'गतिबद्धता नहीं' की नीति में, पुनरावृत्ति की दर व्यवहारिक रूप से शून्य होनी चाहिए। यद्यपि वास्तविकता कुछ और है। वास्तव में, बच्चों को काफी संख्या में कक्षा I, II में पुनरावर्तक के रूप में दिखाया जाता है। निम्न कारण देखे जा सकते हैं-

- बच्चा नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहा है।
- सभी राज्यों में सामान्य प्रक्रिया नामंकन को बढ़ाने के लिए कक्षा I में अवयस्क बच्चे को भर्ती कर लिया जाता है और बाद में उसे पुनरावर्तक के रूप में दिखाया जाता है जब तक कक्षा I प्रवेश की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
- कुछ नामांकित बच्चे दीर्घकालीन तक अनुपस्थित रहते हैं और अतः उन्हें काफी वर्षों तक पुनरावर्तक दिखाया जाता है।
- शिक्षक 'गतिबद्धतर नहीं' नीति से परिचित नहीं है और परीक्षाएं लेते रहते हैं और बच्चों को शैक्षणिक आधार पर रोक लिया जाता है।

उपरोक्त कारणों के परिणामस्वरूप कृत्रिम एवं प्रेरित पुनरावृत्ति विद्यालय के संबंध में गुमराह करने के संकेत हैं। यह प्रा.शि.सा.के उपलब्धि के उद्देश्य को विफल करते हैं।

फेज I जिले/राज्यों में, हरियाणा और तमिलनाडु के अनुकरण में असम राज्य में उच्चतम पुनरावृत्ति दरें जारी रही। (सभी पुनरावृत्ति के लिए 1998-99 में 25.3) तथा (कक्षा I के लिए 1998-99 में 35.3) फेज II जिलों की स्थिति में सीमांत सुधार होने के बावजूद 1998-99 के दौरान स्थिति गंभीर थी जैसा कि नीचे दिए गए राज्य-वार पुनरावृत्ति के विवरण से स्पष्ट होता है:-

पुनरावृत्ति दरें फेज -II जिले

| राज्य | कक्षा I | | समस्त | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1997-98 | 1998-99 | 1997-98 | 1998-99 |
| असम | 36.5 | 39.7 | 26.1 | 27.5 |
| बिहार | 24.2 | 22.9 | 12.2 | 11.3 |
| गुजरात | 28.5 | 25.2 | 20.1 | 17.4 |
| हरियाणा | 5.7 | 6.0 | 8.7 | 9.9 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|
| हिमाचल प्रदेश | 17.9 | 21.5 | 12.5 | 14.4 |
| कर्नाटक | 3.6 | 6.1 | 5.6 | 6.1 |
| केरल | उ.न. | 0.1 | उ.न. | 3.5 |
| मध्य प्रदेश | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 |
| महाराष्ट्र | 6.6 | 6.8 | 5.5 | 4.6 |
| उड़ीसा | 10.9 | 22.4 | 5.6 | 11.0 |
| तमिलनाडु | 12.9 | 13.3 | 10.2 | 9.9 |
| उत्तर प्रदेश | 9.2 | 5.0 | 6.1 | 3.5 |
| पश्चिम बंगाल | 18.1 | 18.3 | 9.4 | 8.8 |
| कुल | 15.8 | 15.1 | 9.1 | 8.4 |

स्रोत: 'प्रवेश एवं अवरोधन' 2000 पर एनआइडीपीए अध्ययन

असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के लिए कक्षा I की पुनरावृत्ति दरें अधिक रही। कुल मिलाकर असम, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में पुनरावृत्ति दरों में बढ़ोतरी दिखायी गई है। असम की पुनरावृत्ति दरें सबसे खराब थी, कक्षा I की पुनरावृत्ति 40 प्रतिशत बच्चे तथा 1998-99 में सभी कक्षाओं में 27 प्रतिशत बच्चे पुनरावृत्ति थे।

मई 2001 में मंत्रालय ने बताया कि सभी जि.प्रा. शि.का. द्वारा पुनरावृत्ति की समस्या को लिया गया और इस समस्या से निपटने के लिए कई राज्यों में नियमित कार्यवाही योजना एवं योजनाएं प्रारंभ कर दी गई है।

असम के जिला बोंगई गांव में (जो राज्य में जि.प्रा.शि.का. में उच्चतम पुनरावृत्ति दर पंजीकृत है) क्षेत्र अध्ययन करने पर पता चला कक्षा I में अधिक पुनरावृत्ति को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। 93 प्रतिशत विद्यालयों के पास शिक्षक शिक्षण मापदण्ड (शि.शि.मा.) नहीं थे तथा अध्यापक नये शि.शि.मा. के प्रयोग करने में रूचि नहीं लेते थे। अधिकतर अध्यापक पढ़ाने में कम रूचि दिखाते थे और कई ऐसे पाए गए थे जो कठोर दंडित प्रणाली का प्रयोग करते थे जो छात्रों को डरा देते थे। 75 प्रतिशत के लगभग पुनरावृत्ति की उपस्थिति अनियमित थी और लगभग 50 प्रतिशत पुनरावर्तक ने 60 दिनों से भी कम विद्यालय आये थे। अध्यापक 'गतिबद्धता नहीं' नीति की विद्यमानता से परिचित नहीं थे, तथा इसलिए परीक्षाओं में अनुर्तीण अभ्यर्थियों को पुनरावर्तक के रूप में लिया जाता है। 44 प्रतिशत पुनरावर्तक अध्यापकों द्वारा कक्षा में दिये गये निर्देशों को समझते/सीखते नहीं थे। अधिक संख्या में अवयस्क बच्चों को अच्छा कार्य होने के बावजूद रोक लिया जाता था। दूसरी तरफ, विद्यालयों में अध्यापकों के कार्य को जारी रखने को उचित दिखाने मात्र से बच्चों को काफी मात्रा में नामंकित दिखाया जाता था। इसी प्रकार, काफी वयस्क बच्चों को दोपहर के भोजन के प्रोत्साहन को फिर से आरंभ करने के लिए पंजीकृत रखा जाता था।

मंत्रालय ने स्थिति को स्वीकार करते हुए बताया कि असम सरकार ने अवयस्क बच्चों की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में 'का - मान' एक पूर्व प्राथमिक भाग की स्थापना की है।

2.6.6 उपलब्धि स्तर

जि.प्रा.शि.का. का एक मूल उद्देश्य सभी प्राथमिक विद्यालयों के औसत उपलब्धि स्तरों को मूल साक्षरता तथा संख्यात्मक क्षमता सुनिश्चित करके आधार रेख स्तर के कम से कम 25 प्रतिशत तक तथा अन्य क्षमताओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत के उपलब्धि स्तरों तक पहुँचाना था। इसके अतिरिक्त लिंग तथा सामाजिक समूहों के बीच जानकारी उपलब्धि में अन्तर को पांच प्रतिशत से नीचे तक लाना था।

इस मात्रात्मक पहलू के परिमाण के लिए परियोजना के समझौते में परियोजना के आरम्भ में आधार रेखा निर्धारण सर्वेक्षण (आ.नि.स.) परियोजना के तीसरे वर्ष में मध्यावधि निर्धारण सर्वेक्षण (म.नि.स.) तथा परियोजना के अंतिम वर्ष में अंतिम निर्धारण सर्वेक्षण पर विचार किया गया था।

रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा 1997 तथा 1999 में 11 राज्यों में चरण I के 42 जिलों तथा चरण II के 17 जिलों में किये गए कक्षा I के संबंध में म.नि.स. से उत्पन्न हुई स्थिति का सारांश अनुबंध 8 में दिया गया है।

रा.शै.अ.प्र.प. का मूल्यांकन दर्शाता है कि अधिकतर राज्यों में जि.प्रा.शि.का. का हस्तक्षेप योजना में विचार की गई सीमा तक सफल नहीं था।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि छात्रों की उपलब्धि में समग्र वृद्धि आधार रेखा निर्धारण सर्वेक्षण (आ.नि.स.) के प्रति आवधिक निर्धारण सर्वेक्षण (आ.नि.स.) के तुलनात्मक निर्धारण की चेतावनी देती है। तथापि, म.नि.स. का उद्देश्य उपलब्धि सुनिश्चित करना है ताकि मध्यवर्ती शुद्धियां अनुमत की जा सकें तथा उपलब्धियों के आधार पर भविष्य की नीति की योजना तैयार की जा सके।

2.7 सामुदायिक केन्द्र का अभाव

2.7.1 कार्यक्रम प्रबंधन: विकेन्द्रीयकरण तथा भागीदारी योजना तैयार करना

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (जि.प्रा.शि.का.) में पहुंच तथा अवधारण के साधारणीकरण तथा निष्पादन के सुधार के लिए प्राथमिक शिक्षा में समुदाय के भारी मात्रा में शामिल होने पर विचार किया गया था। सफलता प्राप्त करने के लिए सामुदायिक संघटन प्रयास आधारीक स्तर ढांचों जैसे ग्रा.शि.स.ग्रा.नि.स.अ.शि.सं. तथा मा.शि.सं. द्वारा अनुपूरित किये जाने थे। जनता तथा सामुदाय की तत्काल आवश्यकताओं के अर्थपूर्ण उत्तर के लिए कार्य अनुमत करने के लिए यह अनिवार्य था।

2.7.2 सामुदाय आधारित ढांचों की स्थिति

समुदाय आधारित ढांचों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

यद्यपि समुदाय आधारित ढांचों का विकास एक विकासवादी प्रक्रिया है, ओ.आर.जी.-सी.एस.आर. सर्वेक्षण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि योजना द्वारा महत्व दी गई विधि में अधिक केन्द्रित दीर्घकालिक तथा सघन उपाय करने की आवश्यकता है। समुदाय आधारित ढांचों की कार्यात्मक स्थिति यह संकेत देती है कि इन ढांचों को अभी समुदाय के साथ सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य को पूरा करना था। समग्र रूप से, गांव जहाँ पर ग्रा.शि.स. विद्यमान थीं में से परिवारों/अभिभावकों के केवल एक तिहाई (34 प्रतिशत) ने इन ढांचों की विद्यमानता की पुष्टि की जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:-

समुदाय आधारित ढांचों की कार्यात्मक स्थिति

| ढांचा | गांव/ज.ग.खं. की संख्या तथा प्रतिशतता जहां पर सदस्यों को उनकी सदस्या का पता था | | विद्यमानता तथा गतिविधियों का पता रखने वाले परिवारों/अभिभावकों की प्रतिशतता |
|---------------------------------|---|---------|--|
| | संख्या | प्रतिशत | |
| ग्रा.शि.स. | 883 | 66 | 34 |
| ग्रा.नि.स. | 188 | 10 | 7 |
| अ.शि.सं/मा.शि.सं | 562 | 42 | 29 |
| संख्या: प्रत्यर्थियों की संख्या | | | 409844 परिवार 19093 अभिभावक |

इन ढांचों की कार्यात्मक स्थिति में राज्यवार भिन्नताओं का पता चला। हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में ग्रा.शि.सं.के विद्यमान होने के बावजूद ये ढांचे शैक्षिक गतिविधियों में कोई क्रियाशील भूमिका नहीं निभा रहे (अनुबंध 9)।

अ.शि.सं./मा.शि.सं. की कार्यात्मक स्थिति बहुत कम (29 प्रतिशत) थी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में यद्यपि ढांचे में आधे से अधिक गांव/ज.ग.खं में स्थापित हो गये एक तिहाई परिवारों/अभिभावकों ने शैक्षिक गतिविधियों में इन ढांचों की गतिविधियों को शामिल होने की पुष्टि की (अनुबंध 10)

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि चूंकि प्राथमिक शिक्षा में भारी आवेष्टन के लिए समुदाय के साथ सम्पर्क स्थापित करने की प्रक्रिया प्रकृति में बहुत जटिल थी, समुदाय आधारित ढांचे स्थापित करके तथा उन्हें चालू करने के लिए न्यूनतम मुख्य समय की आवश्यकता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जि.प्रा.शि.का. राज्यों तथा जिलों ने अपनी सन्दर्भ नीतियाँ अपनाई हैं जो कि उनकी परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है तथा प्रचलित राज्य नीतियों के अनुकूल है।

2.7.3 समुदाय आधारित ढांचों के चयन के लिए गैर भागीदारी पहुंच

कार्यक्रम
गतिविधियों में
समुदाय की
भागीदारी का
कम स्तर।

अधिभानी चयन से बचने तथा निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत सदस्यों के नामांकन तथा चयन में समुदाय की भूमिका पर विचार किया गया था। सर्वेक्षण की उपलब्धियों से पता चला कि समुदाय सदस्यों के चयन में भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन ढांचों के विकास की कुंजी थी, इसे सही ढंग से अपनाया नहीं गया था। वर्तमान में ग्रा.शि.स., अ.शि.सं./मा.शि.सं. सदस्यों का चुनाव, भारी मात्रा में समुदाय को शामिल किये बिना आरम्भिक रूप से विद्यालय मुख्याध्यापक, सरपंच/ग्राम पंचायत द्वारा सूची बना कर किया जाता है।

ग्रा.शि.सं./आ.शि.सं./मा.शि.सं.द्वारा आरम्भ की गई गतिविधियों में समुदाय के बीच बहुत कम हस्तक्षेप था तथा ये ढांचे समुदाय के आवेष्टन के कम स्तर द्वारा प्रबलित किये गये थे। यहाँ तक कि ग्रा.शि.स./ग्रा.नि.स. तथा अ.शि.सं./मा.शि.सं. सदस्यों द्वारा सूचित विद्यालय सुधार गतिविधियों, समुदाय की जागरूकता में आवेष्टन बहुत कम था जैसे कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:

समुदाय के बीच ग्रा.शि.सं./ग्रा.नि.सं. तथा अ.शि.सं./मा.शि.सं. द्वारा आरम्भ की गई गतिविधियों के संबंध में जागरूकता

| गतिविधियाँ | जागरूकता सूचित करने वाले सदस्यों की प्रतिशतता | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| | ग्रा.शि.सं./ग्रा.नि.सं. | अ.शि.सं./मा.शि.सं. | जागरूक अभिभावकों की प्रतिशतता |
| विद्यालयों की मरम्मत/सुंदरीकरण | 59 | 50 | 52 |
| कक्षा कमरों की पुताई | 61 | 55 | -- |
| विद्यालय दिवारों की घेराबन्दी | 30 | 29 | 25 |
| मूल सुविधाओं का प्रबंधन | 44 | -- | -- |
| अतिरिक्त कक्षा कमरों का निर्माण | 26 | 31 | 32 |
| पुस्तकों/अ./शि. सामग्री की खरीद | 44 | 44 | -- |
| कम लागत अ/शि.सहायता की तैयारी | 39 | 46 | -- |
| समुदाय से निधियों का संग्रहण | 34 | -- | 13 |
| सं. प्रत्यर्थियों की संख्या | 2464 | 789 | 18402 |

इस प्रवृत्ति का सभी जि.प्रा.शि.का. में पता चला। जि.प्रा.शि.का. का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विद्यालय प्रबंधन समुदाय तथा विद्यालय दोनों के लिए साधारण महत्व रखता है जिसे प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएं तथा प्रयास लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों की दृष्टि के अनुरूप है, योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया के गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया की समुदाय आधारित ढांचे, स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए भारी प्रचार तथा जागरूकता उत्पादन गतिविधियों के साथ प्रक्रिया आधारित कार्यवाही के माध्यम से गठित किये गये हैं। तथापि लाभभोगी सर्वेक्षण ने भागीदारी प्रक्रिया का पुनरीक्षण करते समय सदस्यों के साथ ढांचागत साक्षात्कारों के माध्यम से ग्रा.शि.सं./अ.शि.सं./मा.शि.सं. के सदस्यों के चयन में समुदाय की भागीदारी की सीमा का अंदाजा लगाया है तथा उनके आवेष्टन के कम स्तर को पाया है।

2.7.4 समुदाय आधारित ढांचों को अपर्याप्त प्रशिक्षण

समुदाय कार्यकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सदस्यों को दिये गये कार्यों का जिम्मेवारी तथा विश्वास के पालन करते हैं समुदाय आधारित ढांचों अर्थात् ग्रा.शि.सं./ग्रा.नि.सं. तथा अ.शि.सं./मा.शि.सं. को प्रशिक्षण निर्णायक माना गया था। सर्वेक्षण से पता चला कि ग्रा.शि.सं. के 39 प्रतिशत सदस्यों तथा अ.शि.सं./मा.शि.सं. सदस्यों के 70 प्रतिशत ने जि.प्रा.शि.का.के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने की पुष्टि की।

उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश के ग्रा.शि.सं./ग्रा.नि.सं. सदस्यों के केवल पांचवें हिस्से से कम (14-16 प्रतिशत) लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने की पुष्टि की। केरल तथा उत्तर प्रदेशमें अ.शि.सं./मा.शि.सं. के आधे से भी कम सदस्यों (39-47 प्रतिशत) को जि.प्रा.शि.का. के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया था (अनुबंध 11)

सम्भावित स्वामी के रूप में उभरने के लिए योजना तैयार करने, पर्यवेक्षण तथा भागीदारी की भूमिका आरम्भ करने के लिए समुदाय को अर्थपूर्ण ढंग से सशक्त करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सामुदायिक संग्रहण की नीतियों के पुनर्निर्धारण तथा संचारित करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि ग्रा.शि.सं./अ.शि.सं./मा.शि.सं. के सदस्य उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश (ग्रा.शि.सं. केवल) में प्रशिक्षित किये जा चुके हैं तथा शेष राज्यों में सभी सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

2.7.5 खण्ड संसाधन केन्द्रों समूह संसाधन केन्द्रों की कार्य प्रणाली

फेज-I जिलों में कार्यक्रम कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष (1995-96) में मुख्यतः ख.सं.के./स.सं.के. का गठन किया गया था। फेज-II जिलों में ये ढांचे मुख्यतः तथा कार्यक्रम के बाद के वर्षों में गठित किये गये थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है

उप-जिला ढांचों के गठन का वर्ष

| गठन का वर्ष | फेज-I जिले | | फेज-II जिले | | जोड़ | |
|----------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| | ख.सं.के. | स.सं.के. | ख.सं.के. | स.सं.के. | ख.सं.के. | स.सं.के. |
| 1994-95 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 1995-96 | 32 | 20 | 2 | 8 | 34 | 28 |
| 1996-97 | 5 | 10 | 13 | 24 | 18 | 34 |
| 1997-98 | 4 | 3 | 56 | 40 | 60 | 43 |
| 1998 के पश्चात | 4 | 3 | 25 | 32 | 29 | 35 |
| जोड़ | 54 | 49 | 96 | 104 | 150 | 153 |

शिक्षकों को प्रशिक्षण अकादमिक सहायता की व्यवस्था करने में ख.सं.के./ स.सं.के. की सीमित भूमिका।

इसी प्रकार की प्रवृत्ति का सभी जि.प्रा.शि.का. राज्यों में पता चला। सर्वेक्षण ने उस सीमा का निर्धारण किया था जिसमें ख.सं.के./स.सं.के. ने शिक्षकों को विचार किए गए स्थल पर अकादमिक सहायता प्रदान करने की कार्यावाही आरम्भ की थी। मुख्य कार्य जो कि ख.सं.के./स.सं.के. द्वारा किए जाने विचारे गये थे में अकादमिक सहायता का प्रावधान, विद्यालयों का मासिक निरीक्षण, शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन तथा शिक्षकों के प्रेरक स्तर पर उनकी गतिविधियों को बढ़ाने में शिक्षकों को शामिल करना था।

इस समय सभी ख.सं.के./स.सं.के. शिक्षकों को अकादमिक सहायता की व्यवस्था करने की विचार की गई जिम्मेवारी को निभा नहीं रहे हैं। 14 जि.प्रा.शि.का. राज्यों में नमूना शिक्षकों के आधे से अधिक (58 प्रतिशत) ने उनसे सम्बद्ध ख.सं.के./स.सं.के. से सहायता प्राप्ति सूचित की। फेज-I शिक्षकों के बड़े अनुपात (62 प्रतिशत) ने फेज-II शिक्षकों (55 प्रतिशत) के बजाए सहायता की पुष्टि की।

नैतिक मासिक दौर करना तथा विद्यालयों के अभिलेखों का परिवीक्षण करना ख.सं.के./स.सं.के. को सौंपी गई मुख्य जिम्मेवारी थी। तथापि 69 प्रतिशत शिक्षकों ने पुष्टि की कि ख.सं.के./स.सं.के. द्वारा यह कार्य किया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

शिक्षकों द्वारा ख.सं.के./स.सं.के. से प्राप्त सहायता की प्रकृति

| प्रकृति | पुष्टि करने वाले शिक्षकों की संख्या तथा प्रतिशतता | |
|--------------------------|---|-----------|
| | संख्या | प्रतिशतता |
| विषय विशेष समस्यायें | 1113 | 80 |
| शि./शि.सामग्री की तैयारी | 1076 | 78 |
| शिक्षण प्रदर्शन | 888 | 64 |
| परिवीक्षण रजिस्टर | 966 | 70 |
| मासिक निरीक्षण करना | 956 | 69 |
| विशेष समस्याओं पर चर्चा | 1022 | 74 |

बहुल प्रतिक्रिया

सं = 1384 शिक्षकों ने ख.सं.के./स.सं.के. से सहायता प्राप्ति की पुष्टि की

शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में भी ख.सं.के./स.सं.के. सीमित आवेष्टन देखा गया। तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत प्रशिक्षित कुल शिक्षकों में से, केवल 47 प्रतिशत ने उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने में ख.सं.के./स.सं.के. समन्वयको के आवेष्टन की पुष्टि की। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में शिक्षकों को अकादमिक सहायता तथा शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का विचार किया गया कार्य बहुत कम पाया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

ख.सं.के./स.सं.के. से अकादमिक सहायता तथा शिक्षक प्रशिक्षण की प्राप्ति की मात्रा

| सहायता | राज्य |
|---|---|
| शिक्षकों के अकादमिक सहायता तथा प्रशिक्षण में भारी आवेष्टन | असम (64-80 प्रतिशत) ; गुजरात (62-79 प्रतिशत) ; केरल (83-90 प्रतिशत) |
| प्रशिक्षण में भारी अकादमिक सहायता अथवा आवेष्टन (कम से कम एक पहलू) | हरियाणा (29-75 प्रतिशत) ; हिमाचल प्रदेश (17-84 प्रतिशत) ; महाराष्ट्र (44-61 प्रतिशत); उड़ीसा (44.65 प्रतिशत); उत्तर प्रदेश (17-72 प्रतिशत) ; कर्नाटक (45-75 प्रतिशत) |
| कम अकादमिक सहायता तथा प्रशिक्षण में कम आवेष्टन | आंध्र प्रदेश (35-42 प्रतिशत); बिहार (24-51 प्रतिशत) ; मध्य प्रदेश (26-28 प्रतिशत) ; पश्चिम बंगाल (6-26 प्रतिशत) |

जि.प्रा.शि.का., ख.सं.के./स.सं.के. के माध्यम से बदलने योग्य पुष्टि कारक तथा लागत प्रभावित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता देता है। प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक सशक्तिकरण तथा सतत अकादमिक सहायता के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न व्यवस्थित विषयों पर तुरन्त बयान देने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि प्रत्येक राज्य में विभिन्न विषिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर तथा विद्यमान शैक्षणिक दृष्टि से ख.सं.के./स.सं.के. विकसित किये गये हैं

तथा बताया कि बहुत से राज्य प्रशिक्षण के लिए ख.सं.के./स.सं.के. का उपयोग नहीं करते हैं इसके बजाए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खण्ड तथा समूह स्तर पर संसाधन वर्गों का गठन किया गया है।

2.8. अवसंरचना की गुणवत्ता: क्षमता निर्माण

अपने लक्ष्यों को बल प्रदान करने तथा लागू करने के लिए जि.प्रा.शि.का. संस्थाओं के नेटवर्क तथा सहायता प्रणाली के निर्माण की कल्पना करता है। कल्पना किए गए अवसंरचना प्रबंधों में मुख्य रूप से (क) विद्यालय भवन कक्षा कमरों तथा सुविधाओं की उपलब्धता (ख) विद्यालय प्रभावकारिता तथा नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता (ग) खण्ड स्तर तथा विद्यालयों के समूह के लिए संसाधन व्यक्तियों तथा शैक्षणिक पर्यवेक्षकों की उपलब्धता शामिल है। लेखापरीक्षा ने इन अवसंरचनाओं की गुणवत्ता में भारी कमियां पाई क्योंकि ये अधूरी बिना सहायता के रही तथा उसमें एकाग्रता की कमी रही। नमूना पैराग्राफों में दिये गये हैं।

2.8.1 भवन तथा सुविधायें

मूल परिसर जो अभिगमन, अवधारण तथा गुणवत्ता सुधार से उत्पन्न होने वाले जि.प्रा.शि.का.के अंतर्गत सिविल कार्य प्रत्यक्ष रूप से मूल अवसंरचना की उपलब्धता तथा प्रावधान से जुड़े हैं। विद्यालय स्तर पर प्रत्यक्ष संरचना के सुधार तथा अकादमिक संसाधन के परिचालन की व्यवस्था के उद्देश्य से ख.सं.के./स.सं.के., एस.आई.ई.एम.टी. प्रा.शै.अ.प्र.प. जैसी संस्थाओं को सिविल निर्माण कार्यों के लिए परियोजना लागत की 24 प्रतिशत की सीमा तक की निधियों का आवंटन किया जा सकता है।

2.8.1.1 कम प्रगति

जि.प्रा.शि.का. के अंतर्गत सिविल निर्माणकार्यों में नए विद्यालय भवनों, अतिरिक्त कक्षा-कमरों का निर्माण, विद्यमान विद्यालयों की बड़ी मरम्मतें तथा नवीकरण, बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण, अ.जा. तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण करना शामिल था। जिले में प्रत्येक खंड के लिए ग्राम प्रचायत स्तरों पर खंड संसाधन केंद्रों तथा समूह संसाधन केंद्रों के रूप में वास्तविक ढांचे भी प्रस्तावित किए गए थे।

जि.प्रा.शि.का. ब्यूरो द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार 14 राज्यों में 1994-95 से 1999-2000 की अवधि में 1,23,666 सिविल निर्माण कार्यों के पूरा किए जाने का लक्ष्य था। तथापि, मार्च 2000 तक केवल 64224 सिविल निर्माण कार्य ही पूरे हुए थे, 28,122 सिविल निर्माण कार्य अभी तक प्रगति पर थे तथा 31,320 सिविल निर्माण कार्यों को बिल्कुल आरंभ नहीं किया गया है।

निर्माण कार्य कलापों की उचित ढंग से योजना नहीं बनाई गई थी, सिविल निर्माणकार्यों के पूर्ण होने में भारी कमी देखी गई थी।

चरण-I राज्यों में (जहाँ 1994-95 में परियोजनाएं आरंभ की गईं) योजनाबद्ध सिविल निर्माणकार्यों का 87 प्रतिशत पूरा किया गया था तथा 7 प्रतिशत प्रगति पर था। चरण-I

राज्यों के विस्तारण जिलों तथा छः चरण-II राज्यों में लक्ष्य रखे गए सिविल निर्माणकार्यों में से केवल 43 प्रतिशत पूरे किए गए थे जबकि 29 प्रतिशत कार्य प्रगति पर थे तथा इसमें 28 प्रतिशत की कमी थी। असम (60 प्रतिशत), हरियाणा (54 प्रतिशत), महाराष्ट्र (58 प्रतिशत) तथा हिमाचल प्रदेश (60 प्रतिशत) में भारी कमी थी। केरल (49 प्रतिशत), कर्नाटक (22 प्रतिशत), उड़ीसा (24 प्रतिशत) तथा उत्तर प्रदेश (28 प्रतिशत) में भी भारी कमी देखी गई थी। बिहार, जहाँ 1997-98 से परियोजना आरंभ की गई थी (चरण-III), में प्रगति बहुत धीमी है। मार्च 2000 तक पूरे किए जाने वाले योजनाबद्ध 6585 निर्माणकार्यों में से केवल 363 (6 प्रतिशत) पूरे किए गए हैं जबकि 5070 निर्माणकार्यों (77 प्रतिशत) के बिल्कुल आरंभ नहीं किया गया है। इससे यह प्रकट हुआ कि इन राज्यों में निर्माण कार्य-कलापों की उचित ढंग से योजना नहीं बनाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप सिविल निर्माणकार्यों के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने इसके लिए निधियों की संस्वीकृति में विलम्ब तथा प्रणाली को स्थापित करने में लिए गए समय को उत्तरदायी ठहराया।

ओ.आर.जी.-सी.एस.आर. द्वारा किए गए सुविधा सर्वेक्षण की उपलब्धियों से पता चला कि निरीक्षण किए गए 14 जि.प्रा.शि.का. राज्यों में, खं.सं.के./सं.सं.के के 1/5 भाग में सिविल निर्माणकार्य आरंभ नहीं किए गए थे। राज्यवार, खं.सं.के./सं.सं.के. की उच्चतम संख्या, जिनमें निर्माणकार्य आरंभ नहीं किए गए थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में थी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तथा उड़ीसा के अलावा सभी राज्यों में खं.सं.के./सं.सं.के. में से केवल 56 प्रतिशत ने ही जिला परियोजना कार्यालय से तकनीकी सहायता प्राप्त होने की पुष्टि की।

तमिलनाडु, केरल तथा गुजरात में सिविल निर्माणकार्यों को कम प्राथमिकता दी गई थी। इन राज्यों में, प्रत्येक जिले के लिए सिविल निर्माणकार्यों हेतु निर्दिष्ट निधियों के कम उपयोग के अतिरिक्त विद्यालय अनुदानों का भी उपयोग कम था। तमिलनाडु में विद्यालयों के अच्छे अनुपात के लिए अतिरिक्त कक्षा कमरों, शौचालयों आदि के प्रावधान की आवश्यकता थी। आधारभूत सुविधाओं, जैसे विद्यालयी भवनों की मरम्मतें तथा शौचालयों/मूत्रालयों का निर्माण, के सुधार तथा उन्नयन हेतु सिविल निर्माणकार्यों/विद्यालयी अनुदानों का उपयोग भी केवल सीमित विद्यालयों में ही आरंभ किया गया था। जबकि 39 प्रतिशत विद्यालयों में मरम्मत कार्य किए गए थे, मूल सुविधाओं, अर्थात् शौचालय सुविधाएं तथा पेयजल की सुविधा, का प्रावधान केवल 19-21 प्रतिशत विद्यालयों में ही किया गया था।

2.8.1.2 सामुदायिक केन्द्रबिन्दु की हानि

लाभभोगी सर्वेक्षण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिविल निर्माणकार्यों के निष्पादन में समुदाय के आवेष्टन से संबंधित थी। जबकि जि.प्रा.शि.का. की मुख्य नीति में निर्माणकार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए स्थल के चयन से आरंभ होने वाले सभी स्तरों

पर समुदाय का आवेष्टन किया जाना था, सर्वेक्षण से यह पता चला कि सर्वेक्षण के दौरान सम्पर्क किए गए केवल 23 प्रतिशत ग्रा.शि.स. सदस्यों ने निर्माण कार्यकलापों में अपने आवेष्टन की संपुष्टि की। वास्तव में ग्रा.शि.स. को योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलापों के लिए परियोजना प्रबंधक के रूप में देखा गया था।

2.8.1.3 सिविल निर्माणकार्यों के निष्पादन में अनियमितताएं

अवसंरचना निर्माण के कार्य में केन्द्रीय सिविल निर्माणकार्यों के निष्पादन में विभिन्न अनियमितताएं देखी गई थीं। ये अनियमितताएं संसाधनों के व्यापक दुरुपयोग, व्यर्थ निवेश, अपव्यय तथा अनुत्तरदायित्व के कारण संचित हुईं। जबकि ब्योरे 12 से 15 अनुबंधों में दर्शाए गए हैं, संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपए में)

| क्र.सं. | अनियमितता का प्रकार | राज्य/सं.रा.क्ष. | राशि | प्रणाली निहितार्थ | अनुबंध में संदर्भ |
|---------|---|--|-------|---------------------------|-------------------|
| 1. | प्रतिमानों का उल्लंघन करके व्यय | हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल | 23.35 | अनश्रवण की विफलता | अनुबंध 12 |
| 2. | व्यर्थ व्यय | असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा | 10.97 | सहक्रिया की हानि | अनुबंध 13 |
| 3. | अपव्यय | कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र | 1.94 | गुणवत्ता नियंत्रण में चूक | अनुबंध 14 |
| 4. | निर्माणकार्य लेखाओं का प्रस्तुत न किया जाना | हरियाणा, उड़ीसा | 4.58 | उत्तरदायित्व का अभाव | अनुबंध 15 |

मंत्रालय ने की गई 2001 में बताया कि परियोजना की तैयारी के दौरान निश्चित की गई निर्माण के विभिन्न संघटकों की इकाई लागत बहुत प्रारंभिक तथा अस्थायी है। अतः यदि एक बार विस्तृत आरेखण तथा अनुमान तैयार किए जाते हैं तो इकाई लागत में अंतर रहेगा तथा उन इकाई लागतों में कई वर्षों तक वृद्धि होगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि तमिलनाडु में समुदाय आवेष्टन के कारण लागत बचत के लाभ को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि निर्माण में सामुदायिक आवेष्टन की प्रक्रिया बहुत बाद फरवरी 1998 में आरंभ की गई थी। चूंकि विद्यालय क्रियाकलाप आधारित शिशु केन्द्रित शिक्षण ज्ञान के लिए आरेखित किए गए थे, पश्चिम बंगाल में विद्यालयों के लिए उच्चतर स्थल प्रतिमान अपनाए गए थे, तथापि तथ्य यह रहा कि सिविल निर्माण कार्य

की प्रगति धीमी थी तथा इससे निमाण लागतों में वृद्धि हुई। मंत्रालय ने आगे बताया कि निधियों की अनुपलब्धता या लागत वृद्धि संबंधित विवादों के कारण अधिकांश निर्माणकार्य काफी समय से अधूरे पड़े थे। इनमें से अधिकांश निर्माण कार्य परियोजना अवधि समाप्त होने से पहले पूर्ण होंगे तथा निर्माणकार्य एक बार पूर्ण होने पर उनको परियोजना अवधि के बाद उपयोग में लाया जाएगा। केवल 9.69 लाख रूपए के लेखे बकाया थे तथा शेष का समायोजन किया जा चुका था।

2.8.1.4 परिसम्पत्तियों का सृजन

जि.प्रा.शि.का. दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त परिसम्पत्तियों के संबंध में परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुस्क्षण किया जाना था तथा प्राप्त परिसम्पत्तियों से संबंधित परिसम्पत्ति रजिस्टर की एक प्रमाणित प्रति अनुदान समाप्त होने जाने बाद, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह के भीतर नियमित रूप से भारत सरकार को भेजी जानी थी।

यह देखा गया था कि आठ राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश द्वारा किसी परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुस्क्षण नहीं किया गया था। किसी भी राज्य द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर के अनुस्क्षण न किए जाने के लिए कोई कारण नहीं भेजे गए थे।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए योजना के अंतर्गत वास्तविक रूप से सृजित परिसम्पत्तियों को सत्यापित नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि गुजरात तथा मध्य प्रदेश में परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों का अनुस्क्षण किया जा रहा था तथा शेष राज्यों ने रजिस्ट्रों का अनुस्क्षण करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी थी।

2.8.2 शिक्षकों की तैनाती

जि.प्रा.शि.का. के अंतर्गत, अधिकारियों (जि.शि.प्र.सं., ख.सं.के./स.सं.के.) तथा अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती हेतु निधियां प्रदान की गई थीं। शिक्षकों की तैनाती बड़े आकार की कक्षाओं की संख्या घटाने तथा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को सुधारने के लिए अभिप्रेत थी। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में शिक्षकों की युक्तिमूलक तैनाती पर बल दिया गया था, क्योंकि शिक्षकों का दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रित होने में झुकाव होता है।

कार्यक्रम के पुनरीक्षण में, कार्यक्रम-अधिकारियों, विशेष रूप से शिक्षक/अनुदेशकों की नियुक्ति में भारी कमियां प्रकट हुईं। शिक्षकों की तैनाती-पद्धति किसी प्रतिमान पर आधारित नहीं थी तथा निर्धारित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात से असंगत थी। यद्यपि कार्यक्रम में, लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए महिला शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया गया था, महिला शिक्षकों की नियुक्ति अपर्याप्त पाई गई थी।

यह देखा गया कि भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली रहे। आठ राज्यों में, 1994-2000 की अवधि में जि.प्रा.शि.का. निधियों से नियोजित/संस्वीकृत शिक्षण स्टाफ, मार्च 2000 तक भरे गए तथा रिक्त रहे पदों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

| क्र.सं. | राज्य | | जि.प्रा.शि.का. | | |
|---------|---------------|-----|----------------|---------|------|
| | | | नियोजित | कार्यरत | कमी |
| 1. | हरियाणा | च-। | 660 | -- | 660 |
| | | च-॥ | 21 | -- | 21 |
| 2. | तमिलनाडु | च-। | 3100 | 1026 | 2074 |
| 3. | केरल | च-। | 28 | 7 | 21 |
| 4. | महाराष्ट्र | च-। | 1899 | 1870 | 29 |
| | | च-॥ | 1487 | 672 | 815 |
| 5. | कर्नाटक | च-। | 2270 | 2246 | 24 |
| | | च-॥ | 2867 | 2245 | 622 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | च-॥ | 1616 | 1446 | 170 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | च-॥ | 2991 | शून्य | 2991 |
| 8. | पश्चिम बंगाल | च-॥ | 800 | शून्य | 800 |
| | जोड़ | | 17739 | 9512 | 8227 |

तालिका से यह देखा जा सकता है कि आठ राज्यों में नियोजित 17,739 पदों में से 8227 पद अभी तक खाली पड़े थे जबकि जि.प्रा.शि.का. के अंतर्गत निधियां उपलब्ध थीं। हरियाण, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल में नियोजित पद सम्पूर्ण रूप से रिक्त रहे।

नमूना सर्वेक्षण से यह भी प्रकट हुआ कि लगभग एक तिहाई (33 प्रतिशत) विद्यालयों में सभी संस्वीकृत शिक्षकपद भरे नहीं गए थे। क्षेत्रवार यह देखा गया कि ऐसे विद्यालयों की स्थिति शहरी क्षेत्रों (25 प्रतिशत) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (34 प्रतिशत) में अधिक थी।

14 जि.प्रा.शि.का. राज्यों में से, उड़ीसा (सभी पद भरे गए: ग्रामीण क्षेत्रों में 48 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 85 प्रतिशत), तमिलनाडु (सभी पद भरे गए: ग्रामीण क्षेत्रों में 46 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 60 प्रतिशत) तथा पश्चिम बंगाल (सभी पद भरे गए: ग्रामीण क्षेत्रों में 49 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 63 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण क्षेत्रवार अंतर देखे गए थे।

34 प्रतिशत विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई थी

जबकि यह एक अनुबंध नहीं था, जि.प्रा.शि.का. ने प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों की उपस्थिति पर बल दिया था ताकि विद्यालयी शिक्षा में लड़कियों की संख्या को बढ़ाया जा सके। तथापि लाभभोगी सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग एक तिहाई

विद्यालयों (34 प्रतिशत) में महिला शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई थी तथा इसी प्रकार की स्थिति चरण-1 तथा II दोनों जिलों में विद्यमान थी।

उन विद्यालयों, जिनमें एक भी महिला शिक्षक नहीं है, की राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है:

| राज्य का नाम | बिना महिला विद्यालयों की संख्या |
|---------------|---------------------------------|
| आंध्र प्रदेश | 35 |
| असम | 43 |
| बिहार | 56 |
| गुजरात | 9 |
| हरियाण | 30 |
| हिमाचल प्रदेश | 19 |
| कर्नाटक | 21 |
| मध्य प्रदेश | 57 |
| महाराष्ट्र | 35 |
| उड़ीसा | 33 |
| तमिलनाडु | 5 |
| उत्तर प्रदेश | 54 |
| पश्चिम बंगाल | 50 |

2.8.2.1. शिक्षकों की तैनाती: छलयोजित अतिरिक्तता

योजना में यह अवलोकित किया गया था कि शिक्षकों के संस्वीकृत नए पद शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात पर आधारित नामांकन के आधार पर अतिरिक्तता के रूप में होंगे। तदनुसार इन शिक्षकों की तैनाती केवल जि.प्रा.शि.का. विद्यालयों के लिए थी, तथापि वास्तविक रूप में इसे अपना नहीं गया था, जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरणों से देखा जा सकता है:

- (i) तमिलनाडु में, तीन जिलों में जि.प्रा.शि.का. के अंतर्गत 1997-98 के दौरान शिक्षकों के 539 नए पद संस्वीकृत किए गए थे जबकि विद्यार्थियों का 1995-96 तथा 1996-97 के बीच वास्तव में कम नामांकन हुआ था। एक अन्य जिले में, 1995-96 में नामांकित किए गए बच्चों की संख्या की तुलना में 1997-98 के दौरान 5534 विद्यार्थियों की सीमा तक बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई थी 1:40 के शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के आधार पर जि.प्रा.शि.का. के अंतर्गत केवल 138 शिक्षकों को ही न्यायोचित रूप से नियुक्त किया जा सका जबकि 487 शिक्षकों की योजना के अंतर्गत नियुक्ति की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 888 शिक्षकों की अधिक तैनाती पर 13.63 करोड़ रूपए की सीमा तक जि.प्रा.शि.का. संसाधनों का दावा किया गया तथा नामांकन आधारित अतिरिक्तता उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा हुए बिना रह गया।

(ii) पश्चिम बंगाल के पांच परियोजना जिलों में, 1302 विद्यालयों में प्रतिमानों से अधिक 1395 शिक्षक नियुक्त किए गए थे जबकि 512 विद्यालयों में 1174 शिक्षकों की कमी थी। एक जिले में, प्रति विद्यालय 4 तथा 20 के बीच कमी थी। सरकार ने अगस्त 2000 में इस तथ्य को स्वीकार किया किन्तु कोई शोधक कार्यवाही नहीं की गई है।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि विसमानता का प्रमुख कारण राज्य में न्यायिक मामलों के कारण लगातार कई वर्षों के लिए शिक्षकों की भर्ती न होना था तथा उस विसमानता को समाप्त करने के लिए कार्यवाही की गई थी।

(iii) उत्तर प्रदेश में, 1:50 के शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात (कार्यक्रम में विचारित 1:40 के प्रति) में शिक्षक पदों की सभी रिक्तियां सितम्बर 1997 तक भरी जानी थी। तथापि, प्रतिमानों के अनुसार शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई थी जिससे भारी कमी या आधिक्य हुआ।

एक जिले में किसी भी अध्यापक की स्थायी आधार पर नियुक्ति नहीं हुई थी। योजनाबद्ध रीति से अध्यापकों की नियुक्ति तथा नियोजन न होने के कारण, नौ परियोजना जिलों में अध्यापक-छात्र अनुपात 1.56 तथा 1.134 के बीच रहा, जिसने कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। स्पष्ट जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत संस्वीकृत पदों का गैर-जि.प्रा.शि.का. विद्यालयों में प्रयोग किया गया।

मन्त्रालय ने मई 2001 में बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अध्यापकों की नियुक्ति के यौक्तिकीकरण के लिए आदेश जारी कर दिए थे।

(iv) महाराष्ट्र में एक जि.प्रा.शि.का. जिले में सात अध्यापकों की नियुक्ति 42 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध की गई थी, जबकि प्रत्येक में कम से कम एक अध्यापक सहित 30 विद्यालयों में रिक्त स्थानों की गणना की गई थी। इसी प्रकार अन्य जिले में 186 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 63 अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी। यहां पर भी अतिरिक्त पदों का लाभ जि.प्रा.शि.का. विद्यालयों को नहीं मिला।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मन्त्रालय ने मई 2001 में बताया कि वर्तमान में 42 और 186 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध क्रमशः 24 और 162 अध्यापक नियुक्त थे। इन्होंने आगे बताया कि निधियों की उपलब्धता के बावजूद भर्ती मानकों तथा क्रियाविधि और शिक्षक सेवक की नियुक्ति के कारण पदों को भरने में कठिनाईयां थीं।

(v) उड़ीसा में, 734 नए विद्यालयों के लिए संस्वीकृत 1468 अध्यापकों के पदों के विरुद्ध 1999-2000 के दौरान 741 अध्यापकों की उन्हें गैर-जि.प्रा.शि.का. विद्यालयों से हटाकर तैनाती की गई, जिससे राज्य में अध्यापकों की 3963 पदों की समग्र कमी के होते हुए उन विद्यालयों में रिक्त स्थान उत्पन्न हो गए। यह एक महत्वपूर्ण दृष्टान्त है कि किस तरह जि.प्रा.शि.का. के स्रोतों का प्रयोग करके गैर-जि.प्रा.शि.का. के दायित्वों

का वित्त पोषण करने के लिए संकटकालीन अतिरिक्तता तत्व को चालाकी से प्रभावित किया जा सका।

2.8.3 शैक्षिक सहायता प्रणाली

नियुक्ति के लिए बहुत अधिक संख्याओं में संस्वीकृत/नियोजित पद रिक्त रहे।

दिशा निदेशों के अनुसार कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष प्रणाली को सुचारु रूप से लागू करने के लिए ध्यान देने और प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान (जि.शि.प्र.सं.) की क्षमता को मजबूत करके प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना तथा खण्ड संसाधन केन्द्रों और विद्यालयों की स्थापना करना शामिल था। तथापि यह देखा गया कि 1994-2000 के दौरान इन संस्थानों/केन्द्रों के लिए बहुत अधिक संख्या में संस्वीकृत/नियोजित पद भरे नहीं गए थे। मार्च 2000 के अन्त तक संस्वीकृत तथा रिक्त पड़े पदों की स्थिति अनुबंध 16 में दी गई है:

चार राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश (चरण I : 39 प्रतिशत, चरण II : 50 प्रतिशत), असम (चरण I : 47 प्रतिशत, चरण II : 20 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (चरण II : 44 प्रतिशत), हरियाणा (चरण I : 24 प्रतिशत, चरण II : 18 प्रतिशत) में जि.शि.प्र.सं. के कर्मचारियों के पदों को भरने में कमी 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत थी।

इसी प्रकार, ख.सं.के. के संसाधन व्यक्तियों/समन्वयकर्ताओं के लिए यह कमी 1 प्रतिशत से 27 प्रतिशत थी। आन्ध्र प्रदेश (चरण I : 26 प्रतिशत, चरण II : 27 प्रतिशत), हरियाणा (चरण II : 20 प्रतिशत), महाराष्ट्र (चरण II : 14 प्रतिशत), तमिलनाडु (चरण II : 15 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश (चरण II : 25 प्रतिशत) में कमी 10 प्रतिशत से अधिक थी।

छः राज्यों (असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश) में समूह संसाधन केन्द्र स.सं.के. के कर्मचारियों के पदों को भरने में कमी थी। हिमाचल प्रदेश (चरण II : 45 प्रतिशत), हरियाणा (चरण II : 24 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (चरण II : 21 प्रतिशत) में कमी अधिक सुस्पष्ट थी।

इस प्रकार परियोजना के आरम्भ होने के तीन से छः वर्ष के पश्चात भी, परियोजना के पहले वर्ष में जिन पदों के भरे जाने की परिकल्पना की गई थी। भी रिक्त रहे जिसने क्षमता निर्माण के उपायों को प्रभावित किया।

2.8.4 सक्षमता निर्माण

अध्यापक अधिकारिता की बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार करके जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापकों की क्षमता और प्रवीणता का पता लगाना है। अध्यापक अधिकारिता कार्यनीति में लगातार प्रशिक्षण देना, अध्यापकों को (ख.सं.के./स.सं.के.से) स्थल शैक्षिक सहायता प्रदान करना, प्रेरणा तथा कार्यक्रम में स्वामित्व की भावना पैदा करके अध्यापकों को गतिविधियों में शामिल करना शामिल है। इस प्रकार प्रशिक्षण,

कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन तथा शिक्षा के स्वरूप में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग था।

राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा से पता चला कि राज्यों द्वारा प्रशिक्षण समय-सारणी का पालन नहीं किया गया था। कार्यक्रम के अधिकतर कार्यकर्ताओं को अपेक्षित प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका। तेरह राज्यों, जिनमें सूचना उपलब्ध थी, की स्थिति अनुवर्ती पैराग्राफों में दी गई है।

2.8.4.1 प्रशिक्षण लक्ष्य को पूरा करने में कमी

अध्यापक एवं अन्य कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।

तेरह राज्यों में 1994-2000 की अवधि के दौरान शामिल विभिन्न कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए। अध्यापन कर्मचारियों में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त करने में कमी 3 प्रतिशत (केरल) से 64 प्रतिशत (बिहार) तथा गैर-अध्यापन कर्मचारियों में 1 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश) से 68 प्रतिशत (हिमाचल प्रदेश) थी। शिक्षण श्रेणी में, कमी चार राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल तथा मध्य प्रदेश) में 10 प्रतिशत तक, तीन राज्यों (हरियाणा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश) में 11 प्रतिशत से 25 प्रतिशत और चार राज्यों (बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक) में 25 प्रतिशत से अधिक थी।

गैर-शिक्षण श्रेणी में कमी तीन राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम तथा उत्तर प्रदेश) में 10 प्रतिशत तक, तीन राज्यों (केरल, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु) में 11 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तथा छः राज्यों (बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा) में 25 प्रतिशत से अधिक थी।

कमी के मुख्य कारण अध्यापकों को अन्य कार्यकरालाओं में लगाए रखना (हिमाचल प्रदेश), प्रशिक्षण के लिए विषयवस्तु का विकास (हरियाणा), प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अध्यापकों की अनुपस्थिति तथा प्रशिक्षण के मापदण्डों में कटौती, निधियों की कमी (कर्नाटक) तथा अध्यापकों का अवकाश (तमिलनाडु) थे। शेष राज्यों ने कमी के कारण नहीं बताए थे। आयोजित प्रशिक्षण तथा उसके प्रति उपलब्धि तथा दोनों श्रेणियों में कमी अनुबंध 17 में दर्शाई गई है।

अनुबंध से यह देखने में आया कि गुजरात को छोड़कर समस्त राज्यों में लक्ष्यों को पूरा करने में कमी है।

मन्त्रालय ने मई 2001 में बताया कि अध्यापकों को आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित किया गया था। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण थे तथा कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष श्रेणी के अध्यापकों के लिए थे। तथापि तथ्य यह है कि जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत सभी अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना था तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

2.8.4.2 राज्यों पर विशिष्ट टिप्पणियां

(i) आन्ध्र प्रदेश में, 1996-97 से 1999-2000 वर्षों के दौरान आयोजित 397 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से केवल 297 कार्यक्रम चलाए गए थे। इसी प्रकार परिलक्षित 131 कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों के प्रति केवल 48 ही चलाई गईं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 100 (25 प्रतिशत) की तथा कार्यशालाएं चलाने में 83 (63 प्रतिशत) की कमी थी। जिला कार्यालय ने कमी के मुख्य कारण राज्य और जिला स्तर के कार्यक्रमों का परस्पर व्यापी होना तथा प्रशिक्षण मापदण्डों को तैयार करने में अतिरिक्त समय का लिया जाना आदि बताए हैं।

पश्चिम बंगाल में परियोजना अवधि के तीन वर्ष के पश्चात भी प्रशिक्षण कार्यकलाप के वित्तीय तथा प्रत्यक्ष लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

(ii) पश्चिम बंगाल में, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के स्वरूप में सुधार के लिए अध्यापकों को शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षण में उपयोग के लिए 17.03 करोड़ रु. प्रस्तावित किए गए थे। पश्चिम बंगाल जि.प्रा.शि.का. ने 1998-99 में 150 मुख्य संसाधन व्यक्तियों को समुन्नत करने का प्रस्ताव रखा था जो बाद में जिला स्तर पर 1500 संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर समुन्नत करेंगे। अन्ततः संसाधन व्यक्तियों द्वारा 12 से 14 कार्य क्षेत्रों में 47568 अध्यापकों को प्रशिक्षण देना था। तथापि 14 कार्य क्षेत्रों में से 4 क्षेत्रों में 134 मुख्य संसाधन व्यक्तियों, 1432 संसाधन व्यक्तियों तथा 38102 अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए मार्च 2000 तक केवल 1.50 करोड़ रु. व्यय किए जा सके थे। इस प्रकार परियोजना अवधि के तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी किसी को भी पूर्ण विकसित प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका तथा शिक्षा के स्वरूप में सुधार का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

मन्त्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास विषयवस्तु सी.एल.आर.सी. में आयोजित किए गए थे जिनका गठन केवल 2000 में हुआ था। मन्त्रालय ने आगे बताया कि लक्ष्यों के शीघ्र प्राप्त होने की आशा थी।

(iii) महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र शिक्षा योजना तथा प्रशासन संस्थान, औरंगाबाद ने 1995-96 से 1998-99 के दौरान 56 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें 1680 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। इसके प्रति 679 (40 प्रतिशत) की कमी दर्शाते हुए केवल 1001 कार्मिक प्रशिक्षण में उपस्थित हुए।

मन्त्रालय ने मई 2001 में बताया कि क्योंकि प्रशिक्षण के लिए चुने गए अधिकारियों को अन्य प्राथमिकता के कार्यकलापों पर भी नियुक्त किया गया था, अतः शत प्रतिशत भागीदारी प्राप्त नहीं की जा सकी।

लाभभोगी सर्वेक्षण से भी पता चला कि 1995-2000 की अवधि के दौरान प्रत्येक उल्लिखित वर्ष में जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत केवल 33 प्रतिशत से 69 प्रतिशत विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव अपर्याप्त था। सर्वेक्षण के अनुसार, प्रशिक्षित अध्यापकों में से केवल 15-30 प्रतिशत अध्यापकों को ही प्रशिक्षण के दौरान अध्यापकों को ही प्रशिक्षण के दौरान अध्यापन किए गए पहलुओं का स्मरण था। शिक्षण कार्यप्रणाली विषय विशेष शिक्षण पद्धति तथा जि.प्रा.शि.का. की पृष्ठभूमि जैसे पहलुओं का सभी राज्यों में कुछ प्रत्याह्वान दृष्टिगोचर हुआ। छात्र मूल्यांकन, बहु-श्रेणी कक्षा स्थिति, उपचारी शिक्षण जैसे पहलु भी प्रशिक्षण में संबोधित नहीं किए गए।

खं.सं.के. तथा स.सं.के. द्वारा अध्यापकों को स्थल पर शैक्षिक सहायता का स्तर भी निम्न था। वास्तव में प्राथमिक पाठशाला शिक्षकों को प्रशिक्षण देना खं.सं.के./स.सं.के. को सौंपा गया महत्वपूर्ण कार्य था। आधे से भी कम (47 प्रतिशत) प्रशिक्षित अध्यापकों ने खं.सं.के./स.सं.के. समन्वयक से प्रशिक्षण प्राप्ति की पुष्टि की। यह इस तथ्य के बावजूद था कि 4/5 (80 प्रतिशत) अध्यापकों ने ग्राम/खं.सं.के./स.सं.के./स.सं.के. में प्रशिक्षण स्थल के रूप में उपस्थिति दी।

खं.सं.के./स.सं.के. किस सीमा तक व्याप्त थे, इस सम्बन्ध में राज्यवार महत्वपूर्ण विसंगतियाँ देखी गई थी। जबकि कनाटक, तमिलनाडु, असम और केरल में तीन चौथाई (76-82 प्रतिशत) से अधिक खं.सं.के./स.सं.के. के व्याप्त होने की पुष्टि की; उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार तथा हरियाणा में इन उप-जिला गठनों की कम व्याप्ति देखी गई।

2.8.5 विशेष हस्तक्षेप

जि.प्रा.शि.का. के व्यापक केन्द्रीकरण में विशिष्ट हस्तक्षेप के लिए विशेष क्षेत्र सम्मिलित थे। उनका उद्देश्य उन अलाभकारी एवं शोषित बच्चों का पता लगाना था जो या तो विद्यालय की औपचारिक धारा में शामिल होने में असमर्थ थे या औपचारिक शिक्षा की जटिलताओं का सामना करने में अक्षम थे। अन्ततः प्राथमिक स्तर पर प्रवेश पाने वाले बच्चों को विद्यालय पूर्व अवस्था में ढालने एवं परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए एक माध्यम प्रदान करने हेतु पूर्व शैशव देखभाल एवं शिक्षा की जि.प्रा.शि.का. के एक अभिन्न अंग के रूप में कल्पना की गई थी। इस दूरदृष्टि की एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि इसे एकीकृत बाल विकास योजना (ए.बा.वि.यो. के अन्तर्गत उपलब्ध सेवाओं की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार जि.प्रा.शि.का. का उद्देश्य पूर्व शैशव देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने की ओर अभिमुख था। लेखापरीक्षा समीक्षा से पता लगा कि योजना पर्याप्त परिणाम देने के लिए अपने पास उपलब्ध साधनों का आयोजन करने में विफल रही। अनुवर्ती पैराग्राफों में निष्कर्षों का विवरण दिया गया है।

2.8.5.1 अनौपचारिक धरातल

भारत सरकार की योजना के अनुसार उस योजना में शामिल न किए गए राज्यों में विद्यालय की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए समस्त उपायों का प्रयोग करने के बावजूद भी औपचारिक प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों की विविध आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (परिवर्तक विद्यालय) खोलने के लिए निधियां प्रदान की गई थी ।

जबकि पूव शैराब देखभाल एवं शिक्षा केन्द्रों को खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, जि.प्रा.शि.का. चरण I तथा II जिलों में विभिन्न प्रकार के 115000 परिवर्तक विद्यालयों को खोलने की योजना थी तथा जि.प्रा.शि.का. चरण III जिलों के लिए अन्य 11500 केन्द्र प्रस्तावित किए गए थे । इस लक्ष्य के प्रति, मार्च 2000 तक कुल 40943 परिवर्तक विद्यालय परिचालन में थे जिनमें 15.93 लाख बच्चे नामांकित किए गए थे । इनमें से अकेले मध्य प्रदेश में 9.32 लाख बच्चे (कुल नामांकन का 59 प्रतिशत) नामांकित किए गए थे । 13 अन्य राज्यों में नामांकन की प्रगति न्यूनतम थी । हिमाचल प्रदेश में कोई केन्द्र नहीं खोला गया है । विवरण नीचे दिए गए हैं ।

| क्र.सं. | राज्य | वै.वि.के. अन्तर्गत कुल पंजीकरण |
|---------|---------------|--------------------------------|
| 1. | असम | 150612 |
| 2. | गुजरात | 23648 |
| 3. | बिहार | 40000 |
| 4. | हरियाणा | 11400 |
| 5. | कर्नाटक | 15836 |
| 6. | केरल | 2540 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 931598 |
| 8. | महाराष्ट्र | 57006 |
| 9. | तमिलनाडु | 31161 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | 36785 |
| 11. | आन्ध्र प्रदेश | 103213 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 36880 |
| 13. | उड़ीसा | 10000 |
| 14. | राजस्थान | 142300 |
| | कुल | 1592979 |

चूंकि वै.वि. में बाल मजदूर, प्रवासी परिवारों के बच्चों आदि जैसे विशेष समूहों को शामिल किया जाना है, ऐसे समूहों के जनसमुदाय की पहचान करना जरूरी है जहां प्रा.शि.सा. के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वै.वि. खोले जा सकते हैं ।

राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच से निम्न का पता चला:

2.8.5.2 अ.औ.शि. केन्द्र खोलने की स्थिति

(क) बिहार: उन क्षेत्रों में जहां शैक्षणिक सुविधाएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं थी के लिए 7988 अ.औ.शि. केन्द्र खोलने के प्रस्ताव की अपेक्षा मार्च 2000 तक 2540 वै.वि. खोले गये थे । जि.प्रा.शि.का. परियोजना जिलों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने निर्धारित नहीं किया ।

(ख) गुजरात: गुजरात के तीन जि.प्रा.शि.का. जिलों में, मार्च 2000 तक 2000 वैकल्पिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 28 प्रतिशत की कमी दशाते हुए 1436 केन्द्र खोले गए। ग्रामीण शिक्षा समितियों से इन केन्द्रों को खोलने के लिए आवेदन पत्रों की अप्राप्ति को कमी का उत्तरदायी ठहराया गया। लक्ष्य जनसमुदाय के रूप में पहचान किए गये 2.95 लाख बच्चों (दिसम्बर 1997) में, केवल 0.33 लाख (11 प्रतिशत) मार्च 2000 तक भर्ती किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2001 तक 2011 वै.वि. खोले जा चुके थे जिसमें 43465 छात्रों को प्रवेश दिया गया था।

(ग) हरियाणा: हरियाणा में रज्जय परियोजना निदेशक ने अ.औ.शि. केन्द्रों को खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए। 1998-2000 के दौरान, 550 अ.औ.शि. केन्द्र खोले गए जिनमें केवल 5142 बच्चों को शामिल किया गया।

मंत्रालय ने बताया कि फरवरी 2001 तक लगभग 1580 वैकल्पिक विद्यालय स्थापित किए गए जिनमें 25000 छात्रों को पंजीकृत किया गया। मंत्रालय ने यद्यपि विद्यालय में भर्ती न हुए बच्चों की संख्या तथा स्थापित किए जाने वाले लक्षित वै.वि. की संख्या को सूचित नहीं किया।

(घ) हिमाचल प्रदेश: दो जिलों (चम्बा और सिरमूर) में 681 अ.औ.शि. केन्द्र खोलने की योजना थी लेकिन कोई भी केन्द्र स्थापित नहीं किया गया। केन्द्र न खोलने का कोई कारण नहीं बताया गया (अप्रैल 2000)।

(ङ) उड़ीसा: नवम्बर 1999 तक कोई अ.औ.शि. केन्द्र नहीं खोला गया। यद्यपि, दिसम्बर 1999 में आठ जिलों में 380 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले गए तथा इन केन्द्रों में विद्यालय के बच्चों में से 7775 बच्चों को भर्ती किया गया।

(च) महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के नौ परियोजना जिलों में, 1996-99 के दौरान 1.71 लाख सम्मिलित छात्रों के साथ 3235 अ.औ.शि. केन्द्रों को खोलने का लक्ष्य था। इन लक्ष्यों के विरुद्ध मार्च 1999 तक 2868 केन्द्र खोले गए जिनमें 70120 छात्र भर्ती किए गए। यहां केन्द्र को खोलने में 11 प्रतिशत तथा छात्रों को भर्ती करने में 59 प्रतिशत की कमी रही।

चार जिलों (औरंगाबाद, नांदेड, पारबानी एवं गडचीरोली) में लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए जाने पर पता चला कि 1996-2000 के दौरान केन्द्र खोले जाने में कमी नांदेड में 4.49 प्रतिशत से गडचीरोली में 74.33 के बीच रही तथा छात्रों की भर्ती में कमी नांदेड में 8.81 प्रतिशत से औरंगाबाद में 87.39 प्रतिशत के बीच रही।

मंत्रालय ने इस कमी को आरोपित किया कि स्कूली बच्चे काय में लगे हुए थे या प्रवासी किए जा रहे हैं और फैलाया जा रहा है। उसने आगे बताया कि राज्य सरकार

अपनी तरफ से वास्तुशाला और महात्मा फूले शिक्षा गारंटी योजना 2001-2002 से खोलने की घोषणा की पहल कर चुकी है। इससे स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को, बिना उनकी संख्या पर विचार किए, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में सुविधा मिलेगी।

(छ) **तमिलनाडु:** पांच जिलों (धर्मपुरी, विल्लुपुरम, कडलोर, तिरुवेन्नतमलाइ एवं पुडुकोटाइ), में नमूना जांच में, 1999-2000 में 1074 वैकल्पिक विद्यालय केन्द्र खोले गए जिसमें 4.67 लाख शामिल किए जाने वाले बच्चों के विरुद्ध 24983 बच्चों को शामिल किया गया। 1999-2000 के दौरान इन केन्द्रों में शामिल बच्चों की प्रतिशतता क्रमशः वेल्लुपुरम और कडेलोर जिलों में योग्य बच्चों का केवल 6.46 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत तथा धर्मपुरी और तिरुवेनमल्लइ जिलों के लिए 3.05 प्रतिशत एवं 8.63 प्रतिशत रहा।

पांच जिलों में 1999-2000 के दौरान 5 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के विद्यालय में भर्ती न हुए 9.73 लाख बच्चे शेष रहे।

(ज) **पश्चिम बंगाल:** पांच जिलों (बनकुरा, बीरभूम, कुच बिहर, मुर्शीदाबाद तथा दक्षिण 24 परगणा) में पश्चिम बंगाल सरकार, के पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा 1999-2000 के दौरान 1048 शिशु शिक्षा केन्द्रों (शि.शि.के.) खोले गए थे जिनमें 'विद्यालय में भर्ती न हुए' 44092 बच्चों को भर्ती किया गया। रा.प.अ. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पांच जि.प्रा.शि.का. जिलों में 1999-2000 के दौरान 5 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के विद्यालय में भर्ती न हुए 9.73 लाख बच्चे शेष रहे। 9.73 लाख बच्चों को औपचारिक विद्यालय या शि.शि.के. में शामिल करने हेतु रा.प.नि. द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया।

(झ) **मध्य प्रदेश** में, 1999-2000 से वैकल्पिक विद्यालयों को शिक्षा गारण्टी योजना (शि.गा.यो.) में परिवर्तित किया गया। तथापि वै.वि. को शि.गा.यो. में परिवर्तित करने पर 1999-2000 में 12.21 करोड़ रु. का किया गया व्यय जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत बुक किया गया था, जो अनियमित था।

जि.प्रा.शि.का. का उद्देश्य न केवल प्राथमिक प्रशिक्षण बल्कि प्राथमिक शिक्षा देना था। इसलिए वैकल्पिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष से प्रकट होता है कि अ.औ. शिक्षा केन्द्रों से केवल नौ प्रतिशत घरेलू ही अवगत थे। इन सुविधाओं के सम्बन्ध में कम जानकारी अ.औ. शिक्षा केन्द्रों (0.6 प्रतिशत) में बच्चों की भर्ती की लापरवाही में प्रतिफलित होती है। नमूना घरेलू में शामिल 6-14 वर्ष की आयु वर्ग में कुल बच्चों का 9 प्रतिशत, जो कभी भर्ती नहीं हुए, अ.औ.शि. केन्द्रों में भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य खंड का निर्माण करता है।

महाराष्ट्र, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर, जहां 1 कि.मी. की पैदल दूरी के अन्तर्गत अ.औ.शि. केन्द्रों पर घरेलू का 26.30 प्रतिशत भी पहुंच दर्ज थी। यद्यपि इन राज्यों में भी केवल 6-14 आयु वर्ग के कुल बच्चों का 1-3 प्रतिशत एनएफइ केन्द्रों में नामांकन हुआ।

2.8.5.3 पूर्व शैशवकाल देखभाल एवं शिक्षा

विद्यालय पढ़ने के कार्यक्रम माध्यम से प्राथमिक विद्यालय के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना (ए.बा.वि.यो.) के अन्तर्गत शामिल न होने वाले गांवों में पूर्व शैशवकाल शिक्षा केन्द्रों के विस्तार के लिए जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत निधियों की व्यवस्था की जाती थी। जहां कहीं ऐसी सुविधा विद्यमान थी उन्हें दोहराने की बजाय जि.प्रा.शि.का. को अभिसरण के प्रोत्साहन के उपाय प्रस्तुत करने थे।

2.8.5.4 पू.शै.दे.शि. केन्द्रों को खोलने की स्थिति

119325 पू.शै.दे.शि.
केन्द्रों की
आवक्यकता के
विरुद्ध केवल 555
केन्द्र खोले गये।

(क) बिहार: बिहार में, परियोजना जिलों में ए.बा.वि.यो. के अन्तर्गत शामिल न हुए 47.73 लाख बच्चों के लिए, 119325 पू.शै.दे.शि. केन्द्रों की आवश्यकता थी (40 बच्चों के लिए एक केन्द्र के प्रतिमान के अनुसार) परन्तु मार्च 2000 तक केवल 555 केन्द्र ही खोले गये थे।

मंत्रालय ने बताया कि जि.प्रा.शि.का. का 100 प्रतिशत पू.शै.दे.शि. शामिल करने का प्रयास नहीं रहा। डी.डब्ल्यू.सी.डी. का ए.बा.वि.यो. कार्यक्रम देश में कार्यान्वयन पू.शै.दे.शि. के अन्तर्गत होने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 700 पू.शै.दे.शि. केन्द्रों के स्थापित होने के लक्ष्य के प्रति, बिहार में यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक संख्या में बच्चे पू.शै.दे. सेवाओं में प्रवेश करने को इन्कार नहीं किया 1117 केन्द्र आरंभ किए गए। तथ्य यद्यपि वही रहा कि अधिक संख्या में बच्चे न तो ए.बा.वि.यो. द्वारा और न ही जि.प्रा.शि. कार्यक्रम में शामिल किए गए।

(ख) उड़ीसा: नवम्बर 1999 तक राज्य में कोई पू.शै.दे.शि. केन्द्र नहीं खोला गया। राज्य परियोजना कार्यालय ने परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकार से इन केन्द्रों के समर्थन में बचनबद्धता की गैर-प्राप्ति, पू.शै.दे.शि. केन्द्रों को न खोलने का कारण आरोपित किया।

2.8.5.5 ए.बा.वि.यो. द्वारा शामिल क्षेत्रों में पू.शै.दे.शि. केन्द्रों का खोलना

(क) उत्तर प्रदेश में, 15 जिलों में ए.बा.वि.यो. द्वारा शामिल न किए गए गांवों में 2100 पू.शै.दे.शि. केन्द्र खोलने का उद्देश्य था। यद्यपि, पू.शै.दे.शि. केन्द्रों को स्थापित करने की बजाय विभाग ने ए.बा.वि.यो. केन्द्रों को मजबूत करने का फैसला किया तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय एवं सामग्री पूर्ति के भुगतान पर 97.37 लाख रु. खर्च किए। इस प्रकार ए.बा.वि.यो. द्वारा शामिल न किए गए गांवों के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत ए.बा.वि.यो. केन्द्रों को मजबूत करना अभिसरण का एक भाग था तथा 2100 पू.शै.शि./ए.बा.वि.यो. केन्द्रों की ए.बा.वि.यो. एवं जि.प्रा.शि.का. द्वारा संयुक्त पहचान की गई तथा सबसे कम महिला साक्षरता एवं विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियों की अधिक दर वाले गांवों में खोले गये।

(ख) मध्य प्रदेश में, पूर्व शैशव देखभाल एवं शिक्षा केन्द्रों, जिन्हें शिशु शिक्षा केन्द्र (शि.शि.के.) एक जिला या एक खंड प्रति जिले में कहा जाता है कर वित्तपोषण केवल सीमित पैमाने पर किया जाना था तथा परियोजना की अवधि के समय क्रियाकलाप का धीरे-धीरे मापदण्ड किया जाना था। जिलों में अभिलेखों के जांच करने पर निम्नलिखित बिन्दु ध्यान में आए:-

(i) सहडोल, विटल एवं सरगुणा जिलों में 383 शि.शि.के. की संस्वीकृति को 1995-96 (136) एवं 1996-97 (247) के दौरान मंजूरी दी गई। ये 1996-97 के दौरान क्रियाशील हुए चूंकि शि.शि.के. की स्थापना तथा आरंभ करने के लिए सामान (फर्नीचर, शिक्षा-सम्बन्धी सामग्री आदि) 1996-97 के दौरान खरीदी गई तथा 1996-97 के दौरान स्टाफ नियुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी (आ.वा.) खोलने के लिए संस्वीकृति को 1995-96 के दौरान मंजूरी दी गई जिसने 1996-97 से कार्य करना आरंभ किया। चूंकि आ.वा. ने ए.बा.वि.यो. के अन्तर्गत कार्य करना आरंभ किया था, शि.शि.के. तीन जिलों के एक ही गांव में शि.शि.के. की स्थापना एवं शुरुआत का परिणाम एक ही गांव में एक जैसी सेवाओं का दोहराना था। 1996-2000 के दौरान स्टाफ को मानदेय, सामान की खरीद आदि पर किया गया 127 लाख रु. का भुगतान परिहार्य व्यय था।

जिला परियोजना समन्वय (जि.प.स.) सुरगुजा द्वारा बताया गया (मार्च 2000) कि आंगनवाडियां शि.शि.के. के खोलने के बाद खोली गई और शि.शि.के. को अन्य गांवों में स्थान्तरित करने की सलाह मांगी, जबकि जि.प.स. सहडोल ने विचार व्यक्त किया (अप्रैल 2000) कि ए.बा.वि.यो. के सार्वभौमिकरण के कारण शि.शि.के. की आवश्यकता नहीं थी और इस प्रभाव का प्रस्ताव रा.प.अ. भोपाल को भेज दिया गया था।

(ii) 1996-98 के दौरान बीटूल, चर, रायगढ़, सतना और साहडोल जिलों के 14 खंडों में 669 शि.शि.के. का प्रारंभ किया गया। 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा ए.बा.वि.यो. के अन्तर्गत 1848 आंगनवाडियों की स्थापना एवं शुरु करने की संस्वीकृति प्रदान की गई तथा 1998-99 के दौरान इन्होंने कार्य करना शुरु किया। यद्यपि, उन्हीं गांवों में एक ही समय जि.प्रा.शि.का. के अंतर्गत शि.शि.के. जारी रहे। 1998-2000 के दौरान पांच जिलों में एक जैसी सेवाएं दोहराई गई जिसके परिणामस्वरूप 96.71 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ। जिलों के जि.प.स. द्वारा बताया गया कि शि.शि.के. रा.प.अ. के निर्देशानुसार चलाए जाते थे।

(iii) बेतूल जिला के तीन खंडों में, 1995-96 के दौरान स्टाफ नियुक्त किया गया जबकि सामग्री खरीदने में विलम्ब के कारण शि.शि.के. 1996-99 के दौरान स्थापित किए गए। शि.शि.के. की स्थापना में विलम्ब के परिणामस्वरूप पहले से नियुक्त स्टाफ मानदेय 13.83 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ। रायगढ़ जिले में, 102 शि.शि.के. की संस्वीकृति के प्रति 150 शि.शि.के. खोले गये। 1996-2000 के दौरान खोले गये 48

अधिक शि.शि.के. के परिणामस्वरूप 15.25 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय हुआ। यह बताया गया (जनवरी 2000) कि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता अनुसार शि.शि.के. खोले गये थे।

प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं का अभिसरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैकल्पिक शिक्षा के उद्देश्य को कम महत्व मिला।

सेवाओं का अभिसरण जैसे प्राथमिक शिक्षा तथा पू.शै.दे.शि. जि.प्रा.शि.का. की महत्वपूर्ण योजना थी जो उन बच्चों को विद्यालय में भर्ती करती थी जो अपने सहोदर की देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जा पाते थे। इसका उद्देश्य था कि पूर्व-प्राथमिक विद्यालय को छः वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्थान देना चाहिए ताकि उनके भाई-बहनों को विद्यालय जाने के लिए मुक्त किया जा सके। कि.मी. पैदल की दूरी के अन्दर आंगनवाड़ी/बालबाड़ी केन्द्रों में पूर्व-प्राथमिक सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी इन सुविधाओं का घरेलू उपलब्धता की पुष्टि का दो-तिहाई (70 प्रतिशत) से अधिक उचित रूप से अच्छा था। शहरी परिवारों की तुलना में (52 प्रतिशत) इन सुविधाओं की पहुंच का उच्च अनुपात ग्रामीण परिवारों में (74 प्रतिशत) अधिक पाया गया। स्कूलों के एक चौथाई (22 प्रतिशत) से कम स्कूल परिसर के अन्दर ही पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता इंगित करते थे। चरण II के स्कूल (19 प्रतिशत) की तुलना में चरण I के स्कूल (31 प्रतिशत) स्कूल परिसर के अन्दर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता के अधिक अनुपात की पुष्टि करते थे।

यद्यपि 70 प्रतिशत परिवारों ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं की पहुंच की पुष्टि की थी, सामान्यतः 6 वर्ष से कम (14 वर्ष की आयु के कुल बालकों का 20 प्रतिशत 6 वर्ष से कम थे) कुल बालकों का केवल 2 प्रतिशत ही इन परिवारों के बच्चे ही ई.सी.सी.ई. केन्द्रों में भर्ती थे।

इससे प्राथमिक शिक्षण की सुविधाओं की वैकल्पिक शिक्षा के अभिसरणा सम्बन्धी मुख्य मुद्दे सामने आते हैं। इन सुविधाओं के अभिसरण में जि.प्रा.शि.का. के अधीन कम प्राथमिकता मिली और इसको सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

2.8.5.6 अशक्त लोगों को एकीकृत शिक्षा (अ.ए.शि.)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला सम्बन्धि रिपोर्ट में उपलब्ध होने वाले डाटा से प्रकट होने वाले अ.ए.शि. क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की स्थिति आगे अनुबन्ध 18 में दी गई है:

दस राज्यों (असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल) में 156368 बच्चों की पहचान की गई थी। इनमें से केवल 107311 (69 प्रतिशत) ही विभिन्न स्कूलों में भर्ती थे। 31 प्रतिशत बच्चे असम (46 प्रतिशत) में गुजरात (12 प्रतिशत), हरियाणा (20 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (6 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (90 प्रतिशत), महाराष्ट्र (35 प्रतिशत), उड़ीसा (36 प्रतिशत), तमिलनाडु (7 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (49 प्रतिशत), स्कूल से बाहर रहे। आन्ध्र प्रदेश,

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

बिहार, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में भरती हुए तथा पहचान किए गए बच्चों के डाटा उपलब्ध नहीं थे।

उन पहचान किए गए बच्चों के केवल 8.56 प्रतिशत को ही राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बसम, बिहार, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में है। सहायक साधन तथा उपकरण दिए गए। बचे हुए पांच राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा गुजरात ने कोई सहायक साधन तथा उपकरण मार्च 2000 तक अशक्त बच्चों को नहीं दिए थे।

2.9 मानीटरिंग

जि.प्रा.शि.का. के अधीन एक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) का गठन परियोजना में आगत तथा निर्गत योजना की प्रक्रिया, प्रबन्धन तथा (मॉनीटरिंग) में मदद देने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग जि.प्रा.शि.का. की महापरिषद जिसका मुखिया मानव संसाधन विकास मंत्री, जि.प्रा.शि.का. बोर्ड का मुखिया, सचिव, शिक्षा विभाग तथा जि.प्रा.शि.का. ब्यूरो तकनीकी सहायता समूह (शैक्षणिक सलाहकार इण्डिया लि.) के सहयोग से करता है। राज्य स्तर पर महा परिषद राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (रा.का.से.) की कार्यकारिणी समिति तथा अन्य विभिन्न ग्राम/जिला/खण्ड स्तरीय समितियां को योजना कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना होता है। हर एक राज्य को दो प्रकार की प्रगति रिपोर्टों (शि.प्र.सू.प्र. तथा प.प्र.सू.प्र.) को आवधिक रूप से त.स.स. को भेजना होता है जो इन रिपोर्टों को समेकित कर आगे मंत्रालय को प्रस्तुतीकरण करती है। शिक्षा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (शि.प्र.सू.प्र.) एक वार्षिक विवरणी है जो विद्यालय के, खण्ड तथा जिला स्तर पर मुख्य परिवर्तियों तथा निष्पादन संकेतकों का विद्यालय, खण्ड तथा जिला स्तर पर को बताती है। परियोजना प्रबन्धन सूचना प्रणाली (प.प्र.सू.प्र.) एक तिमाही विवरणी है जो निधियों के प्रवाह तथा मुख्य परियोजना के आगत के वितरण के बताती है। मंत्रालय के अनुसार शि.प्र.सू.प्र. के माध्यम से सृजित आंकड़े कभी-कभी राज्यों द्वारा प्रेषित सांख्यिकी से भिन्न थे। यह एक चिन्ता का विषय है जिसे वह बताने का प्रयत्न कर रहे थे इसलिए परियोजना सांख्यिकी की विशुद्धता को इस तथ्य के सन्दर्भ में विचारना होगा।

2.9.1 केन्द्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग

केन्द्रीय स्तर पर प्रगति के अनुश्रवण के लिए महा परिषद को वार्षिक बैठक तथा परियोजना बोर्ड की तिमाही आयोजित होनी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा में यह अवलोकन किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर समस्त पुनरीक्षण अवधि (1994-2000) के दौरान महासमिति की केवल एक बैठक नवम्बर 1997 में तथा परियोजना बोर्ड की केवल सात बैठकें हुई थी।

परियोजना बोर्ड
तथा महा समिति
की नियमित बैठक
नहीं हुई।

2.9.2 राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग

राज्य स्तर पर महासमिति, रा.का.सो. की कार्यकारिणी समिति तथा विभिन्न अन्य समितियों की विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति के अनुश्रवण के लिए निर्धारित अन्तरालों के बाद बैठकें आयोजित होनी थीं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन समितियों ने योजना की कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं की थीं। शि.प्र.सू.प्र. तथा प.प्र.सू.प्र. का कार्यान्वयन राज्यों/जिला प्रशासन की हल्की प्रतिक्रिया के कारण प्रभावित हुआ तथा परिणामस्वरूप अविश्वसनीय आंकड़ों का संकलन तथा आंकड़ों के एकत्रण में विलम्ब हुआ। राज्य वार अभ्युक्तियों नीचे दी गई हैं

- (i) **आन्ध्र प्रदेश**, में प.प्र.सू.प्र. का कार्यान्वयन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप मुख्य परियोजना आगत की स्थिति का जि.प्रा.शि.का. जिलों में अनुश्रवण नहीं किया जा सका।
- (ii) **असम** में प.प्र.सू.प्र. तथा प्र.सू.प्र. कक्ष का समस्त परियोजना वाले जिलों ने पात्र विद्यार्थियों की संख्या, नामांकित विद्यार्थी का समुदाय वार तथा लिंग वार ब्यौरा, प्रशिक्षण तथा बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का वर्ष वार आंकड़े अनुरक्षित नहीं किये। राज्य में महा तथ्य कार्यकारिणी समिति ने स्थिति का अनुश्रवण नहीं किया।

बिहार में पूरी तरह अनुश्रवण की अनुपस्थिति पायी गई।

- (iii) **बिहार** में, कार्यक्रम का पूरी तरह अनुश्रवण की अनुपस्थिति थी राज्य स्तर पर योजना के प्रत्येक घटक का समुचित कार्यान्वयन के लिए गठित किया जाना था। इसके प्रति रा.सं.स. को योजना के छः घटकों में से केवल दो घटकों के लिए ही गठित किया गया। इसी प्रकार कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कोई भी जिला संसाधन समूह गठित नहीं किए गए। राज्य तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने से सम्बन्धित कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए थे। राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा बी.एस.एस.पी.पी. के लेखों का निरीक्षण नहीं किया गया था, जबकि यह अनिवार्य था। जिला तथा राज्य स्तर पर प्र.प्र.सू.प्र. विकसित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के आगत तथा निर्गत का पता नहीं लगाया जा सका।

- (iv) **गुजरात** में 1996-2000 के दौरान परिषद् की बैठक केवल एक ही बार हुई थी।

- (v) **हरियाणा** में, योजना के प्रचालन में छः वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी महा परिषद गठित नहीं की गई थी।

मई 2001 में मंत्रालय ने बताया कि महा परिषद अप्रैल 2001 में गठित की गई है।

- (vi) **हिमाचल प्रदेश** में अनुश्रवण संशोधन दल के कर्मचारी वर्ग तथा परामर्शदाताओं को राज्य के नमूना जिलों में जाकर कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी घटकों के विषय में

रिपोर्ट तैयार करनी थी नमूना जांच से पता चला कि 1996-2000 की अवधि के दौरान दल द्वारा ऐसा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। उपरोक्त अवधि में महापरिषद ने केवल एक ही बैठक की थी।

(vii) **मध्य प्रदेश** में प.प्र.सू.प्र. में खर्चों का विवरण बढ़ाकर दिया गया तथा वास्तविक प्रगति भी अविश्वसनीय थी।

वर्ष में दो बार बैठकें होने के स्थान पर शासी परिषद की 1994-2000 के दौरान केवल दो बार बैठकें हुई।

(viii) **महाराष्ट्र** में चरण I के जिलों में परियोजना अधिकारी तथा उप परियोजना अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की प्रतिशतता में क्रमशः 27 और 52 तथा 42 और 61 तक की कमी आई। चरण II जिलों में यह क्रमशः 56 से 66 तथा 63 से 74 थी। 1997-98 तथा 1998-99 वर्षों की नौ उ.प्र.अ. तथा 73 खं.शि.अ. की निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यालयों को अनुपालन के लिए जारी नहीं की गई थी। शासी परिषद क बैठक वर्ष में दो बार होनी थी। 1994-2000 की अवधि के दौरान महा परिषद द्वारा केवल दो बैठकें ही की गई थी। इसी प्रकार जिला स्तर पर कार्यकारिणी समिति द्वारा 1994-2000 की अवधि के दौरान आयोजित होने वाली अपेक्षित 24 बैठकों में से नादेड़ औरंगाबाद तथा प्रभावी जिलों में क्रमशः 9, 13 तथा 14 बैठकें ही आयोजित की गई थी।

मई 2001 में मंत्रालय ने बताया कि जिलों को नियमित नियमित अन्तरालों में बैठकें करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

निर्दिष्ट के अनुसार मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन नहीं किया गया।

(ix) **उड़ीसा** में राज्य सरकार जून 1998 से मासिक समीक्षा बैठकों को आयोजित करने का निदेश जारी कर दिया। नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 22 मासिक समीक्षा बैठकों की तुलना में केवल तीन बैठकें ही आयोजित की गई। 1996-2000 की अवधि के दौरान प.प्र.सं.प.प्र. की कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी। इस प्रकार वस्तुतः राज्य स्तर पर अनुश्रवण का अस्तित्व नहीं था।

(x) **तमिलनाडु** में 1994-2000 की अवधि के दौरान महासमिति ने केवल एक बैठक आयोजित की तथा कार्यकारिणी समिति ने 12 बैठकें आयोजित की।

(xi) **उत्तर प्रदेश** में नमूना जांच से पता चला कि जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तर पर कोई प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया था। 1997-98 से 1999-2000 के दौरान सात जिलों गौडा, बलरामपुर, सोनभद्र, बस्ती, मुरादाबाद, सिद्धार्थ नगर तथा हरदोई में जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना समिति की आयोजित होने वाली बैठकों में 58 से 83 प्रतिशत तक की कमी आई। खण्ड तथा ग्राम स्तर पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह सुस्पष्ट होता कि ख.स. केन्द्र तथा ग्रा.शि.प. की बैठकों का आयोजन हुआ था।

राज्य स्तर अनुश्रवण समिति की 1997-2000 में केवल दो बैठकें हुई।

(xii) **पश्चिम बंगाल** में परियोजना प्रारम्भ होने के 16 महिनो बाद राज्य स्तरीय मानीटरिंग सन्निधि (रा.स्त.मा.स.) गठित की गई थी। आगे मासिक बैठक करने के निर्धारित मापदण्ड की तुलना में 1997-2000 की अवधि के दौरान राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति ने केवल दो ही बैठकें आयोजित की। परियोजना प्रबन्धन सूचना प्रणाली ने जून, 1999 से कार्य करना शुरु किया जबकि परियोजना 1997-98 में प्रारंभ हुई। हालांकि परियोजना प्रबन्धन सूचना प्रणाली की तीन रिपोर्ट मंत्रालय को भेजनी थी किन्तु उनमें स्कूल के आंकड़ों के संबन्ध में सूचना नहीं थी। मानीटरिंग समिति ने

(अगस्त 1999) पाया कि नामांकन, पाठशालाओं इत्यादि से संबंधित डाटा बेस विश्वसनीय नहीं था। ग्राम शिक्षा परिषदों ने स्कूल के कार्य निष्पादन की मॉनीटरिंग नहीं की।

कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है कि केन्द्र तथा राज्यों दोनों में मॉनीटरिंग भली-भांति नहीं होती।

2.10 मूल्यांकन

जि.प्रा.शि.का. योजना का अभी तक व्यापक रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि राज्यों, टीएसजी और अन्य शैक्षिक धाराओं तथा एनसीइआरटी और एनअइइपीए जैसी अनुसंधान-संस्थाओं द्वारा जि.प्रा.शि.का. के विभिन्न पहलुओं पर अनेक अनुसंधान और मूल्यांकन किए गए। कार्यक्रम का मूल्यांकन असम, बिहार, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों द्वारा नहीं किया गया। इन मूल्यांकनों के अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा, जो योजना में सहायक हैं, राज्यों के चयनित जिलों में, द्विवार्षिक संयुक्त पुनरीक्षण मिशन कार्यान्वित करना अपेक्षित है।

12वें सं.पु.मि. ने नवंबर 2000 में 13 राज्यों आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल का दौरा किया।

जबकि 12वें सं.पु.मि. देखा कि कार्यक्रम की लक्ष्य प्राप्ति में प्रगति थी, फिर भी पदावनति के कुछ खंड तथा चरण-I जिलों एवं जो कार्यक्रम में बाद में प्रवेश करते हैं, के बीच कुछ विसंगतियां भी थीं। अनुश्रवण सूचना तथा कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर, सं.पु.मि. ने पाया कि कुछ बच्चों के लिए कार्यक्रम से पूरा लाभ पाना कठिन होगा तथा यह भी कि अन्यो की अपेक्षा कुछ लक्ष्य प्राप्त करना भी कठिन होगा। विशेषतः छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने का कार्यक्रम का लक्ष्य तथा ज्ञान प्राप्ति में वृद्धि, ताकि सभी बच्चे आधारभूत योग्यता स्तर प्राप्त करें, वहां तक पहुंचना कठिन होगा। सं.पु.मि. ने यह भी पाया कि सूक्ष्म योजना कार्यनीति समझ ली गई थी तथा विभिन्न राज्यों द्वारा भिन्न-भिन्न रूप से समझ ली गई थी। बालिकाओं के बारे में कक्षा में भेदभाव भी ज्ञानार्जन के स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रचालन का एक कारण था। दोनों जि.प्रा.शि.का.-I तथा II राज्यों में कुछ जिले, जहां तक अ.जा.जा. के नामांकन का संबंध था, सामाजिक असंतुलन की उच्च मात्रा प्रस्तुत करते हैं, मिशन ने यह भी स्वीकार किया कि कार्यक्रम विभिन्न राज्यों, जिलों तथा उपजिलों में मूल्यांकन के भिन्न-भिन्न मंचों पर था तथा यह भी स्वीकार किया कि शैक्षणिक नवीकरण की प्रक्रिया के मूल्यांकन में असमानता थी।

मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि द्विवार्षिक संयुक्त समीक्षा मिशन के लिए जि.प्रा.शि.का. की समीक्षा तंत्र से भारत सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में अब तक की गई प्रगति का श्रेय लेने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम की प्रगति सदैव पहले के मिशनों के परिणामों के साथ जोड़कर देख गयी हैं तथा कभी भी अकेले इसका कोई महत्व नहीं होता। मिशन आंकलन की अवधि में की गई प्रगति को नोट करती है तथा प्राप्त उपलब्धियों में सुधार के लिए जरूरी उपाय सुझाती है।

अनुबंध 1

(पैराग्राफ 2.3 देखें)

लाभभोगी सर्वेक्षण का कार्याग सारांश

व्यापकता

- लाभभोगी सर्वेक्षण ने 17 चरण I जिले तथा 37 चरण II जिले (कुल 54 जिले) आवृत किये जिसमें 1081 गांव (20 प्रतिशत), 280 ज.ग.ख. शामिल थे। नामांकन तथा प्रतिधारण पर विद्यालय प्रभावकारिता तथा कार्यक्रम प्रभाव के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण में 40844 परिवारों, 13929 अभिभावकों, 2451 शिक्षकों तथा 1361 विद्यालयों से सम्पर्क किया गया।

विकेन्द्रीयकरण तथा भागीदारी योजना तैयार करना

- समुदाय आधारित ढांचों की विद्यमानता जिनसे कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा दीर्घावधि पोषणीयता की परिकल्पना की गई थी, के बावजूद सदस्यों की सदस्यता/ भूमिका तथा उत्तरदायित्व के बारे में उनकी जागरूकता का स्तर बहुत नीचा था जो कि समुदाय के साथ अन्तरापृष्ठ सृजन करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफलता का संकेत देता है। यद्यपि उदाहरण के लिए 14 राज्यों को आवृत करते हुये 88 प्रतिशत गांवों में ग्रा.शि.स. का गठन हुआ पाया गया था, गांवों के पांचवे हिस्से (22 प्रतिशत) में ढांचे केवल कागजों में ही थे क्योंकि या तो सदस्यों का अता पता नहीं था अथवा उन्हें उनकी सदस्यता/भूमिका तथा उत्तरदायित्व का ज्ञान नहीं था।

- यद्यपि गांवों/ज.ग.खं के 42.66 प्रतिशत में अं.शि.सं./मा.शि.सं. तथा ग्रा.शि.स. विद्यमान थी, आवृत किये गये अभिभावकों/परिवारों के केवल 29-34 प्रतिशत ने उनके कार्य की स्थिति की पुष्टि की।

- शैक्षणिक प्रशासकों तथा विद्यालय के बीच शैक्षिक धरातल उपलब्ध करवाने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत स्थापित उप-जिला संरचना (ख.सं.के. तथा स.सं.के.) सभी राज्यों में समान रूप से कार्य नहीं कर सका। इससे सम्बन्धित प्रमाण आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल है।

सिविल निर्माण कार्य तथा अवसंरचना प्रावधान

- सभी 14 राज्यों में निर्माण कार्यों में गा.शि.स. तथा समुदाय के सीमित आवेष्टन ने दक्षता के सम्बन्ध को सुदृढ़ किया है जिसके साथ नीतियों की दीर्घावधि की पहचान की गई है। सिविल निर्माण कार्य जि.प्रा.शि.का. के लागू करने के पश्चात् विद्यालयों में सीमित विधि से आरम्भ किये गये हैं। तमिलनाडु केरल तथा गुजरात में प्रत्येक जिले में सिविल कार्यों के लिए चिन्हित निधि के कम उपयोग के अतिरिक्त, अनुदानों का उपयोग भी कम था।

- विद्यालय सुधार क्रियाकलापों के संचालन की घटियां स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट है कि जि.प्रा.शि.का. राज्यों में आधे से अधिक विद्यालयों (56 प्रतिशत) में प्रसाधन सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी। यद्यपि समान केन्द्र बिन्दु हेतु बालिकाओं के लिए शौचालय का प्रावधान एक महत्वपूर्ण कार्यनीति थी, 72 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय नहीं थे। जि.प्रा.शि. का राज्यों में आवृत किये गए नमूना विद्यालयों के केवल 24 प्रतिशत में ही सभी आधारभूत सुविधायें थी। यद्यपि 92-100 प्रतिशत विद्यालयों ने क्षेत्र विशेष आवश्यकताओं के उद्देश्य से विद्यालय अनुदानों की प्राप्ति की

पुष्टि की, विद्यालयों के साथ ग्रा.शि.सं. के घटिया धरातल के परिणामस्वरूप सम्पर्क किये गये गा.शि.सं. के एक तिहाई सदस्यों (36 प्रतिशत) को इन अनुदानों की जानकारी थी ।

प्राथमिक शिक्षा सेवाओं का अभिकरण

- यद्यपि 14 राज्यों को आवृत करते हुये लगभग सभी परिवारों ने औपचारिक विद्यालयों तक पहुंच की पुष्टि की (96 प्रतिशत), वैकल्पिक शिक्षण अर्थात् अनौपचारिक शिक्षा तक जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत पहुंच बहुत कम थी । सेवाओं का अभिसरण जैसे प्राथमिक शिक्षा ई.सी.सी.ई पर जि.प्रा.शि.का. नीति के अन्तर्गत महत्वपूर्ण माना गया था, तथापि, इन सेवाओं का उपयोग उन राज्यों में भी बहुत कम था जहां पर इसकी पहुंच बहुत अधिक थी । 14 जि.प्रा.शि.का. राज्यों के बीच दौरा किये गए परिवारों में छः वर्ष से नीचे के कुल बच्चों के केवल 2 प्रतिशत बच्चों ने ई.सी.सी.ई. केन्द्रों में नामांकन करवाया ।

शिक्षकों की भर्ती तथा प्रशिक्षण

- शिक्षक तैनाती में ग्रामीण-शहरी विसंगतियां स्पष्ट रूप से विद्यमान थी क्योंकि 61 प्रतिशत ग्रामीण विद्यालयों में तीन अथवा अधिक शिक्षक थे, शहरी विद्यालयों में यही अनुपात 85 था । समान केन्द्रबिन्दु प्राप्त करने के लिए जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत महत्वपूर्ण नीति होने के कारण महिला शिक्षकों की भरी मात्रा में भर्ती एक निरशाजनक विफलता रही है क्योंकि 14 जि.प्रा.शि.का. राज्यों में दौरा किये गए विद्यालयों के 34 प्रतिशत में कोई महिला शिक्षक नहीं थी, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम के आंध्र से अधिक विद्यालयों में एक भी महिला शिक्षक नहीं थी ।

- सभी राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की क्षमता पर चिन्ता अनुभव की गई क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान आवृत पहलुओं के स्मरण का स्तर बहुत नीचा था ।

असुविधायुक्त वर्गों को प्रोत्साहनों की व्यवस्था

- जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत प्रोत्साहनों (निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा अनुपूरक सामग्री) की बहुत निम्न पहुंच की व्यवस्था का सभी राज्यों में प्रमाण मिला था । यद्यपि 44-81 प्रतिशत विद्यालयों ने अनुपूरक सामग्री तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की पुष्टि की थी अभिभावक जिनके बच्चे इन विद्यालयों में अध्ययन कर रहे थे, के 24-64 प्रतिशत ने इसकी प्राप्ति की पुष्टि की । इसी प्रकार के मामले सभी 14 राज्यों में पाये गये ।

कार्यक्रम-उद्देश्यों की उपलब्धि

- 1995-96 से 2000-2001 के लिए भर्ती प्रवृत्ति के पुनरीक्षण से पता चला कि बच्चों की भागीदारी बढ़ाने में कार्यक्रम के प्रभाव का बहुत कम प्रमाण था । लिंग समूह के बीच भर्ती में अन्तराल को 5 प्रतिशत से कम करने के उद्देश्य का प्रमाण 14 राज्यों में से केवल 5 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में स्पष्ट था । अन्य राज्यों में से बिहार तथा गुजरात में प्रमाण चिन्ताजनक थे जहां पर लिंग वार भिन्नता लगातार 5 प्रतिशत से अधिक थी ।

- 1995-96 तथा 2000-2001 के दौरान विद्यालय छोड़ जाने वालों के पुनरीक्षण से पता चला कि 1995-96 की तुलना में 2000-2001 के दौरान विद्यालय छोड़ जाने वालों की दर में गिरावट केवल हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश (4 प्रतिशत गिरावट) देखी गई थी ।

- विद्यालय छोड़ जाने वालों की समग्र दर को 10 प्रतिशत से कम तक लाने का कार्यक्रम का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका । केरल को छोड़कर (जहां पर महिला साक्षरता दर जि.प्रा.शि.का. लागू होने के समय भी बहुत उच्च थी) सभी जि.प्रा.शि.का. राज्यों में विद्यालय छोड़ जाने वालों की दर 10

प्रतिशत से अधिक थी। चिन्ता पुनः असम तथा बिहार में प्रमाणित हुई जहां प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती हुये छात्रों में से 38-39 प्रतिशत लगातार विद्यालय छोड़ते रहे।

स्थानीय क्षेत्रीय योजना बनाने के माध्यम से विद्यालय प्रभावकारिता बढ़ाने पर उपयुक्त ध्यान देते हुये समुदाय आधारित ढांचों के माध्यम से कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं परिवीक्षण मुख्य घटक है जिन पर इस सम्बन्ध में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

अनुबन्ध 2

(पैराग्राफ 2.5.5. (क) देखें)

निधियों के दुर्विनियोजन के मामले

| क्र.सं. | राज्य का नाम | अवधि | राशि (लाख रु में) | गैर-कार्यक्रम उद्देश्य जिसके लिए उपयोग किया गया |
|---------|---------------|----------------------------|-------------------|---|
| 1. | असम | 1994-2000 | 263.99 | 5000 विद्यमान प्राथमिक विद्यालयों को प्रति विद्यालय 5000 रु. के फर्नीचर अनुदान का भुगतान । जि.प्रा.शि.का. निधियों से पाठ्य पुस्तकों की खरीद यद्यपि उसी प्रकार की योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही थी । गा.शि.स. को पुरस्कार के लिए अग्राह्य व्यय । |
| 2. | बिहार | अक्तूबर 97 से मार्च 2000 | 64.20 | बैंक खाते में बचत को बढ़ावा देने के लिए 2076 महिला समूहों को प्रदान किया गया प्रोत्साहन । |
| 3. | गुजरात | मार्च 1998 से मार्च 2000 | 149.92 | निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना 144 लाख रु. मूल्य की 5550 कहानी पुस्तकों के सैटों की खरीद । मार्च 1998 में 5.92 लाख रु. के झूलों तथा सरकनों की खरीद परन्तु मार्च 2000 तक स्थापित नहीं किए गए । |
| 4. | हरियाणा | 1995-2000 | 30.43 | हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद ने भारत सरकार के अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों को प्रतिनियुक्ति भत्ते के अतिरिक्त 150 रु. से 400 रु. प्रतिमाह के परियोजना भत्ते की संस्वीकृति प्रदान की । मंत्रालय ने मई 2001 में बताया कि स.प.नि. हरियाणा को परियोजना भत्ता वहन करने के लिए सूचित कर दिया गया है |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 1997-98 से 1998-99 | 88.54 | जिला परियोजना अधिकारी (जि.प.अ.) कुल्लू तथा सिरमौर ने 250 पानी ढोने वाले तथा 300 कहारों को वेतन का भुगतान किया । जि.प.अ. सिरमौर ने डुप्लीकेटिंग मशीने तथा टंकण मशीने खरीदी तथा ये उपकरण जिले के खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को आपूर्त किये । |
| 6. | कर्नाटक | 1996-2000 | 313.40 | जि.प.अ. रायचूर ने 30 प्राथमिक - पूर्व शिक्षकों के वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में व्यय किया । ए.वा.वि.यो. द्वारा चलाए जा रहे 2444 आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आयाओं के मानदेय का भुगतान किया । 9.16 लाख रु. मूल्य के कैलेण्डरों की छपाई । |
| 7. | केरल | 1995-2000 | 428.32 | छ: जिला परियोजना समन्वयकों ने विद्यालयों को पुस्तकालय अनुदान का भुगतान किया । अ.जा./अ.ज.जा. तथा छात्राओं को अभ्यास पुस्तिकाओं की आपूर्ति । सबसे अच्छे विद्यालय के लिए 1.38 लाख रु. के पुरस्कार का निर्णय करने के लिए अधिनिर्णय समिति की बैठकों पर 7.86 लाख रु. खर्च किये गए । |
| 8. | मध्य प्रदेश | 1995-2000 | 215.50 | विद्यालय वर्दी, पाठ्य पुस्तकों (ये राज्य योजना के अन्तर्गत आपूर्त की जानी थी, सयन्त्रों समाहर्ता कार्यालय के लिए कूलरों, आदि की खरीद स्वास्थ्य कार्डों इत्यादि की छपाई । |
| 9. | उड़ीसा | फरवरी 1999 से अक्तूबर 1999 | 13.60 | डायरियों तथा ज्योमैट्री बाक्सों (पठनीय तथा लेखनीय सामग्री के बजाए) बैनरों फूलों इत्यादि की खरीद । खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आयोजन से जुड़े व्यय । |

2001 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

| | | | | |
|-----|----------|---------------------------|---------|--|
| 10. | तमिलनाडु | मार्च 95 से अक्टूबर 99 | 24.76 | कम्प्यूटर तथा पेरिफेरियल, एअर कण्डिशनर फोटोकॉपियर खरीदे तथा राज्य परियोजना निदेशालय (रा.प.नि.) अथवा जिला परियोजना समन्वयन (जि.प.स.) के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को आपूर्त किये । |
| | जोड़ | | 1592.66 | |

अनुबन्ध 3
(पैराग्राफ 2.5.5 (ख) देखें)

निधियों का विपथन

(लाख रु. में)

| क्र.स. | राज्य का नाम | अवधि जिसके दौरान निधियां विपथित की गईं | शीर्षक जिनके अन्तर्गत निधियां विपथित की गईं थीं | | | | जोड़ |
|--------|------------------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|---------|
| | | | व्यक्तिगत लेजर लेखा/सिविल जमा | अन्य योजनाएं | स्टाफ वेतन प्रशिक्षण | अन्य गतिविधियां | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1997-99 | -- | -- | -- | 86.27 | 86.27 |
| 2. | असम | 1997-98 | -- | -- | -- | 0.78 | 0.78 |
| 3. | बिहार | | -- | -- | -- | 48.00 | 48.00 |
| 4. | गुजरात | 1997-98 | 448.31 | -- | -- | 14.05 | 462.36 |
| 5. | केरल | 1996-98 | -- | 127.96 | -- | -- | 127.96 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 1994-2000 | 217.00 | 43.07 | -- | -- | 260.07 |
| 7. | उड़ीसा | 1997-98 | 202.17 | -- | -- | -- | 202.17 |
| 8. | तमिलनाडु | 1995-97 & 1999-2000 | -- | 18.45 | 63.08 | 15.00 | 96.53 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 1998-2000 | -- | 44.03 | 199.04 | -- | 243.07 |
| | जोड़ | | 867.48 | 233.51 | 262.12 | 164.10 | 1527.21 |
| | प्रतिशतता | | 57.00 | 15.00 | 17.00 | 11.00 | 100.00 |

अनुबन्ध 4

(पैराग्राफ 2.5.6 देखें)

वित्तीय अनियमितताओं का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी

| राज्य का नाम | अवधि | राशि (लाख रु. में) | अभ्युक्तियाँ |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| (क) परिहार्य / अतिरिक्त व्यय | | | |
| असम | जनवरी 95 से दिसम्बर 99 | 27.31 | धुब्री जिले में संस्वीकृत संख्या से 15 अधिक कर्मचारी तैनात किये गये थे। |
| बिहार | 1998-99 | 41.65 | विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं में उपयोग किये गए वाहनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान उदग्रग्रह्य नहीं था। |
| गुजरात | मार्च 98 से जनवरी 99 | 87.41 | वेतन बकायों की वापसी प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के मूल कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई। |
| हिमाचल प्रदेश | उ.न. | 144.00 | शिक्षकों के वेतन को अध्यापकों की अवस्थिति के बजाए संस्वीकृत संख्या के आधार पर जि.प्रा.शि.का. निधि में डेबिट करना। |
| मध्य प्रदेश | 1994-99 | 487.00 | विद्यालय खोलने पर किया गया मानदण्डों से अधिक व्यय। |
| महाराष्ट्र | 1999-2000 | 114.00 | निर्धारित सीमा से अधिक पुस्तकों की खरीद |
| (ख) बकाया अग्रिम | | | |
| असम | उ.न. | 673.60 | योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य परियोजना निदेशक द्वारा विभिन्न अधिकारियों को दिये गए अग्रिम |
| | 1994-95 से 1999-2000 | 24.24 | प्रशिक्षण कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठी, अनुसंधान, मूल्यांकन आदि करने के लिए प्रा.स.अ.प्र.प. तथा एस.आई.इ.टी को निधियां दी गई थी। |
| बिहार | अक्टूबर 1997 से मार्च 1999 | 84.11 | स्टाफ तथा अन्यो को विविध व्ययों के लिए। |
| हिमाचल प्रदेश | मार्च 1996 से अक्टूबर 1999 | 27.41 | परामर्शदाताओं तथा ठेकेदारों को परामर्श तथा सिविल निर्माण कार्यों के लिए। |
| केरल | मई 1998 | 2.10 | खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक को। |
| | अप्रैल 1999 से जुलाई 1999 | 1.61 | ख.स.के. कनियापुरम के दो कर्मचारियों को। |
| | अप्रैल 1995 से सितम्बर 1999 | 22.63 | प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यशालाए तथा संगोष्ठी आयोजित करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी जि.शि.प्र.स स्टाफ, अनुसन्धान सहायक द्वारा निकाले गये। |
| मध्य प्रदेश | 1995-96 से 1996-97 | 456.00 | शिक्षा कर्मियों के मानदेय के भुगतान के लिए आयुक्त सार्वजनिक अनुदेशक तथा आयुक्त जनजाति विकास को अग्रिम। |
| उड़ीसा | 1996-97 से 1999-2000 | 239.78 | शिक्षक प्रशिक्षण, एम.आई.एस प्रशिक्षण, आकस्मिक अग्रिमों आदि के लिए 8 जिला कार्यालयों तथा राज्य कार्यालय को। |

| | | | |
|---|----------------------------|---------|--|
| | 1996-97 से 1999-2000 | 31.08 | आधार रेखा तथा मध्यावधि निर्धारित तथा सम्बद्ध उद्देश्यों के लिए छः संस्थाओं तथा एक ठेकेदार को । |
| | 1996-97 से 1999-2000 | 5.08 | राज्य कार्यालय के 52 कर्मचारियों को दौरे पर या.म. के अग्रिम । |
| (ग) दर्विनियोजन/धोखाधड़ी | | | |
| बिहार | 1997-98 | 3.50 | वाहनों की सन्देहास्पद खरीद । |
| कर्नाटक | 1996-97 | 269.00 | निःशुल्क वितरण के उद्देश्य की पुस्तकों का कथित दुरुपयोग |
| (घ) उपयोग प्रमाण पत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत न करना | | | |
| आन्ध्र प्रदेश | 1996-2000 | 656.00 | 1996-2000 की अवधि के दौरान जारी किये गए अनुदानों के 74428 उ.प्र. विद्यालयों तथा शिक्षकों से प्रतीक्षित । |
| असम | 1997-99 | 32.57 | असम महिला समता समिति को जारी किये गए अनुदान के लिए प्रतीक्षित उ.प्र. |
| पश्चिम बंगाल | 1997-2000 | 732.00 | शिक्षक शिक्षण सामग्री (शि.शि.सा.) के लिए अनुदान राज्य परियोजना कार्यालय से प्रतीक्षित उ.प्र. |
| तमिलनाडु | उ.न. | 1355.00 | शि.शि.सा. तथा विद्यालय सुधार के लिए जारी अनुदान हेतु उ.प्र. सभी विद्यालयों से प्राप्त नहीं हुये । |

अनुबन्ध 5

(पैराग्राफ 2.6.1 देखें)

जि.प्रा.शि.का. परियोजना के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं की स्थिति

| क्र. सं. | राज्य का नाम | विद्यालयों की कुल संख्या | बिना भवन या टैटो के विद्यालयों की संख्या | पीने के पानी के बिना विद्यालयों की संख्या | छात्राओं के लिए शौचालयों के बिना विद्यालयों की संख्या | ब्लैक बोर्ड के बिना विद्यालयों की संख्या | एक अध्यापक के साथ विद्यालयों की संख्या | विद्यार्थी अध्यापक अनुपात 50:1 से अधिक | औसत विद्यार्थी कक्षा-कक्ष अनुपात |
|----------|---------------|--------------------------|--|---|---|--|--|--|----------------------------------|
| 1. | असम | 11756 | 664(6) | 4846(41) | 11248(96) | 936(8) | 1756(15) | 6322(54) | 66 |
| 2. | बिहार* | 33554 | 2548(8) | 12460(37) | 31471(94) | 7223(22) | 8244(25) | 18585(55) | 53 |
| 3. | गुजरात | 6143 | 291(5) | 1992(32) | 5184(84) | 875(14) | 1167(19) | 3612(59) | 39 |
| 4. | हरियाणा | 4623 | 89(2) | 834(18) | 2518(54) | 311(7) | 301(6) | 2699(58) | 45 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 2933 | 73(2) | 1112(38) | 2745(94) | 135(5) | 443(15) | 429(15) | 29 |
| 6. | केरल | 3555 | 19(0.5) | 245(7) | 1825(51) | 80(2) | 15(0.4) | 101(3) | 27 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 59865 | 7105(12) | 21185(35) | 50900(85) | 5767(10) | 10195(17) | 24126(40) | 39 |
| 8. | महाराष्ट्र | 17971 | 605(3) | 6079(34) | 13749(76) | 185(1) | 2902(16) | 5657(31) | 43 |
| 9. | उड़ीसा | 11577 | 411(4) | 5971(52) | 10766(93) | 641(6) | 1873(16) | 3317(29) | 33 |
| 10. | तमिलनाडु | 10650 | 58(0.5) | 2545(24) | 9630(90) | 9(0.08) | 1080(10) | 2699(25) | 42 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 23063 | 746(3) | 3510(15) | 15241(66) | 4547(20) | 6213(27) | 16605(72) | 64 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 14302 | 652(5) | 5281(37) | 13477(94) | 591(4) | 1430(10) | 13673(96) | 84 |
| | जोड़ | 199992 | 13261(7) | 66060(33) | 168754(84) | 21300(11) | 35619(18) | 97825(49) | |

* 1998-99 के लिए आंकड़े

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में संख्याएं विद्यालयों की कुल संख्या को दर्शाती हैं।

अनुबन्ध 6

(पैराग्राफ 2.6.3.1 देखें)

लिंग एवं सामाजिक अलाभकारी विभेदन

| क्र.सं. | राज्य/जिले का नाम | वर्ष | के बीच प्रतिशतता का अन्तर | | |
|---------|---|--|--|----------------------|----------------------------|
| | | | अनु.जाति एवं अन्य | अनु.ज.जा. एवं अन्य | लड़के एवं लड़कियां |
| 1. | आंध्र प्रदेश (i) विजिया नगरम (ii) वारंगल | 1998-99 1998-99 | 26 | 45 | 6 |
| 2. | तमिलनाडु (i) पुडुकोट्टी (ii) धर्मापुरी | 1999-2000 --वही-- | -- | 34 | 6 |
| 3. | असम (i) डारंग (ii) बारपेटा (iii) गोलपारा (iv) बोंगेईगांव | 1998-99 --वही-- 1999-2000 --वही-- | 12 30 | 18 7 13 49 | -- |
| 4. | कर्नाटका (i) बेलगाम (ii) कोलर | 1998-99 1999-2000 | 6 | | 14 7 |
| 5. | उड़ीसा (i) गाजापटी (ii) बोलांगीर (iii) कालाहांडी (iv) धेनकानल (v) किर्योझार (vi) सम्भलपुर (vii) बारागढ़ (viii) रायगढ़ | 1999-2000 --वही-- --वही-- --वही-- --वही-- --वही-- --वही-- --वही-- | 20 34 29 43 24 17 33 | 32 23 51 34 | 11 6 9 6 14 |
| 6. | पश्चिमी बंगाल (i) कूव बिहार (ii) मुर्शीदाबाद (iii) दक्षिणी परगना | 1999-2000 --वही-- --वही-- | | 12 20 54 | -- |
| 7. | बिहार (i) धुमका (ii) रोहतास नगर (iii) गया (iv) सीतामढ़ी (v) वैशाली | 1999-2000 --वही-- --वही-- --वही-- --वही-- | | 17 39 | 17 14 14 23 13 |
| 8. | मध्य प्रदेश (i) सुरगुजा (ii) शाहदोल | 1999-2000 --वही-- | 7 10 | 25 | 9 |

2001 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|----------|
| 9. | महाराष्ट्र (i) जलना | 1999-2000 | | | 7 |
| 10 | गुजरात (i) बानसकंथा (ii) पंचमहल | 1999-2000 --वही-- | - - | - - | 24 12 |

अनुबन्ध 7

(पैराग्राफ 2.6.4 देखें)

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं पूरक सामग्री का वितरण

| राज्य | % विद्यालय उपलब्ध करा रहे | | % अभिभावकों द्वारा पुष्टी कृत रसीद | |
|---------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| | निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें | पूरक सामग्री | निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें | पूरक सामग्री |
| आन्ध्र प्रदेश | 98 | 77 | 95 | 39 |
| असम | 62 | 68 | 62 | 69 |
| बिहार | 81 | 16 | 27 | 8 |
| गुजरात | 35 | 76 | 20 | 44 |
| हरियाणा | 99 | 58 | 60 | 27 |
| हिमाचल प्रदेश | 97 | 75 | 81 | 17 |
| कर्नाटक | 100 | 27 | 80 | 23 |
| केरल | 100 | 73 | 66 | 33 |
| मध्य प्रदेश | 64 | 34 | 20 | 14 |
| महाराष्ट्रा | 59 | 58 | 51 | 43 |
| उड़ीसा | 100 | 15 | 52 | 2 |
| तमिलनाडु | 51 | 26 | 86 | 24 |
| उत्तर प्रदेश | 99 | - | 57 | - |
| पश्चिमी बंगाल | 50 | 30 | 63 | 2 |
| समस्त भारत | 81 | 44 | 64 | 24 |

अनुबन्ध 8

(पैराग्राफ 2.6.6 देखें)

स्तरों की उपलब्धी की प्रवृत्ति/मूल साक्षरता में निष्पादन एवं संख्यात्मक क्षमताएं

(i) भाषा

28 जिलों में, 1994 में किये गये आधाररेखा मूल्यांकन सर्वेक्षण (आ.मू.स.) की तुलना में रा.शै.प्र.अ.प. द्वारा 1997 में किये गये सात राज्यों में जि.प्रा.शि.का. के प्रथम चरण के 42 जिलों के, भाषा में प्रथम श्रेणी के छात्रों के निष्पादन के ज्ञान की उपलब्धियों के, मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण (म.मू.स.) के अनुसार 1 से 35 प्रतिशत की बढ़त की प्रवृत्ति दिखाई गई, यद्यपि केवल 6 जिलों में ही उपलब्धि स्तर में बढ़त 25 प्रतिशत से अधिक थी (एक असम में, सभी चार कर्नाटक में तथा एक महाराष्ट्र में)। दूसरी ओर 14 जिलों ने 1 से 18 प्रतिशत की गिरावट दिखाई। 10 जिलों में गिरावट 5 प्रतिशत से अधिक थी (एक असम में, एक केरल में, छः मध्य प्रदेश में तथा दो महाराष्ट्र में)।

इसी प्रकार रा.शै.प्र.अ.प. द्वारा 1999 में किये गये चार राज्यों में द्वितीय चरण के 17 जिलों के भाषा में प्रथम श्रेणी के छात्रों के निष्पादन के म.मू.स. में, 1996 में किये गये आ.मू.स. की तुलना में, 17 में से 14 जिलों में मामूली से 31 प्रतिशत की बढ़त दर्शाई। यद्यपि केवल आंध्र प्रदेश में एक जिला ही 31 प्रतिशत की बढ़त प्राप्त कर पाया। बढ़त आन्ध्र प्रदेश में 13 से 31 प्रतिशत, गुजरात में नाममात्र से 18 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में 2 से 15 प्रतिशत तथा उड़ीसा में 10 से 20 प्रतिशत रही। हिमाचल प्रदेश में एक जिला तथा उड़ीसा में दो जिलों ने 5 प्रतिशत तक गिरावट दर्शायी।

(ii) गणित

म.मू.स. (1997) की रिपोर्ट के अनुसार सात चरण। राज्यों के 42 में से 33 जिलों में आ.मू.स. (1994) की तुलना में गणित में (कक्षा I के) छात्रों के निष्पादन ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया। वृद्धि आधे से 44 प्रतिशत के बीच रही। परन्तु केवल 9 जिले ही 25 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर सके (हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक में एक, तमिलनाडु में दो तथा कर्नाटक में चार)। चार राज्यों में नौ जिलों (असम, केरल तथा महाराष्ट्र प्रत्येक में एक तथा मध्य प्रदेश में छः) ने 1994 के स्तर से 3 से 17 प्रतिशत के बीच की गिरावट दिखाई। गिरावट केरल में 11%, तथा मध्य प्रदेश के चार जिलों में 16 से अधिक सुस्पष्ट थी।

चार राज्यों के 17 जिलों में 1999 में किए गए म.मू.स. ने गणित में मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाया। आ.मू.स. (1996) की तुलना में 17 में से 15 जिलों में वृद्धि 1 से 35 प्रतिशत के बीच रही। जबकि 3 जिलों में वृद्धि (गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा उड़ीसा प्रत्येक में एक) निरर्थक (2%) थी, यह आठ जिलों में 8 से 19 प्रतिशत के बीच रही। आन्ध्र प्रदेश में केवल चार जिले 25% वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हिमाचल प्रदेश में दो जिलों 7% (चम्बा) और 11% (कुल्लू) ने सार्थक गिरावट प्रदर्शित की।

(iii) भाषा तथा गणित में क्षमता के स्तर में लिंग भेद

भाषा तथा गणित में बालक तथा बालिकाओं के मध्य उपलब्धि स्तर के अन्तर को 5 प्रतिशत कम करने की अपेक्षा कार्यक्रम में की गई थी। रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा 11 राज्यों के 1997 में (42 जिले) और 1999 में (17जिले), किए गए सर्वेक्षणों से पता चला कि चार राज्यों के 59 जिलों में से 17

जिलों में क्रक्षा-1 के बालक तथा बालिकाओं के मध्य भाषा और गणित के उपलब्धि के स्तर में अन्तर 5 प्रतिशत से अधिक रहा। उड़ीसा के दो जिलों में भाषा में अन्तर 5 से 8% के बीच तथा गणित में 8 प्रतिशत, मध्य प्रदेश के 12 जिलों में भाषा में 7 से 8% तथा गणित में 5 से 18% के बीच; महाराष्ट्र के दो जिलों तथा आन्ध्र प्रदेश के एक जिले में गणित में 7 से 8% रहा। मध्य प्रदेश के रीवा (18%) तथा सिधी (11%) जिलों के अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक था।

(iv) भाषा तथा गणित ज्ञान उपलब्धि में सामाजिक वर्ग अन्तर

कार्यक्रम का उद्देश्य भाषा तथा गणित में सामाजिक अलाभकारी वर्गों अर्थात् अनु.जा. और अ.ज.जा. तथा अन्यो के बीच उपलब्धि स्तर पर अन्तर को 5 प्रतिशत कम करने के लिए लक्ष्य प्राप्त करना भी था। रा.शै.प्र.प. द्वारा 1997 और 1999 में 11 राज्यों के 59 जिलों में किए गए मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षणों से पता चला कि समस्त 11 राज्यों में भाषा तथा गणित में क्रक्षा-1 के अ.जा. और अ.ज.जा. तथा अन्य छात्रों की उपलब्धता स्तर में अन्तर 5 प्रतिशत से अधिक था। विभिन्न जिलों में प्रचलित अन्तर की मात्रा निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

| क्र. सं. | राज्य के नाम | जिलों की सं. | अ.जा. तथा अन्यो में अन्तर | अ.ज.जा. तथा अन्यो में अन्तर |
|----------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | असम | 3 | 5.40% (गणित) | 6 to 21% (गणित) 6 to 16% (भाषा) |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 3 | 11% (भाषा) | 10 to 16% (भाषा) |
| 3. | हरियाणा | 3 | 8-10% (भाषा) 5.02% (गणित) | -- |
| 4. | गुजरात | 1 | 8% (गणित) | -- |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 9% (भाषा) 8% (गणित) | 9% (गणित) |
| 6. | कर्नाटक | 3 | 5.45 to 13% (भाषा) 7 to 8% (गणित) | 9% (गणित) 12% (भाषा) |
| 7. | केरल | 1 | 13% (भाषा) 16% (गणित) | -- |
| 8. | मध्य प्रदेश | 15 | 6 to 13% (भाषा) 6 to 25% (गणित) | 6 to 22% (भाषा) 6 to 20% (गणित) |
| 9. | महाराष्ट्र | 3 | 6 to 10% (भाषा) 7 to 10% (गणित) | 6% (गणित) |
| 10. | तमिलनाडु | 3 | 5 to 9% (भाषा) 6 to 9% (गणित) | -- |
| 11. | उड़ीसा | 5 | 6 to 14% (भाषा) 10% (गणित) | 7 to 28% (गणित) |


सात राज्यों के 14 जिलों अर्थात् हिसार 10% (हरियाणा), बेलगांव 13% (कर्नाटक), वामानाड 13% से 16% (केरल), रतलाम 13% से 17% सिहोर 13%, राजनन्दगांव 15%, सरगुजा 25% (मध्य प्रदेश) लातूर 10% औरंगाबाद 10% (महाराष्ट्र), विजियानाजरम 11% तथा रायगढ़ 10-14% (उड़ीसा) में अ.जा. तथा अन्यो में अन्तर 10% तथा इससे अधिक था।

2001 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

इसी प्रकार 5 राज्यों के 10 जिलो अर्थात् दारांग 16% से 21% (असम), रायचुर 12% (कर्नाटक), राजनन्दगांव 20-22%, सरगूजा 13%, रायसन 26% रतलाम 14 से 19% (मध्य प्रदेश) तथा रायगढ़ 15% से 18%, गजपथ 28% (उड़ीसा), करीम नगर 10%, कुरनूल 16% (आन्ध्र प्रदेश) में अ.ज.जा. तथा अन्यो में अन्तर 10% से अधिक था ।


अनुबन्ध 9

(पैराग्राफ 2.7.2 देखें)



अनुबन्ध 10

(पैराग्राफ 2.7.2 देखें)



अनुबन्ध 11

(पैराग्राफ 2. 7.4 देखें)

जि.प्रा.शि.का. के अन्तर्गत प्रशिक्षित ग्रा.शि.स./ग्रा.नि.स. तथा अभि. अध्या.सं./मा.अध्या.संघ के सदस्यों का अनुपात

| राज्य | प्रशिक्षित सदस्यों की प्रतिशतता | |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | ग्रा.शि.स./ग्रा.नि.स. | अभि. अध्या. संघ/मा. अध्या. संघ |
| आन्ध्र प्रदेश | 50 | 74 |
| असम | 47 | 71 |
| बिहार | 30 | गठित नहीं की गई |
| गुजरात | 53 | 89 |
| हरियाणा | 65 | 73 |
| हिमाचल प्रदेश | 48 | 66 |
| कर्नाटक | 38 | गठित नहीं की गई |
| केरल | 63 | 47 |
| मध्य प्रदेश | 15 | -- |
| महाराष्ट्र | 54 | 94 |
| उड़ीसा | 43 | 62 |
| तमिलनाडु | 16 | 78 |
| उत्तर प्रदेश | 14 | 39 |
| पश्चिम बंगाल | 98 | गठित नहीं की गई |

अनुबन्ध 12

(पैराग्राफ 2. 8.1.3 देखें)

सिविल निर्माण कार्यों पर परिहार्य व्यय के मामलों का विवरण

| क्र.सं. | राज्य का नाम | अवधि | परिहार्य व्यय (लाख रु.में) | टिप्पणी |
|---------|--------------|---------|-------------------------------|---|
| 1. | हरियाणा | 1994-00 | 35.00 | 316 लाख रु. संस्वीकृति के स्थान पर 351 लाख रु. की लागत के विद्यालय भवन के लिए 141 दोगुणे कमरों का निर्माण । |
| 2. | केरल | उ.न. | 75.00 | सिविल निर्माण कार्यों के 335 मामलों में अनुबंध पूर्व गतिविधियों के लिए मैं, सिडको का अधिक दावा । |
| 3. | महाराष्ट्र | जन.1997 | 14.10 | ख.अ.के. के क्षेत्र के संदर्भ में 34 ख.अ.के. के निर्माण के लिए इकाई लागत कम न करना । |
| 4. | मध्य प्रदेश | 1994-00 | 392.00 | ख.अ.के., प्राथमिक विद्यालय, अतिरिक्त कमरों आदि की आवश्यक विभागीय निष्पादित कार्य के निर्माण पर 10 प्रतिशत ठेकेदार का लाभ कम न करना |
| 5. | उड़ीसा | 1997-98 | 0.84 | 1.43 लाख संस्वीकृत राशि के प्रति 2.27 लाख रु. लागत पर ढनकनाल में एम.आईएस. भवन का निर्माण । |
| 6. | तमिलनाडु | उ.न. | 771.62 | दो पंचायत संघ में प्राथमिक विद्यालयों के विद्यालय भवन का निर्माण प्रतिमानों के अनुसार आवश्यक नहीं था । लागत बचत करने के लिए समुदाय भागिदारी द्वारा 1163 कक्षाओं एवं ख.अ.के. भवनों का निर्माण करने की बजाय लो.नि.वि. द्वारा किया गया । |
| 7. | पश्चिम बंगाल | 1999-00 | 1046.00 | निधियन अभिकरण द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर विद्यालय भवन, परिमण्डल संसाधन केन्द्रों एवं अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण तथा स्थान के लिए प्रतिमानों का अनुसरण नहीं किया गया । |
| | जोड़ | | 2334.56 | |

अनुबन्ध 13

(पैसाग्राफ 2. 8.1.3 को देखें)

सिविल निर्माण कार्यों को पूरा करने में विलम्ब के कारण निरर्थक व्यय

| क्र. सं. | राज्य का नाम | सम्मिलित जिलों की सं. | कार्यों की लम्बित मदों की संख्या | अवधि | व्यय की गई राशि (लाख रु. में) | समाप्त करने की देय तिथि | समाप्त करने में विलम्ब | टिप्पणी |
|----------|---------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1. | असम | एक | 91 | 1994-95 से 1996-97 | 186.59 | नवम्बर 1997 | नवम्बर 97 से (2 वर्ष 3 माह) | 1994-95 से 1996-97 के दौरान जि.प.के. डेजंटग ने 795.63 बजट प्रावधान के प्रति सिविल निर्माण कार्यों के 573 मदें ली थी जिसमें से 186.59-लाख के कार्य की 91 मदों में निवेश किया जा चुका था आगे व्यय कुल परियोजना लागत की 24 प्रतिशत के बीच सीमित किए जाने पर बंद कर दिया गया था। |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | --वही-- | 6 | जन-1998 | 3.94 | सितम्बर 1998 | 9 से 19 माह | जनवरी 1998 में छः सिविल निर्माण कार्य 6.20 लाख रु. अनुमानित लागत सहित शुरू किए गए, भूमि विवाद तथा कार्य विनिर्देश से कम के कारण अब तक स्थगित रही निर्माण पर खर्च की गई 3.94 लाख रु. की राशि इसलिए अनुत्पादी रही। |
| | | --वही-- | 221 | उ.न. | 100.00 | मार्च 1998 से जुलाई 1999 | - | विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षाओं आदि जैसे 221 सिविल निर्माण कार्य 1.41 करोड़ की अनुमानित लागत सहित जिसके लिए अभिकरणों को एक करोड़ रु. दिए जा चुके थे भूमि समस्याओं, निर्माण की अधिक लागत आदि के कारण अधूरे रहे। |
| | | --वही-- | 92 | उ.न. | 131.00 | अप्रैल 1998 से दिसम्बर 1999 | 4 से 24 माह | 2.21 करोड़ रु. की अनुमानित लागत सहित 92 विद्यालय भवन जिसके लिए 1.31 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका था अप्रैल 2000 से स्थल पर विकास की समस्याओं के कारण अधूरे थे। |

| क्र. सं. | राज्य का नाम | सम्मिलित जिलों की सं. | कार्यों की लम्बित मदों की संख्या | अवधि | व्यय की गई राशि (लाख रु. में) | समाप्त करने की देय तिथि | समाप्त करने में विलम्ब | टिप्पणी |
|----------|--------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| 3. | कर्नाटक | चार | ख.अ.के. भवन | 1997 | 12.24 | उ.न. | उ.न. | 1997 के दौरान जबकि ख.अ.के. भवन का कार्य श्री निवासपुरा, सिन्दानूर, कुश्तागी एवं हुकरी में आरंभ हुआ कार्य 11.49 लाख रु. व्यय करने के बाद अधूरा रहा। कार्य पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसका अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं। ख.अ.के. कुश्तागी के लिए किराये पर लिए गए भवन के लिए 0.75 लाख रु. की राशि का व्यय किया गया। |
| | | एक | 11 ख.अ.के. भवन | - | - | 1997-98 से 1998-99 | - | 1997-98 से 1998-99 के दौरान कोलहर, डुर्दग एवं हिमसगर जिलों में 11 ख.अ.के. में पूरा किया गया निर्माण कार्य जल पूर्ति स्वच्छता कार्य एवं बिजली कार्य की कमी के कारण भवनों को प्रयोग नहीं किया जा सका। |
| | | एक | 11 विद्यालय भवन | - | - | 1997-98 से 1998-99 | - | कोलहर जिले में 15 विद्यालय भवनों में से केवल 11 विद्यालय भवनों का निर्माण किया गया जलपूर्ति एवं स्वच्छता कार्य की कमी के कारण भवनों को प्रयोग नहीं किया जा सका। |
| | | एक | जेट पम्पों की उपलब्धता | जनवरी 1997 से जुलाई 1990 | 17.43 | - | - | पानी की टंकियां, जेट पम्प 17.43 लाख रु. मूल्य की (जनवरी 1997 से जुलाई 1998) रेचर जिला में स.अ.के. में विद्यालयों में लगाने के लिए अभिकरण को दी गई थी लेकिन ये भवनों में नहीं पाई गई। इसके लिए कारण अभी तक प्रतीक्षित है। |
| 4. | मध्य प्रदेश | छः | 434 सिविल निर्माण कार्य | 1995-99 | 423.00 | अनुबंध की तिथि से 120 दिनों के बीच | - | 1995-99 के दौरान 434 आरंभ किए गए कार्य जिस पर 423 लाख रु. खर्च किए जा चुके थे, अधूरे रहे जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ। |
| 5. | महाराष्ट्र | एक | 32 | नवम्बर 1996 | 102.15 | दिसम्बर -1997 | 27 माह | वरुधा जिला में 34 ख.अ.के. भवनों के निर्माण कार्य |

| क्र. सं. | राज्य का नाम | सम्मिलित जिलों की सं. | कार्यों की लम्बित मदों की संख्या | अवधि | व्यय की गई राशि (लाख रू. में) | समाप्त करने की देय तिथि | समाप्त करने में विलम्ब | टिप्पणी |
|----------|--------------|-----------------------|---|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| | | | ख.अ.के. भवन | | | | | 2.64 करोड़ रू. अनुमानित लागत पर अभिकरण को सौंपे गए। (नवम्बर-96) जिसमें से 102.15 लाख रू. की राशि अभिकरण को दी जा चुकी थी। यद्यपि, जनवरी 2000 तक केवल दो ख.अ.के. का ही कार्य पूरा हुआ स्थानीय विवाद एवं भूमि की कमी के कारण तीन ख.अ.के. का कार्य आरंभ नहीं किया जा सका, 29 ख.अ.के. सम्बन्ध में अभिकरण को आगे अग्रिम देने के विवाद के कारण सितम्बर 1997 से कार्य पूरी तरह से रोक दिया गया। |
| | | चार | 166 दो कमरों के विद्यालय भवन | - | - | अनुबंध की तिथि से छः माह के बीच | 5 से 24 माह | 12.15 करोड़ रू. की लागत पर 419 दो कमरों वाले विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए योजना की गई। इसमें से, 253 विद्यालय पूरे किये गये, 112 प्रगति पर थे तथा शेष 54 निर्माण कार्यों का जनवरी 2000 तक स्थानीय अभिकरणों द्वारा समय- अनुसूची के अपालन के कारण आरंभ नहीं किए जा सके। |
| 6. | उड़ीसा | एक | विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में 280 नलकूप | फरवरी -1999 | 100.52 | मई-1999 | | विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों 100.52 लाख रू. के कुल मूल्य के लगभग 280 नलकूपों के शोधन का कार्य अभिकरण को सौंपा गया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य मई 1999 तक पूरा किया जाना था। मार्च 2000 तक न तो कार्य पूरा किया गया था और न ही कार्य पूरा करने के लिये समय बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त समिति को दिए गए 6 लाख रू. (3/99) में से 4 लाख रू. अभिकरण से वसूली करने के लिए बकाया थे। 5/99 को 4.25 लाख रू. मूल्य की पी.वी.सी. पाइप के लिए अगस्त 1999 में 6.36 लाख रू. दिए गए जिसका |

| क्र. सं. | राज्य का नाम | सम्मिलित जिलों की सं. | कार्यों की लम्बित मदों की संख्या | अवधि | व्यय की गई राशि (लाख रु. में) | समाप्त करने की देय तिथि | समाप्त करने में विलम्ब | टिप्पणी |
|----------|--------------|-----------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| | | एक | 59 नल-कूप | मार्च-99 | 20.40 | - | - | प्रयोग मार्च 2000 तक नहीं हुआ। जि.प.के. कालाहांडी ने कार्यपालक अभियन्ता आर.डब्ल्यू.एस. 859 विभाग के पास 20.40 रु. की राशि (मार्च -99) 59 नल-कूपों की मारकिंग के लिए जमा कराए थे, जबकि 13 नलकूपों का कार्य सभी प्रकार से पूरा हो गया, 40 नल-कूपों का कार्य प्रगति पर था। 6 कार्यों के मामले में वैकल्पिक विद्यालय की भी पहचान नहीं की गई थी। अतः जि.प.के. कालाहांडी द्वारा बताए गए 20.40 लाख रु. का व्यय सही नहीं था। |

अनुबन्ध 14

(पैराग्राफ 2. 8.1.3 देखें)

निम्नस्तरीय निर्माण कार्य

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | राज्य | कार्य की मद | राशि | सम्पूर्ण होने का वर्ष | टिप्पणियां |
|---------|-------------|--------------------|--------|-----------------------|---|
| 1. | कर्नाटक | 1 स्कूल भवन | 3.20 | 1997-98 | भवन में दरारें पड़ गई थी तथा उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। |
| 2. | मध्य प्रदेश | 25 ख.अ.के. | 137.80 | 1995-97 | भवन निम्नस्तरीय थे तथा छतों में रसाव के कारण अधूरे थे तथा पानी एवं बिजली इत्यादि सुविधाओं की कमी थी। |
| 3. | तमिलनाडु | 126 कक्षा कमरा भवन | -- | 1994-2000 | 30 करोड़ रु. की लागत पर 1994-2000 के दौरान बनाये गये 915 स्कूल भवनों में से 126 में मुख्य त्रुटियां जैसे छतों में रिसाव दीवारों में दरारें इत्यादि पाई गई थी। यद्यपि, रखरखाव के लिए प्रावधान की अनुपस्थिति में त्रुटियों को सुधारा नहीं जा सका। |
| 4. | महाराष्ट्र | 10 शौचालय | 3.52 | मार्च 1997 | ऐजेन्सी ने मई 1997 तक 500 में से केवल 10 शौचालयों पर कार्य पूर्ण कर सकती थी। घटिया निष्पादन तथा निम्नस्तरीय निर्माण कार्य के कारण, जि.यो.य. औरंगाबाद ने ठेका रद्द कर दिया था 3.52 लाख रु. का बकाया मांगा गया परन्तु वसूल नहीं हुआ (जुलाई 2000) |
| | --वही-- | 7 कमरे | 9.51 | जुलाई 1997 | 364 स्कूल भवनों में से 6 खंडों में निर्मित किये गये 7 स्कूल भवन गुणवत्ता में खराब थे तथा इसलिए अस्वीकार किये गये। |
| | --वही-- | 1 कमरे | 1.20 | -- | निम्नस्तरीय निर्माण कार्य के कारण भवन गिरा दिया गया था। |
| | --वही-- | 207 बेदन कुएँ | 30.87 | जनवरी 2000 | लक्षित 1847 बेदन कुओं में से 1354 कुएँ जनवरी 2000 तक सम्पूर्ण हो गये थे, जिनमें से 207 (15%) कुएँ 30.87 लाख रु. का व्यय सम्मिलित करते हुए विफल घोषित किये गये थे। |
| | --वही-- | 187 शौचालय | 7.84 | 1996-97 | जला आपूर्ति तथा सफाई सुविधाओं की कमी के कारण 1996-99 तक |

2001 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

| | | | | | |
|--|-----|-----|--------|--|---|
| | | | | | 513 में से 187 शौचालय उपयोग में नहीं थे । |
| | कुल | 564 | 193.94 | | |

अनुबन्ध 15

(पैराग्राफ 2. 8.1.3 देखें)

निर्माण कार्य व्यय लेखों को प्रस्तुत न करना

हरियाणा में, तीन जिलों (जिंद, महेन्द्रगढ़ तथा सिरसा) के जिला योजना समन्वयक ने 1995-96 से 1999-2000 के दौरान अतिरिक्त कक्षा कमरे/चार दीवारी/ पम्प/शौचालय इत्यादि के निर्माण के लिए 260 ग्रा.नि.स. को 102.69 लाख रू. जारी किये, इनमें से 240 ग्रा.नि.स. ने मार्च 2000 तक 94.54 लाख रू. के लिए व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे। योजना निदेशक ने उत्तर दिया (जुलाई 2000) कि 131 ग्रा.नि.स. से सम्बन्धित 48.52 लाख रू. विस्तृत लेखे/उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के पश्चात समायोजित किये गये थे तथा बकाया राशि सम्बन्धित ग्रा.नि.स. के साथ अभिलेखों के समाधान के पश्चात समायोजित किया जाएगा।

उड़ीसा में, दिसम्बर 1999 तथा जनवरी 2000 के लिए राज्य योजना अधिकारी भुवनेश्वर, सम्बलपुर, कालांदा, भोलनगीर तथा रायागढ़ जिलों के जि.यो.स. को सिविल निर्माणकारी पर प्रस्तुत की गई मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि 932 सिविल निर्माण कार्य 412.83 लाख रू. की लागत पर सम्पूर्ण किये गये थे। राशि ग्रा.शि.स. को केवल अग्रिम के रूप में भुगतान की गई थी। यद्यपि, यह देखा गया था कि किये गये व्यय के विवरण तथा क.अ./डी.पी.बी. द्वारा यथाचित प्रमाणित सम्पूर्ण रिपोर्ट ग्रा.नि.सं. से प्राप्त नहीं की गई थी जिनकी अनउपस्थिति में निर्माण कार्य का वास्तविक व्यय तथा उन पर किया गया व्यय सत्यापित नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, जि.यो.स. ने उत्तर दिया (जनवरी- 2000, फरवरी- 2000 मार्च - 2000 तथा अप्रैल - 2000) कि सम्पूर्ण होने की रिपोर्टें जि.शि.स. से प्राप्त की जाएगी तथा सूचित किया जाएगा।

अनुबन्ध 16

(पैराग्राफ 2. 8.3 देखें)

जि.शि.प्र.स./य.स.के./स.स.के. में स्टाफ की स्थिति

| राज्य | जि.शि.प्र.स. | | | | म.स.के. संसाध व्यक्ति/समन्वयक | | | | स.स.के. स्टाफ | | | |
|---------------|-----------------|------------|-----|----------|-------------------------------|------------|-----|----------|-----------------|------------|-----|----------|
| | योजना - बद्ध | स्थिति में | कमी | % कमी | योजना - बद्ध | स्थिति में | कमी | % कमी | योजना - बद्ध | स्थिति में | कमी | % कमी |
| आन्ध्र प्रदेश | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 124 | 76 | 48 | 39 | 760 | 565 | 195 | 26 | -- | -- | -- | -- |
| चरण II | 343 | 171 | 172 | 50 | 2202 | 1609 | 593 | 27 | -- | -- | -- | -- |
| असम | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 73 | 39 | 34 | 47 | 27 | 27 | -- | -- | 418 | 418 | -- | -- |
| चरण II | 92 | 74 | 18 | 20 | 29 | 26 | 3 | 10 | 585 | 562 | 23 | 4 |
| गुजरात | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 108 | 81 | 27 | 25 | 46 | 46 | -- | -- | 482 | 482 | -- | -- |
| हरियाणा | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 76 | 58 | 18 | 24 | 28 | 25 | 3 | 10 | 266 | 241 | 25 | 9 |
| चरण II | 104 | 85 | 19 | 18 | 25 | 20 | 5 | 20 | 277 | 210 | 67 | 24 |
| हिमाचल प्रदेश | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 100 | 69 | 31 | 31 | 33 | 30 | 3 | 9 | 399 | 221 | 178 | 45 |
| कर्नाटक | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 108 | 84 | 24 | 22 | 280 | 278 | 2 | 1 | 339 | 334 | 5 | 1 |
| चरण II | 189 | 162 | 27 | 14 | 504 | 497 | 7 | 1 | 798 | 798 | -- | -- |
| केरल | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 59 | 53 | 6 | 10 | 50 | 50 | -- | -- | 380 | 380 | -- | -- |
| चरण II | 63 | 55 | 8 | 13 | 60 | 60 | -- | -- | 384 | 384 | -- | -- |
| महाराष्ट्र | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 130 | 115 | 15 | 12 | 238 | 215 | 23 | 10 | 639 | 624 | 15 | 2 |
| चरण II | 104 | 90 | 14 | 13 | 312 | 267 | 45 | 14 | 651 | 539 | 112 | 17 |
| मध्य प्रदेश | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 1157 | 824 | 333 | 29 | 198 | 193 | 5 | 3 | 3137 | 3137 | -- | -- |
| चरण II | | | | | 171 | 129 | 42 | 25 | 3144 | 3144 | -- | -- |
| उड़ीसा | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 135 | 101 | 34 | 25 | 85 | 85 | -- | -- | 1132 | 890 | 242 | 21 |
| तमिलनाडु | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 88 | 71 | 17 | 19 | 288 | 277 | 11 | 4 | -- | -- | -- | -- |
| चरण II | 66 | 53 | 13 | 20 | 136 | 116 | 20 | 15 | -- | -- | -- | -- |
| उत्तर प्रदेश | | | | | | | | | | | | |
| चरण I | 672 | 373 | 299 | 44 | 215 | 213 | 2 | 1 | 2109 | 1945 | 164 | 8 |

अनुबन्ध 17

(पैराग्राफ 2. 8.4.1 देखें)

प्रशिक्षण के लिए लक्ष्यों में कमी

| क्र.सं. | राज्य | कुल योजना -बद्ध | कुल प्रशिक्षित | कमी | % कमी |
|---------|--|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश शिक्षण गैर -शिक्षण | 75050 105536 | 71105 97225 | 3945 8311 | 5 8 |
| 2. | असम शिक्षण गैर -शिक्षण | 74441 83521 | 70867 77388 | 3574 6133 | 5 7 |
| 3. | बिहार शिक्षण गैर -शिक्षण | 139122 152433 | 50682 99661 | 88440 52772 | 64 35 |
| 4. | गुजरात शिक्षण गैर -शिक्षण | 36540 198948 | 36299 197956 | 241 992 | अमहत्वपूर्ण अमहत्वपूर्ण |
| 5. | हरियाणा शिक्षण गैर -शिक्षण | 58297 64451 | 47654 43018 | 10643 21433 | 18 33 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश शिक्षण गैर -शिक्षण | 14905 38395 | 9436 12430 | 5469 25965 | 37 68 |
| 7. | कर्नाटक शिक्षण गैर -शिक्षण | 104232 72514 | 77808 49244 | 26424 23270 | 25 32 |
| 8. | केरल शिक्षण गैर -शिक्षण | 86664 16383 | 84023 14602 | 2641 1781 | 3 11 |
| 9. | महाराष्ट्र शिक्षण गैर -शिक्षण | 387350 227273 | 206348 96118 | 181002 131155 | 47 58 |
| 10. | मध्य प्रदेश शिक्षण गैर -शिक्षण | 46961 79542 | 46144 69059 | 817 10483 | 2 13 |
| 11. | उड़ीसा शिक्षण गैर -शिक्षण | 48793 75464 | 57882 42960 | -- 32504 | -- 43 |
| 12. | तमिलनाडु शिक्षण गैर -शिक्षण | 141982 112775 | 124315 88771 | 17667 24004 | 12 21 |
| 13. | उत्तर प्रदेश शिक्षण गैर -शिक्षण | 104722 3549 | 91202 3524 | 13520 25 | 13 1 |

अनुबन्ध 18

(पैराग्राफ 2. 8.5.6 देखें)

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा

| क्र.सं. | राज्य का नाम | पहचाने गये बच्चों की संख्या | नामांकन किये गये बच्चों की संख्या | स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या (% पहचाने गये बच्चों से लेकर) | बच्चे जिनकी सहायता तथा सुविधाएं प्रदान की गई की संख्या (% पहचाने गये बच्चों से लेकर) |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1293 | -- | -- | 574 (44%) |
| 2. | असम | 2776 | 1487 | 1289(46%) | 148 (5%) |
| 3. | बिहार | 947 | -- | -- | 42 (4%) |
| 4. | गुजरात | 19443 | 17031 | 2412 (12%) | शून्य |
| 5. | हरियाणा | 13923 | 11115 | 2808 (20%) | 1260 (9%) |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 1977 | 1849 | 128 (6%) | शून्य |
| 7. | केरल | 24127 | 24127 | -- (0%) | 1145 (5%) |
| 8. | महाराष्ट्र | 31324 | 20498 | 10826 (35%) | शून्य |
| 9. | उड़ीसा | 18086 | 11585 | 6501 (36%) | 220 (1%) |
| 10. | तमिलनाडु | 13936 | 13008 | 928 (7%) | 779 (6%) |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 22231 | 2255 | 19976 (90%) | 340 (2%) |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 8545 | 4356 | 4189 (49%) | 66 (1%) |
| | सितारा चिन्ह के साथ कुल राज्य | 156368 | 107311 (69%) | 49057 (31%) | औसत 8.56% |

* बच्चों के नामांकन की कुल योग प्रतिशतता के संकलन के हेतु लिए गये राज्य

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
तथा
उद्योग मंत्रालय

शहरी रोजगार उत्पादन कार्यक्रम
तथा
प्रधानमंत्री रोजगार योजना

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

1954

संस्कृत भाषा

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

1954

संस्कृत भाषा

**अध्याय III: शहरी विकास तथा गरीबी
उन्मूलन मंत्रालय
तथा
उद्योग मंत्रालय**

3. शहरी रोजगार उत्पादन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक रोजगार तंत्र स्थापित करके अथवा संवत्न रोजगार के जरिए शहरी बेरोजगारों/ अल्प रोजगार वाले लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए 1 दिसम्बर 1997 से शुरू की गई थी। मंत्रालय स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अधीन रोजगार प्रदान करने तथा रोजगार चाहने वालों के पंजीकरण के लिए गरीबी रेखा से नीचे के शहरी परिवारों को लक्षित करने के मुद्दे को सन्तोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर पाया। लाभभोगियों को न तो पंजीकृत किया गया है और न ही पारिवारिक कार्ड दिए गए। अतः अपंजीकृत श्रमिकों को रोजगार दिया गया है और अधिकांश मामलों में उनके पास न तो पारिवारिक कार्ड हैं और जहाँ वे उपलब्ध हैं वहाँ उन पर रोजगार के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि जिन लोगों को स्कीमों के अधीन रोजगार दिया जाना था उनको वास्तव में व्यापक तौर पर लक्षित किया गया है अथवा जिन लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है वे वास्तव में संवत्न रोजगार देने के लिए मापदण्डों को पूरा करते हैं अथवा नहीं। सृजित रोजगार के आंकड़े और किए गए व्यय के आंकड़े सही नहीं थे। मंत्रालय की भूमिका केवल दिशा निर्देश तैयार करने और अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना उनको राज्य सरकारों को परिचालित करने तक सीमित थी जबकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि लक्षित वर्ग को लाभ पहुँचे और निधियों का समुचित उपयोग हो।

विशिष्टताएं

वर्ष 1989-2000 के दौरान शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम के अधीन कुल 2039.89 करोड़ रु. के केन्द्रीय और राज्य शेरर में से मार्च 2000 तक 645.98 करोड़ रु. खर्च नहीं किया गया क्योंकि इस स्कीम के अधीन निधियाँ जारी करते समय पहले की स्कीमों के अधीन अव्ययित शेष राशि को ध्यान में नहीं रखा गया था।

हुडको द्वारा नितोंत घटिया कार्य निष्पादन के कारण 1989-96 के दौरान नेहरू रोजगार योजना के एस एच ए एस यू घटक के अधीन उनको जारी की गई 117.17 करोड़ रु. की राशि में से मार्च 2000 को 57.46 करोड़ रु. की राशि अप्रयुक्त रही। हुडको ने इस पर 29.32 करोड़ रु. का ब्याज कमाया और शहरी आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर

वर्ग के लिए आवास और आश्रय के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य को क्षति पहुँची। 37.97 करोड़ रु. उनके पास बना रहा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित 385.53 करोड़ रु. के व्यय की तुलना में 148.55 करोड़ रु. के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। पहले की स्कीमों (ने.रो.यो., यू.बी.एस.पी. तथा पी. एम. आई. यू.पी.ई.पी.) के खातों को 1.12.1997 से अंतिम रूप से स्व.ज.श.रो.यो. में मिला दिया गया जो अधिकांश राज्यों/सं.रा.क्षे. में बन्द नहीं हुई थी। पहले की स्कीमों की 561.39 करोड़ रु. की अव्ययित शेष राशि को स्व.ज.श.रो.यो. के अधीन अथशेष के रूप में मानना अप्राधिकृत था।

1117.94 करोड़ रु. के कुल व्यय में से लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच के लिए चुने गए नमूनों में लगभग 355.99 करोड़ रु. की राशि शामिल थी। जाँच-पड़ताल से पता चला कि कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय केवल 157.71 करोड़ रु. का था। शेष निधियों को गलत तरीके से खर्च किया गया। पी डी/बैंक खातों में जमा किया गया अन्य गतिविधियों में विपथित किया गया। बिना अनुमोदन के खर्च किया गया अथवा दुर्विनियोजित किया गया। इस प्रकार के लिकेजों का कार्यक्रम के कुशल कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस प्रकार की कार्यात्मक त्रुटियां प्र.मं.रो.यो. में भी पाई गई थी।

75.59 करोड़ रु. के केन्द्रीय अंश को राज्य सरकारों को जारी करने में एक महीने से लेकर 7 वर्ष तक की देरी की गई। इसी प्रकार 133.65 करोड़ रु. के राज्य के अंश को कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करने में 36 महीने तक की देरी की गई। इसके अलावा केन्द्र/राज्य दोनों के 57.91 करोड़ रु. के अंश को 2 वर्ष तक की देरी से जारी किया गया। कुछ राज्यों को प्र.मं.रो.यो. में निधियों को जारी करने में 2 महीने से 6 वर्ष तक का विलम्ब किया गया।

कार्यान्वयन एजेंसियों ने 910 स्कीमों पर 6 करोड़ रु. खर्च करने के बाद बीच में छोड़ दिया।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए रोजगार सृजन के अधिकांश मामले केवल अंकगणितीय गणना पर आधारित थे। उन्होंने सृजित रोजगार की सूचना न्यूनतम मजदूरी पर कुल खर्च के मजदूरी घटक को विभाजित करके प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दी, न कि मस्टर रोल की वास्तविक गणना के आधार पर। इसी प्रकार कार्यक्रम के अधीन व्यय की रिपोर्टें भी त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि कार्यान्वयन एजेंसियों को दी गई राशियां विभिन्न बचत/बैंक खातों में रखी गई, उनका उपयोग अन्य कार्यक्रमों के लिए किया गया किन्तु रिपोर्ट में उसको कार्यक्रम पर हुए व्यय के रूप में दर्शाया गया। यहाँ तक की रोजगार सृजन के गणना में भी ऐसी बचतों को सैद्धान्तिक रूप से व्यय के रूप में हिसाब में दिया गया।

वास्तविक रोजगार सृजन के साक्ष्य मस्टर रोल के जरिए प्रमाणित होते हैं जिनमें उन व्यक्तियों के नाम तथा अन्य ब्यौरे होते हैं जिनको रोजगार दिया गया हो तथा उस कार्य

के ब्यौरे भी होते हैं जिसमें उनको रोजगार दिया गया हो। ब्यौरे में दूसरे साक्ष्य के साथ रोजगार चाहने वालों के पंजीकरण के रूप में तथा उनके पारिवारिक कार्डों के रूप में गौण साक्ष्य के साथ मस्टर रोल से जुड़ी परिसम्पत्तियों की माल सूची भी शामिल होती। इनमें से किसी भी चीज को सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया। रोजगार आंकड़ों की सैद्धांतिक रिपोर्टिंग के सन्दर्भ में देखने पर रोजगार सृजन के साक्ष्य की गैर मौजूदगी से कार्यक्रमों के अधीन वास्तविक रोजगार सृजन पर शंका पैदा होती है।

कार्यान्वयन की निगरानी और कार्यक्रमों का संचालन सन्तोषजनक नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि धन खर्च करने और शुद्धता सत्यापित किए बिना रोजगार सृजन के आकड़े एकत्र करने पर अधिक जोर दिया गया। मंत्रालयों अथवा राज्य सरकारों का ध्यान प्रभावी ढंग से आकर्षित नहीं किया गया जबकि वर्ष दर वर्ष यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पूरा धन खर्च नहीं किया गया है। रोजगार सृजन के संबंध में अविश्वसनीय आकड़े प्राप्त हो रहे हैं लगातार अस्थायी परिसम्पत्तियाँ सृजित की जा रही हैं तथा गरीबों को अदक्षता पूर्वक लक्षित किया जा रहा है और सर्वत्र लिकेज है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पाई गई अन्य कमियाँ निधियों के अन्यत्र उपयोग तथा हाथ में लिए गए ऐसे कार्यों जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित नहीं थे, निधियों के दुर्विनियोजन, मजदूरी के भुगतान में देरी और न्यूनतम मजदूरी भुगतान, परियोजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं का क्रम तैयार करने और उसका अनुसरण करने में विफलता, ठेकेदार के मार्जन में दिए जा सकने वाले रोजगार सृजन को वंचित करके ठेकेदारों को नियुक्त करने, छोड़े गए कार्यों, कार्यक्रमों के अधीन सृजित परिसम्पत्तियों का उपयोग और रख-रखाव इत्यादि न किए जाने से संबंधित थीं। अधिकतर राज्यों द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया प्र.म.रो.यो. में 1993-95 के लिए मूल्यांकन आई ए एम आर द्वारा किया गया तथा कृतक बल गठित करने, नगरपालिका/ब्लाक स्तर पर बैठकें आयोजित करने, सेवा क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र में उद्योग में निवेश की सीमा को बढ़ाने, संपार्श्विक सुरक्षा लागू करने तथा आयु सीमा को बढ़ाने से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वयित किया गया। उसके आगे कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

प्र.म.रो.यो. में सरकार/बैंकों की सहायता से सृजित परियोजनाएं या तो ठीक नहीं पाई गई या फिर निधियों के दुर्विनियोजन के कारण स्थापित नहीं की गईं। ऋण की वसूली लगभग 52 प्रतिशत मामलों में की गई थी।

1981 से 1991 के
दौरान शहरी
जनसंख्या 36.19
प्रतिशत बढ़ गई
1993-94 में शहरी
गरीबी की संख्या
32.4 प्रतिशत तक
गिर गई

3.1 प्रस्तावना

भारत की शहरी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 217 मिलियन थी जो कि 3768 शहरी समूह में फैली हुई थी तथा जो कुल आबादी का 25.75 प्रतिशत बनता है। जबकि कुल आबादी 1981 में 683 मिलियन से बढ़कर 1991 में 844 मिलियन हो गई या 23.57 प्रतिशत, हो गई। इस अवधि में शहरी आबादी में 36.19 प्रतिशत की वृद्धि हो

गई। भारत में 1993-94 में शहरी गरीबों की संख्या 76.3 मिलियन थी जो शहरी आबादी का 32.4 प्रतिशत बैठता था। शहरी विकास जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि के परिणाम स्वरूप था, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ निवल प्रवजन तथा कस्बों का पुनःवर्गीकरण, शहरी विकास में जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम स्वरूप थे। यद्यपि शहरी गरीबों के क्षेत्र में प्रकोप में 1973-74 के 49 प्रतिशत से 1993-94 में 32.4 प्रतिशत की कमी आई, लेकिन 20 वर्ष की इस अवधि में गरीबों की संख्या में पूर्णतः कमी नहीं आई।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के (50 वें दौर) में, 85.7 मिलियन लोग 1993-94 की कुल जनसंख्या के लगभग 36.3 प्रतिशत श्रम शक्ति के भाग बनते थे। लगभग 66.8 मिलियन लोग 78 प्रतिशत के आसपास श्रम शक्ति में स्वयं नियोजित लाभप्रद रोजगारों में लगे हुए थे या नियमित मजदूरी वाले कर्मचारी के रूप में थे, जो 18.9 मिलियन व्यक्तियों को या तो बेरोजगार रहते या थे। अनियत आधार पर व्यय कर रहे थे। इन आकड़ों में 20-59 आयु समूह की 75 प्रतिशत शहरी महिलाएं सम्मिलित नहीं थी जिन्होंने रोजगार नहीं मांगा। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी/अल्प बेरोजगार तथा गरीबी काफी नजदीक से जुड़ी हुई है।

शिक्षित बेरोजगारों (मध्य स्तर तथा ऊपर के) की संख्या 1993-94 में 5 मिलियन थी। यद्यपि, इसके अतिरिक्त, करीब 30 मिलियन व्यक्ति मध्य स्तर तथा ऊपर के शिक्षास्तर के जो कि आकस्मिक रूप से काम में लगे हुए थे तथा नियमित मजदूरी/स्वरोजगार का विकल्प नहीं था। इसको विस्तृत समूह के लक्ष्य के रूप में स्वरोजगार कार्यक्रमों जैसे प्र.के.रो.यो. में लिया जा सकता है। बेरोजगारी/अल्प रोजगारी का विस्तार दोनों ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवकों, नौ जवानों के बीच अधिक तीव्र था।

3.2 शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम

शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार लाने के लिए चार योजनाएं नामतः नेहरू रोजगार योजना (ने.रो.यो.) प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (प्र.मं.ए.श.ग.ए.का.) स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (स्व.ज.श.रा.यो.) तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्र.मं.रो.यो.) को प्रारम्भ किया गया। इन स्कीमों का मुख्य विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

| योजना | प्रचालन की अवधि | निधियन की पद्धति तथा स्वरूप | घटक/उद्देश्य/लक्षित समूह |
|---|--|---|---|
| नेहरू रोजगार योजना | अक्टूबर 1989 से आरम्भ की गई, दिसम्बर 1997 में स्व.ज.श.रो.यो. में विलिन हो गई | केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, 60:40 के अनुपात में क्रमशः भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा | शहरी माइक्रो उद्यम लगाने की स्कीम (श.मा.उ.स्की.), शहरी मजदूरी रोजगार (श.म.रो.), आवास तथा शैल्टर अपग्रेडेशन के माध्यम से रोजगार (आ.शै.अ.मा.रो.) शहरी गरीबों जिनके परिवारों की वार्षिक आय 11850 रु. से कम हो |
| प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (प्र.मं.ए.श. ग.उ.का.) | नवम्बर 1995 से दिसंबर 1997 में स्व.ज.रो.यो. में विलिन हो गई | केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (शेयरिंग पद्धति में विभिन्न घटकों के कारण अन्तर आता है) | माइक्रो उद्यम लगाने के माध्यम से स्वरोजगार का सृजन तथा कौशल का विकास, शहरी गरीब, शहरी गरीबी रेखा से नीचे 11850 रु. से कम आय वाले परिवारों के पर्यावरण में सुधार हेतु स्लम में बुनियादी प्रत्यक्ष सुविधाओं तथा शैल्टरों के अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
| स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (स्व.ज.श.रो.यो.) | दिसम्बर 1997 से पहले की ने.रो.यो., यू.बी.एस.पी, प्र.मं.ए.श.ग.उ.का.स्व.ज.श.रो.या. में | केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 75:25 के अनुपात में क्रमशः भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निधियन | अतिलघु उद्यम के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करना शहरी बेरोजगारों/अल्प रोजगारों में कोशल विकसित करना, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास (रा.क्षे.म.ब.वि.) के लिए समूह में स्व:रोजगार उद्यम लगाने के व्यक्तिगत प्रयासों के स्थान पर शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (श.म.रो.का.) के अंतर्गत सामाजिक तथा आर्थिक रूप की लोक परिसम्पत्तियों का निर्माण तथा इनपुट्स को शहरी स्थानीय निकायों तथा समुदाय केन्द्रों को प्रदान करना। |
| प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्र.मं.रो.यो.) | 2 अक्टूबर 1993 से प्रारम्भ की गई। | पूँजीगत आर्थिक सहायता तथा सहायता अनुदान के रूप में 100 प्रतिशत केन्द्रीय निधियन | 8वीं कक्षा तक की योग्यता रखने वाले या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षित सभी शिक्षित युवकों उद्योग सेवाओं तथा व्यापार के माध्यम से स्व:रोजगार प्रदान करवाना। |


3.3 संगठनात्मक ढांचा

शहरी विकास मंत्रालय योजना तैयार करने, निधियां जारी करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन करने परियेक्षण के लिए उत्तरदायी है

शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय योजना बनाना, निधियों को जारी करना तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानीटरींग के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकारों का अनिवार्य कार्य सौंपे गए सेक्टरल इनपुट्स की पहचान, चिन्हीत तथा समन्वय करना तथा प्रत्यक्ष लक्ष्य स्व.ज.श.रो.यो. की दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने का निर्णय भी उन्हें करना होता है।

स्व.ज.श.रा.यो. राज्य स्तर पर कार्यक्रम की मानीटरींग राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (रा.श.वि.प्रा.) द्वारा होती है। रा.श.वि.प्रा. कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला विकास एजेंसी जिसके लिए शहरी स्थानीय निकायों का सम्मिलित होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य स्तर सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन कार्यक्रम समन्वय, कार्यान्वयन तथा मानीटरींग के लिए जिम्मेवार होता है इस संबंध में यू.ई.जी.पी. का कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन का कार्य शहरी विकास तथा गरीबी निवारण मंत्रालय की समग्र जिम्मेवारी होती है।

अन्य उत्तरदायी एजेंसियों तथा शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-



प्र.मं.रो.यो.स्कीम का प्रत्येक राज्य/सं.शा.क्षे. में संचालन

जिला उद्योग केंद्रों (जि.उ.के.) द्वारा जिला स्तर पर किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई महानगरों में जहाँ जिला उद्योग केंद्र नहीं हैं, लघु उद्योग सेवा संस्थान (ल.उ.से.सं.) का राज्य उद्योग आयुक्त के सहयोग स्कीम का संचालन करता है। टास्क फोर्स जि.उ.के. तथा ल.उ.से.सं. महानगर शहरों के मामले में लाभार्थियों के आवेदनों की जांच कर के बैंक को ऋण प्रदान करने की सिफारिश करता है। राज्यवार कार्यान्वयन एजेंसियों का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन का समग्र उत्तरदायित्व उद्योग मंत्रालय, ल.उ. और क.तथा ग्रा.उ. विभाग का होता है।

3.4 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

3.4.1. स्व.ज.श.रो.यो.: भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1994 की संख्या 2 के पैराग्राफ 8.1 में नेहरू रोजगार योजना की समीक्षा की गई थी जिसमें निम्नलिखित मुख्य कमियाँ देखी गईं:

- बहुत राज्यों में शहरी गन्दी बस्तियों तथा निवास स्थानों के लक्ष्यों के सर्वेक्षण त्रुटिपूर्ण थे, महिलाओं तथा अ.जा./अ.ज.जा. के लिए उद्दिष्ट प्रतिशतता प्राप्त नहीं की।
- सामाजिक तथा आर्थिक लाभदायक परिसम्पत्तियों के सृजन की धारणा कार्यान्वित नहीं की गई
- आवास तथा आश्रय गृहों के उन्नयन के लिए निधियों को जारी करने में विलम्ब हुआ।
- जारी की गई निधियों का यूनिट ट्रस्ट, इन्डिया विकास पत्र इत्यादि की जमाओं में निवेश किया गया
- राज्य स्तर पर परीवीक्षण समितियों/कक्षों की स्थापना नहीं की गई थी
- कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा नमूना जांच द्वारा की गई थी

3.4.2 1995-2000 के दौरान स्व.ज.श.रो.यो. तथा प्र.मं.रो.यो. के कार्यक्रमों की जून 2000 से अक्टूबर 2000 के दौरान 25 राज्यों तथा तीन संघ शासित क्षेत्रों में संबधित मंत्रालयों और कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रलेखों की नमूना जांच द्वारा समीक्षा की गई थी।

समीक्षा का लक्ष्य यू ई जी पी तथा प्र.मं.रो.यो. के विभिन्न संघटकों की प्रभावकारिता की जांच करना था।

उनसे प्रकट हुई टिप्पणियाँ अनुवर्ती पेशाग्राफों में दी गई हैं। लाभभोगियों को प्रदान किए गए रोजगार के विस्तार और उपयुक्तता तथा शहरी बेरोजगारी पर कार्यक्रम के समग्र प्रभाव के मूल्यांकन सहित समीक्षा का लक्ष्य कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों की प्रभावकारिता की जांच करना था।

लाभभोगियों की पहचान करने में हुई प्रगति के अतिरिक्त, परिवार कार्डों के पंजीकरण को जारी करना, सम्पदाओं के सृजन, परिवीक्षण की प्रभावकारिता आदि अन्य क्षेत्रों की भी जांच की गई थी।

3.4.3 पृष्ठभूमि

गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार प्रजनन, ने.रो.यो, पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी. और यू.बी.एस.पी. के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करने तथा बुद्धि संगत व्याख्या करने के लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (स्व.ज.श.रो.यो.) 1 दिसम्बर 1997 से आरम्भ की गई थी।

इस एकमात्र कार्यक्रम के अन्तर्गत ने.रो.यो. तथा पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी. के स्व:रोजगार और वेतन रोजगार संघटकों का पुनर्गठन किया गया था। ने.रो.यो. तथा पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी. दोनों के आश्रय गृह उन्नयन संघटकों को राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के साथ विलीन कर दिया गया था स्व.ज.श.रो.यो. पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियां भाग क में दी गई हैं।

प्र.मं.रो.यो.: योजना 2 अक्टूबर 1993 को आरम्भ हुई थी। प्रारम्भिक रूप से 1993-94 के वर्ष में योजना में समस्त शहरी क्षेत्र शामिल थे तथा बाद में उद्योग, सेवाओं तथा व्यापार में स्व:रोजगार जोखिम उठाकर 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के शिक्षित जवानों में बेरोजगारी कम करने के लिए 1994-95 से देश के समस्त क्षेत्रों में विस्तार किया गया। योजना पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियां भाग ख में शामिल हैं।

भाग क

शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

3.5 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (स्व.ज.श.रो.यो.)

स्व.ज.श.रो.यो. का उद्देश्य गरीब शहरी बेरोजगार या अल्प रोजगार को स्व:रोजगार के अवसर प्रदान करके या वेतन रोजगार की व्यवस्था करके लाभकर रोजगार प्रदान किए जाने का पता लगाना था। कार्यक्रम यू.बी.एस.पी अर्थात् स्थानीय निकाय तथा सदृश समाज संस्थागत ढांचे के पैटर्न पर उचित समाज ढांचे के सृजन पर विश्वास रखना है।

3.5.1 लेखा परीक्षा टिप्पणियां

3.5.2 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

ने.रो.यो., यू बी एस पी और पी एम आई यू पी ई पी के अंतर्गत 30 नवम्बर 1997 तक किए गए व्यय तथा केन्द्रीय अंश और राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अंश का कुल निर्गम निम्नलिखित था:

(करोड़ रुपये में)

| योजना का नाम | वर्ष | जारी की गई निधियां | | | केन्द्रीय तथा राज्य सहायता के प्रति व्यय | 30.11.1997 को केन्द्रीय राज्य सहायता के प्रति अव्ययित शेष |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------|---------|--|---|
| | | केन्द्रीय | राज्य | कुल | | |
| ने.रो.यो. यू बी एस पी पी एम आई यू पी ई पी | 1989-90 से 1997-98 तक (30.11.97 तक) | 1059.48 | 510.79 | 1570.27 | 1008.38 | 561.89 |
| जोड़ | | 1059.48 | 510.79 | 1570.27 | *1008.38 | 561.89 |

* कुल जारी की गई निधियों में से अव्ययित शेषों को घटाने के पश्चात् व्यय के आंकड़े लिए गए हैं क्योंकि मन्त्रालय ने व्यय के आंकड़े प्रदान नहीं किए/प्रदान नहीं कर सका।

पुरानी योजनाओं (ने.रो.यो., यू बी एस पी तथा पी एम आई यू पी ई पी) से संबंधित 561.89 करोड़ रु. का अव्ययित शेष को दिसम्बर 1993 से स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत अथ शेष के रूप में मान लिया गया था। स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य के अंश के निर्गम तथा व्यय का विवरण नीचे दिया गया है।

ने.रो.यो. यू बी एस पी, पी एम आई यू पी ई के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्यों की 1570.27 करोड़ रु. की सहायता के प्रति व्यय 1008.38 करोड़ रु. बनता है

(करोड़ रूपए मे)

| स्व.ज.श.रो.यो | वर्ष | अथ शेष | केन्द्रीय निर्गम 1.12.97 से 31.3.2000 तक | राज्य निर्गम 1.12.97 से 31.3.2000 तक | कुल निर्गम | व्यय | अन्त शेष |
|---------------|-----------|--------|--|--|------------|--------|----------|
| | 1997-98 | 561.89 | 98.63 | 31.98 | 130.61 | 19.72 | 672.78 |
| | 1998-99 | 672.78 | 158.47 | 42.69 | 201.16 | 116.14 | 575.80 |
| | 1999-2000 | 757.80 | 118.77 | 19.08 | 137.85 | 249.67 | 645.98 |
| | | जोड़ | 375.87 | 93.75 | 469.62 | 385.53 | 645.98 |

स्व.ज.श.रो.यो. के अन्तर्गत दिसम्बर 1997 से मार्च 2000 की अवधि के दौरान उपलब्ध 1031.51 करोड़ रु. की कुल निधि में से वास्तविक व्यय केवल 385.53 करोड़ रु. था। यह कुल निर्गम का 37.38 प्रतिशत बनता है। सूचित किए गए व्यय के आंकड़ों ने सही तस्वीर पेश नहीं की जैसा कि अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है।

3.6 नें.रो.यो.,यू बी एस पी तथा पी एम आई यू पी ई पी के लेखाओं का संवरण न किया जाना

अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की पहले की योजनाओं के लेखाओं का संवरण नहीं किया गया

चूंकि तीन योजनाओं अर्थात् ने.रो.यो, यू बी एस पी तथा पी एम आई यू पी ई पी के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सहायता के अंश के अव्ययित शेषों को 1 दिसम्बर 1993 से स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत अथ शेषों के रूप में मान लिया गया था, सही आंकड़े लाने के लिए लेखाओं के शीघ्रता से संवरण करने को सुनिश्चित करना राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए अनिवार्य था। तथापि 28.2.2001 को 13 राज्यों ने केवल एक योजना के लेखाओं का संवरण किया था परन्तु अन्य दो योजनाओं के लेखाओं का संवरण नहीं किया था, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दमन तथा दीव, दिल्ली, बिहार ने समस्त तीनों योजनाओं के किसी भी लेखे का संवरण नहीं किया था। इस प्रकार 30.11.1997 को 561.89 करोड़ रु. के अव्ययित शेष की विशुद्धता प्रमाणित नहीं है।

3.7 स्व.ज.श.रा.यो. के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों को अविवेकपूर्ण रूप से जारी की गई राशि के कारण 645.98 करोड़ रु. के अव्ययित शेष हो गए

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई 375.87 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता तर्ग संगत नहीं थी क्योंकि व्यय करने के लिए उपलब्ध शेष पर्याप्त था

स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत 561.89 करोड़ रु. के अथ शेष के अतिरिक्त 375.87 करोड़ रु. की और केन्द्रीय सहायता थी, दिसम्बर 1997 और मार्च 2000 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने 93.75 करोड़ रु. की राशि जारी की। अतः इस अवधि के दौरान जबकि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पास 1031.51 करोड़ रु. की कुल निधियां

उपलब्ध थी, कार्यक्रम पर किया गया व्यय केवल 385.53 करोड़ (37.38 प्रतिशत) रू. था। हालांकि 1.12.1997 से स्व.ज.श.रो.यो. के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पास 561.89 करोड़ रू. की अनुपयोजित निधियां अथ शेष के रूप में उपलब्ध थी, कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा जारी की गई अतिरिक्त राशि व्यय की प्रगति के साथ सहसंबंधित नहीं थी। इसके कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पास अव्ययित शेषों में वृद्धि हुई जो 1999-2000 के अन्त में 645.98 करोड़ रू. थे।

मंत्रालय ने निम्न आधार पर 1997-2000 के दौरान अव्ययित शेषों के अतिरिक्त और अधिक निधियां जारी करने को उचित ठहराया है

- स्व.ज.श.रो.यो. दिसम्बर 1997 में आरम्भ की गई थी तथा अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी तथा निधियां 1997-99 के दौरान जारी की गई थी। 1999-2000 के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई निधियां उनके द्वारा सूचित निष्पादन पर आधारित थीं
- स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत पुरानी योजनाओं की तुलना में बहुत अधिक सम्भावित लाभभोगियों की आशा की जाती थी
- स्व.ज.श.रो.यो. समस्त शहरी समूहों/कस्बों में सम्पूर्ण कस्बे के आधार पर कार्यान्वित की जा रही थी जबकि पुरानी योजनाओं का कार्यान्वयन सारे देश में नहीं किया जा रहा था।

मंत्रालय का दावा स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पास पुरानी योजनाओं का अव्ययित शेष पहले से ही पड़ा हुआ था। यह सुनिश्चित करनेके लिए कोई क्रियाविधि तैयार नहीं की गई थी कि राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों ने केवल उन्हीं यू.एल.बी को निधियां जारी की थी जिनके पास पुरानी योजनाओं का अव्ययित शेष या तो बिल्कुल नहीं था या बहुत थोड़ा था। यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया था कि संबंधित राज्यों के प्रत्येक कस्बे में बी.पी.एल. सर्वेक्षण कर लिया गया था। संक्षेप में, निधियन की व्यवस्था प्रत्याशित उपलब्धियों सहित बिना किसी योजना तथा समन्वय के की गई थी।

3.8 नेहरू रोजगार योजना के आ.आ.उ.यो घटक के अन्तर्गत हुडको को अनभिप्रेत वित्तीय सहायता

हुडको को केन्द्रीय आर्थिक सहायता के अधिक निगम ने अनुचित लाभ प्रदान किये

नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत आवास तथा आश्रय उन्नयन योजना (आ.आ.उ.यो.) की तत्कालीन योजना ने शहरी जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास तथा आश्रय उन्नयन तथा प्रशिक्षण एवं अवसंरचना (प्र.अ.) सहायता के माध्यम से मजदूरी रोजगार निर्माण कौशल के उन्नयन के लिए भी अवसर प्रदान किये। योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हुडको के माध्यम से प्रदान की गई थी।

1 दिसम्बर 1997 से योजना राष्ट्रीय स्लम विकास योजना के साथ विलीन हो गई थी। 1989-90 से 1995-96 के दौरान हुडको को 117.17 करोड़ रु. (90.58 करोड़ रु. आ.आ.उ.यो आर्थिक सहायता के रूप में तथा 26.59 करोड़ रु. आ.आ.उ.यो प्र.अ. के रूप में) जारी किये गये थे। इसमें से 57.11 करोड़ रु. (48.77 करोड़ रु.आ.आ.उ.यो आर्थिक सहायता के रूप में तथा 8.34 करोड़ रु. आ.आ.उ.यो.प्रशिक्षण के रूप में) 31 मार्च 2000 को अप्रयुक्त रहे। केन्द्रीय निधि के प्रति खर्च की गई कुल राशि केवल 60.06 करोड़ रु. (41.81 करोड़ रु. आ.आ.उ.यो. आर्थिक सहायता के रूप में तथा 18.25 करोड़ रु. आ.आ.उ.यो. प्र.अ. के रूप में) खर्च किए गए थे। 1989-90 से 1999-2000 के दौरान हुडको द्वारा असंवितरित आ.आ.उ.यो पर 28.42 करोड़ रु. का ब्याज अर्जित किया गया था।

चूंकि मार्च 1991 को हुडको के पास केन्द्रीय आर्थिक सहायता के रूप में 46.38 करोड़ रु. का अव्ययित शेष उपलब्ध था तथा 1990-91 से 1999-2000 के दौरान लाभभोगियों को केवल 41.81 करोड़ रु. जारी किये गये थे इसलिए 1991-92 से 1994-95 के दौरान हुडको को 41.73 करोड़ रु. की बाद की किश्ते जारी करने का कोई तर्क नहीं था। इसलिए हुडको को केन्द्रीय सहायता के अधिक निर्गम ने उन्हें अनुचित लाभ प्रदान किया।

1989-90 से 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय निधियों (57.11 करोड़ रु.) के प्रति अर्जित ब्याज सहित (28.42 करोड़ रु.) की राशि अनुपयोजित रही। इसमें से हुडको ने सरकार को दो किश्तों (12 मई 1999 को 46 करोड़ रु. तथा 28 जून 2000 को 2.81 करोड़ रु.) 48.81 करोड़ रु. वापस किये। अक्टूबर 2000 को उनसे 36.72 करोड़ रु. की वसूली बकाया थी।

मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि आ.आ.उ.यो (प्र.अ.) तथा आ.आ.उ.यो पर ब्याज (आर्थिक सहायता) तथा आ.आ.उ.यो (प्र.अ.) के क्रमशः 8.65 करोड़ रु., 23.94 करोड़ रु. तथा 5.38 करोड़ रु. को शामिल करते हुए 37.97 करोड़ रु. हुडको से वसूली योग्य थे।

3.9 स्व.ज.श.रो.यो. के कार्यान्वयन में राज्यों/स.रा.क्षे द्वारा अनुरूपयोजी अंशदान में कमी

राज्यों/स.रा.क्षे.
द्वारा अनुरूपयोजी
अंशदान में
31.54 करोड़
रु. की कमी

स्व.ज.श.रो.यो. योजना केन्द्र तथा राज्यों/स.रा.क्षे. के बीच 75:25 में निधिबद्ध की जानी थी। 1.12.1997 से 31.3.2000 तक 375.87 करोड़ रु. की कुल केन्द्रीय सहायता के प्रति राज्यों/स.रा.क्षे. द्वारा 93.75 करोड़ रु. (18.71 प्रतिशत) का निर्गम था। जबकि उपर्युक्त अवधि के दौरान भारत सरकार ने केन्द्रीय हिस्से के रूप में 12.50 करोड़ रु. जारी किये थे, मणिपुर, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा तथा नगरहवेली, दमन व दीव तथा दिल्ली के राज्यों/स.रा.क्षे ने किसी राशि का अंशदान नहीं किया। इस प्रकार राज्यों/सं.रा.क्षे द्वारा अनुरूपयोजी अंशदान के निर्गम में 31.54 करोड़

रू. (6.29 प्रतिशत) की कमी थी। कमी का कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा।

मंत्रालय ने मार्च तथा मई 2001 में बताया कि राज्यों द्वारा दिसम्बर 2000 तक प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार बहुत से राज्यों ने अधिक राज्य हिस्सा जारी किया था तथा 1.12.97 से 28.2.2001 तक जारी किया गया राज्य हिस्सा 143.51 करोड़ रू. था तथा राज्य हिस्से में कोई कमी नहीं थी। इसमें भ्रांति यह है कि इसने मार्च 2000 तक जारी किये गए केन्द्रीय अंशदान के प्रति फरवरी 2001 तक जारी किये गए राज्य हिस्से को लेख में लिया। इसके अतिरिक्त मंत्रालय का दावा सही नहीं था क्योंकि आंध्र प्रदेश, मणिपुर,आसाम,बिहार, गोवा, ज.व.क., मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा एवंनगर हवेली दमन एवं दीव एवं दिल्ली राज्य/स.रा.क्षे. अपना अनुरूपयोजी हिस्सा देने में अभी भी चूक रहे थे। मंत्रालय ने बताया कि चूककर्ता राज्य सरकारों से उपयुक्त स्तर पर सम्पर्क किया जा रहा था।

3.10 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

जब राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों अथवा प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से व्यय करने के लिए केन्द्रीय अनुदान दिये जाते हैं तो राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की सामान्य वित्तीय नियमावली में व्यवस्था की गई है। दिसम्बर 1997 से मार्च 2000 के दौरान स्व.ज.श.रो.यो के अंतर्गत 1031.51 करोड़ रू. की निधियों के कुल केन्द्रीय तथा राज्य हिस्से में से राज्यों/सं.रा.क्षे. द्वारा कुल 385.53 करोड़ रू. का व्यय सूचित किया गया था। तथापि सितम्बर 2000 तक मंत्रालय में केवल 236.98 करोड़ रू. के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुये थे। उपयोग प्रमाण पत्रों का प्रस्तुत न करना एक पुरानी चिरस्थायी समस्या है जिसके लिए केंद्र सरकार के पास कोई प्रभावी उपाय नहीं थे। इसके न होने से उत्तरदायित्व की कमी दर्शाने के साथ दुर्विनियोजन/निधियों के गैर-उपयोग की सम्भावना रहती है।

1031.51 करोड़ रू.
की कुल निधियों में से
राज्यों/स.रा.क्षे. द्वारा
236.98 करोड़ रू. के
उपयोग प्रमाण पत्र
प्राप्त हुए थे

28.2.2001 को स्व.ज.श.रो.यो के अंतर्गत लम्बित उपयोग प्रमाण पत्रों की राज्यवार स्थिति प्रस्तुत करते समय मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि राज्यों/स.रा.क्षे. द्वारा कुल 450.80 करोड़ रू. के सूचित किये गए व्यय के प्रति राज्य सरकारों के पास 76.82 करोड़ रू. से उ.प्र. लम्बित छोड़ते हुए 373.98 करोड़ रू. के उपयोग प्रमाण प्राप्त हो गये थे। तथापि यह देखा गया कि केन्द्रीय अंश व्यय के वर्षवार आंकड़े जैसे कि राज्य सरकार द्वारा प्रगति रिपोर्ट में दर्शाये गये थे कुछ मामलों में उपयोग प्रमाण पत्रों की राशि से कम थे जबकि समग्र आंकड़े उपयोग प्रमाण पत्र की राशि के बराबर अथवा कम थे, मंत्रालय ने बताया कि उपयुक्त त्रुटि को राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा था।

3.11 कार्यान्वयन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभभोगी प्रामाणिक थे न तो अभिज्ञान की निर्धारित प्रणाली और न ही अन्य प्रणाली गठित की गई थी अथवा निर्धारण किया गया था।

3.11.1 स्व.ज.श.रो.यो. के लिए दिशानिदेश प्रामाणिक

अधिकतर राज्यों में प्रामाणिक लाभभोगियों के अभिज्ञान की प्रणाली संगठित नहीं की गई थी

अन्य बातों के साथ साथ लाभभोगियों के अभिज्ञान के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण की व्यवस्था करता है। शहरी गरीबों की पहचान के लिए शहरी गरीबी रेखा की आर्थिक कसौटी के अतिरिक्त गैर आर्थिक कसौटी का भी उपयोग किया जाता है। इस मामले में नगर शहरी गरीबी उन्मूलन कक्ष (न.श.ग.उ.क.)/ शहरी स्थानीय निकायों (स.स्था.नि.) के नेतृत्व में सामुदायिक अवसंरचनाओं से सा.नि.अ. (सामुदायिक विकास संरचना को भी शामिल किया जाना था। प्रचालन की सुविधा के लिए लाभभोगियों की पहचान के लिए घर-घर सर्वेक्षण का कार्य श.स्थानि./सामुदायिक स्तर पर किसी स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य नोडल अभिकरण द्वारा किया जा सकता था। राज्य/सं.रा.क्षे. जहाँ ग.रे.नी सर्वेक्षण नहीं किया गया था का विवरण नीचे दिया गया है

| क्र.सं. | राज्य का नाम | सा.नि.सं. के अन्तर्गत नगरों की संख्या | रा.ग.उ. सैल के अन्तर्गत नगरों की संख्या जहां सैल स्थापित | गठित सा.वि.सं. की संख्या | नगरों की संख्या ग.रे.नी. किये गए सर्वेक्षण |
|---------|----------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 17 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | असम | 79 | 19 | 22 | 35 |
| 3. | बिहार | 170 | 20 | 50 | 12 |
| 4. | चण्डीगढ़ | 1 | 1 | शून्य | शून्य |
| 5. | दा एवं न हवेली | 1 | शून्य | 1 | शून्य |
| 6. | गोवा | 14 | शून्य | 14 | 10 |
| 7. | गुजरात | 149 | 1 | 186 | 138 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 70 | शून्य | शून्य | 25 |
| 9. | मणिपुर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 10. | मेघालय | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 11. | मिजोरम | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 12. | नागालैंड | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 13. | पांडिचेरी | 5 | 3 | 6 | शून्य |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 122 | 107 | 225 | 108 |

तालिका दर्शाती है कि कुछ राज्यों ने नगर श.ग.उ. सैलों की स्थापना नहीं की अथवा सर्वेक्षण नहीं किया। जबकि कुछ राज्यों में नगर श.ग.उ. सैलों का गठन हो गया था वे

कार्यात्मक नहीं थे। सम्बद्ध राज्यों के प्रत्येक नगर में ग.रे.नी. सर्वेक्षण का अभाव लाभभोगियों के उपयुक्त अभिज्ञान की कमी को दर्शाता है। परिणामतः अभिप्रेत लाभभोगियों को दिये गये लाभ संदेहास्पद थे।

मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि अरुणाचल प्रदेश, तथा दादरा एवं नगरहवेली को छोड़कर ग.रे.नी. सर्वेक्षण सभी राज्यों में किया गया था। तथापि मंत्रालय ने कार्यक्रम के अन्तर्गत आवृत्त नगरों की संख्या तथा नगरों की संख्या जहां पर ग.रे.नी. सर्वेक्षण किया गया था कि राज्यवार स्थिति का संकेत नहीं दिया क्योंकि योजना सारे देश में सभी शहरी समूहों/शहरों में लागू की जा रही थी प्रामाणिक सम्भावित लाभभोगियों के अभिज्ञान की मात्रा निर्धारित करने के लिए विशेष विवरणों की आवश्यकता है।

3.11.2 मस्टर रोलों का अनुपयुक्त अनुरक्षण

चूंकि स्व.ज.श.रो.यो. अनिवार्य रूप से मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, मस्टर रोलों का अनुरक्षण अनिवार्य है

मस्टर रोलों के उपयुक्त अनुरक्षण के अभाव में रोजगार पर सूचित की गई सूचना प्रामाणिक नहीं थी

मस्टर रोल नहीं बनाए गए थे तथा जहां पर बनाए गए थे गलत ढंग से रखे गये थे। इसके अतिरिक्त नागालैंड, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब में अनुमोदित कार्यों के निष्पादन, अपात्र लाभभोगियों को भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

3.11.3 रोजगार चाहने वालों के लिए पंजीकरण प्रणाली का अभाव तथा परिवार कार्ड जारी न करना

राज्यों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1995-2000 के अपंजीकृत मजदूरों को 2.75 करोड़ रु. (उड़ीसा 23.01 लाख रु., पंजाब 36.09 लाख रु., सिक्किम 17.26 लाख रु. तथा उत्तर प्रदेश 199.00 लाख रु.) का भुगतान किया गया था। अपंजीकृत मजदूरों को लगाने के कारण वास्तविक लाभभोगी रोजगार से वंचित रह गये। परिवार कार्ड के शहरी गरीबों को रोजगार दिया जा सकता है। नमूना जांच से पता चला कि असम, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम में अधिकांश व्यक्तियों को परिवार कार्ड जारी नहीं किये गये थे। इस प्रकार इन सभी राज्यों में पात्र लाभभोगियों को रोजगार की व्यवस्था की मात्राकी सत्यता को सिद्ध नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि पंजाब की राज्य सरकार ने उत्तर दिया था कि श.स्था.नि के साथ बेरोजगार मजदूरों का पहले से पंजीकरण करना व्यवहार्य नहीं होगा क्योंकि श.स्था.नि. के पास किसी भी समय कार्य बल आसानी से उपलब्ध नहीं था। श.स्था.नि. को स्थानीय ग.रे.नी. मजदूरों को रोजगार दे कर नया सामग्री मजदूर अनुपात कठोरता से बना कर मस्टर रोल के माध्यम से कार्य करवाने के लिए श.स्था.नि. को उपयुक्त निदेश दे दिये गये हैं। मंत्रालय ने आगे बताया कि सिक्किम राज्य सरकार ने

2001 की रिपोर्ट सं.3 (सिविल)

उत्तर दिया है कि रोजगार चाहने वालों तथा परिवार कार्ड जारी करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। क्योंकि कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के भीतर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभभोगियों को मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करने का प्रयत्न करना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामाणिम लाभभागी को रोजगार से वंचित न रह गये थे, मंत्रालय के लिए मैकानिज्म का गठन करना बहुत आवश्यक था सिक्किम में योजना के उल्लंघन में 21 ग्रामीण क्षेत्रों में अपंजीकृत मजदूरों को 17.26 लाख रू. का भुगतान किया गया था। इस प्रकार प्रामाणिक लाभभोगी रोजगार से वंचित रह गये और योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

3.11.4 रोजगार उत्पादन का मैकेनिकल निर्धारण

परियोजना उत्पादन के आंकड़े प्रचलित न्यूनतम मजदूरी घटक के साथ मजदूरी घटक पर व्यय मैकेनिकली रूप से विभाजित करके निकाला गया था जिससे यह अवास्तविक हो गया

रोजगार उत्पादन सूचित करने की प्रणाली असन्तोषजनक थी। सूचित किये गये रोजगार उत्पादन के आंकड़े अविश्वसनीय थे क्योंकि या ता ये मस्टर रोलों के संकलित अभिलेखों पर आधारित नहीं थे अथवा ये प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के साथ मजदूरी घटक पर व्यय विभाजित करके मैकेनिकल ढंग से बनाए गए थे। आंध्र प्रदेश, आसाम हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पांडिचेरी में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि दिसम्बर 1997 से मार्च 2000 तक स्व.ज.श.रो.यो. में वास्तव में उत्पादित रोजगार के दिवस 223.28 लाख तथा 31.11.97 तक ज.रो.यो के संबंध में 487.71 लाख दिखाये गये हैं। तथापि वास्तव में उत्पादित किये गए मानव दिवसों की संख्या का समेकित तथा संकलित डाटाबेस किसी भी स्तर पर उपलब्ध नहीं था। इसलिए उत्पादित मानवदिवसों की संख्या तथा लाभान्वित लाभभोगियों की संख्या परिकल्पना है। तथापि, इन सैद्धांतिक अनुमानित रोजगार उत्पादन आंकड़ों पर भी कुल उत्पादित रोजगार कुल मांग का 1 प्रतिशत भी नहीं बनता है।

मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया की उत्पादित कार्य के मानवदिवसों की संख्या की गणना राज्य में मजदूरी की प्रचलित दर को मजदूर घटक पर विभाजित करके किये गये व्यय पर परिकलित की गई थी। शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों के लिए सामग्री मजदूर अनुपात 60:40 था। वे यह नहीं परख सके की वास्तविक रोजगार उत्पादन का निर्धारण केवल मस्टर रोलों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता था जिन्हें दिशा निर्देशों के आधार पर अनुरक्षित करना अपेक्षित है। रोजगार साधारण 60:40 के किताबी अनुपात से मापा नहीं जा सकता।

3.11.5 महिलाओं का रोजगार

नमूना जांच किये गए क्षेत्रों में विचार की गई प्रतिशततासे महिलाओं का रोजगार बहुत कम था

कार्यक्रम में 30 प्रतिशत रोजगार सुविधाएं महिलाओं को देने पर विचार किया गया था। लेखापरीक्षा से पता चला कि उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा पंजाब तथा मेघालय में महिला मजदूरों को

उपलब्ध करवाया गया रोजगार 2.44 प्रतिशत से 27.6 प्रतिशत था। यह असम में 25 प्रतिशत, जम्मू व काश्मीर में 4 से 12 प्रतिशत, उड़ीसा में 18.69 प्रतिशत से 31.45 प्रतिशत, पंजाब में 3.46 प्रतिशत, राजस्थान में 2.44 प्रतिशत से 27.6 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 6.90 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में 20 से 22 प्रतिशत था। यह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में शून्य प्रतिशत था, महिला लाभभोगियों की कवरेज प्रतिशतता सत्यापन की ग्रहणशील नहीं थी।

3.11.6 ठेकेदारों को अनुबंधित करना

दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभदायक सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण का कार्य विभागीय रूप से करवाया जाए ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लाभभोगियों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके तथा ठेकेदारों पर व्यय अथवा विचौलियों को छूट से बचा जा सके तथा अभिलेखों की जांच के दौरान यह पता चला कि नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, पांडिचेरी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में 7.03 करोड़ रु. की लागत के कार्य ठेकेदारों के माध्यम से करवाये गये थे।

7.03 करोड़ रु. मूल्य के कार्य प्राइवेट अधिकरणों के माध्यम से करवाये गये थे।

ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों के निष्पादन के उदाहरण उड़ीसा, 2.38 करोड़ रु., नागालैंड 1.42 करोड़ रु., हिमाचल प्रदेश 0.54 करोड़ रु., पंजाब 0.47 करोड़ रु., उत्तर प्रदेश, 0.45 करोड़ रु., आसाम 0.68 करोड़ रु. देखे गये थे जैसा कि अनुबंध 2 में दर्शाया गया है।

3.17.7 व्यय की बढ़ा कर दिखाई गई रिपोर्ट

राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1995-2000 के दौरान श.स्थ.नि. द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए निष्पादन एजेंसियां तथा अन्य कर्मचारियों को अग्रिम दिये गये थे। ऐसे अग्रिमों को व्यय के तुरन्त बाद समायोजित किया जाना था। तथापि, यह देखा गया कि 17.29 करोड़ रु. के अग्रिमों को अंतिम व्यय के रूप में बुक किया गया था सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जबकि अव्ययित व्यय अप्राधिकृत खातों में रखे गये थे और निधियों के लिए केन्द्र सरकार से मांग की गई थी। मंत्रालय ने भी बिना स्वतंत्र सत्यापन किये राज्यों द्वारा सूचित उत्पादित रोजगार के आंकड़ों को स्वीकार कर लिया जैसा कि अनुबंध 3 में दर्शाया गया है।

3.11.8 प्रत्यक्ष तथा वित्तीय निष्पादन

हाशिम समिति की सिफारिशों के आधार पर स्व.ज.श.रो.यो. 1.12.1999 से आरम्भ की गई थी तथा ने.रो.यो., पी.एम.आई यू.पी.ई.पी. तथा यू.बी.एस.पी. बन्द कर दी गई थी। नौवीं योजना के दौरान स्व.ज.श.रो.यो. के निष्पादन ने दर्शाया कि चौदह राज्यों,

9वीं योजना के दौरान स्व.ज.श.रो.यो. का चौदह राज्यों में निष्पादन संतोषजनक नहीं था

विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रगति पर्याप्त सूचित नहीं की गई थी, क्योंकि बैंक कार्यक्रम के स्वरोजगार घटक के कार्यान्वयन में पर्याप्त सहयोग नहीं दे रहे थे। कुछ मामलों में श.स्था.नि. के राज्य के हिस्से के जारी न करने के कारण योजना की प्रगति प्रभावित हुई। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों के योगदान के संबंध में मामला अगस्त 1999 में सचिव के स्तर पर (श.वि.) पर वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) तथा भा.रि.बैं. के साथ उठाया गया था, इस संबंध में की गई उपलब्धि महत्वपूर्ण नहीं थी जैसा कि **अनुबंध 4** में दर्शाया गया है।

मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि स्व.ज.श.रो.यों. के निष्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में उपयुक्त स्तरों पर उठाया गया था तथा शहरी विकास मंत्री ने 27 दिसम्बर 2000 को राज्य मंत्रियों के साथ निष्पादन पुनरीक्षक की बैठक की थी।

3.12 संसाधन प्रबंधन

3.12.1 संसाधन उपयोग में अनियमितताएं

ने.यो.यो., पी.एमआ.यू.पी.इ.पी. तथा स्व.जं.श.रो.यो., से संबंधित भारत सरकार के अनुदान विभिन्न घटकों के अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट/चैकों के रूप में प्राप्त किये जा रहे थे। विभिन्न कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए लागू राज्य हिस्से सहित ये बचत बैंक खाते में जमा करवाने अपेक्षित था।


मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधि, कार्यान्वयन में बहुत सी अडचनों तथा मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की आन्तरिक अनदेखी के कारण वास्तविक लाभभोगी तक नहीं पहुँची

1995-2000 के दौरान कार्यक्रम पर राज्यों द्वारा सूचित किये गए 1117.94 करोड़ रु. के व्यय में से लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच के लिए नमूना चयन में लगभग 355.99 करोड़ रु. आवृत्त किए गए थे। संवीक्षा से पता चला कि कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय केवल 157.71 करोड़ रु. (44.3 प्रतिशत) था। शेष निधियां अप्राधिकृत व्य.खा./बैंक खाते में जमा 50.78 करोड़ रु. अप्राधिकृत गतिविधियों को विपथित किये गये थे 21.91 करोड़ रु., मानदण्डों से अधिक व्यय 7.24 करोड़ रु. दुर्विनियोजन- 0.85 करोड़ रु. अनुमोदित कार्य 1.19 करोड़ रु., ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कार्य 7.03 करोड़ रु. छोड़ दिये तथा अधूरे कार्य: 6.02 करोड़ रु., अधिक की सूचना 17.29 करोड़ रु. अप्राधिकृत व्यय: 5.64 करोड़ रु. तथा अंतिम व्यय के रूप में माने गए व्यय/80.33 करोड़ रु रखी गई थी।

कार्यक्रम के निष्पादन की लेखा परीक्षा से पता चला कि मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा जो भी प्रावधान किया गया था, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (रा.श.वि.प्रा.)/ जिला शहरी विकास प्राधिकरण (जि.श.वि.प्रा.) द्वारा कार्यान्वयन में बहुत से विपथनों के कारण तथा मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के प्रभावी आन्तरिक देखभाल की कमी के कारण वास्तविक लाभभोगियों तक हमेशा नहीं पहुँचा था। कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता भारी रूप से किये गए व्यय पर निर्भर करती है। बहुत सी अनियमितताएं थी जिन्होंने लक्षित जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को प्रभावित किया जैसा कि **अनुबंध 5** में दर्शाया गया है।

वित्त व्युत्क्रम वृक्ष

(करोड़ रु. में)



3.12.2 निधियों का अवरोधन

मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार, शहरी स्थानिय निकायों को आर्थिक सहायता के साथ प्राप्त की गई निधियों को जमा करने के लिए बचत बैंक खाते खोलने थे। राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 99.17 करोड़ रु. निजी लेजर खातों, निजी जमा खाते, सावधि जमा अथवा मियादी जमा राजस्व जमा, हुंडी इत्यादि में रखा था, जिसमें से 50.78 करोड़ रु. मार्च 2000 तक अवरूद्ध पड़ा था। इससे वित्तीय प्रक्रिया के उल्लंघन के साथ-साथ योजना का लक्ष्य विफल हुआ (अनुबन्ध 6)।

मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि नगर निगम अबोहर तथा क्षेत्रिय निदेशक, फिरोजपुर, पंजाब सरकार की लेखे रिपोर्ट के अनुसार स्व.ज.श.रो.यो. के लेखे चालू लेखे से बचत लेखे को स्थानान्तरित किये गये थे।

3.12.3 निष्पादन एजेन्सियों को निधि जारी करने में विलंब

मध्य प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी, सिक्कम, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा गोवा, में राज्य विभागों ने 266.75 करोड़ रु. 1995-2000 के बीच 36 माह तक विलंब के साथ कार्यान्वयन एजेन्सियों को जारी किये। विलंब से जारी की गई निधियां तथा वर्ष अन्तिम भाग में जारी करने से योजना तथा निष्पादन प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ा। नागालैंड में, न.रो.यो. के विषय में केन्द्रीय अंशदान 7 वर्षों के अन्तराल के बाद जारी किया गया था (अनुबन्ध 7)।

3.12.4 कार्यान्वयन/निष्पादन एजेन्सियों को निधियों का कम जारी करना

1995-2000 के दौरान कार्यान्वयन/निष्पादन एजेन्सियों को 58 करोड़ रु. कम जारी किये थे। नागालैंड: 0.32 करोड़ रु. उड़ीसा: 1.27 करोड़ रु. जम्मू और कश्मीर: 2.57 करोड़ रु., मेघालय: 0.58 करोड़ रु., मिजोरम: 0.07 करोड़ रु., अरुणाचल प्रदेश: 0.20 करोड़ रु. उत्तर प्रदेश: 5.23 करोड़ रु., तमिलनाडु: 5.10 करोड़ रु., पांडिचेरी: 0.19 करोड़ रु. तथा गुजरात: 0.74 करोड़ रु. (अनुबन्ध 8)।

3.12.5 निधियों का विपथन

21.91 करोड़ रु. की न
से यो/ स्व श रो यो की
निधियां दूसरी
क्रियाकलापों में विपथन
की गई थी

योजना की निधियों को अन्य दूसरी योजना अथवा योजनाओं के क्रियाकलापों से जुड़े हुए उद्देश्यों की ओर विपथन नहीं करना चाहिए। नमूना जांच ने कार्यक्रम के साथ न जुड़ी क्रियाकलापों को 1995-2000 के दौरान 21.91 करोड़ रु. के विपथन को दिखाया। लेखापरीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण निधि के विपथन इस प्रकार थे:

कर्नाटक में, 1.65 करोड़ रू. नगर निगम कार्यकलापों को ओर विपथन किये थे।

त्रिपुरा में, 0.31 करोड़ रू. भूमि की खरीद, स्टेडियम के निर्माण तथा टाउन हाल के रखरखाव के लिए विपथन किये गये थे।

अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 15.42 करोड़ रू. (अनुबन्ध 9) कम्प्यूटर, गाड़ियाँ, कालीन, रंगीन टेलीविजन तथा विडियो रिकार्डर जैसी मदों की खरीद पर व्यय किये थे। कुछ मामलों में, निधियाँ स्टाफ वेतन, बोनस, भविष्य निधि तथा दफ्तरों इत्यादि की सजावट के लिए उपयोग किये गये थे। यह अनियमितताएँ मध्य प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम, उड़ीसा, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, सिक्किम, मनीपुर, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पांडीचेरी, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, मिजोरम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाई गई थी। इसके अतिरिक्त, 6.49 करोड़ रू. दूसरी योजनाओं को विपथन किये। आन्ध्र प्रदेश: 6.01 रू. मुख्य मंत्री के युवा कार्यक्रम को, 0.21 रू. लोक स्वास्थ्य मंडल को तथा मध्य प्रदेश में 0.26 करोड़ रू. एन एस डी पी को। विपथन की गई निधियों की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी तथा यू आई जी पी योजना का कार्यान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि 8.03 लाख रू. सी बी ओ के कार्यालय की सजावट तथा पी डब्लू एस एस बी को दिये गये पंचाब सरकार से सम्बन्धित 10 लाख रू. की प्रतिपूर्ति कर दी गई थी।

3.12.6 निधियों का संदिग्ध दुरुपयोग

पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा नियंत्रण की कमी तथा व्यय को नियमित करने में ढील के फलस्वरूप नागालैंड, असम तथा उड़ीसा में निधियों का संदिग्ध दुरुपयोग तथा 0.85 लाख रू. का फर्जी भुगतान हुआ। विवरण निचे दिये गये हैं

0.85 करोड़ रू.
दुरुपयोग किये
गये

नागालैंड, 12 सितम्बर 1997 में, चीफ टाउन प्लानर (ची टा प) कोहिमा ने अनाधिकृतरूप से 119.18 लाख रू. मॉग जमा (मॉ ज) के रूप में रोके रखे। 12/13 दिसम्बर 1997 को, डी डी ओ तथा कैशियर अपहरण कर लिए गये थे तथा बाद में मॉ ज से एकमुश्त 50 लाख रू. लेने के पश्चात छोड़ दिये गये थे। यदि राशि अनियमित रूप से न निकाली जाती तथा सी टी पी द्वारा अपने पास न रखी जाती तो अपहरणकर्ता विभागीय निधियों तक पहुँच नहीं सकते थे। विभाग को नई कैश बुक खोलते हुए अर्धशेष को 50 लाख रू. तक कैशबुक में घटाने का परामर्श दिया गया था। विभाग ने मई 2000 में बताया कि अन्डरग्राउंड से बचने के लिए राशि को सरकारी खाते से बाहर रखा गया जो धन की मांग कर रहे थे।

असम: न.रो.यो. दिसम्बर 1997 में समाप्त कर दी गई थी तथा स्व.ज.श.रो.यो. के साथ मिला दी गई थी। जिला कार्यालय टाउन एवं कन्ट्री प्लानिंग, डिबरूगढ़ ने दिसम्बर 1998 में 34.39 लाख रू. की बाकी बची न.रो.यो. की निधियाँ जि.श.वि.यो., डिबरूगढ़ द्वारा कार्यान्वयन योजना स्व.ज.श.रो.यो. को स्थानान्तरित कर दी गई। स्थानान्तरित की गई 34.39 रू. की राशि में बैंक में रखे 8.15 लाख रू. शामिल थे, जो कि 1990-91

में समाप्त कर दिये गये थे। राशि न तो बैंक से वसूल की गई थी न ही मई 2000 तक जि.श.वि.यो. डिबरूगढ़ के लेखों से बट्टेखाते डाला गया था।

उड़ीसा, कार्यकारी अधिकारी, बडरक द्वारा किये गये निर्माणकार्य पर मस्टर रोल की भुगतानों की नमूना जांच से पता चला कि न रो.यो. के अन्तर्गत निर्माणकार्यों में लगे मजदूरों को मस्टररोल भुगतान के समर्थन में प्राप्तकर्ताओं की रसीदें अधिकतर मामलों में प्राप्त नहीं की गई थी। यद्यपि, यथाकथित राशियां भुगतान की गईं दिखाई गई थी तथा व्यय विवरणी में बुक की गई थी, जिससे फरवरी 1996 से जुलाई के दौरान 22 मामलों में 0.18 लाख रू. की योजना निधियों के संदिग्ध दुरुपयोग तक पहुंचा जा सका।

महाराष्ट्र, नगर परिषद नारखड़ (जिला नागपुर) तथा बड़गांव (जिला कोल्हापुर) एक ही श्रमिक को उसी अवधि के दौरान एक से अधिक मस्टर रोलों में 0.33 लाख रू. का भुगतान किया जिसके फलस्वरूप दो बार भुगतान हुआ।

3.12.7 परियोजनाओं के शैल्फ/वार्षिक कार्यवाई योजना बनाने की विफलता के परिणामस्वरूप अनअनुमोदित निर्माणकार्यों का निष्पादन हुआ।

परियोजनाओं के शैल्फ की तैयारी न करने के कारण अनअनुमोदित निर्माणकार्यों का निष्पादन हुआ

जनता की आवश्यकताओं को अनुभव करके स्थानीय साधनों की विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात चालू तथा आनेवाले वर्षों में जिले में प्रस्तावित परियोजनाओं को चालू करने हेतु कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में कार्यान्वयन एजेन्सियों को वार्षिक योजना/परियोजनाओं के लिए शैल्फ बनाना अपेक्षित है। तथापि, त्रिपुरा, पांडिचेरी, कर्नाटक, नागालैंड, असम, गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र तथा हरियाणा में परियोजना के शैल्फ तैयार नहीं किए गए थे।

इसके कारण अस्वीकृत निर्माण कार्य निष्पादित हुआ। मंत्रालय तथा राज्य सरकार ने परियोजना शैल्फ की तैयारी सुनिश्चित नहीं की तथा निष्पादन एजेन्सी को निधियां देना जारी रखा।

राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि कार्यान्वयन एजेन्सियों ने 1995-2000 में सक्षम अधिकारियों प्रशासनिक/तकनीकी संस्कृत प्राप्त किए बिना 1.19 करोड़ रू., उड़ीसा: 270 निर्माण कार्यों में 1.00 करोड़ रू., महाराष्ट्र: 2 निर्माणकार्यों में 0.03 करोड़ रू. तथा कर्नाटक: 0.16 करोड़ रू. के निर्माण कार्य सम्पादित किए।

3.12.8 असमायोजित अग्रिमों को अंतिम व्यय मानना

11 राज्यों में निष्पादन एजेन्सियों को दिए गए 80.33 करोड़ रू. के अग्रिम अंतिम व्यय के रूप में माने गए यद्यपि ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि राशि पूरी तरह व्यय की गई थी क्योंकि उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। **कर्नाटक** में कार्यान्वयन एजेन्सियों को 2.53 करोड़ रू. के अग्रिम दिए गए जो असमायोजित रहे किन्तु बाउचर अथवा व्यय के अन्य प्रमाण प्राप्त किए बिना अन्तिम व्यय के रूप में मान लिए गए। **उत्तर प्रदेश** में परियोजना कार्यालयों को 4.80 करोड़ रू. के अग्रिम दिए गए किन्तु समायोजन बिल/उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अन्तिम व्यय के रूप में मान लिए गए, **जम्मू-**

कश्मीर में 0.51 करोड़ रु., बिहार में 69 करोड़ रु. तथा पश्चिम बंगाल में 0.45 करोड़ रु. अनुपयुक्त पड़े थे किन्तु राज्य/केन्द्र सरकार को अन्तिम व्यय के रूप में सूचित किए गए। इसके फलस्वरूप स्फीतिकारी तथा भ्रामक वित्तीय उपलब्धियां सूचित की गई (अनुबन्ध 10)।

3.12.9 अन्धाधुन्ध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अन्धाधुन्ध व्यय वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। तथा इससे बचा जाना चाहिए था। तथापि चार राज्यों ने वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में कार्यान्वयन एजेंसियों को 15.22 करोड़ रु. जारी किए।

कुछ महत्वपूर्ण मामलों की निम्न पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

मिजोरम में, भारत सरकार ने क्रमशः मार्च 1998 तथा मार्च 2000 के एकदम अन्त में केन्द्रीय हिस्से के 69.63 लाख रु. में से 22.48 लाख रु. तथा 85.22 लाख रु. और 1997-98 एवं 1999-2000 वर्षों से संबंधित 146.26 लाख रु. जारी किए। इसने इन निधियों के संस्वीकृति के वर्षों में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए बहुत कम अवसर छोड़ा। स्व.ज.स्व.रो.यो. के अन्तर्गत पुनः 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान कार्यान्वयन प्राधिकरणों को उपलब्ध कराए गए 322.60 लाख रु. तथा 184.44 लाख रु. में से 297.49 लाख (92 प्रतिशत) तथा 147.40 लाख (80 प्रतिशत) क्रमशः मार्च 1999 तथा मार्च 2000 में निकाले गए। इसके अतिरिक्त 21.38 लाख रु. में से राज्य ने 10.00 लाख रु. का अपना भाग मार्च 1998 में जारी किया। इसके फलस्वरूप इन निकासियों को सुसंगत वर्षों में उपयोग नहीं किया जा सका तथा मुख्यतः बजट अनुदान व्यपगत नहीं होने दिया।

पश्चिम बंगाल में एस.यू.डी.ए. ने नवम्बर 1995 से मार्च 2000 की अवधि में उनके उपयोग हेतु कोई अवसर नहीं छोड़ते हुए वर्ष की अन्तिम तिमाही में नगर पालिका संस्थाओं को पी.एम.यू. पी.ई.पी. के अन्तर्गत निधियों का 48 प्रतिशत (6.66 करोड़ रु. के कुल के प्रति 3.22 करोड़ रु.) तथा एस.जे.एस.आर. वाइ के अन्तर्गत 43 प्रतिशत (कुल 7.96 करोड़ रु. में से 2.74 करोड़ रु.) जारी किए।

उत्तर प्रदेश में, पांच यू.एल.बी. ने (रिषीकेश, कानपुर, लखनऊ, मथुरा तथा मुरादाबाद) 1995-2000 में अन्तिम तिमाही में 285.25 लाख रु. में से 218.82 लाख रु. व्यय किए।

सिक्किम में नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1995-2000 में मार्च के दौरान 355.99 लाख रु. में से 134.99 लाख रु. व्यय किए।

प्रशासनिक व्यय पर सीमा से 7.24 करोड़ रु. अधिक व्यय के फलस्वरूप एन.आर.वाई./एस.जे. एस.आर.वाई क्रियाकलापों के लिए निधियों की कमी।

3.12.10 मापदण्डों से अधिक प्रशासनिक व्यय

राज्य स्तर पर प्रशासनिक तथा अन्य व्ययों पर अधिकतम सीमा दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल आबंटन का 5 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। तथापि, 7.24 करोड़ रु. निर्धारित सीमा के उल्लंघन में व्यय किए गए:

केरल: 32.42 लाख रु., हरियाणा: 4.22 लाख रु., गुजरात: 58.00 लाख रु. दादर-नगर हवेली: 11.33 लाख रु., सिक्किम 29.92 लाख य., मणिपुर: 17.93 लाख रु., मध्य प्रदेश: 427.00 लाख य., राजस्थान: 142.(अनुबंध 11)।

मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि हरियाणा राज्य सरकार ने उत्तर दिया था कि प्रशासन तथा कार्यालय स्थापन पर व्यय सभी जिलों में एकसमान है क्योंकि कर्मचारियों का वेतन समान है, वेतन मान संशोधन तथा मंहगाई भत्ते की किश्तों की मंजूरी के कारण व्यय 5 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गया। तथापि राज्य सरकार आश्वस्त किया है कि प्रशासन तथा कार्यालय स्थापना के अन्तर्गत व्यय 5 प्रतिशत की सीमा में रहेगा।

सिक्किम राज्य सरकार ने सूचित किया था कि प्रशासनिक व्यय को मापदण्डों के भीतर रखने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

3.13 मजदूरी संबंधी मामले

योजना के दिशानिर्देश ध्यान दिलाते हैं कि निर्माण कार्यों पर 40 प्रतिशत व्यय अकुशल श्रमिकों की मजदूरी पर किया जाना था। महत्वपूर्ण घटक के लिए निधि की अनुपूरक मांग के मामले में यह राज्य सरकारों के योजनागत/योजनेत्तर खण्ड कार्यक्रम निधि से अन्तर्ग्रन्थित संसाधनों द्वारा उपलब्ध कराया जाना था। सामग्री तथा मजदूरी घटक के लिए 60 : 40 का अनुपात अनुरक्षित करना था।

3.13.1 मजदूरी तथा सामग्री के निर्धारित अनुपात का उल्लंघन 40: 60

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि मजदूरी तथा सामग्री-घटक के अनुपात का मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा, उड़ीसा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पाण्डिचेरी, गुजरात, दादर नगर हवेली, सिक्किम, पं. बंगाल, राजस्थान, बिहार तथा तमिलनाडु में उल्लंघन किया गया।

मजदूरी पर व्यय की प्रतिशतता बहुत कम थी तथा शून्य प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच थी जिससे रोजगार उत्पादन में कमी आई (अनुबंध 12)।

3.13.2 पुरुष/महिला लाभभोगियों को विभिन्न दरों पर मजदूरी का भुगतान

कार्यक्रम के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली मजदूरी की दरें सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जानी थी तथा महिला एवं पुरुष मजदूरों के लिए एक ही थी। महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में पुरुष तथा महिला मजदूरों को विभिन्न दरों पर मजदूरी का भुगतान किया गया था।

पुरुष तथा महिला
मजदूरों को
अलग-अलग दरों
पर मजदूरी का
भुगतान किया

3.13.3 मजदूरी के भुगतान में विलम्ब

मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पाँडिचेरी तथा गुजरात में मजदूरी के भुगतान में 1 तथा 9 माह का विलम्ब था। मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में जि.रा.वि.प्रा. के सी.एम.ओ. तथा पी.ओ. द्वारा संयुक्त लेखों के अनुक्षण के कारण विलम्ब था। मेघालय तथा उत्तर प्रदेश में अभिलेखों से अधूरे अनुक्षण तथा साप्ताहिक भुगतान प्रणाली के अभाव के कारण विलम्ब था।

3.13.4 मजदूरी का कम/गैर भुगतान

मध्य प्रदेश में रा.श.वि.प्रा./जि.श.वि.प्रा. के कार्यान्वयन/निषादन अभिकरणों ने जिला समाहर्ता द्वारा निर्धारित 53.50 रु. की दर के प्रति 45.50 रु. की दर पर मजदूरी का भुगतान किया। नागालैंड में बातचीत द्वारा अकुशल मजदूरों को 35 रु. तथा 25 रु. की मान्य दर के प्रति 90 रु. की दर का भुगतान किया गया था। महाराष्ट्र में अप्रैल तथा अक्टूबर के बीच निषादित किये गये कार्य के लिए 10.10 लाख रु. का भुगतान नहीं किया गया था।

3.14 परिसम्पत्ति निर्माण

3.14.1 परिसम्पत्ति सूची का अनुक्षण

कर्नाटक, नागालैंड, उड़ीसा, असम, पाँडिचेरी, गोवा, गुजरात, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम में कार्यान्वयन अभिकरणों ने रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित की गई परिसम्पत्तियों की कोई सूची अथवा रजिस्टर नहीं बनाए थे।

परिसम्पत्तियों की सूची के अभाव में परिसम्पत्तियों की विद्यमानता, गुणवत्ता तथा लागत प्रभावकारिता तथा लाभभोगियों को लाभों के चयन के अतिरिक्त दीर्घकालीन, रोजगार तथा विकास का निर्धारण कठिन था।

3.14.2 अधूरे तथा छोड़ दिये गए कार्य

राज्यों में 6.02 करोड़
रु. का व्यय करने के
पश्चात 910 योजनाएं
बीच में ही छोड़ दी गई
थी।

नमूना जांच से पता चला कि कार्यान्वयन अभिकरणों ने 6.02 करोड़ रु. का व्यय करने के पश्चात 910 योजनाएं बीच में ही छोड़ दी। निर्माण कार्य का उद्देश्य सड़क, नालियां तथा शौचालय जैसी टिकाऊ परिसम्पत्तियां का निर्माण करना था। अधूरे तथा छोड़ दिये गये निर्माण कार्यों के कारण निधियों की कमी, अतिक्रमण तथा मजदूरों की अनुपलब्धता थे।

बिहार में 772 कार्य अधूरे रह गये थे यद्यपि इन कार्यों पर 5.08 करोड़ रु. का व्यय हो गया था। अधूरे रहे कार्यों की संख्या तथा इन कार्यों पर लिया गया व्यय महाराष्ट्र में 26(23.49 लाख रु.), उड़ीसा 72 (20.96 लाख रु.) तथा राजस्थान 40 (49.67 लाख रु.) था।

3.14.3 अप्राधिकृत व्यय

योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के पहचान किये गए ग.रे.नी. लाभभोगियों को रोजगार की व्यवस्था करना तथा दूसरा उद्देश्य शहरी क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास के लिए टिकाऊ, उत्पादक तथा लाभकारी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है। नमूना जांच से पता चला कि कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा बहुत से कार्य अनधिकृत रूप से निष्पादित किये गये थे परिणामस्वरूप 727 मामलों में 5.64 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

आन्ध्र प्रदेश 278 कार्य (339.63 लाख रु.) अरुणाचल प्रदेश 15 कार्य (32.12 लाख रु.) मिजोरम 10 कार्य (1.20 लाख रु.), उड़ीसा 424 कार्य (190.00 लाख रु.) में गलत तथा अप्राधिकृत व्यय का पता चला था।

3.15 विविध वित्तीय अनियमितताएं

3.15.1 सीमेंट बैगों के सैट हो जाने के कारण 3.17 लाख रु. की हानि

नगर पालिका किशन गंज (जयपुर, राजस्थान) ने मार्च 1998 में 4.60 लाख रु. मूल्य के 4000 सीमेंट बैग खरीदे। इसमें से केवल 1241 बैगों का उपयोग हुआ था तथा मार्च 2000 तक 2759 सीमेंट बैग अप्रयुक्त रह गये थे। सीमेंट सैट स्थिति में पाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 3.17 लाख रु. की हानि हुई। इसकी गलती के लिए जिम्मेवारी निर्धारित करने की आवश्यकता है।

3.15.2 सोडियम लाइटों का अप्राधिकृत स्थिरीकरण

नगर पालिका सुजानगढ़ (जिला चूरु) राजस्थान पी.एम.ओ.यू.पी.इ.पी. के अन्तर्गत कच्ची बस्ती में मूल प्रत्यक्ष सुविधाओं के लिए अक्टूबर तथा नवम्बर 1997 में 3.31

लाख रु. की लागत पर 100 सोडियम लाइटें खरीदी। तथापि, सभी सोडियम लाइटें मुख्य बाजार में लगाई गई थी।

3.15.3 मस्टररोल पर मजदूरों को भुगतान किये बिना पूरा हुये दिखाये गए कार्य

नगर पालिका चुरु (राजस्थान) द्वारा 2.45 लाख रु. की लागत पर नाली निर्माण से सम्बन्धित 10 कार्य तथा जोहरी सागर तालाब के आसपास बाढ़ लगाने का एक कार्य मस्टररोल पर मजदूरों को किसी प्रकार का भुगतान किये बिना पूरा हुआ दिखाया गया था। माप पुस्तिका में कोई प्रविष्टि नहीं दिखाई गई थी।

पश्चिम बंगाल में नगरपालिकाओं (हावड़ा तथा बारासात) ने बैंकों से कुल 3.56 लाख रु. की ने.रो.यो. निधियां निकाली परन्तु रोकड़ बही का अनुक्षण नहीं किया तथा उपयोग के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये।

14.66 करोड़ रु. में से 43 करोड़ रु. का राज्य सरकारी खजाने से दो बार निकाला गया केन्द्रीय हिस्सा जमा नहीं करवाया गया था।

चन्दन नगर की नगर पालिका ने कम्प्यूटर तथा जेरोक्श मशीन की खरीद के लिए 2.25 लाख रु. के बाउचर प्रस्तुत नहीं किया। बैरकपुर नगरपालिका ने सामग्री की खरीद के लिए 3.59 लाख रु. के वाउचर प्रस्तुत नहीं किये।

कर्नाटक में प्रबन्ध निदेशक, के.यू.आई.डी.एफ.सी. ने, मार्च 1997 के दौरान बाद वाले को सारी राशि आहरित करने के लिए प्राधिकृत करते हुये राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के आधार पर कुल 23.52 करोड़ रु. (केन्द्रीय हिस्सा 14.66 करोड़ रु., राज्य हिस्सा 8.86 करोड़ रु. क्रमशः अगस्त 1997 में तथा मार्च 1998) आहरित किये। इसने प्रक्रिया का उल्लंघन किया जिसमें केन्द्रीय हिस्सा राज्य नोडल अभिकरण को सीधे जारी किया जाना था। इसी अवधि के दौरान प्रबन्ध निदेशक ने भारत सरकार को केन्द्रीय हिस्से के लिए 14.66 करोड़ रु. का डिमांड ड्राफ्ट भी प्राप्त किया। त्रुटिपूर्ण निर्गम आदेशों के परिणामस्वरूप 14.66 करोड़ रु. का दुगुना भुगतान हुआ जिसमें से 11.23 करोड़ रु. राज्य सरकार को एक से दो वर्षों के विलम्ब से जमा करवाये गये थे।

अरुणाचल प्रदेश में, राज्य सरकार द्वारा केन्द्र तथा राज्य दोनों के जारी किए गए अंश को राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा बचत खाते में रखा गया था। सितम्बर 1997 से मार्च 2000 की अवधि के दौरान 47.56 लाख रु. ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। जिनके अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी उन चार जिला शहरी विकास अभिकरणों के पास योजना के कार्यान्वयन के लिए रखी गई निधियों से इसी प्रकार नवम्बर 1995 से जनवरी 2000 की अवधि के दौरान 3.68 लाख रु. का ब्याज अर्जित हुआ। यद्यपि एस.यू.डी.ए./डी.यू.डी.ए. द्वारा 51.24 लाख रु. के (47.54 लाख रु. 3.68 लाख रु.) अर्जित ब्याज में से कोई व्यय नहीं किया गया था, ब्याज अर्जन के तथ्य के विषय में सूचना न तो केन्द्रीय सरकार को दी गई और न ही इसे केन्द्रीय अनुदानों के उद्देश्य के लिए घटाया गया।

3.16 परिसीक्षा

यू.ई.जी.पी. के लिए परिचालनात्मक दिशा निर्देशों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि राज्य मंत्रालय को आवधिक मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1992 में लागू प्रबन्ध सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) द्वारा जिला मुख्यालयों द्वारा राज्य मुख्यालयों को मासिक तथा द्विमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना निर्धारित किया गया था। राज्य सरकारों द्वारा क्रम से प्रत्येक महीने की 14 तारीख तक अपनी रिपोर्टों को मंत्रालय को भेजना अपेक्षित था। मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। तथापि मंत्रालय द्वारा प्रेषित सूचना से यह पता लगा कि उक्त रिपोर्टें नियमित रूप से प्राप्त नहीं हुई थी तथा 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से ये रिपोर्टें बकाया थी। फरवरी 1999 से नवम्बर 1999 के दौरान स्व.ज.श.रो.यो. की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय स्तर पर केवल चार बैठकें आयोजित की गई थी। शहरी रोजगार कार्यक्रम की राज्य स्तर समन्वय समिति (रा.स्त.स.स.) कार्यक्रम के समग्र पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा परिसीक्षण के लिए उत्तरदायी थी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एस.एल.सी.सी. को नियमित रूप से बैठकें आयोजित करनी थी। कार्य स्थल पर क्षेत्र दौरे के माध्यम से जिला स्तर के कार्यालयों द्वारा कार्यक्रम के समस्त पहलुओं की निकट से परिसीक्षा की जानी थी।

नमूना जांच से पता चला कि एस.एल.सी.सी. ने न तो कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिसीक्षण के लिए बैठकें आयोजित की और न ही मेघालय, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, नागालैंड, उड़ीसा, असम, दादर तथा नगर हवेली, दिल्ली, पाण्डिचेरी, गुजरात, पंजाब, त्रिपुरा, केरल, हरियाणा, अरुणांचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम में निरीक्षण किया गया था।

उपयुक्त परिसीक्षण के अभाव के परिणामस्वरूप यू.ई.जी.पी. के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का निष्पादन अव्यवस्थित रूप से हुआ और इस तरह योजनाओं के उद्देश्य बुरी तरह से प्रभावित हुए।

मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि:

(क) 2000-01 के दौरान तीन राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा बैठकें आदर्शपूर्ण मंत्री महोदय (यू.डी.ई.पी.ए.) तथा सचिव (यू.ई.डी.पी.ए.) के स्तर पर हुई।

(ख) मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों से पत्र-व्यवहार द्वारा स्व.ज.श.रो.यो. के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा तथा परिसीक्षण किया गया।

3.17 मूल्यांकन

सम्बद्ध क्षेत्रीय निवेश की पहचान करने, उद्दिष्ट करने तथा समन्वयन करने का महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना था तथा दिशा निर्देशों क अनुरूप प्रत्यक्ष लक्ष्यों का निर्णय भी उन्हीं के द्वारा किया जाना था। कार्यक्रम के मूल्यांकन और प्रभावकारी परीवीक्षण के लिए मंत्रालय और प्रभावकारी परीवीक्षण के लिए मंत्रालय के लिए यह प्रत्यक्षतः आवश्यक है कि वह आवधिक मासिक प्रगति रिपोर्ट मंगवाए। शहरी निर्धन के लिए रोजगार उत्पन्न करने में कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहे तथा क्या उपलब्धियाँ किए गए निवेश के अनुरूप थी यह निर्धारण करने के लिए मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर मूल्यांकन अध्ययन किए जाने थे। योजना आयोग ने अगस्त 1999 में यह पाया कि राज्य सरकारें प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याओं के कारण बैंकों से ऋण लेने में समस्याओं का सामना कर रही थी। योजना आयोग ने यह भी देखा कि मध्यावधि संशोधन को इंजित करने तथा शहरी निर्धन पर निवेश के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए एक मूल्यांकन किया जाए। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अभी स्व.ज.श.रो.यो. का मूल्यांकन किया जाना है।

मंत्रालय ने मार्च 2001 में बताया कि चार राज्यों नामतः **आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल** का मूल्यांकन अध्ययन आई.आई.पी.ए. द्वारा किया जा रहा था। रिपोर्ट के शीघ्र आने की आशा थी। कुछ अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने के लिए अनुसंधान अभिकरणों की सूची बनाने का काम चल रहा था।

3.18 निष्कर्ष

समीक्षा से यह भी पता चला कि नाजुक क्षेत्रों में कमियों के कारण स्व.ज.श.रो.यो. कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा। अधिकांश राज्यों में असली लाभ भोगियों की पहचान करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। कठिन प्रलेख जैसे मस्टर रोल बनाए नहीं गए थे। परिवार कार्ड जारी नहीं किए गये थे, न ही नौकरी की तलाश करने वालों के पंजीयन की कोई प्रणाली थी। योजनाओं के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप संसाधन मध्यस्थों को विपश्चित हो गए। सूचित किए गये रोजगार उत्पादन के आंकड़े नकली थे क्योंकि अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रोजगार के आंकड़े मस्टररोल पर वास्तविक लाभभोगियों की गणना के आधार की अपेक्षा कुल व्यय के वेतन संघटक को न्यूनतम मजदूरी से भाग करके बिना बुद्धि के निकाले गए थे। इसकी इस तथ्य से भी पुष्टि होती है कि रोजगार उत्पादन को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए वेतन संघटक के कुल व्यय के निर्धारित न्यूनतम 40 प्रतिशत का पालन न करने के कतिपय दृष्टान्तों का लेखा परीक्षा द्वारा पता लगाया गया है। इन अतिशयोक्तिपूर्ण रोजगार उत्पादन के अनुमानों पर भी कार्यक्रम शहरी बेरोजगारों/अल्प रोजगारों के एक प्रतिशत से भी कम को रोजगार प्रदान कर सका। मजदूरी का विलम्ब से तथा अधिक/ कम भुगतान तथा पुरुषों और स्त्रियों को विभेदी दरों पर किया गया भुगतान निम्न स्तर पर अनुपयुक्त निष्पादन को इंजित करता है। सम्पदाओं की सूची का न होना, निधियों की कमी के

कारण छोड़ी गई योजनाएं तथा मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों पर अनियमित तथा अप्राधिकृत व्यय सम्पदाओं के सृजन, अस्तित्व, गुणवत्ता, लागत प्रभावकारिता तथा प्रमाणिकता और गरीबों रेखा से नीचे के समाज को दिए जाने वाले लाभों पर सन्देह उत्पन्न करता है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर्याप्त निधि प्रबन्ध के कारण निधियां अन्य योजनाओं तथा उद्देश्यों को विपथित हो गई, निष्पादन अभिकरणों को निधियों का कम तथा विलम्ब से जारी किया जाना, निधियों का दुर्विनियोजन, परियोजनाओं का शैल्फ/वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार करने में विफलता के कारण अनुमोदित न हुए निर्माण कार्यों का निष्पादन, अन्तिम व्यय के रूप में मागी गई असमायोजित पेशगियां तथा प्रतिमानों से अधिक प्रशासकीय व्यय।

मंत्रालय तथा राज्य दोनों स्तर पर उपयुक्त परिवीक्षण की कमी के कारण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहीं था तथा रोजगार का सूचित स्तर न तो यथार्थवादी था और न ही प्रमाणनीय। कार्यक्रम के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। निधियों के प्रभावकारी उपयोग के लिए अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन, तथा व्यय के विनियमन और योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित किए बिना मंत्रालय की भूमिका केवल दिशा निदेशों को बनाना तथा उन्हें राज्य सरकारों को जारी करने तक सीमित थी ताकि लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंच सके।

भाग-ख
उद्योग मंत्रालय

3.19 प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्र.मं.रो.यो.)

प्र.मं.रो.यो. एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना, 2 अक्टूबर 1993 को आरंभ की गई थी। यह योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग, सेवा तथा व्यापार मार्गों के माध्यम से सात लाख लघु उद्यमों की स्थापना करके दस लाख से अधिक लोगों को स्व रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। 1993-94 में यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई थी। 1994-95 से यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यान्वित कर दी गई थी। यह योजना कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों सहित सभी आर्थिक व्यवहार्य क्रियाकलापों को आवृत करते हुए कुछसंशोधनों सहित 9वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान जारी रही।

संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं।

- वे सभी शिक्षित बेरोजगार युवक, जिन्होंने आठवीं कक्षा पास की हो या सरकारी मान्यताप्राप्त/अनुमोदित संस्थाओं में किसी व्यापार के लिए कम से कम छः माह की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा सामान्य श्रेणी में उनकी आयु 18-35 वर्ष के बीच हो, अ.जा./अ.ज.जा. भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिलाओं के लिए 10 वर्ष की आयु की छूट है, इसके पात्र हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए उच्च आयु सीमा को 40 वर्ष तक छूट दी गई थी।
- लाभभोगी उस क्षेत्र का कम से कम तीन वर्षों तक स्थायी निवासी होना चाहिए। पति पत्नी तथा पृथक रूप से माता पिता सहित लाभभोगी की वार्षिक आय 24000 रु. (उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मामले में 40000रु.) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभभोगी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। वे व्यक्ति जो पहले से ही अन्य आर्थिक सहायता सम्बद्ध सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भाग लेते हैं, इसके पात्र नहीं हैं।

3.20 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

3.20.1 निधियन पद्धति

यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा निधिबद्ध होती है। पूंजीगत आर्थिक सहायता तथा सहायता अनुदानों (आकस्मिकताओं सहित प्रशिक्षण आदि) के लिए पृथक रूप से निधियां जारी की जाती हैं। अलग-2 लाभभोगी के लिए परियोजना लागत की 15 प्रतिशत की दर पर अधिकतम 7500 रु. (उ.पू.क्षेत्र के लिए 15000रु.) की सीमा तक पूंजीगत आर्थिक सहायता ग्राह्य है। पूंजीगत आर्थिक सहायता भा.रि.बैं. को प्राधिकृत की जाती है जो अलग-अलग लाभभोगियों को उधार देने के लिए लीड बैंकों को निधियां जारी करता है। बैंकों द्वारा लाभभोगियों को कर्ज दिए जाते हैं तथा सामान्य व्याज-दर ली जाती है।

- संशोधित प्रतिमानों के अनुसार, उद्योग के लिए 1000 रु. की दर (प्रशिक्षण खर्चों के 700 रु. तथा वजीफे के 300 रु.) तथा सेवा तथा व्यापार क्षेत्र के लिए 500 रु. की दर (प्रशिक्षण खर्चों के 350 रु. एवं वजीफे के 150 रु.) दर से प्रशिक्षण निधियां जारी की जाती हैं।
- संशोधित पद्धति के अनुसार, प्रत्येक उद्यमकर्ता, जिनको बैंक द्वारा कर्ज संस्वीकृत किया गया है, को 250 रु. की दर से आकस्मिकता निधियां (कार्यालयी खर्च, प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च आदि) जारी की जाती है।

केन्द्रीय सरकार, राज्यों/सं.रा.क्षे. को निधियां जारी करती है जो उनको जिला स्तर अर्थात् जिला उद्योग केन्द्र (जि.उ.के.) पर कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करते हैं।

जारी की गई निधियों के वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं

(करोड़ रु. में)

| वर्ष | पूजीगत आर्थिक सहायता | सहायता अनुदान |
|--------------|----------------------|---------------|
| 1995-96 | 119.95 | 24.91 |
| 1996-97 | 98.02 | 16.91 |
| 1997-98 | 79.00 | 15.83 |
| 1998-99 | 119.50 | 15.96 |
| 1999-2000(ऊ) | 174.00 | 16.00 |
| जोड़ | 590.47 | 89.61 |

3.21 निधियों का प्रबन्धन

3.21.1 राज्यों/सं.रा.क्षे. द्वारा कार्यान्वयन प्राधिकारियों को निधियां जारी करने में विलम्ब

राज्यों/सं.रा.क्षे. में मामलों की नमूना जांच (अनुबन्ध-13 में ब्यौरे) से प्रकट हुआ कि राज्य/सं.रा.क्षे. स्तरीय प्राधिकारियों ने कार्यान्वयन अभिकरणों को 2 माह से 6 वर्षों के बीच के विलम्ब से निधियां जारी की। निधि के विलम्बित निर्गम ने योजना बनाने तथा निष्पादन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

मंत्रालय ने जनवरी 2001 में बताया कि कार्यान्वयन एजेंसियों को प्र.म.रो.यो. निधियां समय पर जारी करने के लिए राज्य सरकारों को अनुरोध किया जा रहा है।

3.22 उचित लेखाविधि प्रक्रिया का अभाव

योजना के दिशानिर्देशों में प्राप्त निधियों के संबंध में लेखाविधि प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों/सं.रा.क्षे. को अलग-अलग पद्धतियों की अनुमति

दी गई थी जिससे ब्याज की हानि हुई तथा निधियों की कम प्रतिभूति प्राप्त हुई। राज्यों में नमूना जांच किए गए मामलों से निम्नलिखित कमियों का पता चला:

तमिलनाडु: में जि.उ.के. कोयम्बटूर तथा जि.उ. के. कांचीपुरम द्वारा मार्च 1998 तथा नवम्बर 1999 के दौरान जमा पर ब्याज के रूप में अर्जित 0.75 लाख रु. राज्य सरकार की प्राप्ति शीर्ष में क्रेडिट किए गए थे।

वेल्लौर, धर्मापुरी, कांचीपुरम, तिरुवैल्युवर, कोयम्बटूर के पांच जिलों में 1995-99 की अवधि से संबंधित 38.05 लाख रु. की अप्रयुक्त निधियां बैंकों में जमा की गई थी लेकिन राशि को लेखाओं में व्यय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

मध्य प्रदेश में, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में 31 मार्च 2000 को 1.23 लाख रु. के अग्रिम बकाया थे तथा समायोजन हेतु लम्बित थे।

जि.उ.के. रायपुर में, 2.39 लाख रु. के संदेहास्पद गबन का मामला था जो अन्वेषणाधीन था।

वास्तविक व्यय के परस्पर संबंध के बिना प्रशिक्षण निधियों की प्रतिपूर्ति की गई।

3.23 प्रशिक्षण निधियों का अनुचित उपयोग

3.23.1 गै.सं.सं. को प्रशिक्षण लागत का अनियमित भुगतान

योजना के अंतर्गत, प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना लाभभोगियों के लिए गै.सं.सं. द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए थी। राज्य कार्यान्वयन अभिकरण प्रशिक्षण व्यय का सत्यापन किए बिना गै.सं.सं. को प्रशिक्षण की लागत का उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर भुगतान किया जाता था। लेखापरीक्षा के दौरान राज्यों में निम्नलिखित कमियां पायी गईं।

कर्नाटक में, अतिरिक्त निदेशक (विश्वा) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 1995-2000 के दौरान एक गै.सं.सं. ठेकेदारी विकास का केन्द्र (सी.ई.डी.ओ.के.) द्वारा लाभभोगियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती थी। गै.सं.सं. ने वास्तविक व्यय 2.95 करोड़ रु. के प्रति 4.38 करोड़ रु. का दावा किया जैसा कि उनके लेखाओं में प्रकट होता था। राज्य में कार्यान्वयन अभिकरण ने 4.38 करोड़ रु. दिए और गै.सं.सं. को 1.43 करोड़ रु. का अधिक भुगतान किया। उनके लिए जांच एवं वसूली की आवश्यकता है।

राजस्थान और बिहार में, 1995-2000 के दौरान बिलों एवं सहायक दस्तावेजों को लिए बिना क्रमशः 11.20 लाख रु. तथा 6.81 लाख रु. का प्रशिक्षण की लागत के लिए भुगतान किया गया। इसके लिए जांच की आवश्यकता है।

3.23 प्रशिक्षण निधियों का अनुचित उपयोग

3.23.1 गै.स.सं. को प्रशिक्षण लागत का अनियमित भुगतान योजना के अंतर्गत,

वास्तविक व्यय के परस्पर संबंध के बिना प्रशिक्षण निधियों की प्रतिपूति की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना लाभभोगियों के लिए गै.स.सं. द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए थी। राज्य कार्यान्वयन अभिकरण प्रशिक्षण व्यय का सत्यापन किए बिना गै.सं.सं. को प्रशिक्षण की लागत का उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर भुगतान किया जाता था। लेखापरीक्षा के दौरान राज्यों में निम्नलिखित कमियां पायी गईं।

कर्नाटक में, अतिरिक्त निदेशक (विश्वा) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 1995-2000 के दौरान एक गै.स.सं. ठेकेदारी विकास का केन्द्र (सी.ई.डी.ओ.के.) द्वारा लाभभोगियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती थी। गै.सं.सं. ने वास्तविक व्यय 2.95 करोड़ रु. के प्रति 4.38 करोड़ रु. का दावा किया जैसा कि उनके लेखाओं में प्रकट होता था। राज्य में कार्यान्वयन प्राधिकरण ने 4.38 करोड़ रु. दिए और गै.स.सं. को 1.43 करोड़ रु. का अधिक भुगतान किया। इनके लिए जांच एवं वसूली की आवश्यकता है।

राजस्थान और बिहार में, 1995-2000 के दौरान बिलों एवं सहायक दस्तावेजों को लिए बिना क्रमशः 1.20 लाख रु. तथा 6.81 लाख रु. का प्रशिक्षण की लागत के लिए भुगतान किया गया। इसके लिए जांच की आवश्यकता है।

3.23.2 प्रशिक्षण निधियों का अपूर्ण उपयोग प्रमाण-पत्र

प्रशिक्षण एवं वजीफे पर वास्तविक व्यय की संवीक्षा किए बिना उपयोग प्रमाणपत्र स्वीकार किए गए

विकास आयुक्त (वि.आ.) लघु उद्योग (ल.उ.) ने एक विशेष वर्ष के दौरान प्रशिक्षित किए जाने वाले लाभभोगियों की पूर्वानुमान संख्या के आधार पर राज्य/सं.स.क्षे. को अग्रिम में प्रशिक्षण निधियां प्रदान की। प्रतिमानों में उद्योग क्षेत्र के लिए 1000 रु. प्रति प्रशिक्षार्थी (700 रु. प्रशिक्षण खर्च के रूप में तथा 300 रु. वजीफा के रूप में) तथा व्यापार/सेवा क्षेत्र के लिए 500 रु. प्रति प्रशिक्षार्थी (350 रु. प्रशिक्षण खर्च के रूप में एवं 150 रु. वजीफा के रूप में) दिए जाते थे। राज्य/सं.शा.क्षे. सरकार को अनुवर्ती उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। राज्यों/सं.शा.क्षे., उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर वि.आ.(ल.उ.) डाटा का समाधान करता है तथा अनुवर्ती वर्षों में बचत/घाटा का समायोजन करता है। समाधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य/सं.रा.क्षे. द्वारा निधियों का किया गया दावा निर्धारित प्रतिमानों से अधिक न हो। यदि व्यय का दावा अधिक पाया जाता है तो राशि को निर्धारित राशि पर सीमित कर दिया जाता है। जहां दावा किया गया व्यय निर्धारित प्रतिमानों से कम पाया जाता है वहाँ कम व्यय के लिए कारणों की पूछताछ किए बिना उसे स्वीकार कर लिया जाता है। राज्य/सं.रा.क्षे. द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्रों ने प्रशिक्षण एवं वजीफे पर किए गए व्यय का घटको-वार विवरण नहीं होता।

वर्ष 1995-1999 के लिए उपयोग प्रमाण पत्रों के जांच का विवरण अनुबंध 14 में दिए गए हैं जहां राज्य/सं.रा.क्षे. द्वारा प्रस्तुत दावे निर्धारित प्रतिमानों से कम थे, यह निश्चित नहीं किया जा सका कि वजीफा, जो प्रशिक्षार्थी को दिए जाने वाला आवश्यक था उसका पूरा भुगतान किया गया है या नहीं।

पंजाब में, अभिलेखों की नमूना जांच से पता चलता है कि 1993-98 की अवधि के लिए, 4.58 लाख रु. की निधियों का वजीफा के रूप में किए जाने वाला भुगतान अवितरित रहा। भुगतान न किए जाने का कारण लाभभोगियों की अप्राप्तता एवं बैंकों को भुनाया न जाना बताया गया। इसी प्रकार 1998-2000 के दौरान अपेक्षित निधियों को उपलब्ध न होने के कारण प्रशिक्षार्थियों को 11.34 लाख रु. के वजीफे का भुगतान नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने जनवरी 2001 में बताया कि सभी मामलों में जहाँ प्रशिक्षण पर व्यय प्रतिमानों से कम रहा, दिएजाने वाले वजीफे से अधिक वास्तविक व्यय रहा। प्रशिक्षार्थियों की संख्या का आधार दर रहा। यह भी बताया गया कि राज्य सरकारों को वजीफे का भुगतान सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। यद्यपि, राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण पर व्यय के विघटन के अभाव में, प्रशिक्षार्थियों को वजीफे के पूरे भुगतान का उत्तरदायित्व मान्य नहीं है।

3.24 प्राप्त और सिफारिश किए गए कुल आवेदन-पत्रों की संचित स्थिति

3.24.1 राज्य सरकार/सं.रा.क्षे. द्वारा योजना के लिए प्राप्त और सिफारिश किए गए आवेदन-पत्रों की बताई गयी संचित स्थिति नीचे तालिका में दी गई है—

| वर्ष | आवेदन-पत्र | |
|-----------|------------|---------|
| | प्राप्त | सिफारिश |
| 1995-96 | 962064 | 613773 |
| 1996-97 | 879232 | 577139 |
| 1997-98 | 825480 | 549974 |
| 1998-99 | 821042 | 562154 |
| 1999-2000 | 859396 | 560646 |

इस प्रकार, यह देखा गया कि राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त एवं सिफारिश किए गए आवेदन-पत्र योजना के लिए 2.20 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य से बहुत अधिक थे।

3.24.2 लक्ष्य एवं उपलब्धि

1994-95 से 2.20 लाख प्रतिवर्ष शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वयं-रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित था। ऋण संस्वीकृति एवं संवितरण की संख्या के मामलों के संबंध में यह सामान्यतः प्राप्त हो गया था। वास्तविक समस्याएं यद्यपि, तथ्य

में, पैरा 3.26 में ली गई, संदेहपूर्ण संभावना स्थिति में रोजगार के अलावा कुछ अन्य विपथन जैसे अयोग्य लाभभोगियों को ऋण देना है। इसलिए इस दृष्टिकोण से लक्ष्यों की उपलब्धि कम संतोषजनक है। इसके अतिरिक्त, मई 1995 में सभी राज्यों एवं भ.रि.बैं. को समाधान के ढंग को प्रचारित करने के बावजूद राज्य सरकार और भा.रि.बैं. के उपलब्धि के डाटा मेल नहीं खाते हैं। पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत राज्य/सं.रा.क्षे. एवं भा.रि.बैं. डाटा को समाधान करने के ढंग को कार्यान्वयन करने में विफल रही जैसा कि नीचे दर्शाया गया है—

(करोड़ रु. में)

| वर्ष (2.20 लाख प्रति वर्ष का लक्ष्य) | राज्य सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक | मामलों की कुल संख्या तथा संस्वीकृत किया गया ऋण | | मामलों की कुल संख्या तथा संवितरण किया गया ऋण | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|------|--|------|
| | | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| 1995-96 | राज्य | 299583 | 1742 | 224819 | 1210 |
| | भारतीय रिजर्व बैंक | 287218 | 1678 | 241843 | 1378 |
| 1996-97 | राज्य | 290953 | 1780 | 206220 | 1126 |
| | भारतीय रिजर्व बैंक | 271768 | 1653 | 228495 | 1352 |
| 1997-98 | राज्य | 292342 | 1792 | 212127 | 1173 |
| | भारतीय रिजर्व बैंक | 263623 | 1592 | 208979 | 1217 |
| 1998-99 | राज्य | 299856 | 1817 | 195958 | 1088 |
| | भारतीय रिजर्व बैंक | 272704 | 1627 | 189850 | 1082 |
| 1999-2000 | राज्य | 290146 | 1929 | 161262 | 939 |
| | भारतीय रिजर्व बैंक | 254408 | 1646 | 142723 | 857 |

* अनंतिम आंकड़े

समाधान के अभाव में लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि के आंकड़े सत्यापित नहीं किए जा सके।

मंत्रालय ने जनवरी 2001 में बताया कि आंकड़ों के मिलान कार्य करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.25 अपात्र लाभभोगियों की परियोजनाओं की संस्वीकृति

विशेष रूप से यह निर्धारित किया गया है कि स्व रोजगार के लिए परियोजना शिक्षित बेरोजगारों को व्यापार, सेवाएं तथा उद्योग के माध्यम से माइक्रोइकाइ लगाने के लिए स्वीकृत किया जाएगा। हालांकि निम्न कमियां पाई गई:

जम्मू व कश्मीर में 370 प्र.मं.रो.यो. लाभभोगियों की संवीक्षा से ज्ञात कि हुआ दस व्यक्तिगत मामलों में दुकान/व्यापार की स्थापना की गई। 49 दूसरे अन्य मामलों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/सरकारी कर्मचारियों के बच्चों/पत्नियों के स्कीम के अधीन सहायता प्रदान की गई।

महाराष्ट्र में थाने जिले में एक बैंक मैनेजर के पुत्र को जिसने अपनी वार्षिक आय 22000 रु. घोषित की थी एक लाख रु. के परियोजना ऋण की संस्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार संस्वीकृत की गई परियोजना योजना के अभिप्रायः का उल्लंघन करती थी।

3.26 रोजगार की संदेहास्पद वहनीयता

स्कीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि परियोजना लगातार रोजगार उत्पन्न करेगी। राज्यों/सं.रा.क्षे. की अभिलेखों की नमूना जांच से पता चलता है कि मंत्रालय के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं को चालू रहने को प्रमाणित किया जा सके तथा नहीं ऐसा कोई डाटा मंत्रालय के पास उपलब्ध था।

| क्र.सं. | राज्य का नाम | अवधि | राशि जिसका दुरुपयोग किया | अभ्युक्तियां (लाख रु. में) |
|---------|--------------|---------|--------------------------|--|
| 1. | मिजोरम | 1995-99 | — | 975 लाभभोगियों में से 307 लाभभोगी ने जिन्होंने 248.41 लाख रु. का ऋण लिया व्यापार की स्थापना नहीं की थी। |
| 2. | कर्नाटक | 1995-99 | 30.98 | सात जिलों में 641 लाभभोगियों ने या तो व्यापार शुरू नहीं किया था या बादमें व्यापार बन्द कर दिया था। कुछ मामलों में सहायता को दूसरे प्रयोजनों के लिए विपथन कर दिया गया था। |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 1995-99 | 30.98 | झांसी, कानपुर, मथुरा की नमूना जांच से ज्ञात हुआ 38 लाभभोगियों द्वारा 30.98 लाख रु. का ऋणों का व्यापार बन्द होने के कारण दुरुपयोग हुआ। |

| क्र.सं. | राज्य का नाम | अवधि | राशि जिसका दुरुपयोग किया | अभ्युक्तियां (लाख रु. में) |
|---------|----------------|---------|--------------------------|--|
| 4. | असम | - | 07.67 | चार जिलों की नमूना जांच से पता चला कि ऋण वितरित किए गए 10018 मामलों में से, 530 मामलों में 406.67 लाख रु. ऋण तथा आर्थिक सहायता प्राप्ति के बाद कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया। |
| 5. | अरुणाचल प्रदेश | 1993-98 | -- | चार जिला उद्योग केन्द्रों तथा 13 मुख्य बैंकों जहां 462 लाभभोगियों में 317.95 ला. रु. के संवितरीत हुए ऋण की नमूना जांच से पता चला कि भुगतान के मामले में सभी दोषी थे। तीन मुख्य बैंकों द्वारा कुल 99 वित्त प्रदान किए गए उद्यमों में से 72 बन्द हो गए थे तथा 16 ने कार्य करना शुरू नहीं किया था। एस.बी.आई. में अलौंग तथा बस्तर की 63 इकाइयों में से अधिकांश बन्द/ कार्य को बीच में रोक दिया गया था। |
| 6. | मणिपुर | 1995-98 | 508 | 1367 परियोजनाओं में से 610 परियोजनाओं की पहचान अकार्यात्मक के रूप में की गई। 5.08 करोड रु. के बैंक ऋण की उनसे चुकौती बकाया थी। |
| 7. | केरल | 1997-98 | 15.53 | 15.53 लाख रु. के ऋण से संबद्धवाली 28 इकाइयां अकार्यात्मक थी। |
| 8. | मध्य प्रदेश | -- | 486.74 | 10 जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चलता है कि 486.74 लाख रु. मूल्य की परियोजनाओं पर दुरुपयोग किया गया है। |

इस प्रकार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादित रोजगार अनिर्वाह्य था क्योंकि बहुत सी परियोजनाएं या तो स्थापित नहीं हुई थी या बन्द हो गयी थी। मंत्रालय ने जनवरी 2001

में बताया कि 1994-95 में जन शक्ति अनुसंधान संस्थान (ज.श.अ.सं.) द्वारा किए एक नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, यह पाया गया था कि राशि वितरण के 99.3 प्रतिशत मामलों में, इकाइयां वास्तव में स्थापित हो गई थीं। यद्यपि मुख्य मुद्दा इकाइयों के स्थापित होने का नहीं है लेकिन क्या वे निरन्तर कार्य कर रही थी, ऐसा निर्वाह रोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजना द्वारा परिकल्पित था।

मंत्रालय ने मार्च 2000 में 1995-96 से 1997-98 की अवधि के लिए योजना का दूसरा मूल्यांकन प्रारम्भ किया। यह इस समय के दौरान योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रतिष्ठानों के सफल दर की जाँच करेगा।

3.27 बैंक कर्जों के चुकाने में कमी

योजना के मार्ग दर्शकों में नियत किए गये विलम्ब काल के पश्चात 3 से 7 वर्षों के बीच कर्जों को चुकाने की शर्त है। अनुबन्ध 15 में दर्शायी गयी राज्य/के.शा.प्र. के मामलों की नमूना जांच से पता चला कि बैंक की परिसम्पत्तियों पर विपरीत प्रभाव छोड़ने के अलावा, चुकाने में कमियों ने, योजना के अन्तर्गत बैंकों को आगे कर्जें स्वीकृत करने से हताश किया। कर्जों की समग्र वापसी जैसा कि मंत्रालय द्वारा मार्च 1999 में संसद को बताया गया था, केवल 48 प्रतिशत के आस पास थी।

केवल 48
प्रतिशत बैंक
कर्जों की
वापसी हुई।

मंत्रालय ने जनवरी 2001 में बताया कि योजना के अन्तर्गत बैंक कर्जों को वापसी में सुधार करने के लिए वह पहले ही एक समीति का गठन कर चुकी है।

3.28 शिकायतों का परिवेक्षण तथा अनुवर्ती कार्यवाही

योजना राज्य/के.शा.प्र. स्तर पर राज्य/के.शा.प्र. पी.एम.आर.वाई. समीति, द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला पी.एम.आई.वाई. समीति द्वारा परिवेक्षित होनी थी। केन्द्र स्तर पर परिवेक्षण सचिव (एस.एस.आई.व ए.आर.आई.) की अध्यक्षता के अधीन गठित एक उच्च शक्ति प्राप्त समीति, द्वारा किया जाना था। जिला स्तर पर निष्पादन की संविधा त्रैमासिक होनी थी। केन्द्र स्तर पर योजना के समग्र निष्पादन की संविधा समय-समय पर उच्च शक्ति प्राप्त समीतियों की बैठकें/राष्ट्रीय कार्यशालाओं में होनी थी।

राज्य/जिला स्तर पर
खराब परिवेक्षण

राज्य सरकारों/के.शा.प्र. से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों में, प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की संख्या, स्वीकृत कर्ज की राशिएं वितरित राशि, उद्यमी को दिया गया प्रशिक्षण, स्थापित की गई इकाइयाँ आदि की सूचना सम्मिलित होती है। ये रिपोर्टें प्रासंगिक समय के दौरान योजना के निष्पादन संविधा हेतु तथा जहाँ आवश्यक हो, उचित सुधारत्मक कदम उठाने के लिए आधार तैयार करती हैं। केन्द्र स्तर पर समय-समय पर उच्च शक्ति प्राप्त समीतियों की बैठकों के लिए भी ये रिपोर्टें आधार भूत सूचनाएं प्रदान करती हैं। इसके साथ-साथ भा.रि.बैं. द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े भी प्रयोग किये जाते हैं। मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों की जाँच से उठे मुद्दे तथा लागू करने वाली एजेन्सियों के साथ-साथ मुख्य रूप से राज्य/के.शा.प्र. के बैंकों, द्वारा बताये गये अन्य मुद्दे उच्च शक्ति प्राप्त समीति की बैठकों के लिए एजेन्डा का हिस्सा बनते हैं। उच्च शक्ति प्राप्त समीति योजना निष्पादन की संविधा के अलावा योजना में विकास के लिए सम्भावित

सुझावों पर भी ध्यान देती है। उ.वा.स. की सिफारिशों सभी सम्बन्धितों द्वारा योजना में जहाँ आवश्यक हैं वहाँ बदलाव लाकर जारी की गई हिदायतों के माध्यम से लागू की जाती है। परिविक्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव सम्मिलित किए जाते हैं जैसे आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु छूट, शैक्षणिक योग्यताओं में छूट, शामिल कार्यवाहियों में वृद्धि, स्वीकार्य परियोजना लागत में वृद्धि, सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के समय में कटौती के साथ-साथ प्रशिक्षण खर्च और अतिरिक्त लक्ष्यों को कर्ज की अदायगी के साथ शामिल करना।

जैसा कि अनुबन्ध 16 में दिया गया है, योजना के जिला, और राज्य/के.शा.प्र. स्तर पर परिविक्षण में कमियाँ सामने आयीं। यद्यपि सभी राज्य/के.शा.प्र. मासिक/त्रैमासिक बैठकें आयोजित करने में अनियमित थे, राज्यों/के.शा.प्र. में परिविक्षण प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए कार्यवाही करने में वि.आ.(एस.एस.आई.)असफल रहा।

3.28.1 शिकायतों पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही न होना

पी.एम.आर.वाई. योजना से सम्बन्धित 1995-2000 के दौरान वि.आ.(एस.एस.आई.) ने 1929 शिकायतें या तो सीधे लाभार्थियों से या प्रधान मंत्री के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त कीं। अधिकांश शिकायतें बैंको के मामलों से सम्बन्धित थीं वि.आ. (एस.एस.आई.) ने इन शिकायतों पर कार्यवाही हेतु लिखा। विकास आयुक्त (एस.एस.आई.) के अभिलेखों से पता चला कि 897 मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था जबकि 114 मामलों में केवल अन्तरिम उत्तर ही प्राप्त हुआ था।मामलों को निपटाने में विभाग ने कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप शिकायतों की एक बड़ी मात्रा अनिर्णीत रह गयी।

3.29 मूल्यांकन

योजना की प्रभाविकता का निर्धारण करने के लिए और उ.वा.स. की सिफारिशों की संविधा के लिए सम्मानीय संस्थाओं, संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से नियमित आधार पर निष्पादन के लगातार मूल्यांकन हेतु निति निर्देशकों आवश्यकता थी।


नियमित आधार पर मूल्यांकन नहीं किया गया।

इस संबंध में अभिलेखों की जाँच पड़ताल से पता चला कि राष्ट्रीय संयोजक के रूप में जल शक्ति अनुसन्धान संस्थान (ज.श.अ.सं.) द्वारा 1993-94 से 1994-95 वर्ष के लिए केवल एक मूल्यांकन कराया गया था। राष्ट्रीय/राज्य स्तर सलाहकारों के शुल्क के प्रति 85.44 लाख रु. का कुल खर्च किया जा चुका था। राष्ट्रीय सलाहकार मार्च 1995 में नियुक्त किया गया था, लेकिन अध्ययन पूर्ण करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। मूल्यांकन कर्ता ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1999 में प्रस्तुत की थी जिसपर उ.श.स. की 17 सितम्बर 1999 की बैठक में विचार किया गया।

मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष, 1.5 के आशान्वित प्रतिशत के विरुद्ध प्रति प्रधान मंत्री रोजगार योजना 2.39 के संतोषजनक औसत रोजगार उत्पादन, लाभार्थियों द्वारा कर्जों की 65 प्रतिशत वापसी, बैंकों द्वारा 52 प्रतिशत प्रायोजित आवेदन पत्रों की अस्वीकृति, 57 प्रतिशत संस्वीकृत मामलों के ऋणों के वितरण में विलम्ब तथा परियोजना लाभभोगियों को 1/3 संस्वीकृत मामलों में जिनकी आय सीमा योजना में निर्धारित सीमा से अधिक थी, से सम्बन्धित थे।


मुख्य सिफारिशें नगर पालिका/खण्ड स्तर पर कार्य बल बैठकों का आयोजन, उद्योग के मामले में 2 लाख रू. तथा सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में 1.5 लाख रू. के निवेश की सीमा में बढ़ोतरी, एक लाख रू. से अधिक कर्जों के लिए शाखीय सुरक्षा पद्धति लागू करना और आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने से सम्बन्धित हैं। मुख्य सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गयी हैं। तथापि आगे कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

नई दिल्ली
दिनांक: 14 अगस्त 2001




(हरप्रसाद दास)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली
दिनांक: 14 अगस्त 2001

(विजय कृष्ण शृंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



अनुबन्ध 1

(पैराग्राफ 3.3 देखें)

राज्य/जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचा दिखाने वाला विवरण

| क्र. सं. | राज्य/सं. रा. क्षे. | राज्य स्तर | जिला स्तर |
|----------|---------------------|--|---------------------------------|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | उद्योग आयुक्त | डी.आई.सी. |
| 2. | असम | उद्योग विभाग | जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र |
| 3. | आरुणाचल प्रदेश | उद्योग निदेशक | उप निदेशक |
| 4. | बिहार | उद्योग विभाग | डी.आई.सी. |
| 5. | दिल्ली | उद्योग विभाग | डी.आई.सी. |
| 6. | गोवा | उद्योग एवं खान विभाग | महा प्रबन्धक (प्र.म.रो.यो.) |
| 7. | गुजरात | उद्योग एवं खान विभाग/ग्रामीण कुटीर उद्योग आयुक्त | डी.आई.सी. |
| 8. | हरियाणा | उद्योग निदेशालय | डी.आई.सी. |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | उद्योग निदेशक | डी.आई.सी. |
| 10. | जम्मू व कश्मीर | रोजगार निदेशालय | डी.आई.सी. |
| 11. | कर्नाटक | उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक | डी.आई.सी. |
| 12. | केरल | उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक | डी.आई.सी. |
| 13. | मध्य प्रदेश | उद्योग विभाग | डी.आई.सी. |
| 14. | महाराष्ट्र | उद्योग निदेशालय | डी.आई.सी. |
| 15. | मणिपुर | वाणिज्य एवं उद्योग निदेश | डी.आई.सी. |
| 16. | मेघालय | उद्योग निदेशालय | डी.आई.सी. |
| 17. | मिजोरम | उद्योग निदेशक | डी.आई.सी. |
| 18. | नागालैंड | उद्योग विभाग | डी.आई.सी. |
| 19. | उड़ीसा | उद्योग विभाग | डी.आई.सी. |
| 20. | पंजाब | उद्योग निदेशक | डी.आई.सी. |
| 21. | राजस्थान | उद्योग निदेशक | डी.आई.सी. |
| 22. | तमिलनाडु | उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक | डी.आई.सी. |
| 23. | त्रिपुरा | उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक | डी.आई.सी. |
| 24. | उत्तर प्रदेश | उद्योग विभाग | डी.आई.सी. |
| 25. | पश्चिम बंगाल | कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग | डी.आई.सी. |
| 26. | दादरा एवं नगर हवेली | -- | डी.आई.सी. |
| 27. | पांडिचेरी | उद्योग निदेशक | डी.आई.सी. |
| 28. | सिक्किम | शहरी विकास एवं आवास विभाग | डी.आई.सी. |

अनुबन्ध 2

(पैराग्राफ 3.11.6 देखें)

ठेकेदार के माध्यम से कार्यों का निष्पादन

(लाख रु. में)

| राज्य | कार्यान्वयन अभिकरण | योजना | वर्ष | राशि | निष्पादन की तिथि |
|----------------|--|--|-----------------------|--------|---|
| अरुणाचल प्रदेश | जेड आई आर ओ एवं डी ए पी ओ आर आई जे आ | ने रो यो/स्व.ज.श.रो.यो. | 1995-96 से 1999-2000 | 13.68 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित, 15629 मानव दिवसों की हानि |
| असम | नागांव, धुवरी लकां टाउन | यू इ जी पी योजना | 1995-96 से 1997-98 | 18.42 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित (9 कार्य) 4479 मानव दिवसों की हानि |
| बिहार | 13 जिले | ने रो.यो./स्व.ज.श.रो.यो. | 1996-1999 | 34.91 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित अधूरे रहे (31 कार्य) |
| गुजरात | बांकानेर | ने.रो.यो. | 1995-2000 | 6.34 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित तथा फरवरी 2000 तक कार्य पूरे न होना |
| हिमाचल प्रदेश | शिमला | यू.इ.जी.पी | 1995-2000 | 54.20 | 8 श.स्था.नि. में ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित (99कार्य) |
| महाराष्ट्र | बीड एम सी | ने रो यो | 1995-2000 | 10.31 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित 4532 मानव दिवसों की हानि |
| नागालैंड | कोहिमा | यू इ जी पी | 1997-98 एवं 1990-2000 | 142.43 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित 2.28 मानव दिवसों की हानि |
| उड़ीसा | 19 श.स्था.नि. | ने रो.यो./पी.एम.पी.आई.यू. प.ई.पी/एस.जे.एस.आर. वाइ. | 1995-2000 | 237.53 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित |
| पांडिचेरी | कराइकल | पी एम आई यू पी.इ.पी. | 1996-97 | 1.55 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित |
| पंजाब | 10 श.स्व.नि. | स्व.ज.श.रो.यो. | 1995-200 | 46.96 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित |
| राजस्थान | हनुमानगढ़ | ने.रो.यो./स्व.ज.श.रो.यो. | 1996-98 | 40.92 | ठेकेदार के माध्यम से (21 कार्य) |
| त्रिपुरा | धर्मनगर | ने.रो.यो. | 1996-97 | 3.00 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित, 2180 मानव दिवसों की हानि, यदि निष्पादन विभागीय रूप से किया जाता । |
| उत्तर प्रदेश | आगरा, बिजनौर देहरादून तथा कानपुर | स्व.ज.श.रो.यो. | 1997-98 | 44.62 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित |
| पश्चिम बंगाल | बनगांव कूच बिहार जलपाइ. गडी सीरामपुर एवं हायडा | स्व.ज.श.रो.यो. | 1995-2000 | 48.55 | ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित |
| जोड़ | | | | 703.42 | |

अनुबन्ध 3

(पैराग्राफ 3.11.7 देखें)
बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई वित्तीय सूचना

(लाख रु. में)

| राज्य | जिला | योजना | वर्ष | किया गया वास्तविक व्यय | सूचित व्यय | आधिक्य/बढ़ी हुई सूचना | |
|----------------|---------------------|---|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------|--|
| अरुणाचल प्रदेश | शिलोंग | ने.रो.यो./पी.एम.आइ.यू.पी.इ.पी./स्व.ज.श.रो.यो. | 1989-2000 | 367.01 | 839.81 | 472.80 | वास्तव में उपयोग में नहीं लागे गये |
| असम | गुवाहाटी | ने.रो.यो./पी.एम.आइ.यू.पी.इ.पी. | 1992-98 | वास्तव में खर्च नहीं किया गया | 346.26 | 346.26 | रकम कार्यकारी एजेंसियों के पास पड़ी थी जब कि उसी भारतीय सरकार को व्यय के रूप में सूचित किया गया था। |
| हिमाचल प्रदेश | धर्मशाला सुन्दर नगर | स्व.ज.श.रो.यो. | 1998-99 | वास्तव में खर्च नहीं किये गये | 38.08 | 38.08 | बढ़ा चढ़ा कर सूचित किया गया। |
| कर्नाटक | बैंगलोर | स्व.ज.श.रो.यो. | 1997 | - | - | 241.00 | अव्ययित शेष की कम सूचना के कारण व्यय की अधिक सूचना। |
| महाराष्ट्र | वी.एम.सी. मुम्बई | यू.बी.एस.पी. | जन. 2000 | निधियों की अधिक सूचना | 236.62 | 3.22 | वी.एम.सी. ने राज्य सरकार को निधियों के स्व.ज.श.रो.यो. की हस्तान्तरण की 3.22 लाख रु. से अधिक सूचित किया। |
| महाराष्ट्र | पूणे एम.सी. | ने.रो.यो. | 1995 | वास्तविक व्यय नहीं | 61.96 | 37.18 | अधिक सूचना का अर्थ है आधिक्य प्राप्ति। |
| महाराष्ट्र | नासिक | ने.रो.यो. | 1997-98 | 62.50 | 70.60 | 8.10 | व्यय की अधिक सूचना |
| तमिलनाडु | चेन्नई | ने.रो.यो. | 1997 तक | 148.47 | 226.36 | 77.89 | 77.89 लाख रु. के व्यय की गलत सूचना। |
| उत्तर प्रदेश | लखनऊ | पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी. | 1996-97 | 1389.00 | 1893.00 | 504.00 | रा.श.वि.प्रा. लखनऊ ने 13.89 करोड़ रु. के व्यय को 1996-97 में पी.एम.आई.यू.पी. के अन्तर्गत दिखाया था परन्तु सरकार को सूचित किया गया व्यय 18.93 करोड़ था। |
| | | | | जोड़ | 3712.69 | 1728.53 | |

अनुबन्ध 4

(पैराग्राफ 3.11.8 देखें)

ने.रो.यो.

वित्तीय निष्पादन तथा वास्तविक लक्ष एवं उपलब्धियां

(रुपये लाखों में)

| केंद्र तथा राज्य सहायता के विषय आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध निधियां | 31-3-97 तक खर्च | 1991-92 तक | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | | 1995-96 | | 1996-97 | | 1997-98 (30-11-1997तक) | | समग्र जोड़ | | | |
|--|-----------------|------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|------------------------|-------|------------|--------|------|-------|
| | | | टी | ए | टी | ए | टी | ए | टी | ए | टी | ए | टी | ए | टी | ए | टी | ए |
| 1992-93 से 1996-97 | | | 2.87 | 1.42 | 0.92 | 2.37 | 1.25 | 1.52 | 1.02 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 0.87 | 1.29 | 0.37 | 1.33 | 8.47 | 10.43 |
| 15625.26 | 16467.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3848.48 | 2738.40 | | 0.68 | 0.48 | 0.32 | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.30 | 0.46 | 0.13 | 0.61 | 2.59 | 3.11 | |
| 19703.05 | 19618.43 | | 257.84 | 195.24 | 63.74 | 76.27 | 50.84 | 72.17 | 41.12 | 36.22 | 33.74 | 9.57 | 21.11 | 29.01 | 504.61 | 487.71 | | |
| | | | 2.85 | 0.28 | 1.77 | 2.28 | 1.76 | 0.56 | 1.60 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.10 | 7.98 | 4.90 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2001 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---|-------|---|-------|--------|--------|
| 5124.73 | 5090.09 | | 246.87 | 18.16 | 94.46 | 64.22 | 91.89 | 51.50 | 65.00 | 13.11 | 0 | 38.31 | 0 | 47.46 | 0 | 11.33 | 498.22 | 243.33 |
| 1684.46 | 1206.14 | एस.एच.ए.एस.ए. के अन्तर्गत उन्नति पदावधि पर/या | 0.62 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 1.24 | 0.99 |

अनुबन्ध 5

(पैराग्राफ 3.12.1 देखें)

मंत्रालय को राज्य सरकारों द्वारा सृजित कुल व्यय तथा नमूना जांच व्यय

(1995-96 से 1999-2000)

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | व्यय | नमूना जांच व्यय |
|---------|------------------|-----------|-----------------|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 10768.00 | 3554.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 296.00 | 70.00 |
| 3. | असम | 1203.68 | 407.86 |
| 4. | बिहार | 2002.00 | 1527.00 |
| 5. | गोवा | 530.66 | 282.69 |
| 6. | गुजरात | 3532.00 | 832.00 |
| 7. | हरियाणा | 1412.00 | 421.68 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 835.63 | 305.37 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 1080.00 | 795.00 |
| 10. | कर्नाटक | 13826.00 | 2791.00 |
| 11. | केरल | 2499.42 | 300.35 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 11544.44 | 3424.00 |
| 13. | महाराष्ट्र | 10887.73 | 3964.42 |
| 14. | मणिपुर | 194.00 | 194.00 |
| 15. | मेघालय | 314.00 | 217.00 |
| 16. | मिजोरम | 710.00 | 520.00 |
| 17. | नागालैंड | 455.06 | 341.03 |
| 18. | उड़ीसा | 2439.65 | 994.06 |
| 19. | पंजाब | 2684.94 | 638.33 |
| 20. | राजस्थान | 5304.65 | 2434.94 |
| 21. | सिक्किम | 364.98 | 310.33 |
| 22. | तमिलनाडु | 10885.00 | 2433.00 |
| 23. | त्रिपुरा | 367.31 | 258.29 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 18845.00 | 6497.00 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 8319.86 | 1842.56 |
| 26. | दादर नगर हवेली | 112.69 | उ./न. |
| 27. | पांडिचेरी | 184.39 | 179.30 |
| 28. | दिल्ली | 195.16 | 64.03 |
| | कुल | 111794.25 | 35599.24 |

अनुबन्ध 6

(पैराग्राफ 3.12.2 देखें)

राजस्व जमा/वैयक्तिक खाते/वैयक्तिक जमा लेखे/सावधि जमा में रखी गई निधि

(लाख रु. में)

| राज्य | जिला | योजना | अवधि | राशि | अभ्युक्तियां | |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|---|---|
| असम | गुवाहाटी (रा.श.वि.प्रा.) | ने.से.यो./यू.बी.एच.पी. | 1994 से जनवरी 1999 | 73.39 | आ.ज.लेखे में मांग जमा प्राप्ति में रखी गई | |
| असम | रा.श.वि.प्रा. असम | यू.ई.जी.पी. | 1997 से मार्च 2000 | | | |
| बिहार | पटना | ने.से.यो. | 1998-2000 | 1528.00 | भा.स्टे.बे. के सिविल जमा/मीयादी जमा में रखी गई | |
| बिहार | रा.श.वि.प्रा. | स्व.ज्य.श.से.यो. | 1998-2000 | | | जुलाई 2000 तक अप्रापिकृत रुम से मीयादी जमा में रखी गई |
| गुजरात | रा.श.वि.प्रा. | ने.से.यो. | 1997-98 | 1104.00 | रास्तर सरोवर नर्मदा निगम लिमि. तथा जी.प्राई.पी.सी. में भिवेश | |
| हरियाणा | नडीमड | स्व.ज्य.श.से.यो. | 1999 | 125.00 | सावधि जमा में रखी गई | |
| ज.एच.के. | एच.यू.डी.डी | स्व.ज्य.श.से.यो., यू.पी.ए. | 1998 | 134.00 | हुष्की में परिवर्तित की गई एवं मुवाई नहीं गई (४ प्रतिशत की दर से 25.17 लाख रु. के व्यय की हानि) | |
| महाराष्ट्र | वीएमसा | ने.से.यो. पीएम-आइयूपीडीपी | 1997-99 | 37.00 | सावधि जमा में रखी गई | |
| महाराष्ट्र | यू.एल.वीएस | ने.से.यो./ स्व.ज्य.श.से.यो. | 1996-2000 | | | |
| महाराष्ट्र | नगर निगम | स्व.ज्य.श.से.यो./ पीएम-आइयूपीडीपी | 1999-2000 | | | |
| मणिपुर | डीयूडीए | स्व.ज्य.श.से.यो. | 1999 | 640.00 | सिविल जमा में रखी गई । | |
| मि.ओरिसा | परिमोजना विदेशक | स्व.ज्य.श.से.यो. | 1998-2000 | 88.53 | सिविल जमा में रखी गई । | |
| उड़ीसा | यू.एल.बी.एस (18) | स्व.ज्य.श.से.यो./ ने.से.यो. | 1997 से 2000 | 80.00 | मीयादी जमा तथा उड़ीसा नवीन प्रवास निगम लिमिटेड में रखी गई | |
| उड़ीसा | रा.श.वि.प्रा., भवनेश्वर | स्व.ज्य.श.से.यो./ ने.से.यो. | 1993-1999 | | | मीयादी जमा में रखी गई |
| कर्नाटक | मुख्य अधिकारी टी.एच.सी. उप आयुक्त नगरीय मुलगा तथा उ.एच.ए. | स्व.ज्य.श.से.यो. | 1995 के आगे | 1262.89 | मीयादी जमा में रखी गई | |
| पश्चिम बंगाल | नगरपालिकाएं कलका, चकदाह | पी.एम.आइयू.पी.डी.पी. | 1997 | 5.56 | मीयादी जमा में रखी गई | |
| जोड़ | | | | 5078.37 | | |

अनुबन्ध 7

(पैराग्राफ 3.12.3 देखें)
कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि जारी करने में विलम्ब

(लाख रु. में)

| राज्य | किसके द्वारा जारी की गई | योजना | राशि | विलंब की अवधि | वर्ष | क्या निधियां राज्य या केन्द्र की है |
|----------------|-------------------------|---|---------|------------------|-----------------------|--|
| आन्ध्र प्रदेश | राज्य सरकार | स्व. ज्य. श. से. यो. | 1835.17 | 3 से 18 माह | 1997 | राज्य का हिस्सा |
| अरुणाचल प्रदेश | राज्य सरकार | ने. से. यो./यू. बी. एस /स्व. ज्य. श. से. यो. | 55.37 | 2 से 36 माह | 1989-94 | राज्य का हिस्सा |
| असम | राज्य सरकार | स्व. ज्य. श. से. यो. | 300.00 | 1 वर्ष से अधिक | 1999-2000 | केन्द्र हिस्सा |
| गोवा | रा. श. वि. प्रा. | ने. से. यो./ पीएमआई यूपीईपी/ स्व. ज्य. श. से. यो. | 193.98 | 3 से 12 माह | 1995-96 1997-98 | केन्द्र तथा राज्य का हिस्सा |
| हरियाणा | राज्य सरकार | स्व. ज्य. श. से. यो. | 317.64 | 3 से 12 माह | 1998-99 | केन्द्र/राज्य का हिस्सा |
| हिमाचल प्रदेश | केन्द्रीय सरकार | ने. से. यो. | 60.15 | 3 माह | 1995-96 | वित्तिय वर्ष की समाप्ति के पश्चात जारी किया केन्द्रीय हिस्सा |
| हिमाचल प्रदेश | केन्द्रीय सरकार | स्व. ज्य. श. से. यो. | 50.54 | 2 माह | 1997-98 | केन्द्रीय हिस्सा -वही- |
| हिमाचल प्रदेश | केन्द्रीय सरकार | स्व. ज्य. श. से. यो. | 37.47 | 1 माह | 1998-99 | केन्द्रीय हिस्सा -वही- |
| हिमाचल प्रदेश | केन्द्रीय सरकार | स्व. ज्य. श. से. यो. | 232.03 | 8 माह | 1998-99 | केन्द्रीय हिस्सा -वही- |
| ज. एवं क. | केन्द्रीय सरकार | पीएमआईयूपीईपी/ ने. से. यो. | 396.00 | 4 से 12 माह | 1995-1999 | केन्द्रीय हिस्सा |
| कर्नाटक | राज्य सरकार | ने. से. यो./ स्व. ज्य. श. से. यो. | 369.00 | दो से 17 माह | 1995-96 एवं 1999-2000 | केन्द्र/राज्य का हिस्सा |
| कर्नाटक | राज्य सरकार | स्व. ज्य. श. से. यो. | 2340.30 | 15 माह | 1997-98 | केन्द्रीय हिस्सा |
| केरल | राज्य सरकार | पीएमआईयूपीईपी | 450.18 | 3 माह से 4 माह | 1995-98 | केन्द्र/राज्य का हिस्सा |
| मध्य प्रदेश | राज्य सरकार | पीएमआईयूपीईपी/ स्व. ज्य. श. से. यो. | 1759.00 | 2 से 4 माह | 1995-1998 | राज्य का हिस्सा |
| मध्य प्रदेश | राज्य सरकार | " | 5862.14 | 1 से 12 माह | 1995-1999 | राज्य का हिस्सा |
| मेघालय | राज्य सरकार | ने. से. यो./ पीएमआईयूपीईपी/ स्व. ज्य. श. से. यो. | 148.31 | 15 दिन से 12 माह | 1995-2000 | केन्द्र/राज्य का हिस्सा |
| मिजोरम | राज्य सरकार | पीएमआईयूपीईपी | 27.79 | 2 वर्ष | 1997 | केन्द्रीय हिस्सा |
| मिजोरम | राज्य सरकार | स्व. ज्य. श. से. यो. | 69.63 | 1 वर्ष | 1997-98 | केन्द्रीय हिस्सा |
| नागालैंड | राज्य सरकार | ने. से. यो. | 126.54 | 1 से 7 वर्ष | 1989-90 1994-95 | केन्द्रीय हिस्सा |
| नागालैंड | राज्य सरकार | यू. बी. एस. पी. | 35.00 | 1 से 7 वर्ष | 1994-95 | केन्द्रीय हिस्सा |

(लाख रु. में)

| राज्य | किसके द्वारा जारी की गई | योजना | राशि | विलंब की अवधि | वर्ष | क्या निधियां राज्य या केन्द्र की है |
|--------------|-------------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|---|
| उड़ीसा | राज्य सरकार | ने.रो.यो | 151.60 | 18 माह | 1995-96 | केन्द्र/राज्य का हिस्सा |
| उड़ीसा | राज्य सरकार | ने.रो.यो | 90.05 | 24 माह | 1996-97 | केन्द्र/राज्य का हिस्सा |
| उड़ीसा | राज्य सरकार | पीएमआईयूपीईपी | 250.00 145.54 | 32 दिन से 79 दिन | 1995-96 1996-97 | केन्द्र/राज्य का हिस्सा |
| उड़ीसा | राज्य सरकार | स्व.ज्य.श.रो.यो. | 223.11 360.40 | 13 दिन से 4 माह | 1997-98 1998-99 | केन्द्र/राज्य का हिस्सा |
| पाण्डिचेरी | राज्य सरकार | ने.रो.यो/ पीएमआईयूपीईपी/ स्व.ज्य.श.रो.यो. | 194.30 | 1 से 6 माह | 1995-2000 | केन्द्रीय हिस्सा |
| पाण्डिचेरी | राज्य सरकार | ने.रो.यो/ पीएमआईयूपीईपी/ स्व.ज्य.श.रो.यो. | 76.28 | 6 से 28 माह | 1996-98 | राज्य का हिस्सा |
| पंजाब | राज्य सरकार | यूईजीपी | 592.78 | 4 से 15 माह | 1995-2000 | केन्द्र/राज्य का हिस्सा |
| पंजाब | रा.श.वि.प्रा. | यूईजीपी | 2226.17 | 1 माह से 17 माह | 1995-96 | श.स्था.नि. को जारी न किया गया केन्द्र/राज्य का हिस्सा |
| राजरथान | राज्य सरकार | ने.रो.यो/ पीएमआईयूपीईपी/ स्व.ज्य.श.रो.यो. | 2945.54 | 1 से 15 माह | 1995-96 एवं 1999-2000 | केन्द्रीय हिस्सा |
| राजरथान | राज्य सरकार | ने.रो.यो/ पीएमआईयूपीईपी/ स्व.ज्य.श.रो.यो. | 1705.44 | 2 से 15 माह | 1995-96 से 1999-2000 | राज्य का हिस्सा |
| सिक्किम | भा.स. | ने.रो.यो/ पीएमआईयूपीईपी/ स्व.ज्य.श.रो.यो. | 75.65 | 12 माह | 1995-96 एवं 1996-97 | केन्द्रीय हिस्सा |
| तमिलनाडु | राज्य सरकार | पीएमआईयूपीईपी | 900.44 | 2 माह से 5 माह | 1995-96 | केन्द्रीय हिस्सा |
| उत्तर प्रदेश | राज्य सरकार | ने.रो.यो | 2072.00 | 5 माह से 16 माह | 1995-97 | केन्द्रीय हिस्सा |
| जोड़ | | | 26675.54 | | | |

अनुबन्ध 8

(पैराग्राफ 3.12.4 देखें)

कार्यान्वयन/निष्पादन अभिकरणों को निधियों का कम /जारी न करना

(लाख रु. में)

| राज्य | किसके द्वारा जारी किया गया | योजना | वर्ष | राशि | कम/जारी न करने के लिए जिम्मेदार हरती |
|----------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------|--|
| आन्ध्र प्रदेश | राज्य सरकार | स्व.ज.श.रो.यो. | 1997-2000 | 814.00 | केन्द्रीय हिस्सा राज्य सरकार |
| अरुणाचल प्रदेश | राज्य सरकार | ने.रो.यो./यू.बी.एस.पी. | 1989-2000 | 61.34 | केन्द्रीय हिस्सा राज्य सरकार |
| अरुणाचल प्रदेश | राज्य सरकार | ने.रो.यो./स्व.ज.श.रो.यो. | 1989-2000 | 19.86 | केन्द्रीय हिस्सा राज्य सरकार |
| असम | राज्य सरकार | यू.इ.जी.पी. | - | 664.37 | राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय एवं राज्य निधि जारी नहीं की गई थी |
| असम | राज्य सरकार | यू.इ.जी.पी. | - | 2389.10 | राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य हिस्सा जारी नहीं किया गया था। |
| बिहार | राज्य सरकार | ने.रो.यो./ यू.बी.एस.पी. पीएमआईयू पी | 1995-1998 | 256.00 | राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया था। |
| गुजरात | राज्य सरकार | ने.रो.यो | 1989-1997 | 74.00 | राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा कम जारी किय गया था। |
| जम्मू व कश्मीर | राज्य सरकार | स्व.ज.श.रो.यो. | 1998-1999 | 136.00 | राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा निधियां जारी नहीं की गई थी। |
| जम्मू व कश्मीर | राज्य सरकार | स्व.ज.श.रो.यो. | 1997-1998 | 121.00 | राज्य हिस्सा जारी नहीं किया गया |
| मेघालय | एमआईजडीए | ने.रो.यो | 1997-2000 | 57.58 | एम.यू.डी.ए. द्वारा मार्च 2000 के अंत तक राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया गया था। |
| मिजोरम | राज्य सरकार | स्व.ज.श.रो.यो. | 1998-2000 | 7.11 | राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया था। |
| नागालैंड | राज्य सरकार | ने.रो.यो | 1998-1995 | 31.59 | राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य हिस्सा जारी नहीं किया गया था। |
| उड़ीसा | राज्य सरकार | पीएमआयूपीईवपी/ स्व.ज.श.रो.यो. | 1997-98 एवं 1999-2000 | 126.70 | राज्य सरकार द्वारा राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया गया था। |
| पॉडिचेरी | राज्य सरकार | स्व.ज.श.रो.यो. | 1999-2000 | 18.60 | राज्य सरकार द्वारा श.स्था.नि. को केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया था |
| तमिलनाडु | राज्य सरकार | ने.रो.यो | 1997-1998 | 257.95 | राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय/राज्य हिस्सा जारी नहीं किया गया था। |
| तमिलनाडु | राज्य सरकार | एसएचएएसएचयू/ पीएमआयूपीईवपी | 1995-1997 | 252.44 | निधियां जारी नहीं की गई थी। |
| उत्तर प्रदेश | राज्य सरकार | स्व.ज.श.रो.यो. | 1999-2000 | 523.00 | वित्तीय वर्ष 2000 के अन्त तक राज्य हिस्सा जारी नहीं किया गया था। |
| | | | | 5810-64 | |

अनुबन्ध 9

(पैराग्राफ 3.12.5 देखें)

(क) अन्य क्रियाकलापों को निधियों का विपथन जिनका कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं था।

(लाख रु. में)

| राज्य | जिला | योजना | वर्ष | राशि | क्रियाकलाप जिसके लिए निधिका विपथन किया गया |
|-----------------|---|---|----------------------------|---------|--|
| गान्ध प्रदेश | हेदराबाद | स्व. ज. श. से. यो. | 1998-99 | 2.76 | कार्यालय उपकरण की खरीद |
| असम | गोहाटी | ने. से. यो./ स्व. ज. श. से. यो. | अप्रैल 92 से फरवरी 2000 | 182.95 | टेलीफोन एवं विद्युत बिलों, वाहनो की खरीद, प्रातनुकूलित की खरीद का भुगतान |
| बिहार | स. श. वि. प्रा. | ने. से. यो./ स्व. ज. श. से. यो. | 1995-96 से 2000 | 90.90 | सोफारोट, कुर्ती, दूरदर्शन की मंगल परमत के रागामी के लिए खरीद अध्यक्ष वेचर वेडमीटर हाल का निर्माण, जलबोर्ड और अन्य दो संस्थाओं को ऋण |
| हिमाचल प्रदेश | सुन्दर नगर | ने. से. यो. | 1996-97 | 24.82 | स्टाफ का वेतन एवं मजदूरी बर्ष एवं फिसलन का हटाना |
| हिमाचल प्रदेश | मंडी | स्व. ज. श. से. यो. | 1999 | | |
| जम्मू और कश्मीर | 8 श. स्था. नि. | ने. से. यो./ पीएमआईयूपीईपी | 1998-99- 2000 | 109.25 | मंत्रियों एवं अधिकारियों के लिए वाहन, कैमरा, कम्प्यूटर की खरीद, टेलीफोन बिलों रंगीन टीवी का भुगतान, पत्र-मशरफालिका एवं निजी संस्थाओं को ऋण। |
| कर्नाटक | श. स्था. नि. | ने. से. यो./स्व. ज. श. से. यो. | 1992-93 to 1996-97 | 67.33 | नगरपालिका क्रियाकला |
| केरल | श. स्था. नि. | यू. पी. ए. | 1996-99 | 25.50 | नगरपालिका क्रियाकला। |
| महाराष्ट्र | क्यूई नगर-पालिका निगम (व. न. नि.) | ने. से. यो. | 1998 | 55.61 | वेतन एवं भत्ते, घु. या. रि. स्थापना प्रभारो आदि क भुगतान के लिए |
| महाराष्ट्र | व. नि. खलकरजी | स्व. ज. श. से. यो. | 1999-2000 | | वोनस एवं ठेकेदारों बिलों क भुगतान पर किया गया व्यय |
| गुजरात | इम्फाल | ने. से. यो./स्व. ज. श. से. यो. | 1995-2000 | 44.81 | वेतन एवं भत्ते, दो कारो की खरीद और अन्य प्राधिकरणों को आगम |
| गिजोरग | एजावल | ने. से. यो. | 1997 | 9.18 | जिप्टी कार की खरीद |
| " | एजावल | स्व. ज. श. से. यो. | 1998-99 | | परियोजना अधिकारियों के लिए वाहनो की खरीद (एजल लंगली) |
| नामासैड | कोहिमा | पीएमआईयूपीईपी | 1997-98 & 1998-99 | 8.77 | कम्प्यूटर की खरीद (4 लाख रु.), क्वाट्रो की मरम्मत (1 लाख रु.) एवं वाहन की खरीद (3.77 लाख रु.) |
| उड़ीसा | भवनेश्वर (4 श. स्था. नि.) | स्व. ज. श. से. यो. /ने. से. यो. एवं पीएमआईयूपीईपी | 1998-2000 | 173.22 | वेतन एवं अन्य नगरपालिका खर्चों का भुगतान |
| " | 4 श. स्था. नि. | यू. ई. जी. पी. | 3/97 से 2/2000 | | विजली के राक्षारू मीटर वाहन, खाद जांचो आदि के लिए खरीद |
| पंजाब | फिरोजपुर | स्व. ज. श. से. यो. | 1998 | 332.82 | एमसीडी स्ट्राफ (नगरपालिका कमेटी) को वेतन एवं भत्ते और सी. पी. ओ. कार्यालय को पूरा करने पत्राव जल आपूर्ति मलयगस्था बीउर का कम्प्यूटीकरण, स्ट्राफ प्रशिक्षण और सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण। |
| " | " | स्व. ज. श. से. यो. | 1999 | | अधिकरण के निदेशक के लिए ऐम्बरडर वाहन की खरीद |
| राजस्थान | अजमेर, गिलवाडा, बिकानेर, जोधपुर, पालि और उदयपुर | ने. से. यो. | 1995-96 1997-98 | 77.39 | वेतन, भत्ते, फेक्स मशीन कुलरो, फोटोकॉपियर आदि की खरीद |
| " | जयपुर | पीएमआईयूपीईपी | 1999 | | |
| सिक्किम | गेमटाक | ने. से. यो./ पीएमआईयूपीईपी | 1996-98 | 12.07 | 3 वाहनो की खरीद |
| त्रिपुरा | सनीबाजार और धर्मनगर और पंचायता | ने. से. यो. /स्व. ज. श. से. यो. | 1995-96 to 1999-2000 | 30.81 | भूमि की खरीद, जीप की खरीद, टाऊनहॉल की मरम्मत एवं अनुस्मण, स्टैडियम का निर्माण ट्रैक्टर की खरीद। |
| पश्चिम बंगाल | दरा नगर पालिका निकाय | ने. से. यो./ पीएमआईयूपीईपी/ स्व. ज. श. से. यो. | 1995-2000 | 237.00 | वेतन, मजदूरी, भविष्य निधि का भुगतान, ट्रैक्टर की खरीद, विजली प्रभार, ठेकेदार को प्रतिभूति की वपरी दो पहिया एक भार मशीन। |
| मध्य प्रदेश | बिलासपुर | ने. से. यो./स्व. ज. श. से. यो. | 1998 | 3.30 | ऋण के रूप में रागामी के विपथन |
| प्राडिदेश | - | ने. से. यो./स्व. ज. श. से. यो. | 1996-2000 | 12.17 | अखबार की आपूर्ति एवं अध्यापको को वेतन |
| उत्तर प्रदेश | गाजिगाबाद, मेरठ, मजफफनगर | न. से. गो./पीएमआईयूपीईपी/ स्व. ज. श. से. यो. | 1996-97 1998-99 | 41.72 | विजली सामग्री की खरीद |
| जोड़ | | | | 1542.38 | |

अनुबन्ध 10

(पैराग्राफ 3.12.8 देखें)

अप्रयुक्त/अंतिम व्यय के रूप में माने गए अग्रिम जबकि वास्तव में खर्च नहीं किए गए

(लाख रु. में)

| राज्य | जिला | अग्रिम जिसे दिया गया | अवधि | अग्रिम राशि | योजना | उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम दिया गया |
|-----------------|---|---|-----------------------------|-------------|--|---|
| बिहार | पटना | जिला अभिरण | 1995-2000 | 6881.00 | ने.रो.यो/स्व.ज.श.रो.यो | जिला अभिकरणों को दी गई निधियों को व्यय दर्शाया गया। |
| हिमाचल प्रदेश | शिमला सुन्दर नगर | हि.प्र.एस.ई.बी. | 1999 | 26.70 | स्व.ज.श.रो.यो | स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराने के लिए |
| जम्मू और कश्मीर | टी.ए.सी./ए.ए.सी. | जे.यू.डी.ए./यू.डी.ए.व न. एवं डी.यू.डी.ए.एस. | 1995-96 से 2000 | 51.48 | श.सं.उ.का. | मजदूरी रोजगार के अंतर्गत कार्यों के लिए |
| कर्नाटक | कर्वर सीरसी बैंगलोर आदि | श.स्था.नि./गै.स.सं. | 1997-98 से 1999- 2000 | 253.07 | पीएमआईयूपीईपी/ स्व.ज.श.रो.यो. | वाक़्तवों, व्यय के प्रमाण के बिना अंतिम व्यय माना गया। |
| नागालैंड | कोहिमा | आठ डी.यू.डी.ए. | 1999- 2000 | 156.12 | स्व.ज.श.रो.यो. | स्व.ज.श.रो.यो. का कार्यालय |
| उड़ीसा | भुवनेश्वर | श.स्था.नि. | 1995- 2000 | 136.67 | ने.रो.यो./स्व.ज.श.र यो. | कार्यों का निष्पादन |
| त्रिपुरा | अगरतला | बैंको में जमा | 1994-95 से 1998- 99 | 2.74 | ने.रो.यो | अंतिम व्यय माने गये जो वास्तव में हुए नहीं थे। |
| उत्तरप्रदेश | एस.यू.डी.ए. | यू.पी.जल निगम | 1995-98 | 105.00 | पी.एम.आई.यू.पी. ई.पी. | समायोजन बिलों/वाउचरों की प्राप्ति बिना अंतिम व्यय माना गया। |
| उत्तरप्रदेश | एस.यू.डी.ए. | निष्पादित अभिकरण | 1995-98 | 59.79 | ने.रो.यो | |
| उत्तरप्रदेश | गाजियाबाद, उद्यम सिंह नगर वाराणसी | परियोजना अधिकारी | 1995-98 | 315.00 | ने.रो.यो/ पी.एम.आई.यू.पी. ई.पी./ स्व.ज.श.रो.यो. | |
| पश्चिम बंगाल | छः नगरपालिका बारासत, गारूलिया, छबरा, छबरा जलपाइगुरी राणाधर एवं सीरमपोर | | 1995- 2000 | 45.42 | ने.रो.यो/ पी.एम.आई.यू.पी. ई.पी./ स्व.ज.श.रो.यो. | अंतिम व्यय के रूप में माने गये |
| जोड़ | | | | 8032.99 | | |

अनुबन्ध 11

(पैराग्राफ 3.12.10 देखें)

प्रशासन पर मानदण्डों से अधिक व्यय

(लाख रु.में)

| राज्य | योजना | रा.श.वि.प्रा./जि.रा.वि.प्रा. | मानदण्ड से अधिक राशि | वर्ष |
|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| दादर एवं नगर हवेली | स्व.ज.श.रो.यो. | रा.श.नि.प्रा. | 11.33 | 1997-98 to 1999-2000 |
| गुजरात | ने.रो.यो./स्व.ज.श.रो.यो. | रा.श.नि.प्रा. | 58.00 | 1995-98 and 1999-2000 |
| हरियाणा | स्व.ज.श.रो.यो. | जि.श.वि.प्रा. | 4.22 | 1998-99 |
| केरल | पीएमआईयूपीईप | यूपीआई सैल | 32.42 | 1995-2000 |
| मध्य प्रदेश | स्व.ज.श.रो.यो. | जि.श.वि.प्र. विलासपुर इन्दौर रायपुर दुर्ग | 427.00 | 1995-2000 |
| मणिपुर | ने.रो.यो./स्व.ज.श.रो.यो. | रा.श.वि.प्रा. | 17.93 | 1995-2000 |
| राजस्थान | ने.रो.यो./पीएमआईयूपीईप/स्व.ज.श.रो.यो. | रा.श.वि.प्रा. | 142.88 | 1997-98 to 2000 |
| सिक्किम | यूवीएसवी/पीएमआईयूपीईपी | रा.श.वि.प्रा. | 29.92 | 1995-2000 |
| जोड़ | | | 723.70 | |

अनुबन्ध 12

(पैराग्राफ 3.13.1 देखें)

सामग्री तथा मजदूरी संघटकों पर व्यय के निर्धारित अनुपात का उल्लंघन : 60:40

| राज्य | जिला | योजना | लेखापरीक्षा |
|------------------|---|--|---|
| गद्य प्रदेश | बिलासपुर ग्वालियर ईंदौर जबलपुर रायपुर | स्व.ज.श.रो.यो. | श्रम पर व्यय क्रमशः 21%, 29%, 22%, 24%, 29% था |
| हिमाचल प्रदेश | शिमला | श.रो.उ.का. | 51 निर्माणकार्यों की नमूना जांच में सामग्री संघटक सामग्री पर 5.47 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय शामिल होने वाले निर्धारित अनुपात से अधिक थे |
| जसम | गोहाटी | यूजीइपी | 51 निर्माणकार्यों की नमूना जांच में सामग्री संघटक सामग्री पर 5.47 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय शामिल होने वाले निर्धारित अनुपात से अधिक थे |
| गोवा | गोवा 8 नगर परिषदें | यू.ऊ.व्यू.ई.पी. (स्व. ज.श.रो.यो.) | 1997-98, 1998-99 के दौरान तीन नगर परिषदों ने सामग्री तथा श्रम के अनुपात का पता लगाने के लिए व्यय का निर्माणकार्य वार लेखा अनुरक्षित नहीं किया था। |
| उड़ीसा | 11 यू.एल.बी.एस. | ने.रो.यो./पीएम आइयूपीइपी/ स्व.ज.श.रो.यो. | श्रम संघटक के कार्य का अनुपात 16.58 प्रतिशत तथा 26.11 प्रतिशत के बीच था। |
| अरुणाचल प्रदेश | पपुमपरे | ने.रो.यो. | 1996-97 में ने.रो.यो. के अंतर्गत निष्पादित किए गए वार निर्माण कार्यों में श्रम तथा सामग्री का अनुपात 32:68 था। |
| अरुणाचल प्रदेश | " | स्व.ज.श.रो.यो. | 1996-97 में स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत निष्पादित किए गए वार निर्माण कार्यों में श्रम तथा सामग्री का अनुपात 43:57 था। |
| कर्नाटक | यूपलबी | -- | यूपलबी के नमूना जांच किए गए 36 मामलों में सामग्री पर 42.10 लाख रु. का अधिक व्यय किया गया जिसके कारण 0.27 लाख श्रम दिवसों के रोजगार की अस्वीकृति हुई। |
| हरियाणा | जौंद तथा कच्छोत्र | ने.रो.यो./स्व.ज. श.रो.यो. | चार जिलों में ने.रो.यो. के अंतर्गत 1995-98 के दौरान श्रम संघटक पर वारताविक व्यय केवल 17 तथा 35 प्रतिशत था, श्रम संघटक पर कम व्यय के कारण 11492 श्रम दिवसों का कम रोजगार उत्पादन |
| हरियाणा | जौंद तथा सोनीपत | स्व.ज. श.रो.यो. | 1998-2000 के दौरान स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत श्रम संघटक 13 तथा 25 प्रतिशत के बीच था जिसके कारण 7683 श्रम-दिवसों का कम रोजगार उत्पादन हुआ। जौंद तथा सोनीपत जिलों में श्रम पर व्यय केवल 13-14 प्रतिशत था। |
| त्रिपुरा | यूपलबी | ने.रो.यो. | दो यू.एल.बी. द्वारा निष्पादित किए गए 11 निर्माण कार्यों में 1995-96 से 1998-99 के दौरान श्रम पर व्यय का अनुपात शून्य से 30 तक गिना था। |
| उत्तर प्रदेश | डी.यू.सी.ए. | ने.रो.यो./स्व.ज. श.रो.यो. | सामग्री संघटक पर व्यय 39.84 लाख य. रो. अधिक था जिसने 81306 श्रम दिवसों के मजदूरी रोजगार को प्रभावित किया। |
| पंजाब | कराकल | ने.रो.यो./स्व.ज. श.रो.यो. | 1995-97 से 1999-2000 के दौरान 9 निर्माणकार्यों की सामग्री तथा श्रम पर अनुपात 75:25 से 91:9 था। |
| गुजरात | जेतपुर-नवागध वानकनेर | ने.रो.यो. | 1996-98 के दौरान मजदूरी सामग्री अनुपात 40:60 के प्रति 26.74 तथा 35.65 (11 निर्माण कार्यों) के बीच था। |
| गुजरात नगर हवेली | शिलवासा | ने.रो.यो. | 1995-2000 के दौरान सामग्री पर अधिक व्यय 5.68 लाख रु. का था जिसके कारण 13908 श्रम दिवसों का कम उत्पादन हुआ। |
| सिक्किम | गंगटोक | ने.रो.यो./स्व.ज. श.रो.यो. | 1995-96 से 2000 के दौरान ने.रो.यो. में सामग्री तथा श्रम का अनुपात 52:48 से 80:20 तक तथा स्व.ज.श.रो.यो. में 80:20 से 58:42 था। |
| राजस्थान | जयपुर (यूपलबी) | ने.रो.यो./स्व.ज. श.रो.यो. | 1995-96 से 2000 के दौरान स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत श्रम का अनुपात 7 तथा 17 प्रतिशत के बीच तथा ने.रो.यो. के अंतर्गत 24 तथा 46 प्रतिशत था। |
| विहार | पटना | स्व.ज.श.रो.यो./ ने.रो.यो. | 1997-98 से 2000 के दौरान सामग्री तथा श्रम के अनुपात का अनुरक्षण नहीं किया गया था। |
| अमिल-नाडू | वेन्नई | स्व.ज.श.रो.यो. | 1997-98 से 2000 के दौरान सामग्री तथा श्रम के अनुपात का अनुरक्षण नहीं किया गया था। |
| पश्चिम बंगाल | 20 नगर निकाय | ने.रो.यो./स्व.ज. श.रो.यो. | 1995 से 2000 के दौरान श्रम तथा सामग्री पर औसत अनुपात 28:72 था। |

अनुबन्ध 13

(पैराग्राफ 3.21.1 देखें)

राज्य/सं.शा.क्षे. द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां जारी करने में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | राज्य/सं.शा.क्षे. | अवधि | विलम्ब की सीमा | राशि | अभ्यक्तियां |
|---------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1995-98 | 4 - 9 माह | 84.69 | निधियां विलम्ब से जारी की गईं |
| | | 1999-2000 | 3 माह | 153.00 | 1999-2000 के दौरान प्राप्त निधियां जून 2000 तक जा नहीं की गईं। |
| 2. | अराम | 1995-2000 | | 367.50 | अराम सरकार ने नोडल अभिकरणों को 367.50 लाख रु. जारी नहीं किए तथा नोडल अभिकरणों ने कार्यकारी अभिकरणों को 135.71 लाख रु. जारी नहीं किए। |
| 3. | जम्मू व काश्मीर | 1995-99 | 4 से 12 माह | 48.00 | राज्य ने कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी किए |
| | | 1998-2000 | 7 माह | 8.00 | राज्य सरकार ने अप्रैल 2000 तक जारी नहीं किए |
| 4. | गुजरात | 1995-99 | 2 से 8 माह | 580.09 | राज्य ने कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी किए |
| 5. | गणपूर | 1996-97 | 4 वर्ष | 10.12 | राज्य सरकार ने उद्योगों/विभागों को निधियां जारी नहीं की तथा मार्च 2000 तक जमाओं में रखी |
| | | 1995-2000 | | 3.25 | उद्योग निदेशक ने डी.आई.सी. को आकरिंगवन्ता निधि जारी नहीं की |
| 6. | नागालैंड | 1995-2000 | 1 से 6 वर्ष | | वित्तीय प्रतिबन्धन के कारण राज्य सरकार ने निधियां विलम्ब से जारी कीं। राज्य ने प्र.मि.से.यो. की निधियों का कहीं ओर उपयोग किया। |
| 7. | तामिलनाडु | 1995 12/1999 तक | 2 से 10 महीने | 424.82 | राज्य ने निधियां 2 से 10 महीनों के विलम्ब से जारी की। |
| 8. | उत्तर प्रदेश | 1997-98 | 10 महीने | 200.00 | भारत सरकार से अक्टूबर 1997 में प्राप्त निधियां डी.आई.सी. को अगस्त 1998 में जारी कीं |

अनुबन्ध 14

(पैराग्राफ 3.23.2 देखें)

मामलें जहां पर मानदण्डों से कम दरों पर प्रशिक्षण निधियों के दावे किये गये थे को दर्शाने वाला विवरण

| वर्ष | राज्य/सं. शा. भे. का नाम | गतिविधियां | प्रशिक्षित लाभभोगियों की संख्या | दावा की गई राशि | प्रति प्रशिक्षार्थी मान्य मानदण्ड | प्रति प्रशिक्षार्थी वास्तविक दावा | |
|----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 1995-96 | असम | से. तथा व्य. | 5901 | 1049000 | 500 | 178 | |
| | बिहार | से. तथा व्य. | 6660 | 2078143 | 500 | 312 | |
| | दिल्ली | से. तथा व्य. | 243 | 85200 | 500 | 351 | |
| | गुजरात | उ. तथा व्य. | 8678 | 3428630 | 1000 500 | 400 | |
| | हरियाणा | उ. | 1735 | 946434 | 1000 | 545 | |
| | | से. तथा व्य. | 3120 | 1665782 | 1000 | 534 | |
| 1996-97 | | से. तथा व्य. | 3328 | 1006909 | 500 | 303 | |
| | गुजरात | उ. | 2737 | 1124720 | 1000 | 411 | |
| | | से. तथा व्य. | 5990 | 1847780 | 500 | 308 | |
| | हरियाणा | उ. | 1295 | 800643 | 1000 | 618 | |
| | | से. तथा व्य. | 6191 | 2040663 | 500 | 330 | |
| | हिमाचल प्रदेश | उ. से. तथा व्य. | 1612 | 759620 | 1000 एवं 500 | 471 | |
| | जम्मू व कश्मीर | उ. | 608 | 744700 | 1000 | 430 | |
| | | से. तथा व्य. | 1124 | | 500 | | |
| | मध्य प्रदेश | उ. | 9283 | 6574580 | 1000 | 708 | |
| | | से. तथा व्य. | 29070 | 10119650 | 500 | 348 | |
| | 1997-98 | गुजरात | उ. | 2555 | 1071500 | 1000 | 419 |
| | | | से. तथा व्य. | 5937 | 1780000 | 500 | 300 |
| हरियाणा | | उ. | 851 | 558888 | 1000 | 657 | |
| | | से. तथा व्य. | 4935 | 2064672 | 500 | 418 | |
| हिमाचल प्रदेश | | उ. से. तथा व्य. | 1973 | 735890 | 1000&500 | 373 | |
| जम्मू व कश्मीर | | उ. | 588 | 202000 | 1000 | 344 | |
| | | से. तथा व्य. | 1975 | 680000 | 500 | 344 | |
| उ. | | 22 | 15400 | 1000 | 700 | | |
| 1998-99 | गोवा | उ. | 22 | 15400 | 1000 | 700 | |
| | | से. तथा व्य. | 132 | 46200 | 500 | 350 | |
| | Gujarat | उ. | 2479 | 1028000 | 1000 | 415 | |
| | | से. तथा व्य. | 6526 | 1684870 | 500 | 258 | |
| | हरियाणा | उ. | 998 | 564990 | 1000 | 566 | |
| | | से. तथा व्य. | 6294 | 1792920 | 500 | 285 | |

से. : सेवा

व्य. : व्यवसाय

उ. : उद्योग

अनुबन्ध 15

(पैराग्राफ 3.27 देखें)

बैंक ऋणों के पुनःभुगतान में त्रुटियां दर्शाता विवरण

| क्र.सं. | राज्य/संघ | अवधि | त्रुटिपूर्ण ऋण के पुनः भुगतान की प्रतिशतता | टिप्पणियां |
|---------|---------------|------------------|--|---|
| 1 | असम | | 81 से 89 | -- |
| 2 | हरियाणा | 1995-2000 | उ.न. | 1314 मामलों की नमूना जांच पर आधारित 36 प्रतिशत 5 जिलों में 469 चूककर्ता |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | 1995-2000 | 42 से 62 | नमूना जांच पर आधारित 3 जिले, शिमला, कांगड़ा, हाथ मंडी |
| 4 | कर्नाटक | 1996-99 | 49 से 63 | नमूना जांच पर आधारित 1.35 लाख मामले 7 ज |
| 5 | मध्य प्रदेश | -- | 74 | मांगे गये 137.26 करोड़ में से 101.84 करोड़, 10 नमूना पांच जिलों में बकाया थे। |
| 6 | मणिपुर | 1998-2000 | 97 से 99 | 1.49 करोड़ रु./1.48 करोड़ रु. 31 दिसम्बर 1999 तक |
| 7 | मिजोरम | 1995-2000 | उ.न. | मुख्य शाखा एजोल भा.सू.व. के रिकार्ड पर आधारित (77 प्रतिशत मामले) |
| 8 | ज्वागालैंड | 1993-2000 | 99.31 | 1011.11 लाख रु. में से 6.98 लाख रु. वसूल किये |
| 9 | राजस्थान | 1995-2000 | 33 | नमूना जांच पर आधारित 7 जिलों में 624 मामले तथा 22 बैंक। |
| 10 | अमिलनाडु | 1996-99 | 55 से 58 | रिकार्ड पर आधारित 5 जिलों की नमूना जांच |
| 11 | त्रिपुरा | 31 मार्च 1999 तक | 79 | राज्य स्तर की 58वीं रिपोर्ट पर आधारित बैंकर कमेटी |
| 12 | पश्चिम बंगाल | -- | 73 से 92 | 3 जिलों के बड़े बैंकों की सूचना पर आधारित |
| 13 | पांडिचेरी | | 63 से 75 | नवम्बर 1996 तथा जुलाई 1997 में बड़े बैंकों की समीक्ष बैठक पर आधारित |
| 14 | सिक्किम | 1994-99 | 74 | नमूना जांच पर आधारित 115 मामले |

अनुबन्ध 16

(पैराग्राफ 3.28 देखें)

परिचीक्षण में कमियां दर्शाता विवरण

| क्र.सं. | राज्य/सं.स. | अवधि | टिप्पणियां |
|---------|-----------------|-----------|--|
| 1. | असम | 1995-2000 | जिला परामर्श समिति (जि.प.स.) तथा जिला स्तर समीक्षा समिति (जि.सं.स.स.) ने 1998-99 के दौरान 92 तथा 96 बैठकों के प्रति 53 बैठक तथा 23 बैठके की। |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1995-2000 | मानव शक्ति के अभाव के कारण राज्य स्तर पर कोई परिचीक्षण कक्ष नहीं बनाया गया था। |
| 3. | सिक्किम | 1995-2000 | कोई परिचीक्षण कक्ष स्थापित नहीं हुआ। |
| 4. | बिहार | 1995-2000 | राज्य तथा जिला स्तर पर कोई परिचीक्षण कक्ष नहीं बनाया गया था। |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | 1995-2000 | राज्य तथा जिला स्तर पर कोई परिचीक्षण कक्ष नहीं बनाया गया था। |
| 6. | मिजोरम | 1995-2000 | राज्य तथा जिला स्तर पर कोई परिचीक्षण कक्ष नहीं बनाया गया था। |
| 7. | आगालैंड | 1995-2000 | राज्य तथा जिला स्तर पर कोई परिचीक्षण कक्ष नहीं बनाया गया था। |
| 8. | मध्य प्रदेश | 1996-2000 | अवधि के दौरान 16 तिमाही बैठकों के प्रति 11 बैठकों की गई थी। |
| 9. | पांडिचेरी | 1995-99 | चार क्षेत्रों में समितियां बनाई गई थी परन्तु कोई बैठक नहीं हुई थी। |